VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव भाग 2 (2022)

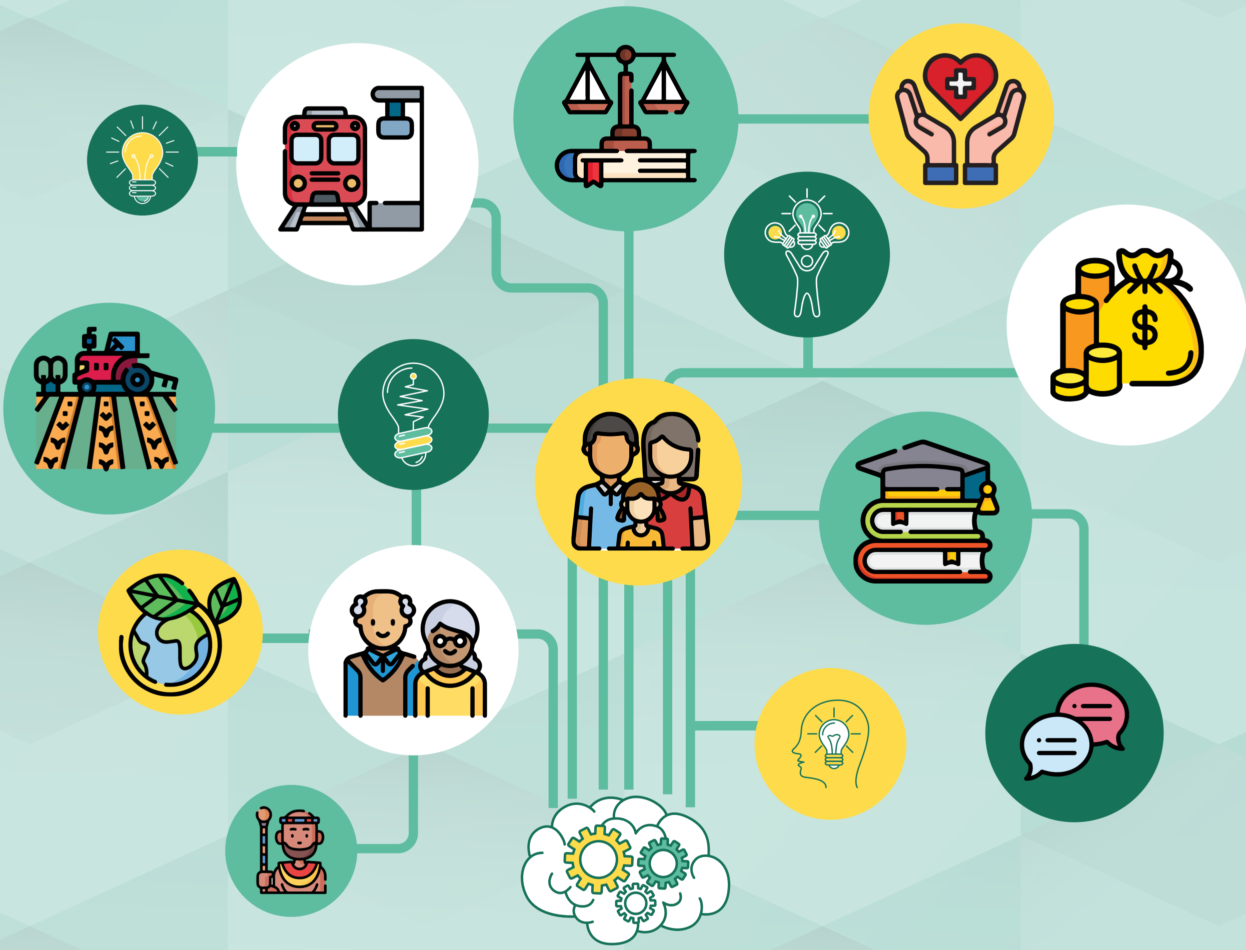

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव भाग-2 (2022)

विषय-सूची

1. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises) 10

1.1. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैट्री भंडारण कार्यक्रम" {Production Linked Incentive (PLI) Scheme 'National Programme On Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage} 10

1.2. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण-योजना II: फेम {Faster Adoption of Electric (& Hybrid) Vehicles in India) Scheme II: FAME} 10

1.3. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2020 {National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP), 2020} 11

1.4. स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ) उद्योग {Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog} 12

1.5. ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile & Auto Components} 12

2. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) 14

2.1. साक्षी संरक्षण योजना (Witness Protection Scheme) 14

2.2. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Network and Systems: CCTNS) 14

2.3. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme: BADP)# 15

2.4. महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (Cyber Crime Prevention Against Women and Children: CCPWC) 15

2.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 16

3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing And Urban Affairs) 18

3.1. जल जीवन मिशन-शहरी {Jal Jeevan Mission (URBAN) (JJM-U)}# 18

3.2. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी {Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)- Urban}*/# 19

3.3. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission)# 20

3.4. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) SBM-U 2.0 {Swachh Bharat Mission (URBAN) SBM-U 2.0}# 22

3.5. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) {Deen Dayal Antyodaya Yojana- Urban (National Urban Livelihoods Mission): (DAY-NULM)} 25

3.6. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) {Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation – AMRUT 2.0}# 25

3.7. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना (हृदय) (National Heritage City Development and Augmentation Yojana: HRIDAY)* 27

3.8. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 27

© Vision IAS

4. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) 29

4.1. जल जीवन मिशन-ग्रामीण {Jal Jeevan Mission (JJM)-Rural}# 29

4.2. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण {Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G)}# 30

4.3. नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana)* 32

4.4. राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (National Hydrology Project: NHP)* 34

4.5. बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project: DRIP)* 35

4.6. अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojna: Atal Jal) 35

4.7. जल क्रांति अभियान (Jal Kranti Abhiyan) 36

4.8. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 37

5. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) 38

5.1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana: ABRY)* 38

5.2. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana: ABVKY) 38

5.3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project Scheme)* 39

5.4. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employees' State Insurance Scheme) 40

5.5. पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम (Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Karyakram) 40

5.6. प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana: PMRPY) 41

5.7. बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की योजना (Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers) 41

5.8. राष्ट्रीय करियर सेवा (National Career Service: NCS) 42

5.9. प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (PM Shram-Yogi Maandhan Yojana: PMSYM) 42

5.10. व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना) {National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana)} 43

5.11. विविध योजनाएं (Miscellaneous Schemes) 43

6. विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) 45

6.1. निःशुल्क विधिक सहायता (Pro Bono Legal Service) 45

6.2. न्याय मित्र (Nyaya Mitra) 45

6.3. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 45

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises: MSME) 47

7.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme for MSMEs)* 47

7.2. शहद मिशन (Honey Mission) 47

7.3. ऋण से संबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना (Credit Linked Capital Subsidy Scheme) 48

7.4. शून्य दोष एवं शून्य प्रभाव योजना (Zero Defect and Zero Effect Scheme: ZED) 49
7.5. सौर चरखा मिशन (Solar Charakha Mission) 50
7.6. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PM Employment Generation Programme: PMEGP) 50
7.7. MSME इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) {Msme Innovative Scheme (Incubation, Design and IPR)} 51
7.8. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 53

8. खान मंत्रालय (Ministry of Mines) 55

8.1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana: PMKKKY) 55
8.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 55

9. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) 57

9.1. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram: PMJVK) 57
9.2. साइबर ग्राम (Cyber Gram) 57
9.3. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (Maulana Azad National Academy for Skills: MANAS) 58
9.4. प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना {Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM Vikas) Scheme}* 58
9.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 59

10. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) 62

10.1. प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना {PM-KISAN Urja Suraksha Evam Utthaan Mahaabhiyan (PM-Kusum) Scheme} 62
10.2. ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण) {Grid Connected Rooftop Solar Programme (Phase-II)} . 63
10.3. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (Jawaharlal Nehru National Solar Mission: JNNSM) 63
10.4. सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना (Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Power Project) 64
10.5. अटल ज्योति योजना - अजय (Atal Jyoti Yojana - AJAY) 65
10.6. सौर शहरों के विकास की योजना (Development of Solar Cities Scheme) 66
10.7. सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम (Suryamitra Skill Development Programme) 66
10.8. हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना (Green Energy Corridor Project) 67
10.9. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 67

11. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) 68

11.1. स्वामित्व: ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (SVAMITVA: Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)* 68
11.2. ग्राम स्वराज अभियान (Gram Swaraj Abhiyan) 69
11.3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: RGSA)# 70

© Vision IAS

12. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) 71

12.1. इंडक्शन ट्रेनिंग पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल (Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training: COMMIT) 71

12.2. केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System: CPGRAMS) 71

13. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) 72

13.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: PMUY) 72

13.2. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) (Pratyaksh Hanstantrit Labh: Pahal) 73

13.3. प्रधानमंत्री JI-VAN (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना {Pradhan Mantri Ji-Van (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awashesh Nivaran) Yojana} 73

13.4. राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid) 74

13.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 75

14. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) 77

14.1. पुनोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) 77

14.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana: DDUGJY) 78

14.3. राष्ट्रीय एल.ई.डी. कार्यक्रम (National LED Programme) 79

14.3.1. उजाला {UJALA (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All)} 79

14.3.2. राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (Street Lighting National Program: SLNP) 79

14.4. एकीकृत विद्युत विकास योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए) {Integrated Power Development Scheme (For Urban Areas)} 80

14.5. सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ़ इफिशन्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्माल इंडस्ट्रीज (साथी) {Sustainable and Accelerated Adoption of efficient Textile technologies to Help small Industries (SAATHI)} 80

14.6. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 81

15. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) 83

15.1. जलमार्ग विकास परियोजना (Jal Marg Vikas Project: JMVP) 83

15.2. सागरमाला (Sagarmala) 83

15.3. प्रधान मंत्री गति शक्ति - बहुविध कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity) 84

15.4. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 85

16. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) 86

16.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 86

17. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) 89

17.1. भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) 89

17.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 90

18. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) 92

18.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 {Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005}# 92

18.2. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)}# 93

18.3. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)# 94

18.4. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DeenDayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana: DDU-GKY) 95

18.5. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan) 96

18.6. सांसद आदर्श ग्राम योजना [Saansad Adarsh Gram Yojana (SAANJHI)] 96

18.7. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III)# 97

18.8. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission) 98

18.9. मिशन अंत्योदय (Mission Antyodaya) 99

18.10. नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना (Neeranchal National Watershed Project) 99

19. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) 101

19.1. इंस्पायर योजना (इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च) {Inspire Scheme (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research)} 101

19.2. स्वस्थ्य पुन: उपयोग सयंत्र के लिए शहरी सीवेज स्ट्रीम का स्थानीय उपचार {Local Treatment of Urban Sewage For Healthy Reuseplant (LOTUS-HR) Program} 102

19.3. उम्मीद (वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां) पहल {Unique Methods of Management and Treatment of Inherited Disorders (UMMID) Initiative} 102

19.4. नेशनल बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission: NBM) 103

19.5. बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान एप्लीकेशन नेटवर्क) {Biotech-KISAN (Krishi Innovation Science Application Network)} 104

19.6. मवेशी जीनोमिक्स योजना (Cattle Genomics Scheme) 104

19.7. इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम्स प्रोग्राम (Integrated Cyber Physical Systems Program) 105

19.8. बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन {National Mission On Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (CPS)} 105

19.9. अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन - राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम (Atal Jai Anusandhan Biotech Mission- Undertaking Nationally Relevant Technology Innovation: UNATI) 106

19.10. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 106

20. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) 111

20.1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: PMKVY)# 111

© Vision IAS

20.2. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS) 112

20.3. प्रधान मंत्री युवा योजना/युवा उद्यमिता विकास अभियान (Pradhan Mantri Yuva Yojana/Yuva Udyamita Vikas Abhiyan) 112

20.4. आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion: SANKALP) 113

20.5. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement: STRIVE) 114

20.6. जन शिक्षण संस्थान (Jan Shikshan Santhans: JSS) 114

20.7. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 115

21. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry oOf Social Justice and Empowerment) 116

21.1. सुगम्य भारत अभियान {Sugamya Bharat Abhiyan/ Accessible India Campaign (AIC)} 116

21.2. स्वच्छता उद्यमी योजना (Swachhta Udyami Yojana) 116

21.3. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्केवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना (Self Employment Scheme for the Rehabilitation of Manual Scavengers: SRMS)* 117

21.4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (Rashtriya Vayoshri Yojana) 117

21.5. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana: PMAGY) 118

21.6. मादक पदार्थों की मांग में कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (वर्ष 2018-2023) {National Action Plan for Drug Demand Reduction (2018-2023)} 118

21.7. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme: DDRS) 119

21.8. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 119

22. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) 122

22.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS) 122

22.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 122

23. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel) 124

23.1. मिशन पूर्वोदय (Mission Purvodaya) 124

23.2. भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (Steel Research And Technology Mission Of India: SRTMI) 124

23.3. विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Specialty Steel} 125

24. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile) 126

24.1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme For Integrated Textile Park: SITP)* 126

24.2. सिल्क समग्र - रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना (Silk Samagra- Integrated Scheme for Development of Silk Industry) 126

24.3. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission) 127

24.4. पावरटेक्स इंडिया स्कीम (PowerTex India Scheme) 128

24.5. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (Amended Technology Upgradation Fund Scheme: ATUFS) 129

24.6. वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना (Scheme For Capacity Building In Textile Sector: SAMARTH) 129

24.7. वस्त्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles} 130

24.8. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम मित्र) योजना {Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks Scheme (PM MITRA)} 131

24.9. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 132

25. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism) 134

25.1. तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- प्रसाद योजना {National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) Scheme}* 134

25.2. स्वदेश दर्शन (Swadesh Darshan) 134

25.3. धरोहर गोद लें/अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना (Adopt A Heritage/Apni Dharohar Apni Pehchan Project) 135

25.4. पर्यटन पर्व (Paryatan Parv) 135

25.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 136

26. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) 137

26.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School: EMRS)* 137

26.2. प्रधान मंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana) 137

26.3. वनबंधु कल्याण योजना (Vanbandhu Kalyan Yojana) 138

26.4. न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन हेतु तंत्र {Scheme for 'Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) Through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP} 138

26.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 139

27. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) 141

27.1. एकीकृत बाल विकास सेवाएं (Integrated Child Development Services: ICDS)# 141

27.2. पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) {Poshan Abhiyan (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition)}# 142

27.3. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Padhao Beti Bachao: BBBP) 143

27.4. भारतीय पोषण कृषि कोष (Bharatiya Poshan Krishi Kosh: BPKK) 144

27.5. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) 145

27.6. उज्ज्वला योजना (Ujjwala Scheme) 145

© Vision IAS

27.7. किशोर लड़कों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना - सक्षम (Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Boys-SAKSHAM) 146

27.8. स्वाधार गृह योजना (Swadhar Greh Scheme) 146

27.9. जेंडर चैंपियंस योजना (Gender Champions scheme) 147

27.10. सखी वन स्टॉप सेंटर (Sakhi One Stop Centres) 147

27.11. पी.एम. केयर्स-फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares for Children Scheme) 148

27.12. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 149

28. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) 151

28.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 151

29. नीति आयोग (Niti Ayog) 153

29.1. अटल नवोन्मेष मिशन (Atal Innovation Mission: AIM)* 153

29.2. मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी (साथ) कार्यक्रम {Sustainable Action For Transforming Human Capital (SATH) Programme} 154

29.3. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) 154

29.4. परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage) 155

29.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 156

30. प्रधान मंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) 157

30.1. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) (Pro-Active Governance And Timely Implementation: PRAGATI) 157

30.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 157

31. अंतरिक्ष विभाग/इसरो की पहलें (Department of Space/ ISRO's Initiatives) 158

31.1. भुवन- इसरो का भू-पोर्टल (Bhuvan- ISRO's Geo-Portal) 158

31.2. युवा विज्ञानी कार्यक्रम (Yuva Vigyani Karyakram: YUVIKA) 158

31.3. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 159

परिशिष्ट (Appendix) 160

नोट:

- पढ़ाई को आसान बनाने के लिए और अभ्यर्थियों को उनके समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए, इस सप्ताह हमने **"सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं"** जारी की थी, जिसमें विगत एक वर्ष की सभी मुख्य योजनाओं को शामिल किया गया था।

- अब हम सरकारी योजनाओं पर एक व्यापक अध्ययन सामग्री जारी कर रहे हैं जिसमें विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के अंतर्गत संचालित की जा रही लगभग सभी योजनाओं को शामिल किया गया है। यह अध्ययन सामग्री 2 भागों में जारी की जा रही है:
  - **सरकारी योजनाएँ कॉम्प्रिहेंसिव (भाग 1):** यह डॉक्यूमेंट जारी हो चुका है।
  - **सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव (भाग 2):** वर्तमान डॉक्यूमेंट।

- **'*'** और '#' क्रमशः **केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाओं** और **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** को दर्शाते हैं।
- **'*/#'** इंगित करता है कि कुछ घटक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाएं** हैं, जबकि अन्य **केंद्र प्रायोजित** हैं।

- अभ्यर्थियों के हित में इस पत्रिका की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु हमने इसमें निम्नलिखित नए तत्वों को शामिल किया है:
  - अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
  - विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises)

1.1. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैट्री भंडारण कार्यक्रम" {Production Linked Incentive (PLI) Scheme 'National Programme On Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage}

उद्देश्य

18,100 करोड़ रुपये खर्च कर **पचास गीगा वाट घंटा (GWh) वाली उन्नत रसायन सेल (ACC) बैट्री की विनिर्माण क्षमता** प्राप्त करना और 5 गीगा वाट घंटा की "उपयुक्त" (Niche) विनिर्माण क्षमता प्राप्त करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **ACC बैटरी स्टोरेज विनिर्माताओं का चयन पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम** से किया जाएगा।
- विनिर्माण सुविधा को दो वर्षों की अवधि के भीतर तैयार करना होगा। इसके बाद **प्रोत्साहन राशि** को **पांच वर्षों की अवधि के दौरान वितरित** किया जाएगा।
- ऊर्जा घनत्व एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा स्थानीय मूल्यवर्धन में वृद्धि के एवज में प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि होगी।
  - प्रत्येक चयनित ACC बैटरी स्टोरेज विनिर्माता को न्यूनतम 5 GWh क्षमता की **ACC विनिर्माण सुविधा स्थापित करने और पांच वर्षों के भीतर परियोजना स्तर पर न्यूनतम 60% घरेलू मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध** होना होगा।
  - लाभार्थी फर्मों को कम से कम 25% का घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना होगा तथा 2 वर्षों के भीतर (मदर यूनिट स्तर पर) 225 करोड़ /GWh का अनिवार्य निवेश करना होगा। साथ ही, इसे 5 वर्षों के भीतर 60% घरेलू मूल्यवर्धन तक बढ़ाना होगा (एकीकृत यूनिट के मामले में मदर यूनिट स्तर पर या 'हब एंड स्पोक' संरचना के मामले में परियोजना स्तर पर)।

इस योजना से प्राप्त हो सकने वाले लाभ/परिणाम इस प्रकार हैं:

- ACC बैटरी भंडारण विनिर्माण परियोजनाओं में लगभग 45,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश होने की अपेक्षा है।
- यह योजना भारत में बैटरी भंडारण के लिए मांग सृजन को सुगम बनाएगी।
- **मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा:** घरेलू मूल्य-प्राप्ति पर अधिक बल देने से अंततः आयात निर्भरता में कमी आएगी।
- इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स (EVs) के अंगीकरण के कारण तेल आयात बिल में कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप 2,00,000 करोड़ रुपये से लेकर 2,50,000 करोड़ रुपये तक की शुद्ध बचत होगी। ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत ACC विनिर्माता, EVs के तीव्र अंगीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।
- ACCs के विनिर्माण से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रति वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपये के आयात प्रतिस्थापन की संभावना है। यह नई और विशिष्ट सेल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगा।
- ACC में उच्च विशिष्ट ऊर्जा घनत्व और उत्पादन चक्र प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है।

नोट: ACC वस्तुतः उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों पर आधारित एक नई पीढ़ी की बैटरी है, जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। हालांकि, वर्तमान में भारत में ACC से संबंधित सभी मांग को आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

1.2. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण-योजना II: फेम {Faster Adoption of Electric (& Hybrid) Vehicles in India) Scheme II: FAME}

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाजार निर्माण और स्वदेशीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तीव्र अंगीकरण को प्रोत्साहित करना है।
- देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी वाले वाहनों को अपनाने और बाजार निर्माण करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना।
- वर्ष 2030 तक 30% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य प्राप्त करना है (पूर्ववर्ती लक्ष्य 100% था)।

प्रमुख विशेषताएं

- FAME चरण 2 इस योजना के चरण 1 (जो वर्ष 2015 में आरंभ हुआ था और जिसे मार्च 2019 तक विस्तारित किया गया था) के आधार पर निर्मित है। इसमें उपभोक्ता खंड की तुलना में सार्वजनिक परिवहन/वाणिज्यिक खंड में EVs को अपनाने पर बल देने के माध्यम से मांग-सृजन पर अधिक ध्यान दिया गया है।
- **यह वर्ष 2024 तक क्रियान्वित रहेगी (प्रारंभिक समय सीमा वर्ष 2022 थी)।**
- फेम योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना 2020 (National Electric Mobility Mission Plan 2020: NEMMP 2020) के तहत किया जा रहा है।
- **सार्वजनिक और साझा परिवहन का विद्युतीकरण:** इसके तहत 10 लाख e-2W (इलेक्ट्रिक-दोपहिया), 5 लाख e-3W (इलेक्ट्रिक-तीनपहिया), 55,000 4Ws (इलेक्ट्रिक-चारपहिया) और 7,000 बसों हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने की योजना है।
- **इलेक्ट्रिक बसों के लिए परिचालन संबंधी व्यय विधि पर मांग प्रोत्साहन (डीमांड इंसेंटिव)** राज्य/शहर परिवहन निगमों (STU) के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।
- सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत **3-पहिया/4-पहिया वाहनों** को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- **e-2W** खंड में **निजी वाहनों** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **स्थानीय विनिर्माण:** इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण घटकों, विशेष रूप से लीथियम आयन बैटरियों के स्थानीय विनिर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत केवल उन्नत बैटरी और पंजीकृत वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना:** संपूर्ण देश में महानगरों, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों और पर्वतीय राज्यों के शहरों में लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- ये दिशा-निर्देश शहरों में 3 कि.मी × 3 कि.मी के ग्रिड में और बड़े शहर समूहों को जोड़ने वाले राजमार्गों के दोनों किनारों पर प्रत्येक 25 कि.मी पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना प्रस्तावित करते हैं।
- तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के मौज़ूदा खुदरा आउटलेट्स को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

1.3. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2020 {National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP), 2020}

उद्देश्य

- **राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना।**
- पर्यावरण पर वाहनों के **प्रतिकूल प्रभाव का शमन करना।**
- ऑटोमोबाइल क्षेत्र में **घरेलू विनिर्माण क्षमता का विकास करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- NEMMP 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है। यह देश में xEV (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की संपूर्ण श्रृंखला) को तीव्रता से अपनाने तथा उनके विनिर्माण के लिए दृष्टिकोण एवं रोडमैप प्रदान करता है।
- वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 6-7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है।
- सरकार का लक्ष्य इस नई प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस नई प्रौद्योगिकी को एक कुशल और प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली/पोर्टल के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।

- **यह विभिन्न नीति-उत्तोलकों का उपयोग करते हुए एक समग्र योजना है जैसे:**

• हाइब्रिड / इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिग्रहण की सुविधा के लिए **मांग पक्ष प्रोत्साहन**	• बैटरी प्रौद्योगिकी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सहित प्रौद्योगिकी में **अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना** और उसमें **उद्योग की भागीदारी** सुनिश्चित करना	• **चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना**	• **आपूर्ति पक्ष प्रोत्साहन**	• हाइब्रिड किट के साथ सड़क पर चलने वाले वाहनों के **रेट्रो-फिटमेंट को प्रोत्साहित करना**

© Vision IAS

1.4. स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ) उद्योग {Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog}

उद्देश्य

- **उद्योग 4.0** के बारे में जागरूकता का सृजन करना;
- **उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी** जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, 3डी प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स आदि के अंगीकरण और आत्मसात करने के लिए भारतीय विनिर्माण उद्योग का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **समर्थ (SAMARTH)** भारी उद्योग विभाग की **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि योजना** के अंतर्गत संचालित एक **उद्योग 4.0 पहल** है।
- इसका विज़न वर्ष 2025 तक प्रत्येक भारतीय विनिर्माण में उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के सेट के प्रोत्साहन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सुगम बनाना और उसका सृजन करना है; चाहे वह बहुराष्ट्रीय कंपनी हो तथा बड़ी, मध्यम या छोटे पैमाने की भारतीय कंपनी हो।
- समर्थ उद्योग पहल के तहत जागरूकता प्रसार और ब्रांडिंग के लिए एक विशिष्ट पहचान युक्त **उद्योग 4.0 के चार केंद्रों** को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- यह सुनिश्चित करती है कि इन केंद्रों में संसाधन साझाकरण, उद्योग 4.0 का साझा मंच और परस्पर अंतर्संबंधित संसाधनों के नेटवर्क को स्थापित किया जा सके।

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना।

- यह योजना सामान्य औद्योगिक सुविधा केंद्रों के निर्माण के अतिरिक्त **पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में तकनीकी गहनता सृजन के मुद्दे** को संबोधित करती है।
- इस योजना में **पाँच घटक** शामिल हैं, जो कि इस प्रकार हैं:
    - उन्नत उत्कृष्टता केंद्र,
    - एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधाएँ (IIFC),
    - सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (CEFC),
    - परीक्षण और प्रमाणन केंद्र (T&CC) तथा
    - प्रौद्योगिकी अधिग्रहण कोष कार्यक्रम (TAFP)।

1.5. ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile & Auto Components}

उद्देश्य

उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के **विनिर्माण में देश की क्षमता को बढ़ाना** तथा **वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करना।**

प्रमुख विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	• यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत वर्ष 2026 तक आकार/मात्रा के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन सकता है। • इसके अंतर्गत घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों के माध्यम से वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। भारत में प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के अतिरिक्त, यह स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना व विस्तार हेतु प्रोत्साहित करती है। • यह प्रोत्साहन संरचना, उद्योग को उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की स्वदेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला हेतु, नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
FAME-II के तहत पात्रता का प्रभाव	इस योजना के तहत **इलेक्ट्रिक वाहन (EV)** निर्माताओं को देय प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण-2 **(FAME/फेम-II योजना)** के तहत दिए गए **प्रोत्साहनों के अतिरिक्त/से स्वतंत्र** होगा।

दो घटक	
चैंपियन OEM (मूल उपकरण विनिर्माता) प्रोत्साहन योजना {Champion original equipment manufacturer (OEM) Incentive Scheme}	यह बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा चालित वाहनों पर लागू की गई है।
कंपोनेंट्स चैंपियन प्रोत्साहन योजना (Component Champion Incentive Scheme)	यह योजना सभी वाहनों के पूर्व-अनुमोदित उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी घटकों, दोपहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और सैन्य उपयोग के लिए प्रयुक्त वाहनों सहित ट्रैक्टरों के समूह पर भी लागू है।
महत्व	इस योजना से 42,500 करोड़ रुपये के नए निवेश, 2.3 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन में वृद्धि तथा 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के रूप में अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा।

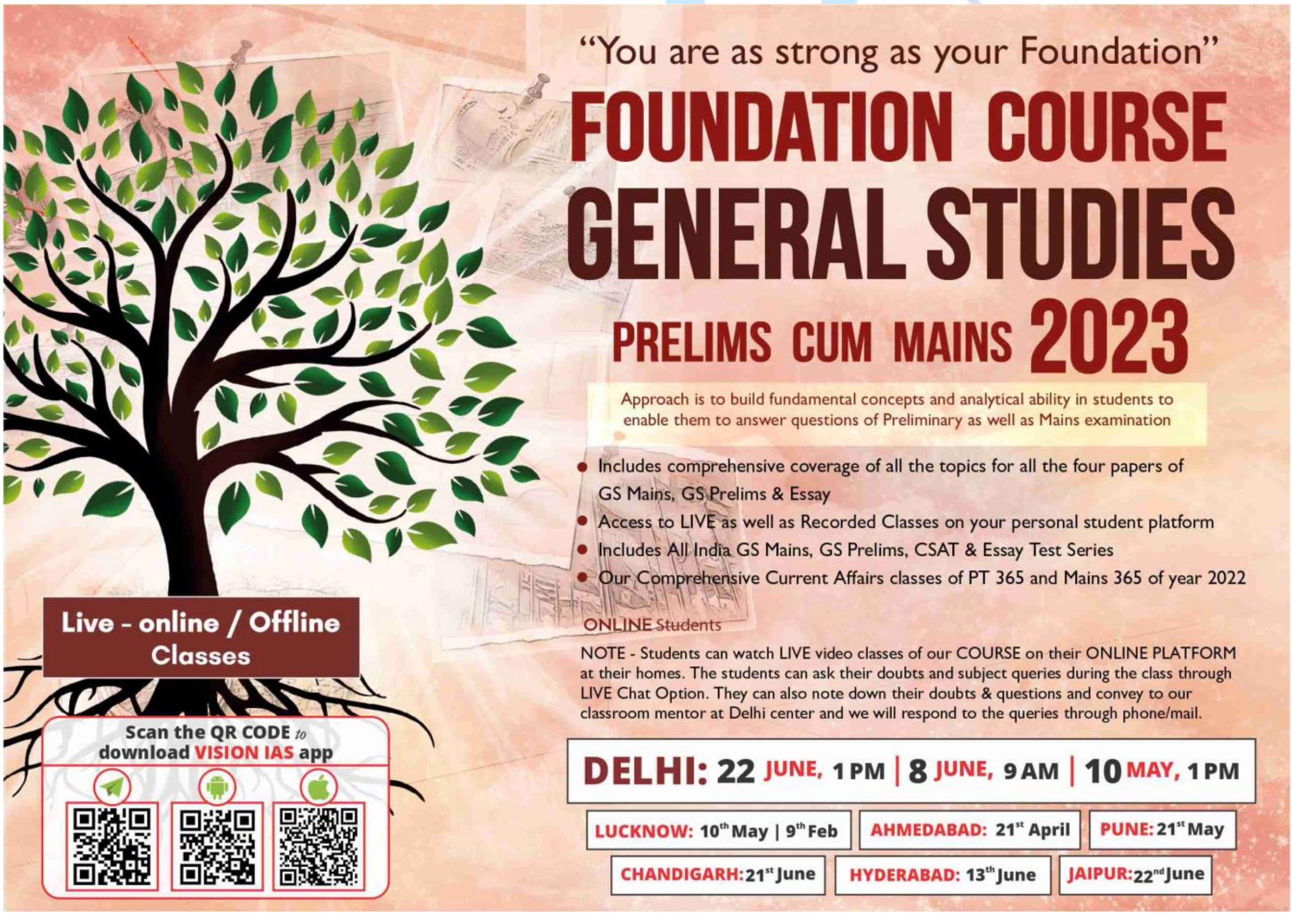

2. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

2.1. साक्षी संरक्षण योजना (Witness Protection Scheme)

उद्देश्य

जोखिम आकलन और सुरक्षा उपायों के आधार पर गवाहों की सुरक्षा करना। इसमें शामिल हैं- आवश्यक होने पर गवाहों की पहचान बदलना, उन्हें सुरखित स्थान पर ले जाना, उनके आवास पर सुरक्षा उपकरणों की स्थापना करना, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोर्ट रूम का उपयोग करना आदि।

प्रमुख विशेषताएं

साक्षी संरक्षण योजना के तहत साक्षियों की **तीन श्रेणियां** निर्धारित की गयी हैं:

○ **श्रेणी 'A'**: जब मामले की जांच/सुनवाई के दौरान या उसके उपरांत साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा हो।	○ **श्रेणी 'B'**: जब जांच/सुनवाई के दौरान या उसके उपरांत साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा हो।	○ **श्रेणी 'C'**: ऐसे मामले जहां खतरा मध्यम हो और जांच/सुनवाई के दौरान या उसके उपरांत साक्षी या उसके परिवार के सदस्य की प्रतिष्ठा या संपत्ति के उत्पीड़न या शोषण की धमकी दी गई हो।

* योजना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए, यह योजना **राज्य गवाह संरक्षण कोष** का प्रावधान करती है। यह निधि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधीन विभाग/गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी और **इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:**
    * राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किया गया **बजटीय आवंटन;**
    * न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा **गवाह सुरक्षा कोष में जमा किए जाने के आदेशित/आरोपित लागत की राशि की प्रति;** तथा
    * सरकार द्वारा अनुमत परोपकारी/धर्मार्थ संस्थानों/संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त **दान/आर्थिक योगदान।**
    * कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रदत्त फंड/निधि।

2.2. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Network and Systems: CCTNS)

उद्देश्य

* एक वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करना।
* राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से किसी व्यक्ति के अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड की अखिल भारतीय स्तर पर खोज की सुविधा प्रदान करना है।
* राज्य तथा केंद्र के स्तर पर अपराध तथा अपराधियों की रिपोर्ट तैयार करना।
* पुलिस प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण करना।

प्रमुख विशेषताएं

* यह कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लिकेशन (CIPA) (वर्ष 2004-09) नामक **गैर-नियोजन योजना के अनुभव के आधार पर** तैयार की गई नियोजन योजना है।
* इसका उद्देश्य **ई-गवर्नेंस के सिद्धांत के माध्यम से पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए** एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना तथा 'अपराध की जांच और अपराधियों का पता लगाने वाली IT सक्षम अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली के विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।
* राज्यों के पुलिस नेतृत्व के सहयोग से गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), इस कार्यक्रम के नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
* **CCTNS परियोजना के अंतर्गत डिजिटल पुलिस पोर्टल आरम्भ किया गया है:** यह नागरिकों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा। पोर्टल प्रारम्भ में 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 7 सार्वजनिक वितरण सेवाएं प्रदान करेगा, जैसे व्यक्ति और पते का सत्यापन, उदाहरण के लिए कर्मचारियों, किरायेदारों, नर्सों आदि का सत्यापन, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति, खोई तथा पायी गयी वस्तुओं से संबंधित कार्यवाहियां तथा वाहन की चोरी आदि।
* **इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम** (ICJS) का लक्ष्य प्रथम चरण में CCTNS प्रोजेक्ट को ई-कोर्ट और ई-जेल डेटाबेस के साथ और तत्पश्चात्

एक चरणबद्ध तरीके से इसे आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तम्भों जैसे फोरेंसिक, अभियोजन, बाल-सुधार गृह तथा अपराधियों के देशव्यापी फिंगर प्रिंट डाटाबेस के साथ एकीकृत करना है।

2.3. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme: BADP)#

उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित, सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं की पूर्ति करना।
- केंद्रीय/राज्य/ BADP/ स्थानीय योजनाओं का अभिसरण कर तथा सहभागी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक जरूरतों की पूर्ति करना।

प्रमुख विशेषताएं

इसे वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था और इसे निम्नलिखित घटकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है:

कार्यान्वयन (Implementation)	• सीमा प्रबंधन विभाग राज्य सरकारों के माध्यम से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। • BADP का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं, स्वायत परिषदों तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से **भागीदारी एवं विकेन्द्रीकृत आधार** पर किया जाता है।
अनुदान/निधियन (Funding)	• यह एक ओर **सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना में विद्यमान अंतर को कम करने के लिए राज्य योजना की निधि को अनुपूरित करने** तथा दूसरी ओर **सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षात्मक परिवेश को सुदृढ़ बनाने** के माध्यम से इन अंचलों (अर्थात् सीमावर्ती क्षेत्रों) का विकास करने हेतु केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल (या हस्तक्षेप) है। • **वित्तपोषण:** केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 90:10 के अनुपात में।
इसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र हैं (States and UTs covered)	• जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों सहित अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल। • इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
61 आदर्श गांवों का विकास (Developing 61 model villages)	• प्रत्येक आदर्श गांव, सीमावर्ती क्षेत्रों को सतत रूप से रहने में सक्षम बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक केंद्र, कनेक्टिविटी, जल निकासी, पेयजल इत्यादि जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा।
BADP ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (BADP Online Management System)	• BADP के तहत विभिन्न परियोजनाओं के बेहतर नियोजन, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए **BADP ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली** प्रारंभ की गई है।
पारदर्शिता (Transparency)	• सीमावर्ती राज्य अपनी संबंधित **वार्षिक कार्य योजनाएँ ऑनलाइन प्रस्तुत** कर सकते हैं और **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम** से गृह मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा तथा योजना और कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

2.4. महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (Cyber Crime Prevention Against Women and Children: CCPWC)

उद्देश्य

देश में **महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए एक प्रभावी तंत्र का निर्माण** करना।

PT 365 - सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव भाग-2

प्रमुख विशेषताएं

- **इस योजना की प्रमुख विशेषताएं:**
  - ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म
  - एक राष्ट्रीय स्तर की साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला
  - पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों और अभियोजकों को प्रशिक्षण प्रदान करना
  - साइबर अपराध जागरुकता गतिविधियों का संचालन करना
  - अनुसंधान एवं विकास।
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल लैंगिक उत्पीड़न सामग्री, दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म जैसी यौन सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री के मामले में शिकायतें दर्ज करने हेतु **'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल'** लॉन्च किया गया है।
  - इस पोर्टल के माध्यम से साइबर अपराधों, जैसे- मोबाइल अपराधों, ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराधों, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी आदि से संबंधित शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं।

2.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

मादक द्रव्य नियंत्रण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता (Assistance to States and UTs for Narcotics Control)

- इसका उद्देश्य उन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना है, जो मादक द्रव्यों की अंतर्राज्यीय और सीमा-पार तस्करी को नियंत्रित करने में योगदान कर रहे हैं। **इसके तहत सभी एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।**
- मादक पदार्थ प्रशासन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो** (NCB) राज्य सरकारों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा।

उड़ान (UDAAN)

- यह **जम्मू-कश्मीर (J&K) के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित** और **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा क्रियान्वित** की जा रही एक विशेष उद्योग पहल है।
- यह **J&K के उन युवाओं के लिए कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित** है जो स्नातक, स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियर हैं।
- साथ ही, इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा पूल तक कॉर्पोरेट भारत की पहुँच प्रदान करना भी है।

भारत के वीर (Bharat Ke Vee)

यह एक आईटी आधारित प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य इच्छुक दानदाताओं को उस वीर सैनिक के परिवार की सहायता करने में सक्षम बनाना है जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। दान की गई राशि को उस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल/केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बल के सैनिक के 'निकटतम संबंधी' के खाते में जमा किया जाएगा।

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता (Assistance to States for Modernization of Police: ASMP)

- इस योजना को पूर्व में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (Modernisation of Police Forces: MPF) के रूप में जाना जाता था।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को नवीनतम हथियार, प्रशिक्षण उपकरण, उन्नत संचार / फोरेंसिक उपकरण, साइबर पुलिस उपकरण आदि के अधिग्रहण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इसके अतिरिक्त, उग्रवाद प्रभावित उत्तर-पूर्वी राज्यों और वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism: LWE) से प्रभावित जिलों में 'विनिर्माण' एवं 'परिचालन वाहनों की खरीद' की अनुमति प्रदान की गई है।
- इस प्रकार, योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण उपकरण सहित अवसंरचना एवं उपकरणों के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो पुलिस बलों की क्षमताओं व दक्षता को बढ़ावा देती है।

‘ई-सहज’ पोर्टल (‘e-Sahaj’ Portal)
यह पोर्टल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में संगठनों/व्यक्तियों को, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कंपनियों/बोली लगाने वालों/व्यक्तियों को लाइसेंस/परमिट, अनुमति, अनुबंध आदि जारी करने से पूर्व सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है।

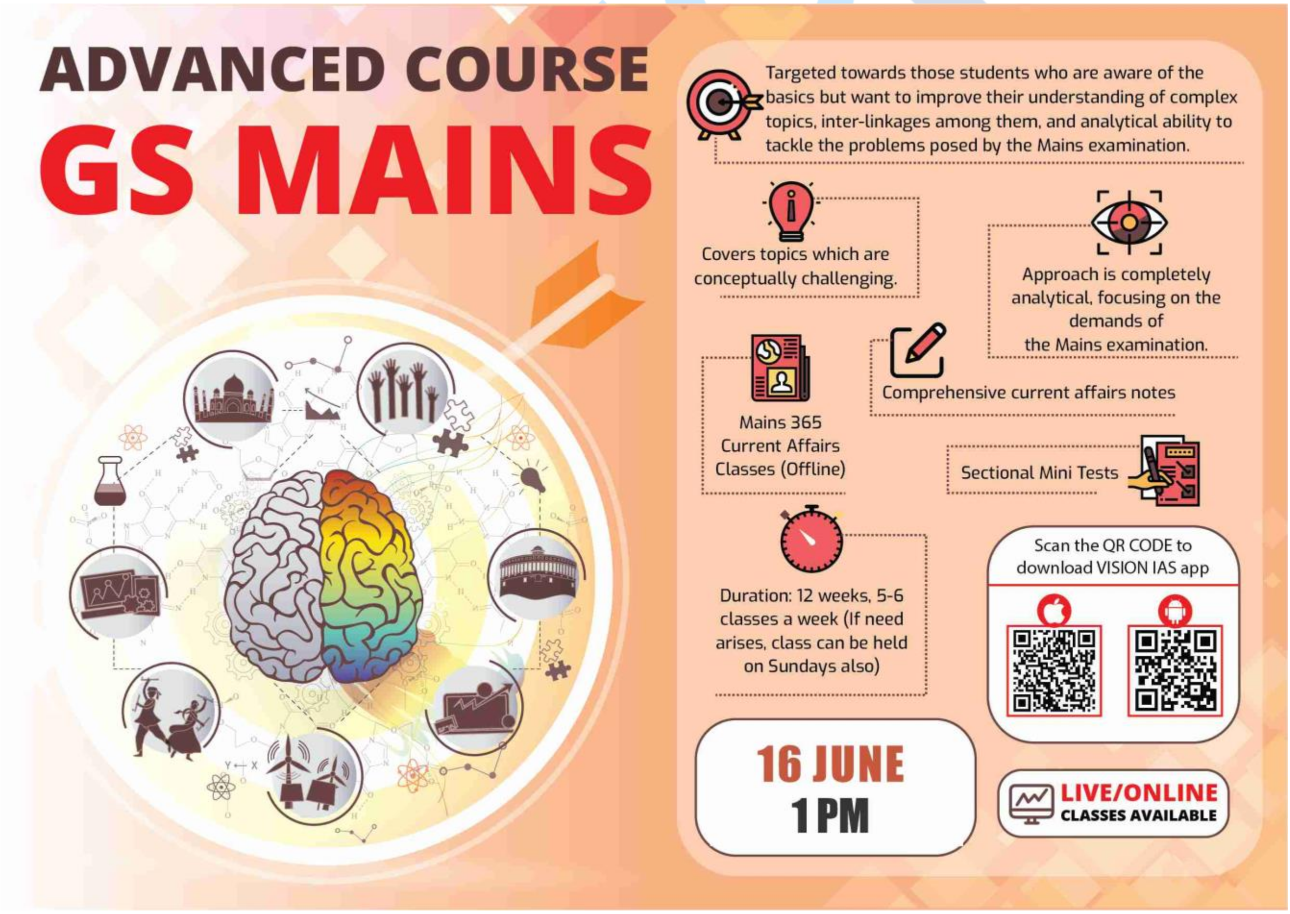

3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing And Urban Affairs)

3.1. जल जीवन मिशन-शहरी {Jal Jeevan Mission (URBAN) (JJM-U)}#

उद्देश्य

- सतत विकास लक्ष्य-6 को ध्यान में रखते हुए, सभी 4,378 वैधानिक शहरों के सभी घरों में कार्यशील नल के माध्यम से जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना।
- 500 अमृत (AMRUT) शहरों में वाहित मल / सेप्टेज प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- शहरी जलभृत प्रबंधन योजना (Urban Aquifer Management plan) के माध्यम से स्थायी ताजे जल की आपूर्ति को बढ़ावा देना। बाढ़ को कम करने एवं सुविधा बढ़ाने के लिए हरित स्थानों और जल प्रबंधन में दक्ष शहरों का निर्माण करने हेतु जल निकायों के जीर्णोद्धार पर ध्यान केंद्रित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस मिशन को वर्ष 2021-22 के बजट में लॉन्च किया गया था।

वित्तपोषण	संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण; पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90%, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50%, 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों हेतु एक तिहाई और 10 लाख से अधिक (मिलियन प्लस) आबादी वाले शहरों के लिए 25% वित्त सहायता।
परिणाम आधारित वित्तपोषण	वित्तपोषण वस्तुतः तीन चरणों में अर्थात् 20:40:40 के अनुपात में किया जाएगा। प्राप्त परिणामों और विश्वसनीय अपवर्जन के आधार पर तीसरी किस्त जारी की जाएगी।
सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा देना	10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने कुल परियोजना हेतु आवंटित निधि का कम से कम 10% PPP वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निवेश करें।
जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना	JJM(U) मुख्यतः उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण / पुनः उपयोग, जल निकायों के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिए शहरी जल संतुलन योजना के विकास द्वारा जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
जल प्रौद्योगिकी उप-मिशन	जल के क्षेत्र में नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु जल प्रौद्योगिकी उप-मिशन को आरंभ किया जाएगा।
सूचना, शिक्षा और संचार (Information, Education and Communication: IEC) अभियान	जल संरक्षण के बारे में जनता के मध्य जागरूकता प्रसारित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार नामक एक अभियान प्रारंभ किया जाएगा
पेय जल सर्वेक्षण	जल की मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग तथा जल निकायों के मानचित्रण को सुनिश्चित करने के लिए शहरों में **पेय जल सर्वेक्षण** को आयोजित किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने और शहरों की जल सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ **मिशन के तहत एक सुधार एजेंडे पर** बल दिया गया है। इन प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:

गैर-राजस्व जल को 20% से कम करना।

शहर की कुल जल की मांग का कम से कम 20% और राज्य स्तर पर औद्योगिक जल की मांग के 40% को पूरा करने के लिए उपचारित किए गए जल का पुनर्चक्रण तथा दोहरी पाइपिंग प्रणाली, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट आदि।
शहरों के लिए **GIS आधारित मास्टर प्लान;** नगरपालिका बॉण्ड जारी करके धन जुटाना और जल निकायों का जीर्णोद्धार करना।

3.2. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी {Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)- Urban}*/#

उद्देश्य

- सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों की लगभग 1.12 करोड़ घरों की मांग को ध्यान में रखते हुए मकान उपलब्ध कराने हेतु राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों (UTs) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- इसके लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं: आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (Economically weaker section: EWS), निम्न आय समूह (Low-Income Groups: LIGs) तथा मध्यम आय समूह (Middle Income Groups: MIGs)।
- **EWS के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये, LIGs के लिए 3-6 लाख रुपये तथा MIGs के लिए 6 लाख रुपये से अधिक किंतु 18 लाख रुपये से कम** निर्धारित की गयी है।
- देश के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के परिवार के पास या लाभार्थी के नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।

प्रमुख विशेषताएं

- जहाँ केवल **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)** घटक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme: CSS) के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, वहीं अन्य तीनों घटकों का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS) के रूप में किया जाएगा।
- इसके तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) के माध्यम से निम्नलिखित हेतु शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies: ULBs) तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है:

- जहाँ EWS श्रेणी के लाभार्थी इस मिशन के उपर्युक्त चारों घटकों के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगे, वहीं LIG तथा MIG श्रेणी के लाभार्थी केवल मिशन के CLSS घटक के लिए ही पात्र होंगे।
- हालांकि, इस मिशन के तहत, लाभार्थी केवल एक घटक के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित / अर्जित घर वस्तुतः परिवार की महिला मुखिया (head) अथवा घर के पुरुष मुखिया व उसकी

© Vision IAS

पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। परिवार में किसी वयस्क महिला सदस्य के न होने की स्थिति में ही पुरुष सदस्य के नाम पर घर हो सकता है।

- अपने राज्यों में आवास की मांग को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है।
- मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम (slum rehabilitation programme) के तहत प्रति घर औसतन एक लाख रुपये केंद्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएँगे।
- CLSS के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) तथा आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु **जिओ-टैगिंग** का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पूंजी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए **पब्लिक फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS)** को अपनाया गया है। निर्माण संबंधी नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाये जाने के लिए **टेक्नोलॉजी सब-मिशन** प्रारंभ किया गया है।
- सरकार ने वहनीय आवास क्षेत्रक को **"अवसंरचना का दर्जा"** प्रदान किया है, इससे PMAY को बढ़ावा मिलेगा।
- **किफायती किराये के आवासीय परिसरों (ARHCs) के बारे में**
    - ARHCs का प्रयोजन शहरी प्रवासियों / निर्धनों को सुगमतापूर्ण जीवनयापन के लिए उनके कार्यस्थल के निकट वहनीय किराये वाले आवासीय परिसरों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना है।
    - **अपेक्षित लाभार्थी:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG) की श्रेणी में शामिल शहरी प्रवासी / निर्धन व्यक्ति। इसके अंतर्गत श्रमिक, औद्योगिक कामगार, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, छात्र आदि शामिल हैं।
    - निम्नलिखित दो मॉडलों के माध्यम से इसका कार्यान्वियन किया जाएगा:
        - वर्तमान में सरकार के वित्त से निर्मित रिक्त आवासीय परिसरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHCs में परिवर्तित किया जाएगा।
        - सार्वजनिक / निजी संस्थाओं द्वारा अपनी रिक्त भूमि पर ARHCs का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाएगा।
    - केंद्र सरकार किफायती आवास निधि और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार) के तहत रियायती परियोजना वित्त, आयकर और GST में छूट तथा प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान करेगी ताकि ARHCs में नवोन्मेषी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके।
    - इस योजना को सभी **सांविधिक कस्बों**, अधिसूचित नियोजन क्षेत्रों (Notified Planning Areas) तथा विकास क्षेत्र / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यान्वित किया जाएगा।

3.3. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission)#

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है, जो अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना (core infrastructure) उपलब्ध करवाते हैं और उन्हें एक संतोषजनक व गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। साथ ही वे स्वच्छ व संधारणीय पर्यावरण का विकास करते हैं तथा 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं।
- इसका उद्देश्य संधारणीय एवं समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऐसे उदाहरण स्थापित करना भी है जिनका स्मार्ट सिटी के अंदर और बाहर, दोनों जगह अनुकरण किया जा सके ताकि देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्मार्ट सिटीज़ के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके।
- विशेष रूप से निर्धनों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए जीवन को सरल बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- स्मार्ट सिटी मिशन एक **केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS)** है। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा पांच वर्षों में प्रति वर्ष प्रति शहर लगभग 100 करोड़ रुपये की औसत **वित्तीय सहायता** देने का प्रस्ताव है। **इसमें राज्य / शहरी स्थानीय निकायों को, केंद्र द्वारा दी गयी राशि से संगत समान राशि का योगदान करना होगा।**
- **केंद्र ने इस मिशन की अंतिम सीमावधि को 2021 से बढ़ाकर 2023 कर दिया है।**
- इस मिशन में **100 शहरों को सम्मिलित** किए जाने का प्रस्ताव है और इसकी अवधि पांच वर्ष होगी (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019- 20 तक)। हालांकि, शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के बाद, प्राप्त अनुभवों एवं सीख को मिशन में शामिल करने के उद्देश्य से इस मिशन को जारी रखा जा सकता है।
- एक समान मानदंड के आधार पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जाना है। अपनाए गए फॉर्मूले में राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की शहरी आबादी और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में सांविधिक कस्बों की संख्या को समान महत्व (50:50) दिया गया है। इस फॉर्मूले के आधार पर, प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में निश्चित संख्या में संभावित स्मार्ट शहर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से कम से कम एक स्मार्ट शहर

प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा।

- **मिशन रणनीति:**
  - पैन-सिटी पहल, जिसके तहत संपूर्ण शहर में कम से कम एक स्मार्ट समाधान प्रणाली उपलब्ध करायी जाए।
  - क्षेत्रों का चरण-दर-चरण विकास तथा क्षेत्र-आधारित विकास के तीन मॉडल
  - रेट्रोफिटिंग
  - पुनर्विकास
  - ग्रीनफील्ड

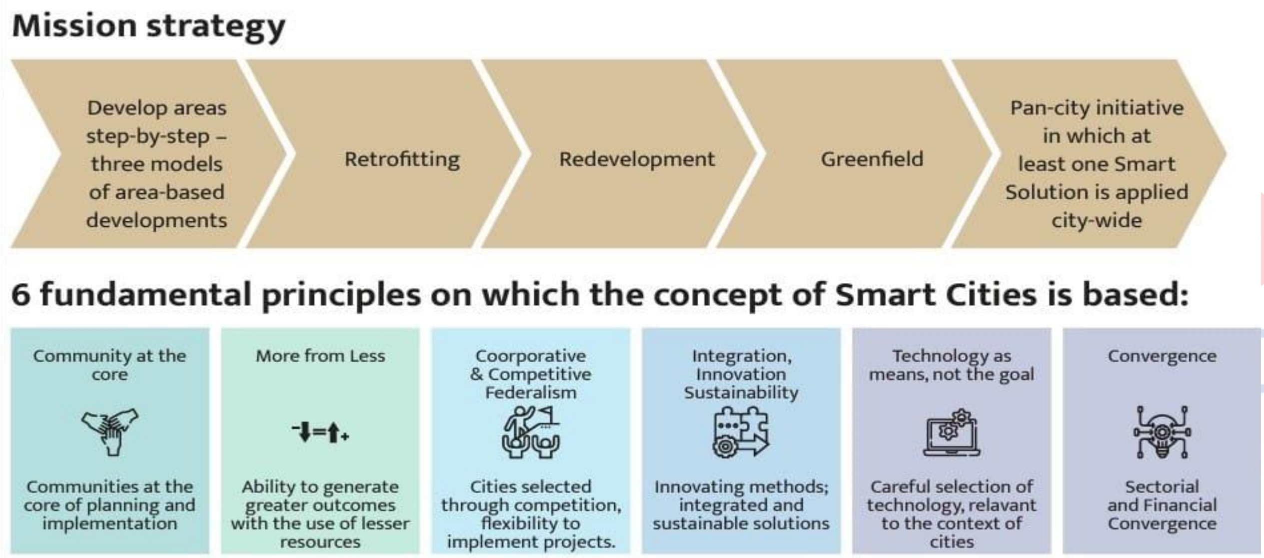

- **मुख्य अवसंरचनात्मक घटक:**
  - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता
  - सतत विद्युत आपूर्ति
  - कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
  - स्वास्थ्य और शिक्षा
  - पर्याप्त जल आपूर्ति
  - वहनीय आवास (विशेष रूप से निर्धनों के लिए)
  - नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा (विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और वृद्ध)
  - सुदृढ़ आई.टी. कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
  - संधारणीय पर्यावरण
  - सुशासन (विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी)
- शहरी स्तर पर इस मिशन का कार्यान्वयन एक **विशेष प्रयोजन वाहन** (Special Purpose Vehicle: SPV) द्वारा किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता एक सी.ई.ओ. द्वारा की जाएगी और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies: ULBs) के नामित सदस्य शामिल होंगे। SPV शहरी स्तर पर **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत निगमित एक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसमें राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और ULBs के 50:50 इक्विटी शेयरधारिता वाले प्रमोटर शामिल होंगे।
- भारत सरकार द्वारा SPV को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदत्त निधियां सशर्त अनुदान के रूप में होंगी और इन्हें एक पृथक अनुदान कोष में रखा जाएगा।
- **20:20 मॉडल/अवधारणा:** हाल ही में, केंद्र ने एक "100-डेज चैलेंज" की शुरुआत की है, जिसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 20 स्मार्ट शहरों को अंतिम 20 स्मार्ट शहरों के साथ **सिस्टर सिटी** के रूप में संबद्ध किया जाएगा। वे तकनीकी ज्ञान ग्रहण कर और वित्तीय अध्ययनों के माध्यम से ख़राब प्रदर्शन करने वाले शहरों की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे।
- नागरिकों को कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में योगदान देने हेतु **एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र** (Integrated Control and Command Centres: ICCC) की स्थापना की जा रही है। इससे अपराध की रोकथाम, बेहतर निगरानी और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।

स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत अन्य महत्वपूर्ण पहलें

- **"ईज़ ऑफ़ लिविंग"** सूचकांक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक पहल है जो शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उनमें रहने की सुगमता का आकलन करने में सहायता करता है तथा शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के 'परिणाम-आधारित' दृष्टिकोण को

 © Vision IAS

अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है।

- **भारत शहरी वेधशाला (India Urban Observatory):** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में एक अत्याधुनिक भारत शहरी वेधशाला का परिचालन आरंभ किया गया है। यह वेधशाला शहरों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत और सरकारों के लिए विश्लेषिकी के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र करने हेतु शहरों से प्राप्त होने वाले डेटा (वास्तविक समय और अभिलेखीय दोनों ही स्रोतों से) के विभिन्न स्रोतों से जुड़ी होगी। यह साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करेगी।

3.4. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) SBM-U 2.0 {Swachh Bharat Mission (URBAN) SBM-U 2.0}#

उद्देश्य

- खुले में शौच की प्रथा का उन्मूलन करना।
- अस्वास्थ्यकर शौचालयों का फ्लश शौचालयों में रूपांतरण करना।
- हाथ से मैला उठाने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) का उन्मूलन करना।
- नगर निगम के ठोस अपशिष्ट का 100% संग्रहण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण / निपटान, पुनः उपयोग / पुनर्चक्रण करना।
- स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों में एक व्यावहारिक परिवर्तन लाना।
- स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों के बारे में नागरिकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना।
- डिजाइन, निष्पादन और व्यवस्था को संचालित करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करना।
- पूंजीगत व्यय और संचालन एवं रखरखाव लागत में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु समर्थकारी परिवेश का सृजन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि**
    - **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U)** को भारत में स्वच्छता परिदृश्य को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को पांच वर्ष की अवधि (वर्ष 2014-2019) के लिए आरंभ किया गया था। भारत ने ODF भारत की परिकल्पना को साकार किया है।
    - 2 अक्टूबर 2021 तक, तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से 3,309 शहरों को ODF +; 960 शहरों को ODF ++ प्रमाणित कर दिया गया है, और 9 शहर जल अधिशेष (Water+) के रूप में प्रमाणित कर दिए गए हैं।
    - अब शेष कार्यों यथा **'स्वच्छ' व्यवहार को संस्थागत और इसे संधारणीय बनाने संबंधी लक्ष्य को पूरा करने** हेतु मिशन का विस्तार किया जा रहा है।
- **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।** यह समझौता ज्ञापन "कचरा मुक्त शहर" बनाने के लिए MoHUA, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश और ULB के सामूहिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है।

"कचरा मुक्त शहर" बनाने पर ध्यान देना

- **परिकल्पित परिणाम/लाभ:**
    - सभी सांविधिक **नगर कम से कम 3-स्टार रेटिंग** (कचरा मुक्त हेतु) प्रमाणित हो जाएंगे।
    - सभी सांविधिक नगर **कम से कम ODF+** प्रमाणित हो जाएंगे।
    - 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर **कम से कम ODF++** प्रमाणित हो जाएंगे।
    - 1 लाख से कम आबादी वाले सभी सांविधिक नगर में से 50% **जल अधिशेष (Water+)** प्रमाणित हो जाएंगे।
- **वित्तीय अंशदान:** परियोजना निधि का केंद्र:राज्य वितरण इस प्रकार होगा:
    - पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों में ULBs के लिए 90% : 10%
    - विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%
    - विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 80%: 20%
    - 10 लाख से अधिक आबादी वाले ULBs के लिए 25%:75%

- 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले ULBs के लिए 33%: 67% (दोनों शामिल),
- 1 लाख से कम आबादी वाले ULBs के लिए 50%:50%

- **शौचालय (IHHL या व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय): शहरी भारत के प्रत्येक नागरिक के पास सुरक्षित स्वच्छ बुनियादी ढांचे तक पहुंच के साथ-साथ मलयुक्त अपशिष्ट के लिए सुरक्षित कंटेनमेंट सुविधाओं तक पहुंच** सुनिश्चित करने के लिए सेचुरेशन दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
- **मार्गदर्शक सिद्धांत**
- **सहभागिता**
  - **जन आंदोलन:** 'स्वच्छता' की केन्द्रीय विषय वस्तु समानता और समावेश।
  - **प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा:** आकांक्षी जिलों के शहरी स्थानीय निकायों पर विशेष ध्यान देने के साथ शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाना।
- **स्वच्छता मानक**
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने कई मानकीकृत प्रोटोकॉल लागू किए हैं जिनमें SBM-U के तहत शहरी भारत में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में मानकीकृत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ODF, ODF+, ODF++, Water+ और कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल शामिल हैं।
- **क्षमता निर्माण**
  - तकनीकी के साथ-साथ शासन के पहलुओं में संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं के निर्माण के लिए **ई-लर्निंग और अन्य प्रमाणित प्लेटफार्मों** को मजबूत करना;
  - स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान देना।
- **भागीदारी**
  - जमीनी/लक्षित स्तर पर मिशन के परिणामों में तेजी लाने के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) और प्रयुक्त जल प्रबंधन क्षेत्रों में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सभी **विकासात्मक भागीदारों, ज्ञान भागीदारों, क्षेत्रक भागीदारों तथा उद्योग** की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उनके समर्थन एवं सहायता का लाभ उठाया जा सके।
- **डिजिटल सक्षमता**
- **संपत्तियों की वास्तविक समय की निगरानी** को सक्षम करने, उनके पूर्ण क्षमता उपयोग को सुनिश्चित करने और **मिशन को डिजिटल एवं पेपरलेस बनाने** के लिए **मजबूत सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित गवर्नेंस** पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए (जो SBM-शहरी के अधीन पहले से ही सम्मिलित एक प्रमुख विशेषता रही है) जारी रखा जाएगा।
- परिचालन चरण में दक्षता मानकों पर वास्तविक समय आधारित डेटा प्रदान करने हेतु **सभी परियोजनाओं और सेवाओं के लिए डिजिटल समाधान को अपनाना अनिवार्य होगा।**
- **सामाजिक उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी संवर्धन, नवाचार और प्रोत्साहन:**यह मिशन, छोटे पैमाने वाले और निजी उद्यमियों एवं स्टार्ट-अप द्वारा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में **स्थानीय रूप से नवोन्मेषी, लागत प्रभावी समाधान तथा व्यवसाय मॉडल के अंगीकरण को प्रोत्साहित करेगा।** इसके तहत अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी चुनौतियों में निवेश के माध्यम से तथा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर समावेशन की प्रक्रिया को सरल बनाकर किया जाएगा। इससे **"आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया"** के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **नियोजन पर ध्यान केन्द्रित करना: कमियों के विश्लेषण के आधार पर** ULBs के लिए अलग-अलग **कार्य योजनाएं तैयार** और प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- **कार्यात्मक परिणामों और उनकी निगरानी पर ध्यान देना: परिणाम-आधारित निधि निर्गमन (Outcome - based fund releases),** इस मिशन की एक प्रमुख विशेषता होगी, जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और ULBs द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों/परिणामों की प्राप्ति पर केंद्रीय अंशदान की पहली और दूसरी किस्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की जाएगी।
  - **SBM-U MIS पोर्टल जमीनी स्तर के डेटा को एकत्रित करेगा, ताकि** यह **निगरानी की जा सके** कि मार्गदर्शक सिद्धांतों को व्यवहार में किस हद तक आगे बढ़ाया जा रहा है।
- **शहरी-ग्रामीण अभिसरण: आपस में निकट ULBs और ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्लस्टर आधार** पर संचालित किया जाएगा, ताकि साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।
- **सक्षमकारी परिवेश का सृजन करना:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और ULBs को अपने निविदा सम्बन्धी दस्तावेज तैयार करने तथा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से राज्यों/ULBs द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने आदि के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFPs) मॉडल का सृजन करना।
- **परिणामों को प्राप्त करने के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान (बद्ध और अबद्ध दोनों) का लाभ उठाना:** 15वें वित्त आयोग के तहत, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा स्तरीय मापदंड प्राप्त करने के लिए **10 लाख एवं उससे अधिक आबादी वाले शहरों को 5 वर्ष की अवधि में ₹13,029 करोड़ का चैलेंज फंड प्रदान किया गया है।**

- 10 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹82,859 करोड़ के कुल अनुदान में से 40% अबद्ध अनुदान (Untied Grants) के रूप में, जबकि स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए 60% बद्ध अनुदान (Tied Grants) के रूप में प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

- **राष्ट्रीय मिशनों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना: उदाहरण के लिए:** कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से धूल के शमन की प्रक्रिया को **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)** के साथ संरेखित किया जाएगा; निजी क्षेत्रक की भागीदारी संबंधी रणनीति को **स्टार्ट-अप इंडिया और मेक इन इंडिया** के आधिदेश के अनुरूप प्रोत्साहित किया जाएगा; इस मिशन के सभी परिणामों की निगरानी के लिए वस्तुतः इस मिशन को **डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) और स्मार्ट सिटीज मिशन, नमामि गंगे** आदि के अधिदेश के साथ संरेखित किया जाएगा।

संबंधित पहलें:	
कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल (जीएफसी)-टूलकिट 2022 {Star Rating Protocol of Garbage Free Cities (GFC)-Toolkit 2022}	• MoHUA द्वारा लॉन्च की गई इस टूलकिट को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 2.0 की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित किया गया है, जिसमें डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और डंपसाइट के उपचार के लिए उच्च भारांश आवंटित किए गए हैं। 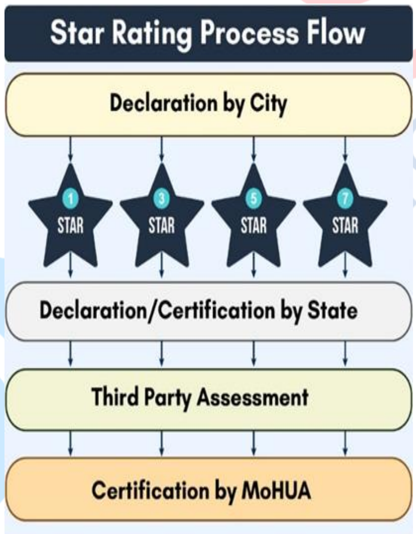 • SBM-U 2.0 और 15वें वित्त आयोग दोनों से सरकारी निधियां प्राप्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कम से कम 1-स्टार प्रमाणन प्राप्त करना एक आवश्यक शर्त है। • **कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग** ○ स्टार-रेटिंग पहल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 25 प्रमुख मापदंडों तथा 7-स्टार रेटिंग प्रणाली के आधार पर शहरों को रेटिंग प्रदान करेगा। इसमें डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण, थोक अपशिष्ट सृजनकर्ता संबंधी अनुपालन, स्रोत पर पृथक्करण, **सफाई, कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, वैज्ञानिक लैंड फिलिंग, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन प्रबंधन**, डंप उपचारण और नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली आदि शामिल होंगे। ○ एक निश्चित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए शहरों को **स्व-आकलन और स्व-सत्यापन** की प्रक्रिया को अपनाना होगा। साथ ही, **नागरिकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।**
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021	• स्वच्छ सर्वेक्षण संपूर्ण भारत के शहरों और कस्बों में साफ-सफाई व समग्र स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में आरंभ किया गया था। • इसे विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया था। • सर्वेक्षण का उद्देश्य वृहद पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, अपशिष्ट मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में की गई पहलों की संधारणीयता सुनिश्चित करना, तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण द्वारा मान्य विश्वसनीय परिणाम प्रदान करना, मौजूदा प्रणालियों को ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से संस्थागत बनाना और समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता सृजित करना है। • भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) इस सर्वेक्षण की कार्यान्वयन भागीदार है।
नोट	• **खुले में शौच मुक्त (ODF):** एक शहर/वार्ड को ओ.डी.एफ. शहर/वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाता है, यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। • **ओ.डी. एफ. प्लस (ODF+):** जल, रखरखाव और स्वच्छता से युक्त शौचालय। • **ओ.डी.एफ. प्लस प्लस (ODF++):** मलयुक्त अपशिष्ट और सेप्टेज प्रबंधन से युक्त शौचालय। • **वाटर प्लस (Water+):** यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट जल (प्रयुक्त), खुले पर्यावरण या जल निकायों में अपवाहित नहीं किया जाता है।

	○ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के अनुसार **जिन शहरों को ओ.डी.एफ. प्रोटोकॉल के आधार पर कम से कम एक बार ओ.डी.एफ. प्रमाणित किया गया था, वे स्वयं को SBM ODF+ और SBM ODF++ घोषित करने के पात्र हैं।**

3.5. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) {Deen Dayal Antyodaya Yojana- Urban (National Urban Livelihoods Mission): (DAY-NULM)}

उद्देश्य
कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार लाना।
प्रमुख विशेषताएं

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को वर्ष 2013 में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (MHUPA) द्वारा मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) को प्रतिस्थापित करके आरंभ किया गया था।
- **केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में वित्तपोषण साझा किया जाता है।** उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात **90:10** है।
- **अपेक्षित लाभार्थी: शहरी गरीब** (पथ विक्रेता, झुग्गीवासी, आवासहीन, कूड़ा उठाने वाले) बेरोजगार, निःशक्तजन।

इस योजना के तहत प्रमुख उपबंध

कौशल प्रशिक्षण और नियोजन (Placement) के माध्यम से रोजगार: इसे शहरी आजीविका केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।	**सामाजिक गतिविधि और संस्थागत विकास:** इसे सदस्यों के प्रशिक्षण तथा उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) के गठन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इसमें प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये का प्रारंभिक समर्थन प्रदान किया जाता है।	**शहरी निर्धनों को सब्सिडी:** 2 लाख रुपये तक के ऋण वाले व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो-इंटरप्राइजेज) तथा 10 लाख रुपये तक के ऋण वाले समूह उद्यमों (ग्रुप-इंटरप्राइजेज) की स्थापना हेतु 5-7% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।	**शहरी बेघरों के लिए आश्रय:** इस योजना के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण की लागत पूर्णतः वित्त पोषित है।	**अन्य साधन:** वेंडर्स (पथ विक्रेताओं) के लिए बाज़ारों का विकास करना तथा अवसंरचना की स्थापना के माध्यम से वेंडर्स के कौशल को बढ़ावा देना। साथ ही, मैला उठाने वालों और दिव्यांगों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं।	हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा **PAiSA (पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस)** नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेंशन) को संसाधित (प्रोसेसिंग) करने के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

3.6. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) {Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation – AMRUT 2.0}#

उद्देश्य
जल सुरक्षित शहर का निर्माण करना, **सभी वैधानिक शहरों में जल की सार्वभौमिक कवरेज तथा 500 अमृत शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का 100% कवरेज** प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	AMRUT को वर्ष 2015 में 500 शहरों में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य **500 चयनित AMRUT शहरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करना और सीवरेज कवरेज में व्यापक सुधार करना है।**

© Vision IAS

लक्ष्य	• सभी 4,378 वैधानिक शहरों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके **जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज** को सुनिश्चित करना। • साथ ही, इसके तहत 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवेज/सेप्टेज प्रबंधन की 100% कवरेज सुनिश्चित करना।
जल की सर्कुलर इकोनॉमी का लाभ उठाना	**जल संसाधन संरक्षण** को सुनिश्चित करना, **जल निकायों और कुओं का पुनरुद्धार करना**, उपचारित किए गए जल **का पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण करना** और बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करके **वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting)** हेतु प्रयास करना।
जन आंदोलन (समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना)	इस मिशन की प्रगति हेतु **महिलाओं और युवाओं**, दोनों की संयुक्त भागीदारी का लाभ उठाया जाएगा। जल मांग प्रबंधन तथा जल से संबंधित बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और गुणवत्ता संबंधी परीक्षण में **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** को शामिल किया जाएगा।
परिणाम आधारित वित्तपोषण	इस मिशन अवधि के दौरान शहरों द्वारा, **प्राप्त किए जाने वाले लक्षित परिणामों के संबंध में कार्य योजना** प्रस्तुत की जाएगी।
सुधार संबंधी एजेंडा	• यह ULBs की वित्तीय स्थिरता और जल संबंधी सुरक्षा पर केंद्रित है: • जल की 20 प्रतिशत मांग को **पुनःचक्रित जल** के माध्यम से पूरा करना, • **गैर-राजस्व जल को** 20% तक **कम करना** और प्रमुख जल संबंधी सुधार के तहत जल निकायों का कायाकल्प/ पुनरुद्धार करना, • अन्य महत्वपूर्ण सुधारों के अंतर्गत **संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क,** और **ULBs की साख संबंधी योग्यता (credit worthiness) में बढ़ोतरी करना** तथा शहरी नियोजन में सुधार करना आदि को शामिल किया गया है।
क्षमता निर्माण	• **ठेकेदारों, प्लंबर, प्लांट परिचालकों, छात्रों, महिलाओं और नागरिकों सहित सभी हितधारकों के लिए** क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। • इस मिशन के परिणामों के आकलन के लिए तकनीकी संस्थानों को शामिल किया जाएगा। छात्रों को **गिग इकोनॉमी मॉडल** के माध्यम से परियोजनाओं और परिणामों के सर्वेक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।
परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में प्रस्तावित परियोजनाओं की **विस्तृत शहर जल संतुलन योजना (CWBPs) और शहर जल कार्य योजना (CWAPs)** प्रस्तुत की जाएगी। • **CWBPs:** इसके तहत जल स्रोतों, जल उपचार और जल वितरण करने वाली अवसंरचना, क्षेत्र-वार जल कवरेज, गैर राजस्व जल (NRW) की स्थिति और मलजल उपचार संयंत्र (STP) सहित सीवरेज नेटवर्क आदि **जल स्रोतों का विवरण** शामिल होगा। • **CWAPs:** इसमें सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन; हरित स्थानों और पार्कों सहित जल निकायों के कायाकल्प सहित जल आपूर्ति संबंधी **प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में ULBs द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची शामिल होगी।**
प्रौद्योगिकी उप-मिशन	प्रौद्योगिकी उप-मिशन वस्तुतः **स्टार्ट-अप के विचारों और निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा,** और विशेषज्ञ समिति की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें पायलट परियोजनाओं के रूप में संचालित करेगा। साथ ही यह उप-मिशन, इनोवेटिव लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को भी प्रोत्साहित करेगा, जिन्हें आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाएगा।
सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)	**व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण** सहित IEC की परिकल्पना वस्तुतः जल संरक्षण के संबंध में आम जन को जागरूक बनाने और जनता के बीच जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में की गई है।
पेय जल सर्वेक्षण	• शहरों में पेयजल सर्वेक्षण का प्रस्ताव एक चैलेंज प्रोसेस के रूप में किया गया है। इसका उद्देश्य जल की आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, उपयोग किए गए जल के पुन: उपयोग तथा पुनर्चक्रण की सीमा एवं शहर में जलीय निकायों के संरक्षण से सम्बंधित गुणवत्ता, मात्रा और कवरेज के संबंध में सेवा स्तरीय मापदंडों के अनुपालन का आकलन करना है। • पेयजल सर्वेक्षण शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजित करेगा और एक निगरानी साधन एवं मिशन को बढ़ावा देने के रूप में कार्य करेगा।

परिणामों का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन	यह कार्य ऑनलाइन निगरानी मंच के उपयोग के साथ संयुक्त रूप से गिग इकोनॉमी (जिससे सामुदायिक भागीदारी को संभव बनाया जा सकेगा) के माध्यम से नागरिकों की प्रतिपुष्टि के साथ किया जाएगा।
सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं	**मिलियन प्लस शहरों हेतु** PPP परियोजनाओं को **अनिवार्य कर दिया गया है** और **शहर के स्तर पर कुल वित्तीय आवंटन का कम से कम 10% PPP परियोजनाओं के लिए** निर्धारित करना अनिवार्य होगा।
व्यापक कवरेज	परियोजनाओं को तैयार करते समय, **अनौपचारिक बस्तियों और निम्न-आय वर्ग वाले परिवारों पर विधिवत विचार** किया जाना चाहिए।
नल के द्वारा पेयजल सुविधा	अमृत शहरों में, नल के द्वारा चौबीसों घंटे पेयजल आपूर्ति सुविधा हेतु परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण को सुधार संबंधी प्रोत्साहन के रूप में स्वीकार्य किया जायेगा।
वित्तपोषण प्रतिरूप	परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण, केंद्र, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और ULBs द्वारा साझा किया जाएगा। ULBs के विभिन्न वर्गों के लिए केंद्रीय अंशदान निम्नानुसार होगा: (see table below)
समझौता ज्ञापन (MoU)	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और ULBs ने MoHUA के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) को स्वीकृति प्रदान की है।

ULBs	Central share
Union Territories	100% project funds by Centre
North eastern States and Himalayan States	90% of the project funds by Centre
With less than one lakh population	50% of the project funds by Centre
With population one lakh to ten lakh (both included)	1/3rd of the project funds by Centre
With population more than ten lakh	25% of the project funds by Centre (except for projects taken up under PPP mode)

3.7. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना (हृदय) (National Heritage City Development and Augmentation Yojana: HRIDAY)*

उद्देश्य

- विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- सुंदरतापूर्ण, सुलभ, शिक्षाप्रद और सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहित करके शहर के अद्वितीय चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए विरासत शहर की विशिष्टता को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में आरंभ किया गया था और यह योजना 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई थी।
- इसे 12 शहरों अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल में लागू किया जा रहा है। यह योजना मिशन मोड के रूप में लागू की गई है।
- यह योजना व्यापक रूप से चार विषयगत क्षेत्रों (theme areas) अर्थात भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना, आर्थिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- इस योजना ने मूल **विरासत से संबद्ध नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं** के विकास का समर्थन किया है। इसमें शहरों की **विरासत, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संपत्तियों** के आसपास के क्षेत्रों के लिए शहरी अवसंरचना का पुनरुद्धार करना शामिल है।
  - इन पहलों में **जलापूर्ति, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन आदि** का विकास शामिल है।

3.8. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड National Common	• हाल ही में दिल्ली मेट्रो के लिए एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC:National Common Mobility Card) लॉन्च किया गया है।

© Vision IAS

Mobility Card (NCMC)	• NCMC को परिवहन गतिशीलता के लिए **वन नेशन, वन कार्ड** के रूप में घोषित किया गया है। यह पहल रिटेल शॉपिंग व खरीदारी के अतिरिक्त संपूर्ण देश में विभिन्न मेट्रो और अन्य परिवहन प्रणालियों में निर्बाध यात्रा को सक्षम करेगी। ○ **नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC)** एक **स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली** है। यह स्मार्टफ़ोन को एक अंतर-संचालनीय (interoperable) ट्रांसपोर्ट कार्ड में रूपांतरित करेगी। यात्री इसका उपयोग अंततः मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे सेवाओं (suburban railways services) के भुगतान के लिए कर सकते हैं।
प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)	• हाल ही में, **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)** ने पीएम स्वनिधि के विस्तार (मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक) को मंजूरी प्रदान कर दी है। • **पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • इसे COVID-19 वैश्विक महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स (पथ विक्रेता) को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने में मदद करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस हेतु उन्हें **10,000 रुपये तक का किफायती कार्यशील पूंजी ऋण भी प्रदान** किया जाएगा। • **50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों** को लाभान्वित करने का लक्ष्य। • **कार्यान्वयन भागीदार:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। • **मुख्य विशेषताएं:** ○ 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। ○ समय पर/शीघ्र भुगतान किए जाने पर @ 7% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ○ डिजिटल लेनदेन पर **मासिक कैश-बैक प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा। ○ ऋण के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रथम ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उच्चतर ऋण पात्रता प्रदान की जाएगी। ○ डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करने के लिए मंत्रालय द्वारा **पीएम स्वनिधि लाभार्थियों** और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक **प्रोफाइलिंग** की भी शुरुआत की गई है। ○ प्रोफाइलिंग द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पात्र लाभों का विस्तार उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए किया जाएगा।

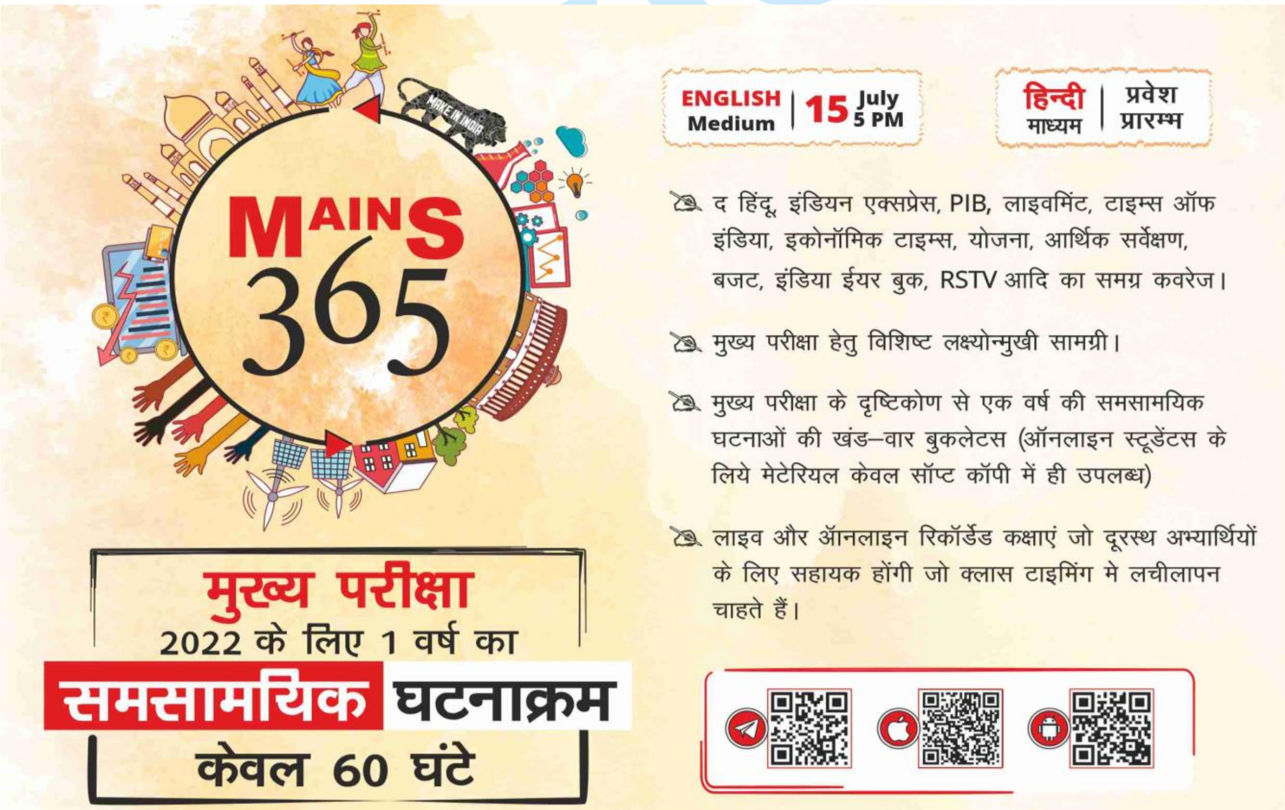

4. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

4.1. जल जीवन मिशन-ग्रामीण {Jal Jeevan Mission (JJM)-Rural}#

उद्देश्य

- JJM का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल से जल) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection: FHTC) उपलब्ध कराना है।
- **FHTC:** एक नल कनेक्शन की कार्यक्षमता को आधारभूत संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे- घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से दीर्घकालीन रूप से निरंतर व पर्याप्त मात्रा में जल प्रदान करना अर्थात् नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्तायुक्त (BIS: 10500 मानक) कम से कम 55 lpcd (लीटर प्रति व्यक्ति) जलापूर्ति उपलब्ध कराना।
- स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- JJM, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) का एक उन्नत संस्करण है, जिसे वर्ष 2009 में आरंभ किया गया था।
- **वित्तपोषण सहभाजन प्रतिरूप:** हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 50:50 और संघ शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **समुदाय संचालित दृष्टिकोण:** JJM के तहत, ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
- **JJM के तहत घटक:**
  - गांव में प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन हेतु जलापूर्ति अवसंरचना का विकास करना।
  - जलापूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने हेतु विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/या विद्यमान स्रोतों का संवर्द्धन करना।
  - जहाँ जल की गुणवत्ता से संबंधित समस्या विद्यमान है, वहां संदूषकों को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप करना।
  - **ग्रे वाटर प्रबंधन** (घरेलू मल गाद रहित अपशिष्ट जल)।
  - उपयोगिताओं (utilities), जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, शोध एवं विकास, ज्ञान केंद्र, समुदायों की क्षमता-निर्माण आदि का विकास करना।

कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र	
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन	राज्यों को नीतिगत मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
राज्य जल और स्वच्छता मिशन	राज्य कार्य योजना (SAP), वित्तीय योजना आदि को अंतिम रूप देना।
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन	उपायुक्त/जिला कलेक्टर (DC) के नेतृत्व में। यह जल जीवन मिशन के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समितियां	प्रत्येक मौजूदा ग्रामीण परिवारों को FHTC प्रदान करना, ग्राम कार्य योजना (VAP) आदि की तैयारी सुनिश्चित करना।

- **कार्यान्वयन रणनीति:**
  - योजनाओं का समयबद्ध समापन प्रस्तावित किया गया है।
  - उन बस्तियों को कवर करने को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां जल गुणवत्ता अत्यधिक प्रभावित है।
  - विद्युत शुल्क, नियमित कर्मचारियों के वेतन और भूमि की खरीद आदि जैसे किसी भी व्यय को केंद्रीय हिस्से पर भारित नहीं किया जाएगा।
  - **उपयोगिता-आधारित दृष्टिकोण:** यह संस्थानों को सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य करने और पेयजल आपूर्ति सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा सभी प्रकार के उपभोक्ताओं से जल शुल्क वसूल करने में सक्षम बनाएगा।
  - **अभिसरण:** वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण आदि जैसे उपायों को लागू करने हेतु मनरेगा जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकृत करना।
  - **समुदाय हेतु प्रोत्साहन:** समुदाय को उनके ग्राम में संचालित-जलापूर्ति योजना में पूंजीगत व्यय के 10% का व्यय करने हेतु पुरस्कृत किया जाएगा।
  - **जल गुणवत्ता निगरानी और जांच (WQM&S):** इसके अंतर्गत समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और निगरानी गतिविधियों की स्थापना एवं रखरखाव करना शामिल है।

© Vision IAS

संबंधित पहलें	
जलमणि कार्यक्रम	• इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008 से **ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंड अलोन जल शोधन प्रणाली** की स्थापना की जा रही है। • इसमें जल शोधन प्रणाली का स्वामित्व विद्यालय अधिकारियों के पास होता है, जबकि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए धन राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है।
स्वजल योजना	• यह सामुदायिक मांग द्वारा संचालित, विकेन्द्रीकृत, एकल ग्रामीण और मुख्यतः सौर ऊर्जा से संचालित एक मिनी पाइप्ड वाटर सप्लाई (PWS) कार्यक्रम है। इसे नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षी जिलों में प्रारम्भ किया गया है। • ग्रामीण समुदायों और राज्य क्षेत्रक एजेंसियों के साथ साझेदारी में ग्राम पंचायतों को इस योजना के निष्पादन हेतु शामिल किया जाएगा तथा ये इस योजना का संचालन और देखरेख भी करेंगी। **यह कार्यक्रम ODF स्थिति को भी बनाए रखेगा।** इस योजना के तहत स्वजल इकाइयों के संचालन और रखरखाव के लिए सैकड़ों ग्रामीण तकनीशियनों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

4.2. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण {Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G)}#

उद्देश्य

- सफाई व स्वच्छता में सुधार तथा खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना।
- 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज को त्वरित करना।
- समुदायों तथा पंचायती राज संस्थानों को जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से संधारणीय स्वच्छता की प्रथाओं व सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित तथा संधारणीय स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, ठोस एवं तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन तंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सामुदायिक रूप से प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास करना।
- विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के मध्य स्वच्छता में सुधार करके महिला पुरुष समानता पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करना तथा सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह मिशन वर्ष 2019 तक पांच वर्षों (2014-2019) में देश को **खुले में शौच मुक्त** (Open Defecation Free: ODF) बनाने के लिए तत्कालीन निर्मल भारत अभियान को पुनर्संरचित करके 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना तथा ग्राम पंचायतों को **ODF**, साफ एवं स्वच्छ बनाने का प्रयास करना है।
- **परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन:** यह व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (Individual Household Latrines: IHHL) के निर्माण हेतु निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) के सभी परिवारों के लिए उपलब्ध है। निर्धनता रेखा से ऊपर (Above Poverty Line: APL) के परिवारों के लिए यह प्रोत्साहन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, लघु और सीमांत किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से दिव्यांग एवं महिला मुखिया वाले परिवारों तक ही सीमित है।
- **इसे विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाला कार्यक्रम** कहा जाता है। **इसने जमीनी स्तर पर लोगों के आंदोलन** को उत्पन्न करके असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य को प्राप्त किया है। 2 अक्टूबर 2019 को **भारत के सभी जिलों** ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free: ODF) घोषित कर दिया है।
- **दूसरा चरण (Phase-II)**
  - यह चरण **वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25** की अवधि के लिए आरंभ किया गया है।
  - केंद्र और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मध्य सभी घटकों के लिए **निधि का साझाकरण** प्रतिरूप उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 60:40 व अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100:00 होगा।
  - यह कार्यक्रम के प्रथम चरण (2014-2019) में शौचालय की उपलब्धता और उनके उपयोग के मामले में अर्जित उपलब्धियों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही, सभी तक इन लाभों की पहुँच को सुनिश्चित करेगा।
  - इसे **मिशन मोड के तहत** कार्यान्वित किया जाएगा।
  - यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि **देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) निस्तारण की व्यवस्था की** जाए।
  - **वित्त पोषण:** इसका वित्तपोषण बजटीय सहायता और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा तथा विशेष रूप से **ठोस एवं तरल अपशिष्ट**

प्रबंधन (SLWM) के लिए राजस्व सृजन मॉडल के तहत जारी निधि से प्रबंधित किया जाएगा।
- **निगरानी:** "ODF प्लस" के **SLWM** घटक की निगरानी **चार प्रमुख क्षेत्रों** यथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जैव-निम्नीकृत ठोस अपशिष्ट (पशु अपशिष्ट सहित) प्रबंधन, घरेलु अपशिष्ट प्रबंधन और मल गाद प्रबंधन **के निर्गत-परिणाम संकेतकों** के आधार पर की जाएगी।
- **रोजगार सृजन:** यह घरेलू **शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण** के साथ-साथ SLWM के लिए अवसंरचना जैसे **कंपोस्ट पिट, जल को सोखने वाले गर्त, अपशिष्ट जल स्थिरीकरण तालाब और सामग्री वसूली केंद्रों** के निर्माण के माध्यम से किया जाएगा।
- **ODF प्लस गांव:** इसे "ऐसे गांव के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करता है तथा गांव स्वच्छता प्रदर्शित करता है"। इसके तहत यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि गाँव के सभी घरों के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में भी शौचालय की सुविधा हो। साथ ही, सभी सार्वजनिक स्थानों एवं **कम से कम 80% घरों में अपने ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाता हो तथा न्यूनतम कचरा और न्यूनतम अपशिष्ट जल का जमाव हो।**

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र पहल

- यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन (SBM) का भाग है।
- उत्तम स्वच्छता तथा वर्धित जागरूकता व स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय की एक संयुक्त पहल** है।
- स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के **तीन प्रमुख घटक** हैं:
  - कायाकल्प प्रमाणीकरण (स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के उच्च मानकों के लिए प्रमाण पत्र) प्राप्त करने हेतु खुले में शौच मुक्त (ODF) ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) की सहायता की जाएगी।
  - कायाकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) की ग्राम पंचायत को ODF बनने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
  - CHC/PHC नामितों को WASH (जल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य/Water, Sanitation and Hygiene) में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- कायाकल्प पुरस्कार विजेता PHC ग्राम पंचायत में ODF गतिविधियों का संचालन करेगा तथा उन CHC और PHC के नामित को WASH प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे साफ़-सफाई, स्वच्छता और मानक नियंत्रण के मानकों को पूरा करने के लिए सुदृढ़ हो सकें।

स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (SWACHH ICONIC PLACES: SIP) पहल

- यह संबंधित राज्य और स्थानीय सरकारों तथा तीन केंद्रीय मंत्रालयों नामतः **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय की एक संयुक्त पहल** है। उल्लेखनीय है कि इस पहल हेतु **जल शक्ति मंत्रालय** नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।
- इस पहल का उद्देश्य पर्यटन स्थलों के आसपास के स्वच्छता और स्वच्छता मानकों में सुधार करके **घरेलू और विदेशी दोनों आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाना है।**
- संपूर्ण भारत में 100 स्थानों को **उनकी विरासत, धार्मिक तथा/या सांस्कृतिक महत्व के कारण "प्रतिष्ठित (Iconic) स्थल"** के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। **प्रथम तीन चरणों में अब तक 30 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया गया है।** इन सभी 30 प्रतिष्ठित स्थलों ने **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निगमों को नियुक्त किया है। मदुरई में श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को देश में सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल घोषित किया गया है।**
- **चरण IV के तहत, 12 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है यथा: अजंता गुफाएं** (महाराष्ट्र); **सांची स्तूप** (मध्य प्रदेश); **कुंभलगढ़ किला,** (राजस्थान); **जैसलमेर किला** (राजस्थान); **रामदेवरा** (जैसलमेर, राजस्थान); **गोलकोंडा किला** (हैदराबाद, तेलंगाना); **सूर्य मंदिर** (कोणार्क, ओडिशा); **रॉक गार्डन** (चंडीगढ़); **डल झील** (श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर); **बांके बिहारी मंदिर** (मथुरा, उत्तर प्रदेश); **आगरा का किला** (आगरा, उत्तर प्रदेश) **कालीघाट मंदिर** (पश्चिम बंगाल)।

राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (RSK)

- इसकी घोषणा 10 अप्रैल, 2017 को चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी वर्षगांठ पर की गयी थी।
- इसका उद्घाटन अगस्त 2020 में दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में **स्वच्छ भारत मिशन पर संवाद एवं अनुभव केंद्र** के रूप में किया गया था।

© Vision IAS

दरवाजा बंद मीडिया अभियान
• यह व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MDWS) द्वारा एक सशक्त मास मीडिया अभियान है। विश्व बैंक द्वारा 'दरवाज़ा बंद' अभियान को समर्थन प्रदान किया गया है। **यह उन पुरुषों में व्यवहार परिवर्तन को** प्रोत्साहित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है**, जिनके पास शौचालय हैं, परन्तु वे उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं।** • हाल ही में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा **'दरवाज़ा बंद- भाग 2' अभियान** की शुरुआत की गई है। यह देश भर के गांवों की खुले में शौच मुक्त स्थिति की सततता पर ध्यान केंद्रित करता है।
स्वच्छता ही सेवा अभियान
यह, स्वच्छता पहल **'स्वच्छ भारत मिशन' के प्रचार हेतु दो सप्ताह (पखवाड़ा) तक संचालित होने वाला स्वच्छता** अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के लिए संगठित करना तथा जन आंदोलन को मजबूत बनाना है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक तथा पर्यटन स्थलों की योजनाबद्ध तरीके से सफाई की जाएगी।
गोबर-धन योजना (GOBAR Dhan scheme)

• अप्रैल 2018 में गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन या "गोबर-धन" योजना का शुभारंभ किया गया।
• गोवर्धन योजना को **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBMG) के भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।**
    ○ **यह खुले में शौच मुक्त (ODF) रणनीति को प्राप्त करने का** एक महत्वपूर्ण तत्व है।
• इसका उद्देश्य गांवों को **अपने मवेशियों और जैव-निम्नीकृत अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन** में सहायता करना है।
• इस योजना का उद्देश्य मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक संसाधनों को बायोगैस तथा जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करते हुए गांवों को स्वच्छ बनाए रखना है।
• हाल ही में, **जल शक्ति मंत्रालय** ने 'गोवर्धन' योजना पर **एक एकीकृत पोर्टल का आरंभ किया है।**
    ○ नए एकीकृत दृष्टिकोण के तहत सभी बायोगैस कार्यक्रमों/योजनाओं का समन्वयन पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBMG) के तहत किया जाएगा।

ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) डैशबोर्ड, ODF-प्लस एडवाइजरी तथा ODF-प्लस और स्वच्छ ग्राम दर्पण मोबाइल एप्लिकेशन
• इन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है। • **लक्ष्य:** ODF-प्लस गतिविधियों का संचालन करने वाले राज्यों तथा जिलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। • **"स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप"** लोगों को इस कार्यक्रम के जिला और राज्य स्तर पर प्रदर्शन पर निगरानी रखने की अनुमति प्रदान करती है।

4.3. नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana)*

उद्देश्य
• गंगा नदी को व्यापक रूप से **स्वच्छ और संरक्षित** करना। • गंगा नदी बेसिन का **जलसंभर प्रबंधन (वाटरशेड मैनेजमेंट)** करना; तथा व्यर्थ अपवाह (रनऑफ) और प्रदूषण को कम करना। • गंगा नदी की **मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक और/या पर्यटन संबंधी महत्त्वपूर्ण गांवों का विकास** करना। • **नदी तट प्रबंधन संपादित करना।** • **जलीय जीवन का संरक्षण** करना। • विभिन्न संलग्न मंत्रालयों के मध्य **समन्वय स्थापित** करना।
प्रमुख विशेषताएं
• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • परियोजना के तहत 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, 47 कस्बों और 12 नदियों को कवर किया जाएगा।   ○ गंगा नदी घाटी या बेसिन में 11 राज्य यथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी परियोजनाओं (NGRBP) के तहत वर्तमान में गंगा नदी के मुख्य प्रवाह वाले पांच प्रमुख राज्यों यथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

- भारतीय न्यास अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट/न्यास के रूप में **स्वच्छ गंगा निधि** (दान निधि) की स्थापना की गयी है।
  - इसमें दान करने वाले दानकर्ता **आयकर के तहत 100% छूट** के लिए पात्र होते हैं और इस प्रकार के योगदान CSR संबंधी गतिविधि के दायरे में भी आते हैं।
- **विश्व बैंक** ऋण के माध्यम से परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga: NMCG) और राज्य में इसके समकक्ष राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (State Programme Management Groups: SPMGs) द्वारा किया जाता है।
  - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG), वर्ष 2016 में स्थापित राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा है। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (National Ganga River Basin Authority: NGRBA) को प्रतिस्थापित किया है।
- NMCG और SPMGs द्वारा **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) एवं पंचायती राज संस्थानों (PRIs)** को इस परियोजना में शामिल किया गया है।
- घाट और नदी तटों पर हस्तक्षेप के माध्यम से, नागरिकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु **नदी केंद्रित शहरी नियोजन प्रक्रिया स्थापित** करने का प्रयास किया जाएगा।

आरंभिक अवधि की गतिविधियां (तत्काल दिखाई देने वाले प्रभाव के लिए)	**मध्यम अवधि की गतिविधियां:** (5 वर्ष की समय सीमा में कार्यान्वित)	**दीर्घावधि की गतिविधियां (10 वर्षों के भीतर लागू किया जाना है)**
तैरते हुए ठोस अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने के लिए **नदी की सतह की सफाई की जाएगी।** ग्रामीण सीवेज नालियों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण (ठोस और तरल) को रोकने के लिए **ग्रामीण स्वच्छता** एवं शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।	○ गंगा के तट पर स्थित 118 शहरी आवासीय क्षेत्रों में **सीवरेज अवसंरचना के कवरेज** का विस्तार किया जाएगा। ○ जैव-उपचार विधि, अंत:स्थाने उपचार व नगरपालिका सीवेज और दूषित जल उपचार संयंत्रों का प्रयोग कर जल निकासी के **अपशिष्ट जल के उपचार** द्वारा प्रदूषण की रोकथाम की जाएगी। ○ **औद्योगिक प्रदूषण** का प्रबंधन किया जाएगा। ○ **जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।**	पारिस्थितिक-प्रवाह का निर्धारण, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और सतही सिंचाई की दक्षता में वृद्धि की जाएगी।

- मिशन के दूसरे चरण के लिए जून 2020 में विश्व बैंक बोर्ड द्वारा 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता राशि को अनुमोदित किया गया था।
  - यह ऋण दिसंबर 2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

© Vision IAS

- इस चरण के तहत आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं में मिशन के प्रथम चरण की स्पिलओवर परियोजनाएं और यमुना एवं काली नदियों जैसी सहायक नदियों की सफाई करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं।
- जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के लिए नमामि गंगे को **लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार योजना (Prime Minister's Awards for Excellence for Public Administration Scheme)** के तहत शामिल किया गया है।

गंगा ग्राम योजना

गंगा नदी की मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक और/या पर्यटक महत्व के गांवों को विकसित करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत वर्ष 2016 में **गंगा ग्राम योजना** आरम्भ की गयी थी। गंगा ग्राम से संबंधित कार्यों में **व्यापक ग्रामीण स्वच्छता, जल निकायों और नदी घाटों का विकास करना, शवदाहगृह का निर्माण/आधुनिकीकरण करना आदि शामिल हैं।**

गंगा ग्राम परियोजना (Ganga Gram Project)

इसे वर्ष 2017 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के सहयोग से आरंभ किया गया था। यह **पवित्र नदी के तट पर अवस्थित गांवों का समग्र विकास** करने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण है, जिसमें ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी शामिल है।

गंगा उत्सव 2020 (Ganga Utsav 2020)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा **पवित्र नदी गंगा की महिमा का उत्सव मनाने** के लिए 2 से 4 नवंबर 2020 तक तीन दिवसीय **सांस्कृतिक और शैक्षिक उत्सव** का आयोजन किया गया था। इस उत्सव में कथा वाचन, लोककथा सुनाना, गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद, प्रश्नोत्तरी, विविध पारंपरिक कलाओं की प्रदर्शनी, प्रख्यात कलाकारों का नृत्य और संगीत प्रदर्शन, फोटो गैलरी, प्रदर्शनियों एवं अन्य बहुत से कार्यक्रम शामिल थे।

4.4. राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (National Hydrology Project: NHP)*

उद्देश्य

- **विश्वसनीय और समयबद्ध तरीके से जल संसाधनों से संबद्ध आंकड़ों** के अधिग्रहण, भंडारण, संयोजन और प्रबंधन हेतु एक प्रणाली स्थापित करना।
- सूचना प्रणाली के उपयोग और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे- रिमोट सेंसिंग को अपनाकर राज्य और केंद्रीय क्षेत्रकों के संगठनों में जल संसाधन प्रबंधन में क्षमता का निर्माण करना।
- बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी आंकड़ों को कम से कम 1 दिन से लेकर 3 दिन पहले ही एकत्र कर लेना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह एक **केंद्रीय क्षेत्र** की योजना है (2016)।
- यह परियोजना **विश्व बैंक** द्वारा सहायता प्राप्त (50% ऋण) है।
- परियोजना के घटक निम्नलिखित हैं:
  - **जल संसाधन निगरानी प्रणाली (WRISs):** मौसम विज्ञान, नदी/जलधारा प्रवाह, भूजल, जल की गुणवत्ता और जल भंडारण का मापन आदि सहित नए और विद्यमान जलमौसम विज्ञान निगरानी प्रणालियों (hydromet monitoring systems) की स्थापना/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण करना।
  - **जल संसाधन सूचना प्रणाली:** विभिन्न डेटा स्रोतों/विभागों से प्राप्त डेटाबेस और उत्पादों के मानकीकरण के माध्यम से वेब-सक्षम जल संसाधन निगरानी प्रणालियों (WRISs) के साथ राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय जल सूचना केंद्रों को सुदृढ़ करना।
  - **जल संसाधन परिचालन और योजना प्रणाली:** परस्पर क्रियात्मक विश्लेषणात्मक साधनों और निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म का विकास करना।
  - **संस्थागत क्षमता का संवर्धन:** ज्ञान आधारित जल संसाधन प्रबंधन के लिए क्षमता का निर्माण करना।
- NHP से **जल-मौसम विज्ञान (Hydro-meteorological) से संबंधित डाटा** एकत्रित करने में सहायता मिलेगी और इसका रियल टाइम के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा तथा किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा सकेगा।
- यह जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा के संयोजन और प्रबंधन के माध्यम से **नदी बेसिन एप्रोच को अपनाकर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन** की सुविधा प्रदान करेगा। यह जल संसाधन मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान करेगा।

4.5. बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project: DRIP)*

उद्देश्य

- चयनित मौजूदा बांधों और इनसे संबद्ध उपकरणों की **सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन** में स्थायी रूप से सुधार करना,
- प्रतिभागी राज्यों/ कार्यान्वयन एजेंसियों (CWC) की **संस्थागत बांध सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना।**
- कुछ चयनित बांधों पर वैकल्पिक साधनों का अन्वेषण करना, ताकि बांधों के स्थायी संचालन और रखरखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके (चरण II और चरण III के लिए)।

प्रमुख विशेषताएं

- **यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।**
- **चरण 1:**
  - यह परियोजना वर्ष 2012 में विश्व बैंक के सहयोग से छह वर्षों के लिए आरंभ की गई थी।
  - इस योजना के प्रारंभ में सात राज्यों (अर्थात् झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड) में **223 बांध परियोजनाओं** को शामिल किया गया था।
  - बांधों के लिए **आपातकालीन कार्य योजना (EAP)** प्रस्तावित है। यह एक बांध से संबंधित संभावित आपातकालीन स्थितियों की पहचान करती है और जीवन एवं संपत्ति की हानि के न्यूनीकरण हेतु प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है।
- हाल ही में, संपूर्ण देश में स्थित 736 विद्यमान बांधों का व्यापक पुनरुद्धार करने के लिए **योजना के चरण II और चरण III को अनुमोदित किया गया था।**
  - इस परियोजना की लागत 10,211 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने की अवधि 10 वर्ष है और इसमें दो चरण शामिल हैं। प्रत्येक चरण छह वर्षों का होगा तथा इसमें अप्रैल, 2021 से मार्च, 2031 तक, दो वर्षों की अतिव्यापी (overlapping) अवधि भी शामिल है।
  - **वित्त पोषण:** इसमें बाह्य वित्तपोषण का हिस्सा (विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से वित्तीय सहायता) कुल परियोजना लागत का 7,000 करोड़ रुपये है, और शेष 3,211 करोड़ रुपये का वहन संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का योगदान ऋण देयता के रूप में 1,024 करोड़ रुपये है और केंद्रीय घटक के हिस्से के रूप में (counterpart) 285 करोड़ रुपये का वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।

डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन (धर्मा) (DAM HEALTH AND REHABILITATION MONITORING APPLICATION: DHARMA)

DHARMA बांध संबंधी सभी डेटा के प्रभावी ढंग से डिजिटलीकरण हेतु आरंभ किया गया एक वेब टूल है। **यह देश में बड़े बांधों से संबंधित परिसंपत्ति तथा स्वास्थ्य सूचना के प्रामाणिक प्रलेखन** में सहायता करेगा और आवश्यकता आधारित पुनर्वास सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाएगा।

4.6. अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojna: Atal Jal)

उद्देश्य

- सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में **भूजल प्रबंधन में सुधार करना।**
- **व्यवहारजन्य परिवर्तन को प्रोत्साहन** प्रदान कर, जल संरक्षण और उसके कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएँ

लक्ष्य: जल के संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों पर बल देना।

विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की जाएगी			
जल संकट वाले चिन्हित क्षेत्रों में संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी	गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश,	जल जीवन मिशन के लिए बेहतर स्रोत स्थिरता, सरकार के 'किसानों की आय को दोगुना करने' के लक्ष्य में सकारात्मक	परिणाम के लिए कार्यक्रम (PforR): पूर्व-सहमत परिणामों की उपलब्धि के आधार पर भाग लेने वाले राज्यों को

© Vision IAS

और मांग पक्ष आधारित हस्तक्षेप पर बल दिया जाना	महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे सात राज्यों में लागू किया जा रहा है	योगदान और समुदाय के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए इष्टतम जल उपयोग के लिए जागरूक करना	संवितरण के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को धनराशि वितरित की जाती है

2 घटक	
संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण घटक (1,400 करोड़ रुपये)	प्रोत्साहन घटक (4,600 करोड़ रुपये)
भूजल क्षेत्र में सुदृढ़ डेटा बेस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना	केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बीच सामुदायिक भागीदारी, मांग प्रबंधन और अभिसरण पर बल देने के साथ पूर्व-निर्धारित परिणामों की उपलब्धि के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना

4.7. जल क्रांति अभियान (Jal Kranti Abhiyan)

उद्देश्य

- जल सुरक्षा में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों सहित सभी हितधारकों की ज़मीनी स्तर पर सहभागिता को सुदृढ़ करना।
- सहभागी सिंचाई प्रबंधन (Participatory Irrigation Management: PIM) सुनिश्चित करना
- जल संसाधन संरक्षण और उसके प्रबंधन में परंपरागत ज्ञान को अपनाये जाने / उसके उपयोग को प्रोत्साहित करना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका सुरक्षा में संवर्धन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्थानीय/क्षेत्र विशिष्ट नवाचारी उपाय विकसित करने हेतु परंपरागत ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना भी शामिल है।

चार घटक:

- जल ग्राम योजना
- प्रदूषण उपशमन
- आदर्श कमांड क्षेत्र का विकास
- जन जागरूकता कार्यक्रम

जल ग्राम योजना	• जल संकट का सामना कर रहे दो गांवों का "जल ग्राम" के रूप में चयन किया जाता है। • प्रत्येक जल ग्राम से, पंचायत के एक निर्वाचित प्रतिनिधि और जल प्रयोक्ता संघ के एक प्रतिनिधि की जल मित्र/नीर नारी के रूप में पहचान की जा रही है। साथ ही, जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
आदर्श कमान क्षेत्र का विकास	राज्य में लगभग 1,000 हेक्टेयर के मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की जाएगी। आदर्श कमान क्षेत्र का चयन राज्य सरकारों की सलाह से मंत्रालय द्वारा राज्य की एक वर्तमान/जारी सिंचाई परियोजना से किया जाएगा, जहाँ विभिन्न योजनाओं से विकास के लिए निधि उपलब्ध हो।
सुजलम कार्ड	**प्रत्येक जल ग्राम के लिए सुजलम कार्ड (लोगो:** 'जल बचत, जल निर्माण') नामक एक जल स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा। यह गांव के लिए उपलब्ध पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता के संबंध में वार्षिक सूचना प्रदान करेगा।
कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां	केन्द्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB)।
राज्य जल नीति	राज्यों को राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुसार राज्य जल नीति निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्तीय संसाधन (Fin□ncial resources)	प्रत्येक जल ग्राम में किए जा रहे विभिन्न कार्यों पर आर्थिक सहयोग केंद्रीय/ राज्य सरकारों की पहले से विद्यमान योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), मनरेगा (MGNREGA), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना (Repair, Renovation and Restoration: RRR), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) इत्यादि के

	माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

4.8. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (National Aquifer Mapping and Management: NAQUIM)

- जलभृत (एक्विफ़ायर) मानचित्रण कार्यप्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य **"अपने जलभृत को जानें, अपने जलभृत को प्रबंधित करें" (Know your Aquifer, Manage your Aquifer)** के रूप में समझा जा सकता है।
- इस कार्यक्रम को उन्नत तकनीकों के माध्यम से जलभृत का मानचित्रण करने हेतु आरंभ किया गया था। यह जलभृत पुनर्भरण एवं नदी तट निस्यंदन के प्रबंधन तथा अत्यधिक संकटग्रस्त उपखंड एवं दूषित उपखंडों की पहचान करने में सहायता करेगा।
- यह भूजल अभिगम्यता और गुणवत्ता पहलुओं के साथ भूजल उपलब्धता को एकीकृत करने में मदद कर सकता है। यह **राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम (NGMIP)** का सबसे बड़ा घटक है।
- राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इसके संबद्ध संस्थानों के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, विश्व बैंक, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID) और राज्य भूजल विभाग शामिल हैं।

जल संसाधन सूचना प्रणाली (WRIS)

- INDIA-WRIS WebGIS भारत के **जल संसाधनों** तथा उनसे संबद्ध प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक एवं प्रामाणिक **आंकड़ों** के लिए **एक सिंगल विंडो** समाधान है। यह समेकित जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के लिए आंकड़ों की खोज, पहुँच तथा विश्लेषण के उपकरणों के साथ एक मानकीकृत राष्ट्रीय GIS फ्रेमवर्क के अनुरूप है।
- इस परियोजना को संयुक्त रूप से केंद्रीय जल आयोग (CWC), जल शक्ति मंत्रालय (तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय) और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), DoS द्वारा वर्ष 2009 में प्रारम्भ किया गया है।

अर्थ गंगा (Arth Ganga)

- यह योजना गंगा नदी के तट पर आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से एक **संधारणीय विकास का मॉडल** प्रस्तुत करती है।
- **इस प्रक्रिया के भाग:**
    - किसानों को संधारणीय कृषि प्रथाओं में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें जीरो बजट फार्मिंग आदि सम्मिलित हैं।
    - **जल क्रीड़ा के लिए अवसंरचना** का निर्माण किया जाना चाहिए तथा शिविर स्थलों, साइक्लिंग और पैदल ट्रैक आदि का भी .विकास किया जाए।
    - **महिला स्वयं सहायता समूहों** और पूर्व सैनिक संगठनों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
    - नदी बेसिन क्षेत्र की **'हाइब्रिड' पर्यटन क्षमता** (धार्मिक और साथ ही साहसिक पर्यटन के प्रयोजनार्थ) को विकसित करना चाहिए।

कंटीन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल (CLAP)

- **CLAP** को **'गंगा उत्सव 2021-द रिवर फेस्टिवल' के उद्घाटन के दिन लॉन्च** किया गया है।
- CLAP एक **संवादात्मक पोर्टल** है। यह भारत में नदियों के संदर्भ में **वार्ता और कार्रवाई आरंभ करने की दिशा में कार्य कर रहा है।**
    - **यह 'नमामि गंगे' की एक पहल है।** इसे **ट्री (TREE) क्रेज फाउंडेशन** द्वारा निर्मित और निष्पादित किया गया है। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एवं समर्थित है।
- यह पोर्टल बहस और चर्चा को सुविधाजनक बनाने तथा **पर्यावरण, जल, नदियों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त** करने का भी एक मंच है।
- इसके अतिरिक्त, **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को, हस्तलिखित लेखों की अधिकांश तस्वीरों को** एक घंटे में फेसबुक पर अपलोड किए जाने के लिए **गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।**

© Vision IAS

5. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

5.1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana: ABRY)*

उद्देश्य

- **औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार को बढ़ावा देना** और
- सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ **नए रोजगार के सृजन** के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना और कोविड रिकवरी चरण के दौरान **रोजगार के नए अवसरों के सृजन** को प्रोत्साहित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत वर्ष 2020-2023 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है।

1,000 तक नियोजित कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए	1,000 से अधिक नियोजित कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए
सरकार द्वारा नए कर्मचारियों (1 अक्टूबर, 2020 को या उसके उपरांत और 30 जून 2021 तक की अवधि में नियोजित) के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) हेतु कर्मचारियों व नियोक्ता दोनों के वेतन संबंधी अंशदान का भुगतान दो वर्ष तक किया जाएगा।	सरकार द्वारा नए कर्मचारियों के संबंध में केवल कर्मचारियों के EPF अंशदान का भुगतान दो वर्ष तक किया जाएगा।

- **लक्षित लाभार्थी:** कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, जो 1 अक्टूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation: EPFO) से पंजीकृत था।
- EPFO उपयुक्त साधनों को अपनाकर यह सुनिश्चित करेगा कि **EPFO द्वारा कार्यान्वित की गई किसी अन्य योजना के साथ ABRY के तहत प्रदान किए गए लाभों का अतिव्यापन तो नहीं हो रहा है।**

5.2. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana: ABVKY)

उद्देश्य

कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को बेरोजगारी के दौरान आर्थिक सहायता का भुगतान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) निगम** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एक कल्याणकारी उपाय है।
- यह कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के तहत आने वाले श्रमिकों को **बेरोजगार होने पर नकद प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।**
  - ESI योजना का **उद्देश्य 'कर्मचारियों' को** बीमारी, मातृत्व, दिव्यांगता और रोजगार के दौरान घायल होने के कारण हुई मृत्यु की घटनाओं की स्थिति में **संरक्षण अर्थात सामाजिक सहायता प्रदान करना है।** साथ ही, बीमाकृत कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल की सुविधा भ उपलब्ध करवाता है।
  - राहत का दावा करने के लिए न्यूनतम **दो वर्ष की बीमा योग्य रोजगार** अवधि अनिवार्य है।

हालिया परिवर्तन:

यह योजना 01-07-2018 से आरंभ की गई थी। आरंभ में इस योजना को दो वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया था। **इस योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है।**	• **कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान नौकरी की क्षति के समाधान हेतु प्रदान की गई रियायत:** ○ अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए राहत भुगतान के तहत औसत मजदूरी देय को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ○ श्रमिकों द्वारा राहत संबंधी दावा प्रत्यक्ष रूप से दायर किया जा सकता है। पहले उन्हें इसे अंतिम नियोक्ता द्वारा अग्रेषित करने की आवश्यकता होती थी।

	○ राहत के दावे का भुगतान बेरोजगारी की तिथि से 30 दिन (पहले 90 दिन) के पश्चात देय होगा। ○ राहत संबंधी लाभ का निपटान **आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर** किया जाएगा। ○ **बढ़ी हुई राहत 24 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान देय होगी।**

5.3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child Labour Project Scheme)*

उद्देश्य

- बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन करना।
- खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं से सभी किशोर श्रमिकों को बाहर निकालने, उनके कौशल निर्माण एवं उचित व्यवसायों में उनके एकीकरण में योगदान करना।
- हितधारकों और लक्षित समुदायों के बीच जागरुकता बढ़ाना।
- बाल श्रम निगरानी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्माण करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- पहचाने गए लक्षित क्षेत्र में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिक।
- खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में संलग्न 18 वर्ष से कम आयु के किशोर श्रमिक।
- बाल श्रमिकों के परिवार।

प्रमुख विशेषताएं

- यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- परियोजना का समग्र दृष्टिकोण **लक्षित क्षेत्र में एक समर्थकारी परिवेश का सृजन करना है,** जिसमें बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने तथा श्रम न करने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित और सशक्त किया जाएगा तथा परिवारों को उनकी आय स्तरों में सुधार करने हेतु विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- **5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को बचाना और उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना।**
    - **यह कार्य सर्व शिक्षा अभियान के निकट समन्वय के माध्यम से किया जाएगा।**
- औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में आने से पूर्व 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (National Child labour Project: NCLP) के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में रखा जाता है जहाँ उन्हें समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान किए जाते हैं।
- इसके तहत निधियों को प्रत्यक्ष **जिला परियोजना समितियों** को प्रदान कर दिया जाता है, जो इन निधियों को प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन हेतु गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों आदि को आवंटित करने का कार्य करती हैं।
- पारदर्शिता के साथ कार्य का समय पर निपटान सुनिश्चित करने हेतु बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) को सफल बनाने के लिए **पेंसिल (PENCiL)** (शून्य बाल श्रम के लिए प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच) नामक एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।
    - **इसके पांच घटक हैं- चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, कंप्लेंट कॉर्नर, राज्य सरकार, NCLP और अभिसरण।**
    - राज्य सरकार के स्तर पर राज्य श्रम विभाग में स्थापित राज्य संसाधन केंद्र द्वारा निगरानी की जाती है। जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी (DNOs) को उनके संबंधित जिलों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए नामित किया जाता है।
- बच्चों को न्यूनतम तीन माह तक मॉड्यूलर आधार पर **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) का **भुगतान** किया जाएगा।
- इस योजना के तहत खतरनाक व्यवसायों और गतिविधियों में कार्य करने वाले बच्चों की पहचान करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए सर्वेक्षण करने हेतु कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के तहत **जिला परियोजना समितियों (DPS)** की स्थापना की जाती है।
- **नोट: वर्ष 2021 को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।**

 © Vision IAS

5.4. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employees' State Insurance Scheme)

उद्देश्य
जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के तहत परिभाषित है:- बीमारी, दिव्यांगता, नियोजन क्षति, प्रसूति की दशा में **कर्मचारियों के लिए कतिपय संरक्षण** तथा बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों हेतु चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराना।
प्रमुख विशेषताएं
• यह एक स्व-वित्तपोषित योजना है जो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करती है। • इस योजना को **नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा वित्त पोषित** किया जाता है, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा कोष में विप्रेषित किया जाएगा। • इस **कोष को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948** द्वारा विनियमित तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा प्रशासित किया जाता है। ESIC श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सांविधिक रुप से गठित किया गया एक स्वायत्त निकाय है। • ESI अधिनियम, 1948, **10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों** पर लागू होता है। इसके तहत **21,000 तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी** शामिल हैं। • **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** के माध्यम से भारत सरकार ESI अधिनियम के तहत अंशदान की दर निर्धारित करती है। • अंशधारकों की अंशदान की दर 4% निश्चित की गई है, जिसमें नियोक्ताओं की हिस्सेदारी 3.25% और कर्मचारियों की हिस्सेदारी 0.75% है। • यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मौसमी कारखानों, चाय या कॉफी के मिश्रण, पैकिंग या पुन: पैकिंग या किसी भी अन्य प्रक्रियाओं में संलग्न कारखानों के लिए प्रयोज्य नहीं है। • विभिन्न लाभों के अतिरिक्त, ESI योजना के तहत आने वाले लाभार्थी, कर्मचारी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (RGSKY) के तहत बेरोजगारी भत्ते के भी हकदार हैं।

5.5. पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम (Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Karyakram)

उद्देश्य
• श्रम कानूनों में सुधार के साथ-साथ उनके अनुपालन में सुधार करना। • भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना। • औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
प्रमुख विशेषताएं

समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल (स्व-प्रमाणन और सुगम अनुपालन के लिए)	यह लगभग 6 लाख इकाइयों को श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number: LIN) आवंटित करेगा और उन्हें 44 श्रम कानूनों में से 16 के लिए ऑनलाइन स्वीकृति दायर करने की अनुमति प्रदान करेगा।
निरीक्षण के लिए इकाइयों (units) के यादृच्छिक चयन हेतु पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना	निरीक्षण के लिए इकाइयों के चयन में मानव विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। निरीक्षण के 72 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)	यह 4.17 करोड़ कर्मचारियों का अपना पोर्टेबल, परेशानी मुक्त और ऐसा भविष्य निधि खाता होगा जिस तक कहीं से भी पहुंचा जा सकता है।
प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना	प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करना। इससे प्रशिक्षुओं को पहले दो वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत लौटाकर मुख्य रूप से निर्माण इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को मदद मिलेगी।
पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्मार्ट कार्ड प्रारम्भ किया गया है, जिसमें दो और सामाजिक

	सुरक्षा योजनाओं (आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना) के विवरण को सम्मिलित किया जाएगा।

5.6. प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana: PMRPY)

उद्देश्य

- रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और
- श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EFPO) के साथ पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान लाभ प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- प्रतिष्ठानों के पास एक वैध **श्रम पहचान संख्या (LIN)** होनी चाहिए।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना के तहत, सरकार EPFO के साथ पंजीकृत नए कर्मचारियों के संबंध में सभी क्षेत्रों के नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए किए जाने वाले 12% अंशदान का भुगतान कर रही है। अर्थात् इसके तहत EPF एवं EPS के लिए नियोक्ताओं को भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि, इसमें 3 वर्षों की अवधि के लिए केवल वे कर्मचारी ही शामिल किए जाएंगे जो 1 अप्रैल 2016 के बाद EPFO में पंजीकृत हुए हैं और जिनका वेतन 15,000 प्रति माह तक है।
- इसका क्रियान्वयन **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के क्रियान्वयन में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था को ऑनलाइन तथा आधार (AADHAR) आधारित बनाया गया है।
- PMRPY के कारण दोहरा लाभ प्राप्त हो रहा है-
  - 12% EPF के भुगतान से नियोक्ता कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।
  - ऐसे प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं।

5.7. बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की योजना (Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers)

उद्देश्य

- मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करना।
- मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को आर्थिक सहायता और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना के अंतर्गत मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी **1 लाख रुपये;**
  - महिलाओं और बच्चों जैसे विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए **2 लाख रुपये;** तथा
  - दिव्यांगों, तस्करी एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं एवं बच्चों और ट्रांसजेंडर जैसे सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर स्थित व्यक्तियों को (या ऐसी परिस्थितियों में, जहां जिलाधिकारी इसे उपयुक्त मानते हो) **3 लाख रुपये।**
- प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर **बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि** (Bonded Labour Rehabilitation Fund):
  - यह योजना प्रत्येक राज्य द्वारा कम से कम 10 लाख रुपये के स्थायी कोष के साथ जिला स्तर पर **बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि** (Bonded Labour Rehabilitation Fund) के निर्माण का प्रावधान करती है।
  - बंधुआ मजदूरी करवाने के मुख्य आरोपियों की दोषसिद्धि पर उनसे प्राप्त किये गए सम्पूर्ण अर्थदंड को इस विशेष कोष में जमा किया जा सकता है।
  - इस निधि का उपयोग बंधुआ मजदूरों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

© Vision IAS

- केंद्र सरकार पुनर्वास के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इसके अंतर्गत जिला प्रशासन को यह शक्ति दी गयी है कि स्वतंत्र और मुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके घर या अन्य आवासीय परिसर जिसमें वह रह रहा/रही हो, बेदखल नहीं किया जाएगा।
- पुनर्वास सहायता की राशि को आरोपी की दोषसिद्धि से जोड़ा गया है। हालांकि, जिला प्रशासन द्वारा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर को 20,000/- रुपये तक की तत्काल सहायता प्रदान की जा सकती है, भले ही दोषसिद्धि की कार्यवाही की स्थिति कुछ भी हो।

5.8. राष्ट्रीय करियर सेवा (National Career Service: NCS)

उद्देश्य

नौकरी तलाशने वालों एवं नौकरी देने वालों के मध्य तथा करियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की मांग करने वालों व परामर्श एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वालों के मध्य व्याप्त अंतराल को दूर करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली विविध रोजगार संबंधी सेवाओं जैसे कि रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक निर्देशन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों के बारे में सूचना इत्यादि उपलब्ध कराने कार्य करता है। यह राष्ट्रीय रोजगार सेवा का उन्नत रूप है।
- **नेशनल करियर सर्विस पोर्टल:** यह पोर्टल बेरोजगार लोगों को रोजगार ढूंढने में मदद करने के लिए आरंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से नौकरी खोजने वाले लोग नौकरी खोज सकते हैं तथा नियोक्ता भी कर्मचारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है जिससे कि उन्हें नौकरी के अवसर मिल पाए। इस पोर्टल की खास बात यह है कि इसके माध्यम से सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार की नौकरियां प्राप्त की जा सकती हैं।

5.9. प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (PM Shram-Yogi Maandhan Yojana: PMSYM)

उद्देश्य

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- असंगठित क्षेत्र के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और **जिनकी आयु प्रवेश के समय 18 से 40 वर्ष** है, इस योजना हेतु पात्र हैं।
- वे **नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होने चाहिए।
- इसके अतिरिक्त वे आयकर दाता नहीं होने चाहिए।

प्रमुख विशेषताएं

50:50 आधार पर एक स्वैच्छिक अंशदान पेंशन योजना	• इसमें लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु-विशिष्ट अंशदान किया जाएगा और उतना ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा। • **श्रमिकों का मासिक अंशदान आवेदक की आयु के अनुसार परिवर्तित होगा।**
पेंशन	• 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् **3,000 रुपये प्रति माह** की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। • पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही लागू होगी।
पेंशन प्राप्त करने के दौरान मृत्यु की स्थिति में प्रावधान	• **60 वर्ष से पहले मृत्यु की स्थिति में** उसके पति/पत्नी नियमित रूप से अंशदान का भुगतान करते हुए योजना में सम्मिलित होकर उसे जारी रखने या प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने के अधिकारी होंगे। • **पेंशन प्राप्त करने के दौरान मृत्यु की स्थिति में,** पति/पत्नी को लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा।

5.10. व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना) {National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana)}

उद्देश्य

इस योजना के अंतर्गत **लघु व्यापारियों को मासिक न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन** प्रदान की जाएगी अर्थात् स्वरोजगार व्यापारियों और दुकानदारों, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट्स, रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, छोटे होटलों एवं रेस्त्रां के मालिक तथा अन्य लघु व्यापारी।

प्रमुख विशेषताएँ

यह योजना **प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना** का विस्तार है।

स्वैच्छिक और अंशदान आधारित केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना	इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा 60 वर्ष की आयु तक 50% मासिक योगदान करना होगा, वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी समान राशि का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के समय उनकी आयु के आधार पर यह राशि भिन्न-भिन्न हो सकती है।
अपेक्षित लाभार्थी	• 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यापारी। • वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक न हो। • लाभार्थी के नाम पर एक बचत बैंक खाता और आधार संख्या होना चाहिए। • अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) / कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) / राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) / प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (PMSYM) आदि के अंतर्गत शामिल कोई व्यक्ति या आयकर दाता इस योजना हेतु पात्र नहीं है।
न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन	अभिदाता 60 वर्ष की आयु के उपरांत, न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
कार्यान्वयन	• केंद्र सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा प्रशासित होने वाली एक **पेंशन निधि** की स्थापना करेगी। • योजना में नामांकन सामान्य सुविधा केंद्रों (Common Service Centres) के माध्यम से किया जाता है, जो देश भर में 3.50 लाख केंद्रों के नेटवर्क के रूप में विस्तारित हैं।
सेवानिवृत्ति (superannuation) आयु से पूर्व लाभार्थी की स्थायी निःशक्तता	सेवानिवृत्ति (superannuation) आयु से पूर्व लाभार्थी की स्थायी निःशक्तता के मामले में, उसका **जीवनसाथी परिदाय अवधि (loan tenure) पूरी होने तक शेष राशि का भुगतान करके** योजना को जारी रख सकता है। यदि कोई जीवनसाथी नहीं है, तो लाभार्थी को ब्याज के साथ कुल अंशदान का भुगतान किया जाएगा।
सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व लाभार्थी की मृत्यु	पति या पत्नी को नियमित अंशदान के भुगतान द्वारा योजना को जारी रखने का अधिकार होगा या संचित ब्याज के साथ लाभार्थी का अंशदान प्राप्त करके योजना से बाहर निकलने का भी अधिकार होगा।
सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु	पति या पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशनभोगी और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के उपरांत, फंड को वापस नोडल एजेंसी में जमा किया जाएगा।

5.11. विविध योजनाएं (Miscellaneous Schemes)

समाधान (औद्योगिक विवादों की निगरानी, निस्तारण और निपटान के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग) पोर्टल {Samadhan (Software Application for Monitoring and Disposal, Handling of Industrial Disputes) Portal}

© Vision IAS

- यह **औद्योगिक विवादों के समाधान, मध्यस्थता और अधिनिर्णयन** हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल है।
- यह सरकार, उद्योग और श्रमिकों तथा औद्योगिक विवादों में शामिल सभी हितधारकों को एकल एवं एकीकृत मंच प्रदान करता है।
- यदि किसी विवाद को ऑनलाइन दर्ज करने के 45 दिनों के भीतर भी उस पर कार्रवाई आरम्भ नहीं की जाती है, तो श्रमिकों के पास सीधे **श्रम न्यायालय** में जाने का विकल्प होता है। इस प्रकार, यह विवाद निपटान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-सीमा अधिरोपित करता है, जो कि वर्तमान में विद्यमान नहीं थी।

डिजी सक्षम

- यह एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित युग में आवश्यक **डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना** है।
  - यह **माइक्रोसॉफ्ट इंडिया** के साथ श्रम मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।
- पहले वर्ष में तीन लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ-साथ **उन्नत कंप्यूटिंग** सहित डिजिटल कौशल में **मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।**
- नौकरी के इच्छुक **राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS)** पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- **इसके तहत वंचित समुदायों से संबंधित अर्ध-शहरी क्षेत्रों के नौकरी चाहने वालों** को प्राथमिकता दी जाती है।

ई-श्रम पोर्टल

- यह **असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW)** है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण (वर्ष 2018-19) के अनुसार, **भारत में कुल कार्यबल का 93% असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।**
- ये **अक्सर पेंशन, बीमा आदि जैसे किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित** होते हैं।

मुख्य विशेषताएं

- सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे पीएम-श्रम योगी मान-धन योजना) का लाभ प्रदान करने सभी पंजीकृत श्रमिकों को **सार्वभौमिक खाता नंबर या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा।**
- इसके तहत **मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये** और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवर प्रदान किया जाता है।\
- यह डेटाबेस अधिकारियों के लिए असंगठित श्रमिकों को ट्रैक करने और **उन तक पहुंचने एवं संकट के दौरान उन्हें राहत प्रदान करने के लिए एक संदर्भ बिंदु** के रूप में काम करेगा।
  - असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार असंगठित क्षेत्र को एक ऐसे उपक्रम, जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति अथवा स्वनियोजित कामगार के पास हो और जो किसी वस्तु के उत्पादन अथवा विक्रय में नियोजित हो अथवा जो किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता हो और जहाँ कोई उपक्रम किसी कामगार को नियोजित करता हो और ऐसे कामगारों की संख्या 10 से कम हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

6. विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)

6.1. नि:शुल्क विधिक सहायता (Pro Bono Legal Service)

उद्देश्य

- **अधिवक्ताओं और विधिक पेशेवरों** को प्रो बोनो लीगल सर्विस (सार्वजानिक हित में नि:शुल्क एवं स्वैच्छिक विधिक सेवा) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण जानकारी को संग्रहित कर एक डेटाबेस का निर्माण करना है, ताकि प्रासंगिक क्षेत्र में आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होने पर इनका प्रयोग किया जा सके।

प्रमुख विशेषताएं

- यह एक **वेब आधारित प्लेटफ़ॉर्म** है, जिसके माध्यम से वंचित वर्गों के याचिकाकर्ताओं (जो खर्च वहन करने में असमर्थ हैं) को स्वैच्छिक रूप से नि:शुल्क सेवा प्रदान करने के लिए इच्छुक अधिवक्ता स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं।
- इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से **हाशिये पर स्थित समुदाय के वादी (litigants) नि:शुल्क सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं से विधिक सहायता और परामर्श प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।**

6.2. न्याय मित्र (Nyaya Mitra)

उद्देश्य

10 से अधिक वर्षों से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए चयनित जिलों में **लंबित मामलों की संख्या को कम करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- इस परियोजना को **"न्याय मित्र"** के रूप में नामित एक सेवानिवृत्त न्यायिक या कार्यकारी अधिकारी (जिसके पास विधिक अनुभव हो) के माध्यम से कार्यात्मक बनाया जाएगा। यह परियोजना सामान्य सेवा केंद्रों (Common Service Centres: CSC) में स्थित जिला सुविधा केंद्रों के माध्यम से परिचालित की जाएगी।
- अन्य उत्तरदायित्वों के साथ ही जाँच और सुनवाई में विलंब होने से प्रभावित होने वाले वादियों (litigants) को विधिक सहायता प्रदान करना न्याय मित्र के उत्तरदायित्वों में शामिल होगा। इसके लिए वह नेशनल जूडिशल डाटा ग्रिड के माध्यम से ऐसे वादों की सक्रियता से पहचान करेगा, विधिक परामर्श प्रदान करेगा तथा वादियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सामान्य सेवा केन्द्र टेली लॉ (CSC Tele Law) एवं अन्य सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों से जोड़ेगा।
- न्याय मित्र हाशिये पर स्थित समुदाय के आवेदकों को विवाद समाधान हेतु लोक अदालतों के लिए संदर्भित करेगा, तथा जिला न्यायपालिका और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में जिले के अंतर्गत जेल सुधारों में भी सहायता प्रदान करेगा।

6.3. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट (e-Courts Integrated Mission Mode Project)

- यह देश के उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लागू **ई-गवर्नेंस परियोजनाओं** में से एक है।
- इस परियोजना की परिकल्पना **'भारतीय न्यायपालिका में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना-2005'** {National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology (ICT) in the Indian Judiciary – 2005} नामक रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
- यह पोर्टल याचिकाकर्ताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं, जैसे- केस पंजीकरण, केस की सूची (Cause List), मामले की स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय का विवरण उपलब्ध कराता है।

© Vision IAS

टेली-लॉ इनिशिएटिव (Tele-Law Initiative)

- यह एक पोर्टल है, जिसका शुभारम्भ हाशिये पर स्थित समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक कानूनी सहायता की पहुँच को सुलभ बनाने के लिए किया गया है।
- इसका उद्देश्य **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA)** में नियुक्त अधिवक्ताओं के विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह देने की सुविधा प्रदान करना है।
- यह CSC नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। यह लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों से कानूनी परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- प्रत्येक CSC एक **पैरा लीगल वालंटियर** (PLV) को संलग्न करेगा, जो ग्रामीण नागरिकों के लिए संपर्क का प्रथम बिंदु होगा।

विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (Legal Information Management & Briefing System: LIMBS)

- यह विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा सरकारी विभागों और मंत्रालयों के विभिन्न न्यायालयी मामलों की निगरानी और संचालन के लिए विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है।
- इसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और भारत सरकार के अन्य निकायों द्वारा संचालित; न्यायालयों/अधिकरणों के मामलों से संबंधित जानकारी को एक वेब-आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराना है।
- इस प्रकार के विवादों के समाधान हेतु सरकार हस्तक्षेप करेगी एवं ऑनलाइन विधिक परामर्श प्रदान करेगी।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना

- फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (Fast Track Special Courts: FSTCs) लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय हेतु समर्पित न्यायालय हैं। ये न्यायालय लैंगिक अपराधियों के विरुद्ध निवारक ढांचे को दृढ़ता प्रदान करते हैं।
    - **बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (The Protection of Children from Sexual Offences: POCSO) अधिनियम, 2012** के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु FSTC को **दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018** के तहत स्थापित किया गया था।
    - इस उद्देश्य के लिए कुल 1023 **FSTC** स्थापित किए गए थे। इनमें से **389 FSTCs** विशेष रूप से POCSO अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई पर केंद्रित हैं।
    - प्रत्येक **FSTC में एक न्यायिक सदस्य और सात अन्य सदस्य** होते हैं।
    - FSTC की **स्थापना** का उत्तरदायित्व **राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों** का है।
        - वर्तमान में **28 राज्य इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। पात्र सभी 31 राज्यों को शामिल करने के लिए** इस योजना का विस्तार प्रस्तावित है।

हालिया परिवर्तन: इस योजना को 1572.86 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ **01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक आगामी 2 वर्षों के लिए विस्तार प्रदान किया** गया है।

- इस योजना के लिए **केंद्र का हिस्सा (971.70 करोड़ रुपये) निर्भया कोष** से प्रदान किया जाएगा।
- **'निर्भया फंड फ्रेमवर्क'** महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गैर-व्यपगत समग्र कोष (non-lapsable corpus fund) प्रदान करता है। यह कोष **आर्थिक कार्य विभाग** द्वारा प्रशासित है।

कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल का प्रवर्तन (Enforcing Contracts Portal)

- न्याय विभाग द्वारा आरंभ किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य देश में **व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है।**
    - पोर्टल के **"अनुबंध प्रवर्तन" मापदंडों** (इस संबंध में भारत वर्ष 2019 की रैंकिंग में 163वें स्थान पर था) पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित सूचना का समग्र स्रोत बनने की कल्पना की गई है।
    - यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के **समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों पर नवीनतम जानकारी तक सुगम पहुंच** प्रदान करेगा।
    - पोर्टल तत्काल **संदर्भ के लिए वाणिज्यिक कानूनों के भंडार तक पहुंच** प्रदान करता है।

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises: MSME)

7.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme for MSMEs)*

उद्देश्य

- विनिर्माण और सेवा उद्यमों, दोनों में **उत्पादकता बढ़ाना।**
- अर्थव्यवस्था में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को GST में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना,** जिसके परिणामस्वरूप MSMEs को दिए जाने वाले ऋण की लागत में कमी हो सके।

प्रमुख विशेषताएं

- यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है।
- यह योजना अपनी वैधता की अवधि के दौरान वैध **उद्योग आधार संख्या (Udyog Aadhar Number: UAN)** वाले सभी **GST पंजीकृत MSMEs** के लिए नए और वृद्धिशील ऋण पर **2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करती है।**
    - राज्य/केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत पहले से ही ब्याज अनुदान प्राप्त करने वाले MSMEs प्रस्तावित योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
- योजना का **कवरेज 100 लाख रुपये तक के सभी मीयादी ऋण/कार्यशील पूंजी तक सीमित** है।
- दावा दायर करने की तिथि पर ऋण खातों को मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार **गैर निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Asset: NPA) घोषित किया हुआ नहीं** होना चाहिए।
- उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा, जिसके दौरान खाता NPA बना रहता है।
- **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी/SIDBI)** विभिन्न उधार संस्थानों को ब्याज अनुदान को निर्देशित करने के उद्देश्य से **नोडल एजेंसी** है।
- मीयादी ऋण या कार्यशील पूंजी को **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए।

हाल ही में हुए बदलाव:

योजना की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

पात्र संस्थानों द्वारा दिए गए अर्ध—वर्ष के लिए विभिन्न समूहों में दावों की स्वीकृति की अनुमति है।

GST हेतु पात्र इकाइयों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। जिन इकाइयों को GST प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है वे या तो आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN) जमा कर सकते हैं या उनके ऋण खाते को संबंधित बैंक द्वारा MSME के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

UAN के बिना भी इस योजना के तहत व्यापारिक गतिविधियों को कवर करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मीयादी ऋण (टर्म लोन) या कार्यशील पूंजी को सहकारी बैंकों द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है {पहले केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा पंजीकृत व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर—बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को ही ऋण या कार्यशील पूंजी का विस्तार करने की अनुमति थी}।

7.2. शहद मिशन (Honey Mission)

उद्देश्य

- मधुमक्खी पालन में कौशल विकास के लिए आद्योपान्त (एंड टू एंड) कार्यान्वयन संबंधी संरचना का सृजन करना, जो ग्रामीण और शहरी

बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करे।
- उत्तम मधुमक्खी पालन प्रथाओं (GPB) के राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों को लागू करना।
- गुणवत्तापूर्ण दक्ष प्रशिक्षकों का एक नेटवर्क विकसित करना।
- मधुमक्खी के छत्ते द्वारा निर्मित उत्पादों हेतु विदेशी बाजार तक पहुँच प्रदान करना।
- ऋण के संयोजन द्वारा आरम्भिक मधुमक्खी पालनकर्ताओं से व्यवहार्य वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन के मार्ग को सक्षम बनाना।
- भारत में मधुमक्खी पालन के सभी हितधारकों के बीच अभिसरण और समन्वय को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री के आह्वान पर 'स्वीट रिवॉल्यूशन' ('मीठी क्रांति') के लिए 'शहद मिशन' को अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) मधुमक्खी पालन करने वालों को मधुमक्खी के निवास स्थान के परीक्षण, मधुमक्खी का भक्षण करने वाले कीटों व मधुमक्खियों में होने वाले रोगों की पहचान तथा प्रबंधन, शहद निष्कर्षण और मोम शोधन आदि के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- KVIC प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की केन्द्रीय एजेंसी है, जो शहद के संबंध में प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लेबल लगाने वाली इकाइयों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान करती है।

नोट: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत शहद एक लघु वनोपज (MFP) है।

7.3. ऋण से संबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना (Credit Linked Capital Subsidy Scheme)

उद्देश्य

- **इस योजना के तहत अनुमोदित विशिष्ट उप-क्षेत्र/ उत्पादों से संबंधित आवश्यक प्रौद्योगिकियों (सुस्थापित एवं प्रमाणित) को अपनाए जाने हेतु संस्थागत वित्त प्रदान कर** MSEs को प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी - टेक्नोलॉजी अप-ग्रेडेशन (CLCS-TUS)** योजना का एक घटक है।

यह एक मांग–संचालित योजना है जिसमें सब्सिडी संवितरण संबंधी समग्र वार्षिक व्यय पर ऊपरी सीमा आरोपित नहीं की गई है।

यह योजना लघु, खादी, ग्रामीण और कॉयर उद्योग सहित 51 उप–क्षेत्रों में MSMEs इकाइयों को 1 करोड़ रुपये तक के संस्थागत ऋण पर 15 प्रतिशत की अग्रिम सब्सिडी प्रदान करती है।

SC–ST उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की गई है, जबकि 117 'आकांक्षी' जिलों, पहाड़ी राज्यों और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

यह योजना सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित MSME के योगदान में वृद्धि करने के साथ–साथ इस क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा देगी।

इसमें बेहतर पैकेजिंग तकनीक के साथ–साथ प्रदूषण–रोधी उपाय, ऊर्जा संरक्षण मशीनरी, इन–हाउस परीक्षण और ऑन–लाइन आधार पर गुणवत्ता नियंत्रण करना भी शामिल है।

इस योजना को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा MSEs को प्राप्त होने वाले सावधि ऋण से भी संबद्ध किया गया है। इसे SIDBI और NABARD सहित 12 नोडल बैंकों/एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

CLCSS के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, पात्र MSEs को उस प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (PLIs) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता होती है, जिसके तहत MSEs द्वारा प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए सावधि ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

7.4. शून्य दोष एवं शून्य प्रभाव योजना (Zero Defect and Zero Effect Scheme: ZED)

उद्देश्य

- निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर भारत में **'शून्य दोष एवं शून्य प्रभाव' (ZED) संस्कृति** को विकसित एवं कार्यान्वित करना:
    - **शून्य दोष (ग्राहक केंद्रित):** शून्य गैर-समनुरूपता/ गैर-अनुपालन और शून्य अपशिष्ट।
    - **शून्य प्रभाव (समाज केंद्रित):** शून्य वायु प्रदूषण/तरल निस्सरण (ZLD)/ ठोस अपशिष्ट और प्राकृतिक संसाधनों का शून्य अपव्यय।
- **भारतीय उद्योग की उन्नति** को वैश्विक बाजार में अग्रणी स्थिति में लाना और भारत को 'मेड इन इंडिया' पहचान के माध्यम से वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने में सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएँ

रेटिंग	• **ZED परिपक्वता आकलन मॉडल** (Maturity Assessment Model) के तहत ZED रेटिंग के लिए 50 मापदंड और ZED रक्षा रेटिंग के लिए अतिरिक्त रूप से 25 मानदंडों का प्रावधान किया गया है।
वित्तीय सहायता	• **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को ZED प्रमाणन के लिए की जाने वाली गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यथा- आकलन/रेटिंग, रक्षा आयाम के लिए अतिरिक्त रेटिंग, अंतराल विश्लेषण, हैंड होल्डिंग, आदि।
अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों /महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान	• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी **क्रमशः 80%, 60% और 50%** होगी। मूल्यांकन और रेटिंग/पुनः-रेटिंग/अंतराल विश्लेषण/हैंड होल्डिंग के लिए **पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में स्थित MSMEs और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs के लिए 5% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी।**
निगरानी	• ZED योजना एक कार्यक्रम निगरानी और सलाहकार समिति (Programme Monitoring and Advisory Committee: PMAC) द्वारा अभिशासित की जा रही है, जो उसे समग्र मार्गदर्शन और दिशानिर्देश प्रदान करती है। • राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (National Monitoring and Implementing Unit: NMIU) देश भर में इस योजना को सुगम बनाने, कार्यान्वित और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी।

शून्य दोष शून्य प्रभाव (जीरो डिफेक्ट जीरो इफ़ेक्ट: ZED) प्रमाणन योजना

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने **एक संशोधित ZED प्रमाणन योजना शुरू की है।** इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
    - भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, और
    - उन्हें पूंजी तक आसान पहुंच प्राप्त करने में मदद करना है।
- **ZED प्रमाणन की लागत पर** MSME को निम्नलिखित संरचना के अनुसार सब्सिडी मिलेगी:
    - सूक्ष्म उद्यम: 80 प्रतिशत ,
    - लघु उद्यम: 60 प्रतिशत तथा
    - मध्यम उद्यम: 50 प्रतिशत।
- इस योजना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र/ हिमालयी/ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (LWE) क्षेत्रों/ द्वीपीय क्षेत्रों/ आकांक्षी जिलों में महिलाओं/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों या MSMEs के लिए **अतिरिक्त सब्सिडी** का भी प्रावधान किया गया है।
- यह योजना **विनिर्माण (प्रथम चरण) और सेवा क्षेत्र (द्वितीय चरण) दोनों** को कवर करेगी।
- ZED प्रमाणन योजना मूल रूप से **वर्ष 2016 में आरंभ** की गई थी।

 © Vision IAS

7.5. सौर चरखा मिशन (Solar Charakha Mission)

उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में सौर चरखा क्लस्टरों के माध्यम से विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए रोज़गार सृजन द्वारा **समावेशी संवृद्धि** एवं **संधारणीय विकास** सुनिश्चित करना।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** देना और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर **हो रहे पलायन को रोकने** में सहायता करना।
- आजीविका संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु **निम्न लागत की अभिनव प्रौद्योगिकियों** और प्रक्रियाओं का लाभ उठाना।

प्रमुख विशेषताएं

यह ग्रामीण लोगों को बुनाई/कताई में प्रशिक्षित करने हेतु एक रोज़गार सर्जक कार्यक्रम है।

- इस मिशन के तहत 50 क्लस्टरों को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2,000 बुनकरों को रोज़गार प्रदान करेगा। - **खादी और ग्रामोद्योग आयोग** (KVIC) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। - करघे और धुरियाँ (spindles) पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होंगे।	- **सौर चरखा इकाइयों को ग्रामोद्योग** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	- इस योजना में तीन प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं– • व्यक्ति और विशेष प्रयोजन साधन (SPV) के लिए पूंजीगत सब्सिडी। • कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज अनुदान। • क्षमता निर्माण।

7.6. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PM Employment Generation Programme: PMEGP)

उद्देश्य

- गैर-कृषि क्षेत्र में नवीन स्वरोजगार उद्यमों/ परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सतत व स्थायी **रोज़गार के अवसर सृजित करना।**
- देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों तथा ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े हिस्से को सतत व स्थायी रोज़गार प्रदान करना, ताकि ग्रामीण युवाओं के **शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोकने में सहायता प्राप्त हो सके।**
- कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ाना तथा ग्रामीण और शहरी रोज़गार की दर में वृद्धि करना।
- सूक्ष्म क्षेत्र में उच्च ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु **वित्तीय संस्थानों की भागीदारी** को सुविधाजनक बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना को वर्ष 2008 में आरंभ किया गया था।

ऋण से संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम	• यह एक ऋण से संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसे प्रधान मंत्री रोज़गार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (REGP) नामक दो योजनाओं के विलय द्वारा सृजित किया गया है।
पात्रता	• 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति। • विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजना के लिए न्यूनतम योग्यता **आठवीं**

	कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। • स्वयं सहायता समूह और धर्मार्थ ट्रस्ट। • सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान। • उत्पादन आधारित सहकारी समितियां।
लाभ	• इस योजना के तहत, लाभार्थी **विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक का ऋण** प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यान्वयन कर्ता	• राष्ट्रीय स्तर पर **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** तथा • राज्य स्तर पर राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), जिला उद्योग केंद्र (DIC) और बैंक।
सुभेद्य वर्ग के लिए विशेष प्रावधान	• ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, NER आवेदकों के लिए सब्सिडी की उच्च दर (25-35 प्रतिशत) लागू होगी।
सहायक की प्रकृति	• योजना के अंतर्गत **सहायता केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए ही उपलब्ध** है। • मौजूदा इकाइयां या ऐसी इकाइयां, जिन्होंने पहले से ही राज्य/केंद्रीय सरकार के अधीन सहायता या सब्सिडी के रूप में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किया है, इसके तहत पात्र नहीं हैं। • **प्रति व्यक्ति निवेश,** मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। • प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
सरकारी सब्सिडी का KVIC द्वारा वितरण	• इस योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी को KVIC द्वारा चिन्हित बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों/उद्यमियों को उनके बैंक खातों में वितरित किया जाता है।
लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मानदंड	• **योजना के लक्ष्यों** को राज्य के पिछड़ेपन का स्तर; बेरोजगारी का स्तर; विगत वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति का स्तर; राज्य / संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या तथा पारंपरिक कौशल और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। • समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए देश के सभी जिलों को **75 परियोजनाओं/जिले का न्यूनतम लक्ष्य** प्रदान किया जाता है।

7.7. MSME इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) {Msme Innovative Scheme (Incubation, Design and IPR)}

उद्देश्य

- इनक्यूबेशन और डिजाइन हस्तक्षेपों के माध्यम से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विचारों को विकसित करने से लेकर अभिनव अनुप्रयोगों में सभी प्रकार के नवाचारों को बढ़ावा देना।
- उद्योग, शिक्षाविदों, सरकारी संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि के बीच ज्ञान साझाकरण और सहयोग के माध्यम से नवाचार तथा समस्याओं के रचनात्मक समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- ऐसे वहनीय/किफायती नवाचारों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना जो बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करने के साथ-साथ वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य और संधारणीय भी हों।
- बाजार में अवधारणा के विकास, डिजाइन प्रतिस्पर्धात्मकता और MSME क्षेत्र की बौद्धिक रचनाओं के संरक्षण तथा व्यावसायीकरण के लिए उपयुक्त सुविधाएं और समर्थन प्रदान करना।
- नए उत्पाद विकास को प्रोत्साहित और आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए औद्योगिक/अकादमिक नेतृत्व और नवोन्मेषकों के बीच एक संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करना।

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं	
नवाचार गतिविधियों के लिए हब	• यह योजना **इन्क्यूबेशन में नवाचार, डिजाइन संबंधी हस्तक्षेप** और **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के संरक्षण को एक साथ शामिल करने वाले** एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत के नवाचार के बारे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के बीच जागरूकता का प्रसार करना और उन्हें **MSME चैंपियन** बनने के लिए प्रेरित करना है। 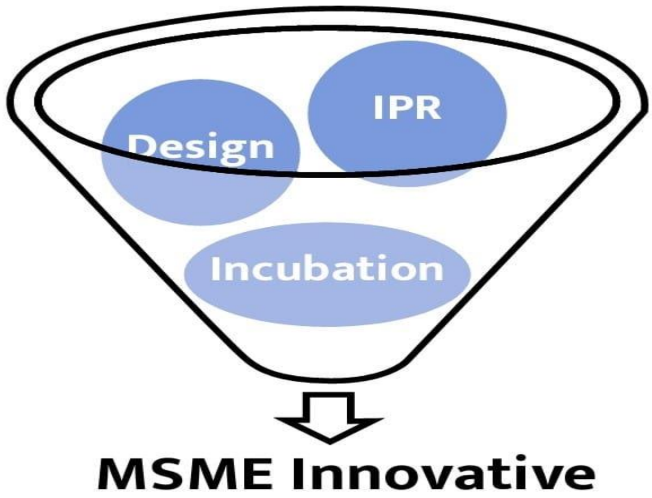 ○ **चैंपियन (CHAMPIONS)** का आशय "उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग" (Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength) से है। ▪ इसका लक्ष्य मूलतः लघु इकाइयों को विशेष रूप से उनकी समस्याओं और शिकायतों का समाधान करने में मदद और मार्गदर्शन प्रदान करके बड़ी इकाई बनाना है।
इक्विटी संबंधी सहायता	• सभी तीन उप-योजनाओं में विचारों, डिजाइनों और पेटेंटों के व्यावसायीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त MSME को और बढ़ने में मदद करने के लिए आगे भी सहायता प्रदान की जाएगी। • इक्विटी सहायता **80:20 तक के अनुपात में प्रदान की जाएगी।** इसमें भारत सरकार द्वारा अधिकतम 80% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। • इसके लिए **सिडबी द्वारा** फंड मैनेजर के रूप में एक अलग फंड सृजित और **प्रबंधित** किया जाएगा।
तीन उप-योजनाओं की निरंतरता	• इन्क्यूबेशन, डिजाइन और IPR की **पूर्ववर्ती तीन योजनाएं** भी **अलग-अलग कार्यक्रमों के रूप में कार्य करती रहेंगी।**

उप-योजनाएं (Sub-schemes)

इन्क्यूबेशन	• **उद्देश्य:** MSMEs में **अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना** और उन्हें सहायता पहुँचाना; **नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए** प्रोत्साहित करना। • **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक **इनोवेटिव विचार के लिए 15 लाख रुपये** और उससे **संबंधित संयंत्र और मशीनों के लिए एक करोड़** रुपये प्रदान किए जाएंगे।
डिजाइन	• **उद्देश्य: निम्नलिखित के लिए रियल टाइम आधारित** डिजाइन संबंधी समस्याओं पर **विशेषज्ञ सलाह और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना:** ○ नए उत्पादों का विकास करने के लिए, ○ इन उत्पादों में निरंतर सुधार लाने के लिए, ○ मौजूदा और नए उत्पादों में मूल्यवर्धन करने के लिए। • **वित्तीय सहायता:** डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये और स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे • IISc बैंगलोर, IIT, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, आदि भागीदार संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे।
बौद्धिक संपदा अधिकार	• **उद्देश्य:** MSMEs के बीच IPRs के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए, भारत में IP संस्कृति में सुधार करना।

(IPR)	• साथ ही, इसका उद्देश्य MSMEs द्वारा **विकसित विचारों, तकनीकी नवाचार और ज्ञान-संचालित व्यवसाय संबंधी रणनीतियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय** करना है। • इसके तहत विदेशी पेटेंट, घरेलू पेटेंट, भौगोलिक संकेतक (GI) पंजीकरण आदि के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।

7.8. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

ग्रामोद्योग विकास योजना (Gramodyog Vikas Yojana)

- यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने **'खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन'** प्रारंभ किया है।
- इस मिशन का उद्देश्य **घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में वृद्धि करते हुए बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करना** है।
- योजना को **खादी और ग्रामोद्योग आयोग** (KVIC) द्वारा **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) तंत्र** पर तैयार किया गया है।
- शुरुआत में इस कार्यक्रम के भाग के रूप में **चार प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी,** जिनमें से एक का पूर्वोत्तर में होना भी शामिल है।
- कारीगरों के प्रत्येक लक्षित समूह को लगभग **50 स्वचालित अगरबत्ती बनाने वाली मशीनों और 10 मिश्रण करने वाली मशीनों (mixing machines)** की सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसी प्रकार से, कुल 200 स्वचालित अगरबत्ती बनाने वाली मशीनें और 40 मिश्रण करने वाली मशीनें कारीगरों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
- KVIC मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करेगा और लागत का शेष 75% कारीगरों से मासिक किश्तों में वसूल करेगा। इसे **'ग्रामोद्योग विकास योजना'** के तहत अगरबत्ती के निर्माण और ग्रामोद्योग को विकसित करने में शामिल कारीगरों के लाभ के लिए अनुमोदित किया गया था।
- **नोट:** इससे पूर्व केंद्र सरकार ने आयात नीति में अगरबत्ती मद को **"मुक्त" व्यापार से "प्रतिबंधित' व्यापार" की श्रेणी में** रखा था। साथ ही, घरेलू उद्योग के लाभ हेतु अगरबत्ती के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली 'गोल बांस की छड़ों' पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है।

पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष योजना (स्फूर्ति) (A Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries: SFURTI)

- यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- इसे वर्ष 2005 में **पारंपरिक उद्योगों {खादी, कॉयर और ग्रामोद्योग} के क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए** प्रारंभ किया गया था।
  - **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC),** खादी और ग्रामोद्योग क्लस्टरों के लिए एक नोडल एजेंसी (NA) है।
  - कॉयर (नारियल के रेशे) आधारित क्लस्टरों के लिए **कॉयर बोर्ड (CB)** एक नोडल एजेंसी (NA) है।
- **उद्देश्य:**
  - देश में **पारंपरिक उद्योगों के क्लस्टर विकसित करना।**
  - **पारंपरिक उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी,** बाजार संचालित, उत्पादक और लाभप्रद बनाना।
  - स्थानीय हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ, उद्योग क्लस्टरों की **स्थानीय शासन प्रणाली को सुदृढ़ करना,** ताकि वे विकासात्मक पहलों के लिए सक्षमकारी बन सकें।
  - नवाचारी और पारंपरिक कौशल, उन्नत प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रक्रिया, मार्केट इंटेलिजेंस और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारित एक नया मॉडल निर्मित करना, ताकि चरणबद्ध रूप में समान प्रतिमानों को क्लस्टर-आधारित पुनर्जीवित पारंपरिक उद्योगों में दोहराया जा सके।

उद्योग आधार ज्ञापन (Udyog Aadhaar Memorandum)

- व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने हेतु।
- यह MSME क्षेत्रों में उद्यमियों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल है।
- पंजीकरण के पश्चात्, उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट उद्योग आधार संख्या (UAN) आवंटित की जाएगी।

© Vision IAS

MSME के कार्यों का विनियमन

- **MSME समाधान (SAMADHAAN) पोर्टल:** इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को अपने विलंबित भुगतान से संबंधित मामलों को प्रत्यक्ष रूप से रजिस्टर करने के लिए सशक्त बनाना है।
- **MSME संबंध (SAMBANDH) पोर्टल:** इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायता प्रदान करना है।
- **MSME संपर्क (SAMPARK) पोर्टल:** यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे रोजगार के इच्छुक (MSME प्रौद्योगिकी केंद्रों के प्रशिक्षु/छात्र) और नियोक्ता परस्पर संबद्ध होते हैं।

एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना) (A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship: ASPIRE)

- उद्यमशीलता को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों, इन्क्यूबेशन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना तथा ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योग में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना।
- **'एस्पायर'** के कुछ परिणाम निम्नलिखित हैं: प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर (TBI), आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर (LBI) और SIDBI के पास इस तरह की पहल के लिए एक फंड ऑफ़ फंड्स का सृजन करना।

'उद्यमी मित्र' पोर्टल

- इसे SIDBI द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ऋण और हैंड होल्डिंग सेवाओं तक सुलभ पहुँच प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया था।
- यह संपर्क रहित ऋण, राज्य/केंद्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ अभिसरण, सह-उधार (co-lending), SIDBI के साथ-साथ MUDRA से उधारदाताओं की व्यापक पूंजी तक आसान पहुँच को सक्षम बनाएगा।
- MSMEs के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाने हेतु अब आधुनिक फिनटेक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्त बैंकों को इस प्लेटफार्म पर जोड़ा जा रहा है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए सिडबी की सहायता (SIDBI Assistance to Facilitate Emergency: SAFE)

- SIDBI द्वारा इस नई योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से MSMEs के विनिर्मित उत्पादों को सहायता प्रदान की जा रही है और साथ ही, कोरोनावायरस का मुकाबला करने हेतु संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- इस योजना के तहत, 48 घंटों के भीतर 5% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- SIDBI के वर्तमान और नए ग्राहक, दोनों बिना संपार्श्विक संपत्ति (जमानत) की आवश्यकता के या तो सावधि ऋण (टर्म लोन) या कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के रूप में 50 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- **कवरेज:** अनुमत दवाओं, सैनिटाइजर, मास्क आदि के उत्पादन या सेवा से संबंधित व्यय को कवर किया गया है। हालांकि, इसके तहत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और वस्तुएं (जो सीधे कोविड-19 से संबंधित नहीं हैं), व्यापारियों आदि को कवर नहीं किया गया है।

8. खान मंत्रालय (Ministry of Mines)

8.1. प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana: PMKKKY)

उद्देश्य

- खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
- खनन के दौरान और उसके पश्चात्, खनन वाले जिलों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करना;
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों हेतु दीर्घकालिक व स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- जिन क्षेत्रों में खुदाई, खनन, विस्फोट, अपशिष्ट निपटान जैसी प्रत्यक्ष गतिविधियाँ संचालित होती हैं, वहां निवास करने वाले तथा इन गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग।
- खनन संबंधी गतिविधियों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों (जैसे- जल, मृदा और वायु की गुणवत्ता में गिरावट आदि) के कारण परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र।
- **भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** के तहत परिभाषित **प्रभावित और विस्थापित व्यक्ति एवं परिवार।**

प्रमुख विशेषताएं

- इसे संबंधित जिलों के **जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs)** के अंतर्गत सृजित पूंजी का उपयोग करके क्रियान्वित किया जाएगा।
  - DMF एक **गैर-लाभकारी ट्रस्ट** हैं, और यह **खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015** द्वारा प्रशासित किया जाता है।
  - इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक खदान धारक को जनवरी, 2015 के पश्चात् खनन पट्टे प्रदान किए जाने पर निधियों के प्रति अपनी रॉयल्टी का 10% योगदान करना होगा।
  - DMF का उद्देश्य 'व्यक्तियों के हित तथा लाभ के अतिरिक्त और खनन-संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्य करना है।'
- अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों में PMKKKY के अंतर्गत लागू की जाने वाली सभी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए **ग्रामसभा की मंजूरी** की आवश्यकता होगी।

8.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

ताम्र (ट्रांसपरेंसी, ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रीसोर्स ऑग्मेन्टेशन) {TAMRA (Transparency, Auction Monitoring and Resource Augmentation)}

© Vision IAS

ताम्र (TAMRA) एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है। इसे उत्खनन कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न **सांविधिक मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाने** के लिए विकसित किया गया है। यह नीलामी में शामिल किये जाने वाले ब्लॉकों के लिए ब्लॉक-वार, राज्यवार और खनिज-वार जानकारी प्रदर्शित करता है।

प्रोजेक्ट सुदूर दृष्टि (Project SUDOOR DRISHTI)

- यह **भारतीय खान ब्यूरो ((Indian Bureau of Mines: IBM)** और **अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र** (National Remote Sensing Centre: NRSC) के मध्य एक समझौता ज्ञापन है।
- **भुवन-आधारित सेवाओं** का उपयोग खनन पट्टे की सीमा के अंतर्गत खनन क्षेत्रों के नियतकालिक परिवर्तनों की निगरानी के लिए किया जाएगा।

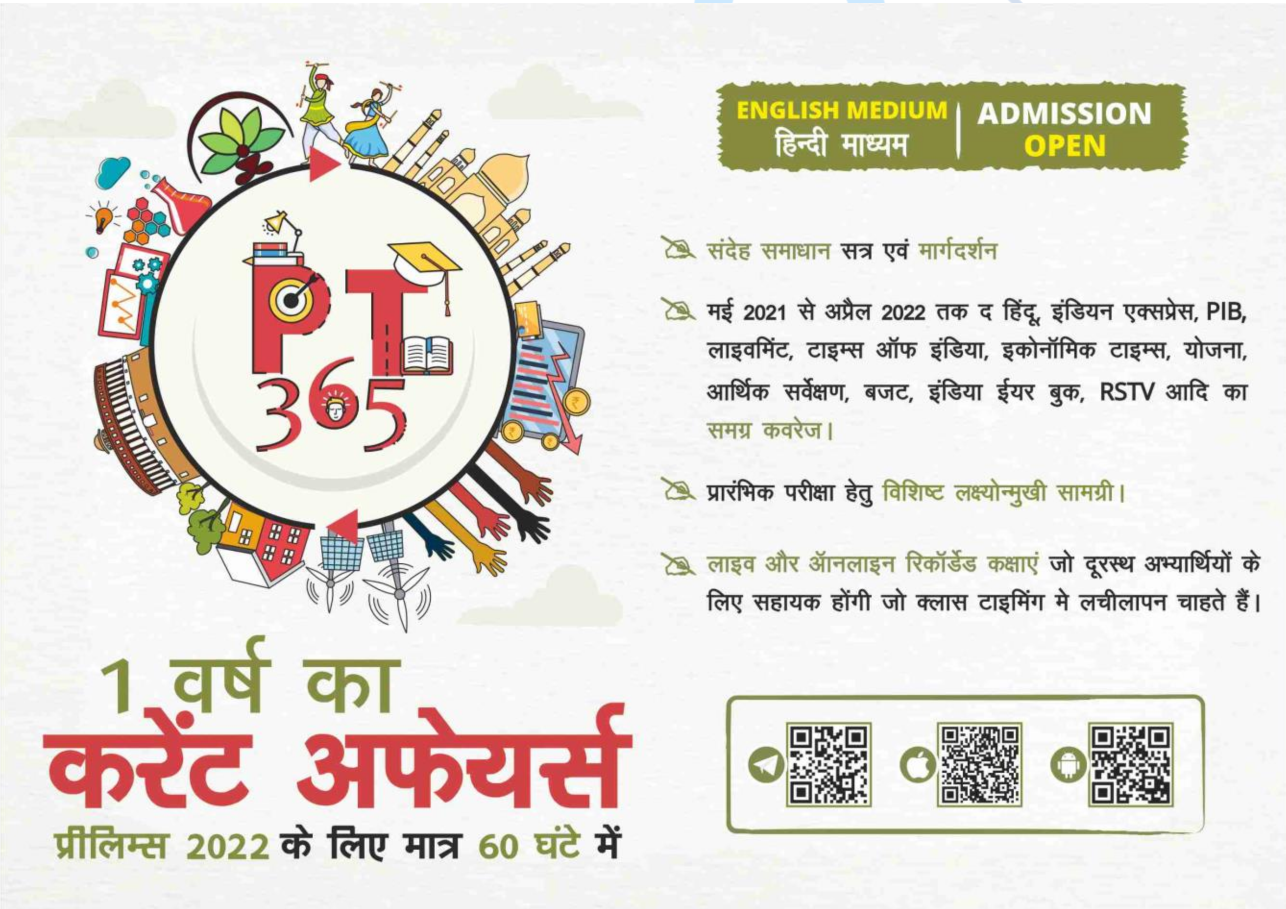

9. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

9.1. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram: PMJVK)

उद्देश्य

चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के **विकास संबंधी पिछड़ेपन को दूर करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- यह **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Multi-sectoral Development Programme : MsDP) का पुनर्संरचित** रूप है, जिसे 2008-09 से क्रियान्वित किया जा रहा था।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित क्षेत्र	• इनकी पहचान 2011 की जनगणना में शामिल अल्पसंख्यक आबादी और सामाजिक-आर्थिक एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव के आधार पर की गई है। इन्हें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के रूप में जाना जाएगा। इसके तहत 870 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (MCB's), 321 अल्पसंख्यक बहुल शहर (MCT's) और 109 अल्पसंख्यक बहुल जिला (MCD's) मुख्यालय जो पिछड़े हैं, की पहचान की गई है।
अवसंरचना में सुधार	• PMJVK, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और देश के शेष हिस्सों के समान चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में व्याप्त असंतुलन को कम करने के लिए अवसंरचना के निर्माण में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन करना जारी रखेगी।
अन्य संगठनों द्वारा परियोजना प्रस्ताव	• कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने और लक्षित लाभार्थियों तक लाभ की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के अलावा **केंद्र सरकार के विभागों/संगठनों**, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उपक्रमों, केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों और **सशस्त्र पुलिस बलों से भी परियोजना के प्रस्तावों को स्वीकार किया जाएगा।**
निधियों का प्रयोजन-विशिष्ट निर्धारण	• PMJVK के तहत 80% संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे, जिनमें से 33% से 40% संसाधन PMJVK के तहत विशेष रूप से महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे।

9.2. साइबर ग्राम (Cyber Gram)

उद्देश्य

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को कंप्यूटर का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, और उन्हें आधारभूत ICT कौशल प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना ताकि उन्हें निम्नलिखित कार्यों हेतु सशक्त बनाया जा सकें:

- डिजिटल रूप से साक्षर बनने हेतु।
- ज्ञान आधारित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु।
- वित्तीय, सामाजिक और सरकारी सेवाओं तक पहुंच हेतु।
- संचार के लिए इंटरनेट का उपयोग करने हेतु।
- 30 घंटे के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर प्रशिक्षित लाभार्थियों के अधिगम (लर्निंग) को सुदृढ़ बनाना।

प्रमुख विशेषताएँ

साइबर ग्राम पहल प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत एक घटक है।

- इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान 75:25 (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) के अनुपात में होगा।
- **सामान्य सेवा केंद्र ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC SPV)** प्रशिक्षण हेतु 39 घंटे का बेसिक कंप्यूटर कांसेप्ट (BCC) पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा।
- इस योजना का उद्देश्य मान्यता प्राप्त मदरसों/स्कूलों (कंप्यूटर शिक्षा सुविधा रहित) में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों (अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित) को शामिल करना है।
- मदरसों/स्कूलों के निकट ग्राम स्तर के उद्यमी/VLEs (कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता वाले) इस पहल की कार्यान्वयन संरचना में निम्नतम स्तर होंगे। ये VLEs इस पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

© Vision IAS

9.3. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (Maulana Azad National Academy for Skills: MANAS)

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य **स्किल इंडिया** के विजन को पूर्ण करना तथा **सबका साथ-सबका विकास** के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- अल्पसंख्यकों को लाभकारी रोजगार/स्व-रोजगार प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

यह एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल और एक अभिनव योजना (समुदाय के कर्ज को चुकाने जैसी) है।

इसके अंतर्गत **विभिन्न कौशल समूहों में अग्रणी हस्तियों के प्रभाव का प्रयोग** उनके संबंधित क्षेत्रों में कौशल विकास परियोजनाओं के लिए मुख्य बल के रूप में किया जाएगा।

↓

इसने विभिन्न मदरसों और अन्य पारंपरिक शैक्षिक संस्थानों (TEI) की पहचान कर उनमे कौशल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए है।

यदि प्रशिक्षित उम्मीदवार स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

↓

मानस, वैश्वीकरण के कारण मृतप्राय होती जा रही अल्पसंख्यक समुदाय की कला एवं शिल्प को सहायता प्रदान करने के लिए 'रिसर्च चेयर्स' स्थापित करेगा। इस प्रक्रिया में 'हमारी धरोहर' के संरक्षण में सहायता प्राप्त होगी।

9.4. प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना {Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM Vikas) Scheme}*

उद्देश्य

- अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों को कौशल आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण संबंधी सहायता प्रदान करके और उनके लिए रोजगार तथा आजीविका के अवसर सुनिश्चित करते हुए लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से क्षमता निर्माण करना।
- अल्पसंख्यक और कारीगर समुदाय के परिवारों के बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले को खुली/मुक्त स्कूली शिक्षा के माध्यम से 8वीं, 10वीं और 12वीं तक औपचारिक शिक्षा और प्रमाणन प्रदान करना।
- पारंपरिक कला और शिल्प रूपों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने सहित साहित्य/दस्तावेजों/पांडुलिपियों का प्रचार-प्रसार करना।
- अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के परिवारों की महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उनमें नेतृत्व और उद्यमिता संबंधी सहायता प्रदान करके विश्वास पैदा करना।
- बाजार तथा क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से अल्पसंख्यकों और कारीगर समुदायों की रोजगार क्षमता में सुधार करना और उनके लिए आजीविका के बेहतर अवसर पैदा करते हुए उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना।
- अल्पसंख्यकों और कारीगर समुदायों के लिए मॉडल तथा संधारणीय कला और शिल्पग्रामों का विकास करना, आजीविका तथा रोजगार/उद्यमिता के अवसर सृजित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना** है।
- **दृष्टिकोण:** यह एक परिवार-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें 5 योजनाएं शामिल हैं: उस्ताद, नई रोशनी, नई मंजिल, हमारी धरोहर, सीखो और कमाओ।

- इसमें कारीगर परिवारों, महिलाओं, युवाओं और अलग-अलग दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **अल्पसंख्यक:** इस योजना में संदर्भित अल्पसंख्यक समुदायों में **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** के तहत अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी) शामिल होंगे।

4 घटक	
घटक 1: कौशल और प्रशिक्षण	• **पारंपरिक प्रशिक्षण उप-घटक (जिसे पहले उस्ताद और हमारी धरोहर के नाम से जाना जाता था)** मुख्य रूप से अल्पसंख्यक कारीगर समुदायों और उनके परिवार के सदस्यों (पतनशील कला सहित पारंपरिक कला और शिल्प में संलग्न) के लिए आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण को शामिल करता है। • **गैर-पारंपरिक कौशल उप-घटक का उद्देश्य (जिसे पहले सीखो और कमाओ के नाम से जाना जाता था)** कला और शिल्प के साथ संबंध रखने वाले क्षेत्रकों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप रोजगार की भूमिकाओं में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और कारीगर परिवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उनके मौजूदा काम के अनुपूरक रोजगार की भूमिकाएं और उनके लिए रोजगार संबंध स्थापित करना है।
घटक 2: नेतृत्व और उद्यमिता घटक (पूर्ववर्ती नई रोशनी)	• यह घटक का उद्देश्य मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों और कारीगर परिवारों के **युवाओं में** फोकस्ड मॉड्यूल के माध्यम से **नेतृत्व विकास और बुनियादी उद्यमिता को बढ़ावा देना** है। • इस घटक में उद्यमिता उप-घटक का उद्देश्य विशेष रूप से **गहन उद्यमिता प्रशिक्षण संबंधी नेतृत्व और बुनियादी उद्यमिता में प्रशिक्षित महिलाओं को सहायता देना है।** • इसका उद्देश्य प्रशिक्षित महिला उद्यमियों में से इच्छुक महिला उद्यमियों को **बिजनेस मेंटर (इस योजना में इन्हें 'बिज़ सखियों' के रूप में जाना जाता है)** बनने के लिए और इसी उद्देश्य हेतु व्यक्तिगत या समूह उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना है।
घटक 3 शिक्षा घटक (पूर्ववर्ती नई मंजिल)	• इस घटक का लक्ष्य 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में मुक्त शिक्षा प्राप्त करने हेतु अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के स्कूल छोड़ने वालों के लिए एक शिक्षा सेतु कार्यक्रम के रूप में काम करना है। साथ ही, उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (NIOS) या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MoMA) द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान (संस्थानों) के माध्यम से प्रमाण पत्र प्रदान करना है।

घटक 4 आधारभूत संरचना विकास घटक (हब और स्पोक विलेज के माध्यम से)	• इस योजना के कार्यान्वयन का आवश्यक दृष्टिकोण **अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण** और पहले से निर्मित **बुनियादी ढांचे का प्रभावी उपयोग** करना है।
	• MoMA के **प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)** को भी पीएम विकास के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनिवार्य प्रतीत होने पर **शामिल किया जाएगा।**
	• एक **'हब एंड स्पोक' मॉडल** का लाभ उठाया जाएगा। इसके तहत **'विश्वकर्मा गांव' (जिसे 'हब' भी कहा जाता है)** के रूप में कला और शिल्प गांवों **को विकसित किया जाएगा।**
	  ○ विश्वकर्मा गाँव **पर्यटन और वाणिज्य के साथ कला के तालमेल का निर्माण करके स्थानीय कलात्मक उत्साह और संस्कृति** को मूर्त रूप देने, प्रदर्शित करने तथा बढ़ावा देने वाले आदर्श गाँव होंगे। इस प्रकार इससे व्यापार के अवसरों में वृद्धि से उनकी आय में भी वृद्धि होगी।
	  ○ ये गांव **कारीगरों को एक विशिष्ट और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान प्रदान** करने का प्रयास करेंगे।

9.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

तहरीक-ए-तालीम योजना (Tehreek-eTaalim Scheme)
इस योजना को **केंद्र सरकार द्वारा सरकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों की अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुँच सुनिश्चित करने और मदरसों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों को मुख्यधारा में लाने के लिए** देश के 100 जिलों में प्रारम्भ किया गया। इन संस्थानों के शिक्षकों को गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी

© Vision IAS

में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही **महिला शिक्षकों** (50%) को भी इस योजना से लाभ मिलेगा।

नया सवेरा योजना (Naya Savera scheme)
नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना, जिसका उद्देश्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रतिष्ठित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश तथा निजी संस्थानों में रोज़गार, सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार प्राप्त करने हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों तथा उम्मीदवारों के **कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देना** है।

छात्रवृत्ति योजना (Scholarship Scheme)
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT) विधि के माध्यम से छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए **मैट्रिक-पूर्व** छात्रवृत्ति योजना, **मैट्रिकोत्तर** छात्रवृत्ति योजना तथा **मेरिट एवं साधन आधारित** छात्रवृत्ति योजना।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (Maulana Azad National Fellowship Scheme)
इसके द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्तियां (fellowships) प्रदान की जाती हैं।

नया सवेरा - नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना (Naya Savera - Free Coaching and Allied Scheme)
इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों/उम्मीदवारों को तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु **नि:शुल्क कोचिंग** प्रदान करना है।

पढ़ो परदेश (Padho Pardesh)
यह अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को विदेशों में उच्चतर शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना है।

नई उड़ान (Nai Udaan)
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

नई रोशनी (Nai Roshni)
अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं का नेतृत्व विकास करना।

सीखो और कमाओ (Seekho Aur Kamao)
14-35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए कौशल विकास योजना तथा मौजूदा श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों आदि की रोजगार क्षमता में सुधार लाने पर लक्षित।

जियो पारसी (Jiyo Parsi)
भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजना।

उस्ताद/USTTAD - अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स-क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट
मई 2015 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी कारीगरों/शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कारीगरों और उद्यमियों को राष्ट्रव्यापी विपणन मंच प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए संपूर्ण देश में **हुनर हाट** भी आयोजित किए जाते हैं।

नई मंजिल (Nai Manzil)
स्कूल छोड़ने वालों के लिए औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल प्रदान करने की एक योजना।

हमारी धरोहर (Hamari Dharohar)
भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की एक योजना।

मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन {Maulana Azad Education Foundation (MAEF)}

- यह शिक्षा और रोजगार उन्मुख संबंधित कार्यक्रमों को निम्नानुसार लागू करता है:
  - अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित **मेधावी लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति**। इसके तहत अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
  - **गरीब नवाज रोजगार योजना** को वर्ष 2017-18 में युवाओं को अल्पकालिक रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
  - मदरसा छात्रों और स्कूल छोड़ने वालों के लिए **सेतु पाठ्यक्रम (Bridge Course)**।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी {Equity to National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)}

- अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और आय उत्पन्न करने वाले उपक्रमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करना।

नोट: उपर्युक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय राज्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए भी योजनाओं को लागू करता है तथा वार्षिक हज यात्रा की व्यवस्था का समन्वय करता है।

© Vision IAS

10. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy)

10.1. प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना {PM-KISAN Urja Suraksha Evam Utthaan Mahaabhiyan (PM-Kusum) Scheme}

उद्देश्य

- किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करना।
- 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने हेतु सहयोग किया जाएगा।
- अन्य 15 लाख किसानों को अपने ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सौर ऊर्जा आधारित बनाने में सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख विशेषताएं

- इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट (GW) की सौर क्षमता को जोड़ना है (मूल लक्ष्य 25.7 गीगावॉट था)।

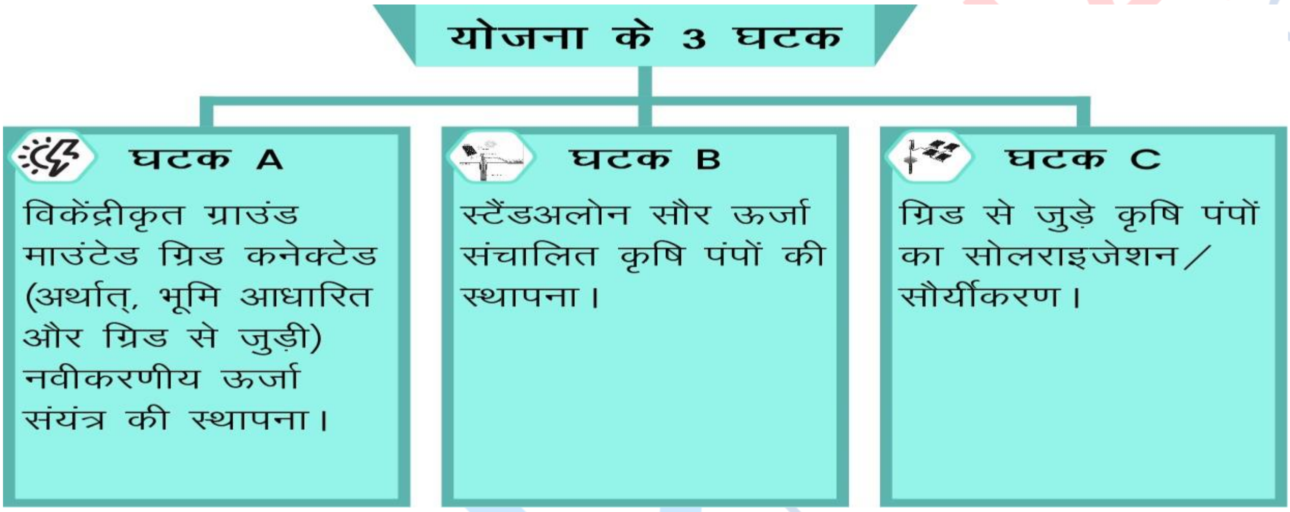

- **विभिन्न घटकों को प्रोत्साहन/समर्थन:**
  - **घटक-A:** 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय विद्युत संयंत्र व्यक्तिगत किसानों/सहकारी समितियों/पंचायतों / किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) द्वारा अपने बंजर या कृषि योग्य भूमि या चारागाह भूमि और दलदली भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। इन्हे **नवीकरणीय विद्युत उत्पादन (Renewable Power Generator: RPG)** कहा जाता है।
    - इसके तहत न्यूनतम निर्धारित क्षमता उपयोगिता कारक (Capacity Utilization Factor: CUF) से कम सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति में **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (Renewable Power Generation:** RPG) पर कोई अर्थदंड आरोपित नहीं किया जाएगा।
    - राज्यों द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर लघु किसानों की सहायता के लिए **500 kW से कम क्षमता की सौर परियोजनाओं को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है** (पहले अनुमति नहीं थी)।
    - उत्पादित विद्युत् को DISCOMs द्वारा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) द्वारा **निर्धारित फीड इन टैरिफ (Feed in tariffs)** पर क्रय किया जाएगा।
    - इसके तहत पांच वर्षों तक विद्युत खरीद के लिए विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  - **घटक-B:** 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक की क्षमता के स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए किसान/किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत स्वदेशी सौर सेल और मॉड्यूल के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित सौर पैनलों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। केंद्र और राज्य प्रत्येक द्वारा सोलर पंप की लागत का 30-30 प्रतिशत योगदान किया जाएगा; शेष 40 प्रतिशत का वहन किसान (लागत का 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं) द्वारा किया जाएगा।
  - **घटक-C:** एकल किसान/किसानों को 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक की क्षमता वाले पंपों को सौर ऊर्जा संचालित पंपों में रूपांतरित करने में

सहायता प्रदान की जाएगी।

- MNRE द्वारा **देशव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों के लिए उचित सेवा शुल्क का 33 प्रतिशत** अपने पास रखा जाएगा।

हालिया परिवर्तन

- योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है तथा पंपों के बजाय संपूर्ण कृषि संबंधी विद्युत आपूर्ति को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु घटक **C को पुनर्संरचित/संशोधित किया गया है।**
  - अब तक किसानों को उनके कृषि पंपों को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने के लिए 60% वित्तीय सहायता (केंद्र और राज्य द्वारा समान अनुपात में) प्रदान की जाती थी, जिसका अर्थ है कि शेष 40% किसानों को स्वयं वहन करना पड़ता था।
  - **केंद्र द्वारा अब** कृषि फीडर (जो अनिवार्य रूप से गांव के सभी पंपों को विद्युत की आपूर्ति करता है।) को विद्युत की आपूर्ति करने वाले **लघु सौर संयंत्र के निर्माण करने की लागत का 30 प्रतिशत वहन किया जाएगा** और शेष **70% लागत का वहन राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम द्वारा किया जाएगा।**
  - यह किसानों को गांव के **विद्यमान प्रत्येक पंप को** सोलर पंप से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता **से छुटकारा** प्रदान करेगा।

10.2. ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण) {Grid Connected Rooftop Solar Programme (Phase-II)}

उद्देश्य

वर्ष 2022 तक ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप SRT प्रणाली के माध्यम से **40 GW की संचयी क्षमता को प्राप्त करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया है तथा इसे **डिस्कॉम या विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा क्रियान्वित** किया जा रहा है।
- **डिस्कॉम को** इस योजना के कार्यान्वयन दौरान होने वाले **अतिरिक्त व्यय हेतु मुआवजा** प्रदान किया जाता है।
- **इस योजना के तहत निम्नलिखित दो घटकों को शामिल किया गया है:**

घटक A: चरण II के अंतर्गत, आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance: CFA) को निम्नलिखित तरीकों से पुनर्संरचित (वर्ष 2019 में) किया गया है:

- 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली SRT प्रणाली की मानक लागत का 40 प्रतिशत CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली SRT प्रणाली की मानक लागत का 20 प्रतिशत CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- 10 किलोवाट तक की क्षमता के लिए प्रति आवास और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (GHS) और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) हेतु 500 किलोवाट तक की संचयी क्षमता के लिए मानक लागत का 20%, CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- **अन्य श्रेणियों** अर्थात संस्थागत, शैक्षिक, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आदि **के लिए CFA का प्रावधान उपलब्ध नहीं है।**

घटक B: इसके तहत डिस्कॉम (18 GW की आरंभिक अतिरिक्त क्षमता वृद्धि के लिए) को प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, हालांकि यह वित्तीय वर्ष में उनके (डिस्कॉम) द्वारा आधार क्षमता (पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त संचयी क्षमता) से अधिक प्राप्त की गई SRT क्षमता के आधार पर दिया जाएगा।

10.3. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (Jawaharlal Nehru National Solar Mission: JNNSM)

उद्देश्य

- दीर्घकालिक नीति, बड़े पैमाने पर परिनियोजन लक्ष्यों, प्रगतिशील अनुसंधान एवं विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल, घटकों एवं अन्य उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में **सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम** करना।
- **सौर ऊर्जा को जीवाश्म आधारित ऊर्जा विकल्पों के समतुल्य उपयोग करने योग्य बनाने** के मौलिक उद्देश्य के साथ विद्युत उत्पादन और अन्य उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना।
- देश भर में सौर ऊर्जा के प्रसार संबंधी नीतिगत शर्तों को त्वरित रूप से निर्मित कर **सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी अभिकर्ता के रूप में स्थापित करना।**

© Vision IAS

लक्ष्य

- मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट (पूर्व निर्धारित लक्ष्य 20 गीगावाट) सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना। इसके तहत कुल 6,00,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- इस लक्ष्य में मुख्य रूप से 40 गीगावाट ऊर्जा रूफटॉप और 60 गीगावाट ऊर्जा *लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स* के माध्यम से प्राप्त करना सम्मिलित है।
- इसके लक्ष्य में प्रतिवर्ष सौर सेलों की लगभग 2 गीगावाट क्षमता का निर्माण करने के लिए पॉली सिलिकॉन मैटेरियल हेतु समर्पित विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना भी सम्मिलित है।
- ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा वर्ष 2022 तक 20 मिलियन सौर प्रकाशीय प्रणालियों सहित 2,000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना।
- वर्ष 2022 तक 2 करोड़ वर्गमीटर का सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक 20 मिलियन सौर प्रकाशीय प्रणालियों को स्थापित करना।

प्रमुख विशेषताएं

इस योजना को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के एक भाग रूप में वर्ष 2010 में आरंभ किया गया था।

मिशन में 3 चरण हैं: चरण I (वर्ष 2010–13), चरण II (वर्ष 2013–15) और चरण III (वर्ष 2017–22)।

यह पूँजी सब्सिडी विभिन्न शहरों और कस्बों में रूफटॉप सौर परियोजनाओं; भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से विकसित व्यवहार्यता अंतराल निधि (VGF) आधारित परियोजनाओं; तथा लघु सौर परियोजनाओं के माध्यम से विकेन्द्रीकृत उत्पादन के लिए प्रदान की जाएगी।

10.4. सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना (Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Power Project)

उद्देश्य

- **प्लग एंड प्ले मॉडल आधारित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए** सौर परियोजना विकासकर्ताओं को सुविधा प्रदान करना।
- परियोजना विकासकर्ताओं और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन सुविधा (demonstration facility) के रूप में कार्य कर, **सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित** करना।
- राज्यों को इनके सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व अधिदेश को पूरा करने और स्थानीय जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने हेतु परियोजना विकासकर्ताओं **से महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त करने** में सक्षम बनाना।
- सौर पार्क की स्थापित क्षमता एवं उत्पादन के समकक्ष उत्सर्जन में कटौती करते हुए **कार्बन फुटप्रिंट में कमी** करना।
- परंपरागत विद्युत् संयंत्रों के लिए महंगे **जीवाश्म ईंधनों की खरीद को रोककर** राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना को वर्ष 2014 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **वर्ष 2021-22 तक 40 गीगावॉट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित** करने के लक्ष्य के तहत कम से कम 25 सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करना है (हालांकि इससे पूर्व 20 गीगावॉट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे वर्ष 2020 तक प्राप्त किया जाना था)।
- यह सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक अवसंरचना का सृजन करने के उद्देश्य से देश में **विभिन्न स्थानों पर सौर पार्कों की**

स्थापना हेतु राज्यों को समर्थन प्रदान करने की परिकल्पना करता है।

- सौर पार्क, भिन्न-भिन्न फर्मों द्वारा सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों के रूप में एक निर्धारित स्थान पर स्थापित प्रतिष्ठापन हैं, जो सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करते हैं।
- सौर पार्क सभी प्रकार की मंजूरियों, पारेषण प्रणाली, जल उपलब्धता, सड़क कनेक्टिविटी, संचार नेटवर्क सहित अन्य सुविधाओं से युक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

- यह योजना वृहत पैमाने पर विद्युत उत्पादन हेतु ग्रिड कनेक्टेड **सौर ऊर्जा परियोजनाओं** की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ उसमें तीव्रता लाएगी।
- इसके तहत सौर पार्कों की क्षमता **500 मेगावाट और उससे अधिक** होगी। हालांकि, **छोटे** सौर **पार्कों पर भी विचार किया जा रहा है,** जहाँ दुर्गम भूभाग के कारण आस-पास की भूमि का अधिग्रहण करना मुश्किल हो और जहाँ गैर-कृषि भूमि की अत्यधिक कमी हो।
- सौर पार्क जो **राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम (CPSUs) और निजी उद्यमियों के सहयोग** से विकसित किए गए हैं।
- इसके तहत कार्यान्वयन एजेंसी को **सोलर पावर पार्क डेवलपर (Solar Power Park Developer: SPPD) नाम दिया गया** है।

केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) की प्रकृति		
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए **प्रति सौर पार्क 25 लाख रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।	इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट या ग्रिड–कनेक्टिविटी लागत सहित परियोजना लागत का 30%, जो भी कम हो, को CFA के रूप में प्रदान किया जाता है।	12 लाख रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, सौर पार्क की आंतरिक अवसंरचना के विकास के लिए SPPDs को प्रदान किया जाता है। साथ ही, **8 लाख रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत**, जो भी कम हो, बाह्य पारेषण (external transmission) प्रणाली के विकास के लिए सेंट्रल/स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (C/S TU) को प्रदान किया जाता है।

10.5. अटल ज्योति योजना - अजय (Atal Jyoti Yojana - AJAY)

उद्देश्य
सार्वजनिक उपयोग हेतु **सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम** प्रदान करना जैसे कि- सड़कों, बस स्टॉप आदि पर प्रकाश की सुविधा प्रदान करना तथा बेहतर प्रकाश के माध्यम से रक्षा और सुरक्षा में सुधार करना।
अपेक्षित लाभार्थी
• **उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा एवं असम** जैसे राज्य; • **जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड** जैसे पहाड़ी राज्य/संघ शासित क्षेत्र तथा • **सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य;** • **अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप** जैसे द्वीप समूह; • अन्य राज्यों के **आकांक्षी ज़िले।**

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं
यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोग योजना के तहत एक उप–योजना है।
ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है।
यह योजना ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों को कवर करेगी।
MNRE के निर्देशानुसार जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध नहीं होती है, वहां 12 वाट की क्षमता वाली LED सोलर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराई जाएंगी।
MNRE बजट के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की लागत का 75%, तथा शेष 25% MPLADS निधि, पंचायत निधि या नगर पालिकाओं और अन्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की निधि से प्रदान किया जाएगा।
रखरखाव और सुरक्षा संबंधी व्यापक प्रसार हेतु तथा सौर प्रौद्योगिकी को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

10.6. सौर शहरों के विकास की योजना (Development of Solar Cities Scheme)

उद्देश्य

नगर निगमों को अपने शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु एवं उसे क्रियान्वित करने हेतु सहायता प्रदान कर **शहरी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।**

प्रमुख विशेषताएं

- सौर शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा आपूर्ति में वृद्धि करके और ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से पाँच वर्षों (2012-17) के अंत तक **परंपरागत ऊर्जा की अनुमानित माँग में न्यूनतम 10% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।**
- यह कार्यक्रम **प्रत्येक शहर/कस्बा को 50 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता** और तकनीकी सहायता प्रदान करके शहरी स्थानीय सरकारों की सहायता करता है।
- कुल 60 शहरों/कस्बों को सौर शहर के रूप में विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है।
- शहरों की पहचान हेतु मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड के अंतर्गत **50,000 से 50 लाख के मध्य जनसंख्या वाला शहर** (इस संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों को छूट प्रदान की गई है) शामिल है, साथ ही ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता के साथ पहलें आरम्भ की गई हैं तथा नियामक उपाय किए गए हैं।

10.7. सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम (Suryamitra Skill Development Programme)

उद्देश्य

भारत और विदेशों में बढ़ती सौर ऊर्जा परियोजना के संस्थापन, संचालन और रखरखाव में रोजगार के अवसरों पर विचार करते हुए युवाओं का कौशल विकास करना।

लाभार्थी

ग्रामीण और शहरी युवा- **मार्च 2020 तक 50,000 सोलर फोटोवोल्टिक तकनीकी-कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।**

प्रमुख विशेषताएं

- MNRE इसका प्रायोजक (100%) है, और **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE)** इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।
- यह **600 घंटे या 90 दिनों** की अवधि वाला एक कौशल विकास कार्यक्रम है।

- SC/ST/OBC श्रेणियों से संबंधित युवाओं के कौशल पर विशेष बल दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त इसमें लघु जल विद्युत, उद्यमिता विकास, सौर ऊर्जा उपकरणों के संचालन और रखरखाव तथा सह-उत्पादन संयंत्रों में बॉयलर संचालन के लिए **अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** भी आयोजित किए जाते हैं।
- इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता **ITI (इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन)/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा** (इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल) है। B.Tech आदि जैसे उच्चतर योग्यता प्राप्त प्रतिभागी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं।

10.8. हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना (Green Energy Corridor Project)

उद्देश्य

नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन बिंदु से लोड सेंटर तक पहुँचाना, अर्थात् नेशनल ग्रिड नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवाह को सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

हरित ऊर्जा गलियारा, विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवाह हेतु ग्रिड कनेक्टेड नेटवर्क है।

इस गलियारे में दो ग्रीन कॉरिडोर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स की परिकल्पना की गयी है

- ग्रीन कॉरिडोर I: नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों को जोड़ने के लिए इंटर–स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण किया गया है। इसका कार्यान्वयन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL) द्वारा किया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने इस हेतु ऋण सहायता प्रदान की है।

- ग्रीन कॉरिडोर II: यह संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वित इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क है और विभिन्न राज्यों में सौर पार्कों को जोड़ता है।
- इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क को आठ **नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों** (तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

- इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 33 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को स्थापित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है जबकि द्वितीय चरण 22 गीगावाट क्षमता को जोड़ेगा।
- इसके लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता जर्मनी द्वारा प्रदान की जा रही है।

10.9. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

बायोमास आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए योजना (Scheme for Biomass Based Cogeneration Projects)

प्रमुख विशेषताएं

- इसका उद्देश्य देश में विद्युत उत्पादन के लिए चीनी मिलों तथा अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह-उत्पादन (कोजेनरेशन) परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करना है।
- इसमें गन्ने की खोई, कृषि आधारित औद्योगिक अवशेष, फसल अवशेष, ऊर्जा वृक्षारोपण के माध्यम से उत्पादित लकड़ी, औद्योगिक कार्यों में उत्पादित लकड़ी के अपशिष्ट, आदि बायोमास सामग्री का उपयोग करने वाली परियोजनाओं हेतु **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)** प्रदान की जाएगी।
- **इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।**
- **वित्तीय सहायता :** इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां, भागीदारी फर्म, स्वामित्व आधारित फर्म, सहकारी समितियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सरकारी स्वामित्व वाली फर्म, उपलब्ध वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
- बायोमास आधारित सह-उत्पादन परियोजनाएँ जो मौजूदा संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करना चाहती है, उन्हें भी CFA के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा।

© Vision IAS

11. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)

11.1. स्वामित्व: ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (SVAMITVA: Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)*

उद्देश्य

- ग्रामीण नियोजन के लिए **सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण** और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
- ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए **वित्तीय परिसंपत्ति** के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर **वित्तीय स्थिरता** सुनिश्चित करना।
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो प्रत्यक्ष रूप से उन राज्यों में ग्राम पंचायतों (GP) को प्राप्त होगा, जहां इसे हस्तांतरित किया जाता है या फिर, राज्य के कोष में संचित किया जाता है।
- सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और **भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System: GIS)** आधारित मानचित्रों का निर्माण करना, जिनका किसी भी विभाग द्वारा उपयोग किया जा सकता है।
- GIS का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan: GPDP) तैयार करने में सहायता करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इसे **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** के रूप में अप्रैल 2020 में आरंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य **ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के स्वामियों को 'अधिकार अभिलेख'** (record of rights) प्रदान करना और **संपत्ति कार्ड** (Property cards) जारी करना है।
    - ग्राम पंचायत और सामुदायिक संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा तथा GIS आधारित मानचित्र भी सृजित किए जाएंगे।
    - ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके सीमा-निर्धारण किया जाएगा।
- **कवरेज:** इस योजना में अंततः देश के सभी गांवों को शामिल किया जाएगा। संपूर्ण कार्य अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक **पांच वर्षों की अवधि में** प्रसारित होने की संभावना है।

घटक

- सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण/ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- **योजना डैशबोर्ड का विकास/रखरखाव करना** और स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण में सहायता हेतु ड्रोन सर्वेक्षण तैयार किए गए स्थानिक डेटा/मानचित्रों को मंत्रालय के स्थानिक योजना प्रवर्तन के साथ एकीकृत करना।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर **कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों** की स्थापना करना।
- **स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन "ग्राम मानचित्र"** का संवर्धन करना। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) की तैयारी में सहायता करने हेतु स्थानिक विश्लेषणात्मक साधनों के निर्माण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के अंतर्गत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा/मानचित्रों से लाभ प्राप्त करना।
- सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी को संवेदनशील बनाने के लिए **जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।**
- ड्रोन का उपयोग करके वृहद पैमाने पर मानचित्रण करना।
- सतत परिचालनरत संदर्भ स्टेशन (Continuously Operating Reference System: CORS) की स्थापना करना।

नोट:

- **CORS संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क** है। यह एक वर्चुअल बेस स्टेशन प्रदान करता है, जो लंबी दूरी के उच्च सटीकता नेटवर्क रियल-टाइम किनेमैटिक (RTK) (गति की शुद्धता को मापने में उपयोगी) सुधारों तक पहुंच प्रदान करता है।
- CORS नेटवर्क भू-आधारित नियंत्रण बिंदुओं (Ground Control Points) की स्थापना में सहायता करता है। यह **भूमि के सटीक भू-संदर्भीकरण (Georeferencing), भू-सत्यापन और सीमांकन** के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

11.2. ग्राम स्वराज अभियान (Gram Swaraj Abhiyan)

उद्देश्य

सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, निर्धन ग्रामीण परिवारों तक पहुंच स्थापित करना, प्रवर्तमान कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना, नई पहल में नामाकंन करना, किसानों की आय दोगुनी करने पर केन्द्रित होना, आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और स्वच्छता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर बल देना तथा पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह पिछड़े जिलों में सात योजनाओं का एक विशेष केंद्रित हस्तक्षेप है।

यह अभियान **"सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास"** के नाम से आरम्भ किया गया है।

- इस योजना का **विस्तार 117 आकांक्षी जिलों में कर दिया गया है।**

11.3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: RGSA)#

उद्देश्य
संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की अभिशासन क्षमताओं का विकास करना।
प्रमुख विशेषताएं

यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना है।**
यह **राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान** का संशोधित संस्करण है।
इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्व-संधारणीय, वित्तीय रूप से स्थिर और अधिक कुशल बनाना है।
यह पंचायतों की क्षमताओं और प्रभावशीलता तथा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण को बढ़ावा देकर उन महत्वपूर्ण अंतरालों के समाधान का प्रयास करता है, जो पंचायतों की सफलता में बाधक हैं।
इसका विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक होगा, और इसमें गैर अधिसूचित (non-Part) IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के ऐसे संस्थान भी सम्मिलित होंगे, जहां पंचायतें विद्यमान नही हैं।
RGSA के तहत "आकांक्षी जिले" और मिशन अंत्योदय क्लस्टर के तहत शामिल पंचायतों के लिए प्रमुख भूमिका की परिकल्पना की गयी है।

नोट : 'मिशन अंत्योदय' के तहत पूलिंग संसाधनों के द्वारा स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए **सैचुरेशन एप्रोच (saturation approach)** को अपनाकर नियोजन के लिए बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के साथ सरकार के हस्तक्षेपों का एकीकरण करने का प्रयास किया गया है।

12. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)

12.1. इंडक्शन ट्रेनिंग पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल (Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training: COMMIT)

उद्देश्य

- सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना और
- सुशासन और **नागरिक केंद्रित प्रशासन** को प्रोत्साहन देना।
- राज्यों में हाल ही में भर्ती किए गए अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को प्रेरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **राज्य सरकार के नए अधिकारियों** के लिए वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किए गए मौजूदा 12-दिवसीय प्रेरण/प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूरक की भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन अधिकारियों में **सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट दक्षताओं** का विकास करना है।
- इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसे प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs) के **माध्यम से लागू** किया जाएगा।

12.2. केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System: CPGRAMS)

विवरण

- यह वेब प्रोद्योगिकी आधारित एक प्लेटफार्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित नागरिकों को **कहीं भी और कभी भी (anywhere and anytime)** शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाना है।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAR&PG), इस पोर्टल में शिकायतों के निपटान हेतु नोडल एजेंसी है।
- इस पोर्टल पर प्रणालीजनित **विशिष्ट पंजीकरण संख्या** के जरिए शिकायतों की निगरानी करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।
- **शिकायतें जिन पर निवारण हेतु विचार नहीं किया जाता**
    - न्यायाधीन मामले अथवा ऐसे मामले जो किसी न्यायालय के अधिनिर्णय से संबंधित हों।
    - व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद।
    - सूचना के अधिकार (RTI) से संबंधित मामलें।
    - ऐसी कोई अन्य शिकायत जिससे देश की क्षेत्रीय अखंडता अथवा अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हों।

© Vision IAS

13. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas)

13.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: PMUY)

उद्देश्य

8 करोड़ (पहले लक्ष्य 5 करोड़ था) BPL परिवारों की महिलाओं को **निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन** प्रदान करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- **निर्धनता रेखा से नीचे स्थित कोई भी परिवार,** जिसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा तैयार जिला BPL सूची में सम्मिलित हो।
- इस योजना का शुभारंभ **'मेक इन इंडिया'** अभियान को भी प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि सिलेंडरों, गैस स्टोव, रेगुलेटरों और गैस पाइप आदि का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जायेगा।
- **असामयिक मौतों** में कमी होगी, चूंकि युवाओं और महिलाओं में **तीव्र श्वसन रोगों** (acute respiratory illness) की एक बड़ी संख्या के लिए इनडोर वायु प्रदूषण उत्तरदायी है।

प्रमुख विशेषताएं

कवरेज	हाल ही में, सरकार द्वारा लाभार्थियों के लाभ के दायरे का विस्तार किया गया है, अब इसके तहत देश के सभी निर्धन परिवारों को कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत, नए लाभार्थी के रूप में उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो राशन कार्ड और आधार दोनों धारण करते हों तथा जिनकी पहचान स्व-घोषणा के माध्यम से निर्धन के रूप में हुई है।
LPG कनेक्शन	**BPL परिवार की वयस्क महिला के नाम पर** जारी किया जाएगा; बशर्ते घर के किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर कोई LPG कनेक्शन मौजूद न हो।
केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता	केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए **1600 रुपये** की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उपभोक्ताओं के लिए विकल्प	**उपभोक्ताओं** के पास LPG सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त **गैस स्टोव और रिफिल को EMI** (शून्य ब्याज) पर खरीदने का विकल्प उपलब्ध होगा। प्रारंभिक 6 रिफिल के लिए ऋण की वसूली प्रभावी नहीं होती है।

PMUY 2.0	
व्यापक कवरेज	इसका लक्ष्य **1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों** को शामिल करना है।
अतिरिक्त लाभ	इसके तहत, लाभार्थियों को न केवल निशुल्क LPG कनेक्शन मिलेगा, बल्कि उन्हें न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ **पहला रिफिल और हॉटप्लेट भी मुफ्त प्राप्त होगा।**
प्रवासी लाभार्थियों की पहचान	इसके अलावा, **प्रवासियों को राशन कार्ड या कोई पते से संबंधित प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।** इसके लिए एक स्व-घोषणा पत्र ही पर्याप्त होगा।
उज्ज्वला 2.0 के लिए आवेदन करने के लिए मानदंड	• केवल महिला ही आवेदक हो सकती है। • किसी भी श्रेणी में BPL परिवार के तहत सूचीबद्ध होना चाहिए। • आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड। • एक ही घर में कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। • उज्ज्वला कनेक्शन का eKYC होना अनिवार्य है।

	• पहचान के प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और BPL राशन कार्ड। • परिवार की स्थिति का समर्थन करने के लिए अनुपूरक KYC।

13.2. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) (Pratyaksh Hanstantrit Labh: Pahal)

उद्देश्य

- व्यपवर्तन (diversion) को कम करना और नकली या फर्जी LPG कनेक्शन को समाप्त करना।
- उपभोक्ताओं हेतु पात्रता को संरक्षित रखना और सब्सिडी सुनिश्चित करना।
- वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए LPG सिलेंडर की उपलब्धता/ वितरण में सुधार करना।
- सब्सिडी में स्व-चयन की अनुमति प्रदान करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- LPG सिलेंडरों का उपयोग करने वाले उपभोक्ता।
- चूँकि सरकार द्वारा लीकेज में कमी की जाएगी, जिससे सार्वजनिक धन की बचत होगी।
- तेल विपणन कंपनियां, क्योंकि मध्यस्थ समाप्त हो जायेंगे।

प्रमुख विशेषताएं

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत यह **विश्व की सबसे बड़ी नकद सब्सिडी योजना** (गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल) है।
इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा पहला सिलेंडर बुक करते ही अतिशीघ्र अग्रिम भुगतान किया जायेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पास बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है।
वे LPG उपभोक्ता, जो LPG सिलेंडरों के लिए LPG सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, सब्सिडी छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं।
उपभोक्ताओं के पास सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक है। यह सुविधा जन धन द्वारा प्रदान की जाती है। लाभ प्राप्त करने के लिए आधार के साथ खाते को जोड़ना भी अनिवार्य है।

13.3. प्रधानमंत्री JI-VAN (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना {Pradhan Mantri Ji-Van (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool Fasal Awashesh Nivaran) Yojana}

उद्देश्य

देश में द्वितीय पीढ़ी (2G) की एथेनॉल क्षमता का सृजन करना, तथा इस नवीन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना।

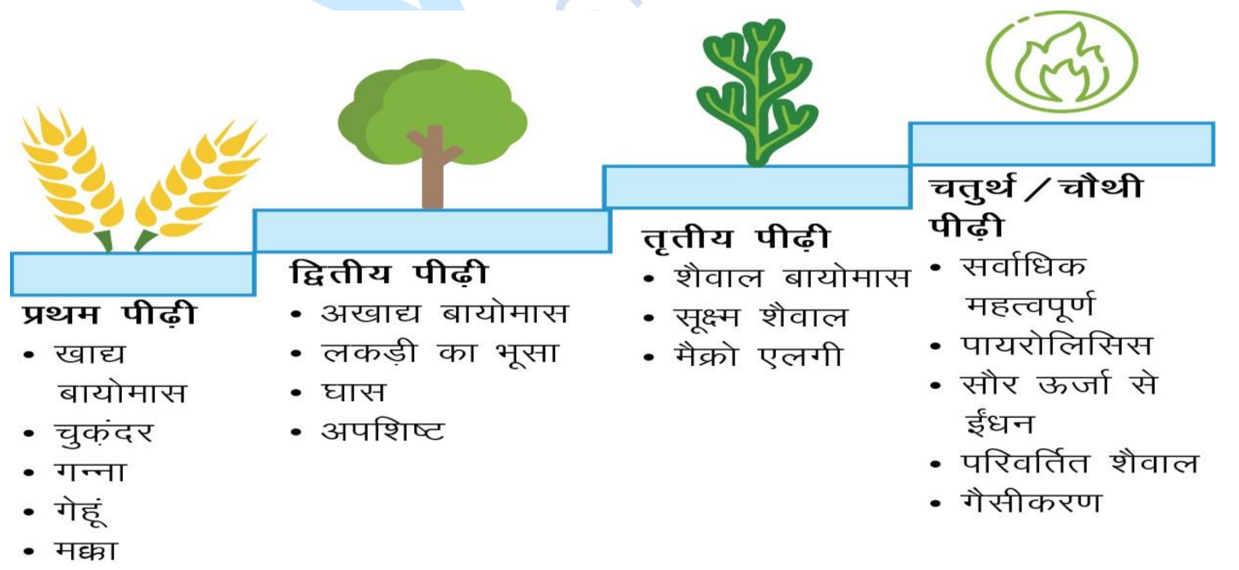

प्रमुख विशेषताएं

- **यह लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का प्रयोग करते हुए एकीकृत जैव-एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी।**
- 12 वाणिज्यिक पैमाने और 10 प्रदर्शन पैमाने की दूसरी पीढ़ी (2G) की एथेनॉल परियोजनाओं को **दो चरणों में अगले छह वर्षों (चरण- I: वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 और चरण- II: वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24) के दौरान व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (viability gap funding) सहायता** प्रदान की जाएगी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** MoP&NG के तत्वावधान में तकनीकी संस्था, **सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT),** इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- इस योजना के लाभार्थियों द्वारा उत्पादित **एथेनॉल** की एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत अग्रिम वृद्धि हेतु **तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को अनिवार्य आपूर्ति** की जाएगी।
    - सरकार ने **वर्ष 2025** (पहले यह वर्ष 2030 था) **तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण** का लक्ष्य रखा है ।
    - भारत में, वर्तमान में पेट्रोल में 8.5% एथेनॉल का मिश्रण किया जाता है।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol: EBP) कार्यक्रम

- EBP कार्यक्रम को **वर्ष 2003 में पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण करने के लिए आरंभ** किया गया था ताकि जीवाश्म ईंधन दहन के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जा सके, किसानों को प्रतिफल प्रदान किया जा सके, कच्चे तेल के आयात को कम किया जा सके और विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके।
- सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को बैंकों / NCDC / इरेडा / NBFCs और किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता का विस्तार करने के लिए 14 जनवरी, 2021 को एक संशोधित योजना अधिसूचित की गई है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास अधिशेष अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार), गन्ना और चुकंदर आदि जैसे फीडस्टॉक से **प्रथम पीढ़ी (1G) के एथेनॉल का उत्पादन** किया जा सकता है।
- **ब्याज सब्सिडी पात्रता वाली गतिविधियां:**
    - आणविक चलनी निर्जलीकरण (Molecular Sieve Dehydration: MSDH) कॉलम की स्थापना करना;
    - शून्य द्रव विमुक्ति (Zero Liquid Discharge: ZLD) प्रणाली की स्थापना;
    - नई आसवनियों की स्थापना करना; और
    - विद्यमान क्षमता का विस्तार करना।

13.4. राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid)

उद्देश्य

- प्राकृतिक गैस की पहुंच के संबंध में देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा समस्त देश में स्वच्छ और हरित ईंधन उपलब्ध कराना।
- गैस स्रोतों को प्रमुख मांग केंद्रों से जोड़ना और विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- CNG और PNG की आपूर्ति के लिए विभिन्न शहरों में **सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क** का विकास करना।

प्रमुख विशेषताएं

- गैस आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने और ऊर्जा बॉस्केट (एनर्जी बास्केट) में **गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6.5% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15% करने हेतु,** सरकार द्वारा अतिरिक्त 27,000 किमी. गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास की परिकल्पना की गई है।
- देश के पूर्वी भाग में स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा **प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना {जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (JHBDPL) परियोजना}** आरंभ की गई है।
    - यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पांच राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा।
    - पाइपलाइन का मुख्य ट्रंक **हल्दिया (पश्चिम बंगाल) और धामरा (ओडिशा)** तक जाकर समाप्त हो जाता है।
    - इस परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी **GAIL** द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

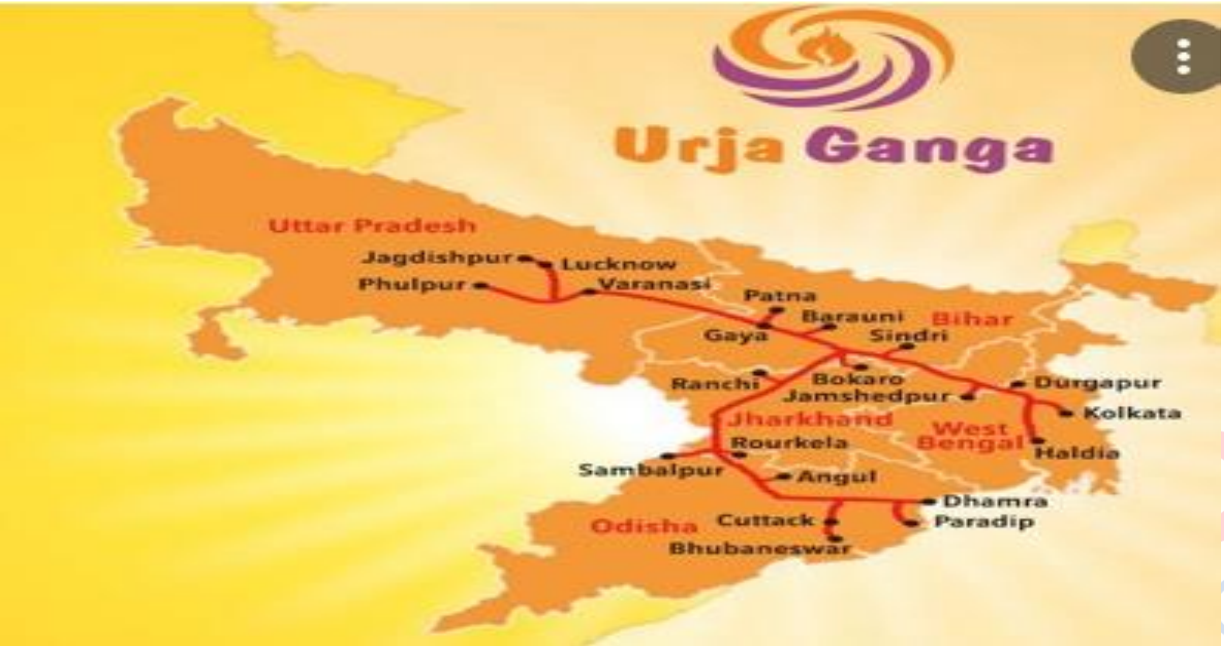

- **नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड:**
    - यह **इंद्रधनुश गैस ग्रिड लिमिटेड** की एक परियोजना है, जिसमें व्यवहार्यता अंतराल निधि (VGF)/कैपिटल ग्रांट, अनुमानित परियोजना लागत का 60% है।
    - पाइपलाइन की कुल लंबाई 1,656 कि.मी. है, और इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में विकसित किया जाएगा।
    - **यह "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030" का एक भाग है।**
    - बरौनी (बिहार) से गुवाहाटी (असम) तक लगभग 750 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन पूर्वोत्तर राज्यों को मौजूदा गैस ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए मुख्य द्वार होगी।

सिटी गैस वितरण नेटवर्क {City Gas Distribution (CGD) Network}

- यह एक निर्दिष्ट **भौगोलिक क्षेत्र (GA)** में स्थित घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों और CNG स्टेशनों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु पाइपलाइनों का परस्पर संबद्ध नेटवर्क है।
- इसने देश के नागरिकों हेतु स्वच्छ भोजन बनाने के ईंधन (अर्थात् PNG) तथा परिवहन ईंधन (अर्थात् CNG) की उपलब्धता में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित किया है।
- CGD नेटवर्क का विस्तार प्राकृतिक गैस की अबाधित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों हेतु भी लाभप्रद होगा।

13.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

स्टार्ट-अप संगम पहल (Start-Up Sangam Initiative)

- इस योजना का उद्देश्य **वैकल्पिक ईंधनों में नवाचार द्वारा ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करना है।**
- **इसके अंतर्गत नए बिजनेस मॉडल एवं मार्केटिंग प्लान** विकसित किए जाएंगे तथा 30 स्टार्ट-अप्स के सहयोग से तेल और गैस जैसे महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्रक में नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा।

सक्षम (संरक्षण क्षमता महोत्सव)-2018

- यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ **(PCRA) का वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम** है।
- एक माह तक चलने वाले **इस अभियान का उद्देश्य इस दौरान नागरिकों को पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण एवं उनके बेहतर उपयोग के प्रति जागरुक बनाने के प्रयासों में सक्रियता लाना है।**

© Vision IAS

- ईंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही, इसका लक्ष्य वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, यातायात प्रवाह (traffic flow) में सुधार करना एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नागरिकों को जागरूक बनाना है।

किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation: SATAT)

- इसका उद्देश्य विकास के प्रयास के रूप में किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प प्रदान करना है। वाहन-उपयोगकर्ता के साथ-साथ किसान और उद्यमी भी इससे लाभान्वित होंगे।
- इस महत्वपूर्ण पहल में **अधिक किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता में वृद्धि करने, कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के बेहतर उपयोग** के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करने की क्षमता विद्यमान है।

प्रधान मंत्री LPG पंचायत योजना (Pradhan Mantri LPG Panchayat Scheme)

- यह ग्रामीण LPG उपयोगकर्ताओं के लिए LPG के सुरक्षित उपयोग, पर्यावरण सम्बन्धी लाभ, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों से सम्बन्धित एक **इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म** है। इसके अतिरिक्त इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उपभोक्ताओं को नियमित रूप से स्वच्छ ईंधन के रूप में LPG के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।
- इस मंच का उद्देश्य ऐसी चर्चाओं को आरम्भ करना है, जिसमे लोग पारंपरिक ईंधन जैसे-गोबर, चारकोल, या लकड़ी की तुलना में स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लाभों के व्यक्तिगत अनुभव एक दूसरे से साझा कर सकें और इसके उपयोग के लिए प्रेरित हों।

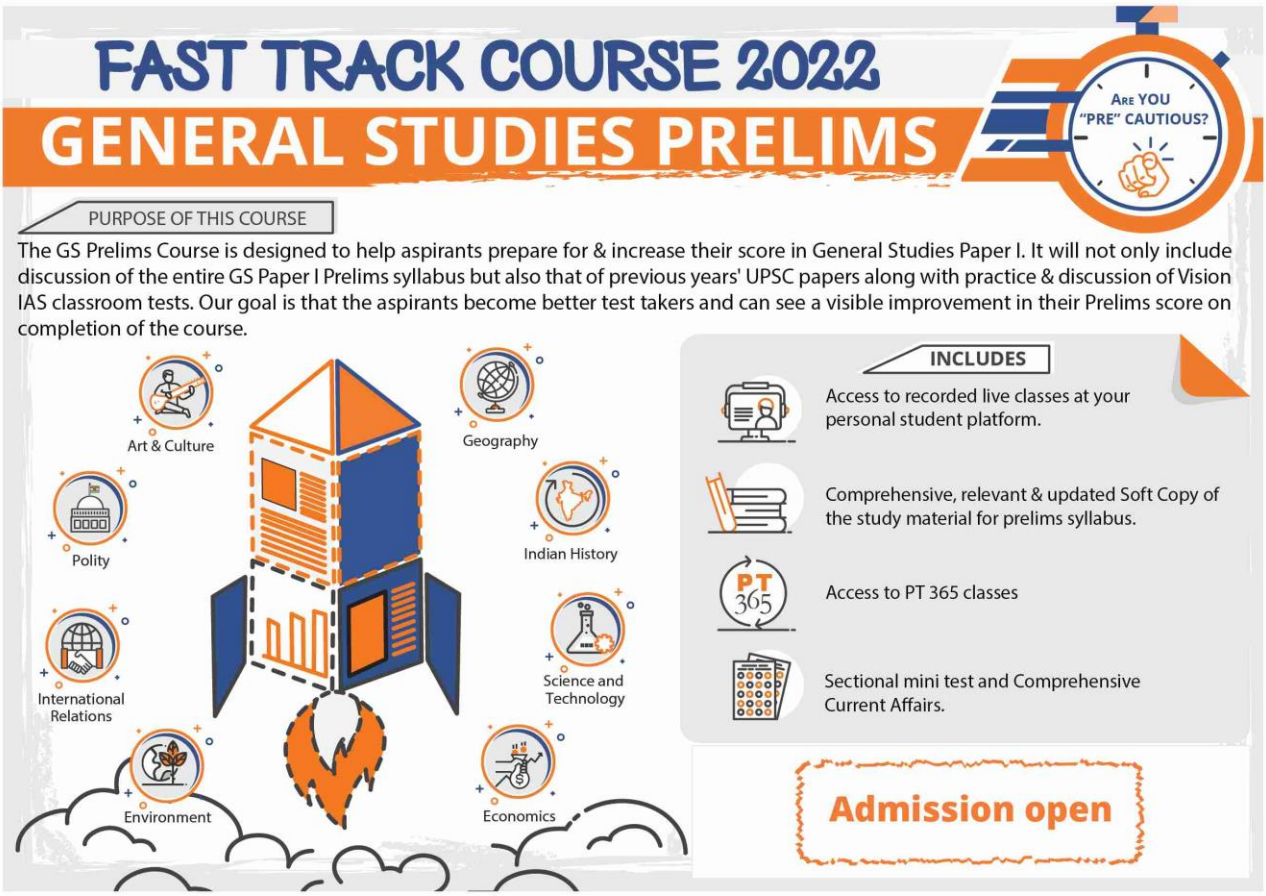

14. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)

14.1. पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme)

उद्देश्य:

- वित्त वर्ष 2024-25 तक **समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानियों** को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15 प्रतिशत तक कम करना।
- वित्त वर्ष 2024-25 तक **आपूर्ति की औसत लागत-औसत राजस्व प्राप्ति (ACS-ARR)** के अंतर को शून्य करना।
- आधुनिक डिस्कॉम्स (DISCOMs) के लिए **संस्थागत क्षमताओं का विकास** करना।
- वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्रक के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत् आपूर्ति की **गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना।**

प्रमुख विशेषताएँ:

लक्ष्य	• निजी क्षेत्रक के डिस्कॉम को छोड़कर सभी डिस्कॉम/विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना।
DISCOMs को परिणाम संबद्ध वित्तीय सहायता	• इसका उद्देश्य आपूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। यह सहायता पूर्व-अहर्ता मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ वित्तीय सुधारों से जुड़े सहमत मूल्यांकन रूपरेखा के आधार पर मूल्यांकन किए गए DISCOM द्वारा **बुनियादी न्यूनतम मानदंड की उपलब्धि** पर आधारित होगी।
राज्य विशिष्ट कार्य योजना	• इस योजना का कार्यान्वयन "सभी समस्याओं के लिए एक उपाय" दृष्टिकोण की बजाय प्रत्येक राज्य के लिए पृथक रूप से तैयार की गई कार्य योजना पर आधारित होगा।
वर्तमान में जारी योजनाओं को सम्मिलित किया जाना	• एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) की योजनाओं के तहत वर्तमान में स्वीकृत परियोजनाओं के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्रधान मंत्री विकास कार्यक्रम (PMDP) -2015 को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
योजनावधि	• यह योजना वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी।
नोडल एजेंसियां	• इस योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए REC और PFC को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।
कृषि-संबंधी फीडरों का सौरीकरण	• इस योजना में किसानों के लिए विद्युत की आपूर्ति में सुधार करने और कृषि फीडरों के सौरीकरण के माध्यम से किसानों को दिन की अवधि के दौरान विद्युत उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
उपभोक्ता सशक्तीकरण	• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम को लागू कर उपभोक्ता का सशक्तीकरण करना। इसके पहले चरण में दिसंबर, 2023 तक लगभग 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का लाभ उठाना	• इसका उपयोग सिस्टम मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित IT/OT उपकरणों के माध्यम से सृजित डेटा का विश्लेषण कर प्रति माह सिस्टम द्वारा सृजित ऊर्जा की लेखा रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जायेगा ताकि डिस्कॉम को नुकसान में कमी करने और मांग संबंधी पूर्वानुमान पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
सिस्टम मीटरिंग	• PPP मोड में **संचार सुविधा के साथ फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (DT) स्तर पर सिस्टम मीटरिंग करने का भी प्रस्ताव है।**
विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए प्रावधान	• प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए, 900 रुपये का अनुदान या पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर की लागत का 15%, जो भी कम हो, "विशेष श्रेणी के अलावा" राज्यों के लिए उपलब्ध होगा। "विशेष श्रेणी" वाले राज्यों के लिए, संबंधित अनुदान रु 1,350 या प्रति उपभोक्ता लागत का 22.5%, जो भी कम हो, होगा।

© Vision IAS

प्रमुख घटक:
उपभोक्ता मीटर और सिस्टम मीटर: • कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर। • 25 करोड़ उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के दायरे में लाया जाएगा। • प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए शहरी क्षेत्रों, संघ राज्यक्षेत्रों, अमृत योजना में शामिल शहरों और उच्च हानि वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए, वर्ष 2023 तक 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, शेष मीटरों को चरणों में लगाया जाएगा है। • ऊर्जा लेखांकन को सक्षम करने के लिए सभी फीडरों और वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए सूचनीय AMIk मीटर प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे डिस्कॉम द्वारा हानि में कमी करने के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके। • प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने से डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता में सुधार करने में सहायता मिलेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए DISCOMs को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
फीडर का वर्गीकरण: • यह योजना असंबद्ध फीडरों के लिए फीडर पृथक्करण के लिए वित्त पोषण पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जो कुसुम (KUSUM) के तहत सौरीकरण को सक्षम करेगा। • फीडरों के सौरीकरण से सिंचाई के लिए किसानों को दिन की अवधि में सस्ती/निःशुल्क विद्युत प्राप्त होगी और **किसानों अतिरिक्त आय होगी।**
शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण: • सभी शहरी क्षेत्रों में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) • 100 शहरी केंद्रों में वितरण प्रबंधन प्रणाली (DMS)
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण
नोट: पूर्वोत्तर राज्यों के सिक्किम और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों सहित सभी विशेष श्रेणी के राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में माना जाएगा।

14.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana: DDUGJY)

उद्देश्य

- वर्ष 2022 तक देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 24×7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति।
- नई परिभाषा के अनुसार सभी गांवों एवं बस्तियों का विद्युतीकरण।
- निर्धनता रेखा के नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को निः शुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को शामिल कर लिया गया है।

योजना के अंतर्गत शामिल कार्य	वित्तपोषण	अन्य विशेषताएं
• ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग को सुविधाजनक बनाने हेतु **कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को पृथक** करना। • ग्रामीण क्षेत्रों में **ट्रांसफार्मर / फीडरों / उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित उप-पारेषण एवं वितरण (ST&D) अवसंरचनाओं** का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्द्धन। • **माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण** नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया जाएगा।	• लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) **केंद्र सरकार** द्वारा वहन किया जाता है। विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) द्वारा न्यूनतम योगदान 10% (विशेष श्रेणी के मामले में 5%) होगा। • डिस्कॉम शेष राशि वित्तीय संस्थानों और बैंकों से ऋण ले सकती है।	• निजी क्षेत्रक की डिस्कॉम सहित सभी डिस्कॉम वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। • DDUGJY के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन एक नोडल एजेंसी है। • देश के सभी गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में रियल टाइम डेटा प्रदान करने हेतु मंत्रालय ने **GARV-II ऐप** भी लॉन्च किया है। • मार्च, 2019 तक **99.99% जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।**

14.3. राष्ट्रीय एल.ई.डी. कार्यक्रम (National LED Programme)

इस कार्यक्रम को वर्ष 2005 में, सस्ती दरों पर अत्यधिक कुशल लाइटिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं:

- उन्नत ज्योति बॉय अफ़ोर्डेबल LED फॉर ऑल (UJALA), और
- राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (Street Lighting National Program: SLNP)

14.3.1. उजाला {UJALA (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All)}

उद्देश्य

- कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना।
- बिजली के बिल को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इसका उद्देश्य ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने के लाभ के बारे में **उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना** तथा उच्च प्रारंभिक लागतों को कम करने की मांग में वृद्धि करना, **इस प्रकार आवासीय उपयोगकर्ताओं द्वारा LED लाइट्स के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग को सुविधाजनक बनाना।**
- EESL (एनर्जी इफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड) परिवारों को 10 रुपये की सस्ती दर पर LED लाइट्स खरीदने में सक्षम बनाता है। यह योजना शेष राशि का उनके बिजली बिल से आसान किस्तों पर भुगतान करने की व्यवस्था करता है।

समग्र लक्ष्य	• 3 वर्ष में बदली जाने वाली एल.ई.डी. लाइटों की संख्या का कुल लक्ष्य - 770 मिलियन
	• अपेक्षित वार्षिक ऊर्जा बचत - 105 बिलियन KWh
	• पीक लोड में अपेक्षित कमी - 20,000 मेगावाट
	• वार्षिक अनुमानित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी - 79 मिलियन टन CO_2

नोट: मंत्रालय द्वारा जनवरी 2021 में दी गई जानकारी के अनुसार, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने संपूर्ण भारत में 36.69 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए हैं।

14.3.2. राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (Street Lighting National Program: SLNP)

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मार्च 2020 तक भारत की 14 मिलियन (1.34 करोड़) पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को ऊर्जा दक्ष LEDs से प्रतिस्थापित करना है।

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं

- **नोट:** मंत्रालय द्वारा जनवरी 2021 में दी गई जानकारी के अनुसार, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) द्वारा संपूर्ण भारत में **लगभग 1.14 करोड़ LED स्ट्रीट लाइटें** लगाई गई हैं।

14.4. एकीकृत विद्युत विकास योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए) {Integrated Power Development Scheme (For Urban Areas)}

उद्देश्य
शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय 24x7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
प्रमुख विशेषताएं

योजना का उद्देश्य	वित्तपोषण	अन्य विशेषताएं
• शहरी क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सुदृढ़ करना। • शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग। • वितरण क्षेत्र को आई.टी. सक्षम बनाना और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना।	• लागत का 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। डिस्कॉम द्वारा न्यूनतम योगदान 10% (विशेष श्रेणी के मामले में 5%) होगा। • डिस्कॉम शेष राशि वित्तीय संस्थानों और बैंकों से उधार ले सकती है।	• सभी डिस्कॉम (निजी सहित) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। • योजना के तहत परियोजनाएं केवल शहरी क्षेत्रों (वैधानिक कस्बों) के लिए तैयार की जाएंगी। • पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) नोडल एजेंसी है।

14.5. सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ़ इफिशन्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्माल इंडस्ट्रीज (साथी) {Sustainable and Accelerated Adoption of efficient Textile technologies to Help small Industries (SAATHI)}

उद्देश्य
ऊर्जा एवं लागत बचत द्वारा लघु और मध्यम पॉवरलूम इकाइयों की क्षमता में वृद्धि करना।
प्रमुख विशेषताएं

- **वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत् मंत्रालय की एक संयुक्त पहल।**
- **EESL ऊर्जा सक्षम पॉवरलूम, मोटर तथा रैपियर किट का थोक में** क्रय करेगी, तथा उन्हें लघु और मध्यम पॉवरलूम इकाइयों को **बिना किसी अग्रिम कीमत** के उपलब्ध कराएगी।
- दक्ष उपकरणों का उपयोग इकाई के स्वामी के लिए ऊर्जा और लागत की बचत के रूप में सामने आएगा, और यह 4 से 5 वर्षों की अवधि के दौरान EESL को किश्तों के रूप में पुनर्भुगतान किया जायेगा।

14.6. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

ऊर्जा (अर्बन ज्योति अभियान) ऐप {URJA (Urban Jyoti Abhiyan) APP}

- इस ऐप को विद्युत मंत्रालय की ओर से **पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।** यह सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करके हेतु IT सक्षम शहरों में डिस्कॉम के प्रदर्शन/निष्पादन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाली डिजिटल पहल है।
- यह ऐप उपभोक्ता शिकायत निवारण, नए सेवा कनेक्शन जारी करने, उपभोक्ता द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं की औसत संख्या आदि जैसे विभिन्न उपभोक्ता केंद्रित मानकों पर डिस्कॉम के प्रदर्शन को मापता है।

मेरिट (आय एवं पारदर्शिता के कायाकल्प के लिए बिजली का मेरिट ऑर्डर डिस्पैच) वेब पोर्टल {MERIT (Merit Order Despatch of Electricity for Rejuvenation of Income and Transparency) web portal}

- इसे विद्युत् मंत्रालय द्वारा **पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (POSOCO)** तथा **केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण** के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह राज्य/राज्यों द्वारा खरीदी गई विद्युत् के मेरिट ऑर्डर के संदर्भ में सूचनाओं की एक विस्तृत सारणी को प्रदर्शित करता है, यथा- सभी विद्युत् जनित्रों की दैनिक राज्यवार सीमांत परिवर्तनीय लागत, स्रोतवार निश्चित और परिवर्तनीय लागतों, ऊर्जा की मात्रा एवं खरीद मूल्यों के साथ संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की दैनिक स्रोतवार विद्युत् खरीदें आदि।
- यह राज्यों को अपने विद्युत् खरीद पोर्टफोलियो में सुधार करने का अवसर भी प्रदान करता है।

इको निवास संहिता (ECO Niwas Samhita)

- **यह रिहायशी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC-R) है।**
- इसका उद्देश्य ऐसे घरों, अपार्टमेंट और टाउनशिप का डिजाइन तैयार करना और उनके निर्माण को बढ़ावा देना है जिससे उनमें रहने वाले लोगों और पर्यावरण को ऊर्जा की बचत के लाभ प्राप्त हो सके।

नेशनल पावर पोर्टल (National Power Portal: NPP)

- यह भारत में विद्युत् उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु GIS सक्षम नेविगेशन और विज़ुअलाइजेशन चार्ट विंडोज के माध्यम से भारतीय विद्युत् क्षेत्र की सूचनाओं के एकत्रीकरण और प्रसारण हेतु एक केंद्रीकृत मंच है।
- NPP डैशबोर्ड, सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए पूर्ववर्ती विद्युत् क्षेत्र के ऐप्स, यथा तरंग (TARANG), उजाला (UJALA), प्रवाह (PRAVAH), गर्व (GARV), उर्जा (URJA) और मेरिट (MERIT) हेतु एक एकल बिंदु इंटरफ़ेस के रूप में भी कार्य करेगा।

प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) {Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA)}

- इस योजना को 31 मार्च 2019 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने और दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (Solar Photovoltaic: SPV) आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC),** इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है।
- **प्रमुख विशेषताएं**
    - सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में **सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011** के आंकड़ों के अंतर्गत कम से कम एक वंचित व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों सहित सभी को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराएगी।
    - लाभार्थी परिवारों को पांच LED लाइट, एक DC फैन और एक DC पावर प्लग प्रदान किया जाएगा। इसमें 5 वर्ष के लिए मरम्मत और रखरखाव (R&M) की सुविधा भी शामिल है।

© Vision IAS

प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Achieve and Trade: PAT) योजना

- हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि यह योजना वि-कार्बनीकरण के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं रही है।
- इसे वर्ष 2008 में **'बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन' (National Mission for Enhanced Energy Efficiency: NMEEE)** के तहत आरंभ किया गया था। इसे भारतीय उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और इसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
    - ज्ञातव्य है कि **NMEEE, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत एक योजना है।

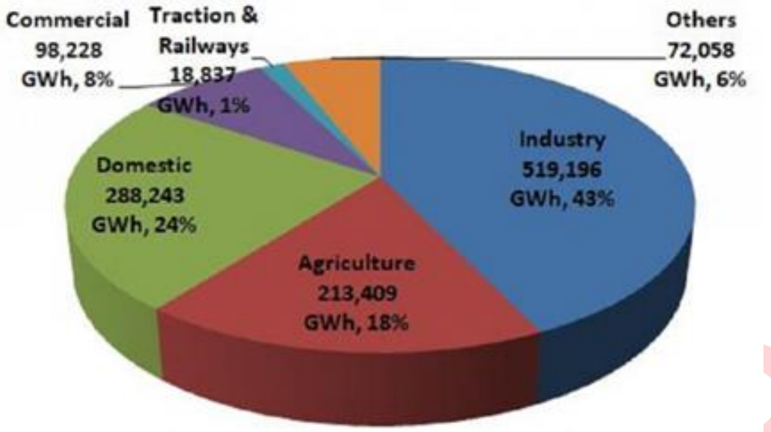

- इसके अंतर्गत तापीय विद्युत् संयंत्र, सीमेंट, एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात, लुगदी व कागज, उर्वरक, पेट्रोलियम रिफाइनरियों आदि सहित **13 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।**
- इसके तहत, **सरकार उद्योगों (नामित उपभोक्ताओं) को शॉर्टलिस्ट करती है और ऊर्जा की उस मात्रा को प्रतिबंधित/सीमित करती है, जिसका वे उपभोग कर सकते हैं।** साथ ही, तीन वर्ष की समय सीमा को परिभाषित किया जाता है, इसे एक PAT चक्र कहते हैं। इस समयावधि में प्रतिबंध को पूरा किया जाना चाहिए।
- **जो उद्योग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ESCerts)** जारी किए जाते हैं। ये प्रमाण-पत्र उन उद्योगों के साथ व्यापार योग्य होते हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं।

बड़ी रुकावट की स्थिति में आवश्यक लोड को बनाए रखने हेतु विद्युत क्षेत्र के लिए आइलैंडिंग योजनाएं (Islanding Schemes for Power Sector for maintaining essential load in event of major outage)

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि **पहले से ही 26 मौजूदा/कार्यान्वयन अधीन योजनाओं के अतिरिक्त प्रमुख शहरों के लिए 17 नई आइलैंडिंग योजनाओं की कार्य योजना निर्मित** की गई है। ज्ञातव्य है कि यह भारत के विद्युत् ग्रिड्स की सुरक्षा हेतु किया जा रहा एक प्रयास है।
- **आइलैंडिंग योजना:** आइलैंडिंग योजना विद्युत व्यवस्था के लिए एक रक्षा तंत्र है। इसमें प्रणाली के एक हिस्से को बाधित ग्रिड से पृथक किया जाता है, ताकि यह उपभाग बाकी ग्रिड से अलग रह सके और इस क्षेत्र में आवश्यक लोड की आपूर्ति में निरंतरता बनी रहे।
    - **महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रणालियों, नेटवर्क और आस्तियों का निकाय है,** जो किसी राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी जनता के स्वास्थ्य एवं /या सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। (इन्फोग्राफिक देखें)

15. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)

15.1. जलमार्ग विकास परियोजना (Jal Marg Vikas Project: JMVP)

उद्देश्य

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के हल्दिया-वाराणसी खंड पर नौवहन (Navigation) क्षमता में वृद्धि करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह परियोजना गंगा नदी पर प्रयागराज और हल्दिया के मध्य जलमार्ग (वाणिज्यिक नौवहन के लिए) के विकास की परिकल्पना करती है। इसकी लंबाई 1,620 कि.मी. है।
- इस परियोजना के अंतर्गत **उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल** सम्मिलित हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) पर **वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया और गाजीपुर में 4 मल्टी-मॉडल टर्मिनलों के निर्माण की योजना** है।
- इस परियोजना के अंतर्गत भारत में पहली बार जलमार्ग परिवहन के संसाधन प्रबंधन का बेहतर उपयोग करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित **नदी सूचना प्रणाली (River Information System)** को अपनाया गया है।
- JMVP को विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग और निवेश समर्थन से, 5,369.18 करोड़ रुपये (800 मिलियन अमरीकी डॉलर) की अनुमानित लागत के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **परियोजना की लागत को भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य 50:50 के सह-विभाजन के आधार** पर साझा किया जा रहा है।
- ज्ञातव्य है कि हाल ही में, **वाराणसी में गंगा नदी पर भारत के प्रथम अंतर्देशीय मल्टी-मॉडल टर्मिनल पत्तन** का उद्घाटन किया गया था।

15.2. सागरमाला (Sagarmala)

उद्देश्य

- भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा, 14,500 कि.मी. संभावित नौवहन योग्य जलमार्गों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक अवस्थिति का उपयोग करके देश में **पत्तन-उन्मुख विकास** को बढ़ावा देना।
- **इसके लक्ष्य हैं:**
    - इष्टतम मोडल मिक्स (परिवहन के भिन्नभिन्न माध्यमों का मिश्रण) के माध्यम से घरेलू कार्गो के **परिवहन की लागत को कम करना।**
    - औद्योगिक क्षमताओं को तट के निकट स्थापित कर थोक वस्तुओं की लॉजिस्टिक लागत को कम करना।
    - पत्तन के निकर पृथक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।
    - आयात-निर्यात (EXIM) कंटेनर की आवाजाही के समय/लागत को इष्टतम करना।

प्रमुख विशेषताएं:

सागरमाला परियोजना (पत्तन आधारित विकास) के चार स्तंभ			
पत्तनों का आधुनिकीकरण	**पोर्ट कनेक्टिविटी**	**पत्तन-उन्मुख औद्योगीकरण**	**तटीय सामुदायिक विकास**
• क्षमता का संवर्धन • नए पत्तनों का निर्माण • दक्षता में सुधार	• नए सड़क/रेल संपर्क • सड़कों/रेलवे का उन्नयन • तटीय पोतपरिवहन • अंतर्देशीय जल परिवहन • लॉजिस्टिक पार्क	• औद्योगिक क्लस्टर • तटीय रोजगार जोन • समुद्री क्लस्टर • स्मार्ट औद्योगिक पत्तन शहर • पोर्ट आधारित विशेष आर्थि क्षेत्र (SEZ)	• कौशल विकास • तटीय पर्यटन परियोजनाएं • मत्स्यन पत्तन, मत्स्य प्रसंस्करण केंद्रों का विकास

© Vision IAS

- **वित्त-पोषण के दो माध्यम:**
  - **इक्विटी समर्थन {विशिष्ट प्रयोजन वाहन (SPV) मार्ग *}; और**
  - **मंत्रालय का बजट।**
- **अन्य संबंधित तथ्य:**

इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन (IPRC)	• IPRC को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन SPV के रूप में स्थापित किया गया है ताकि प्रमुख पत्तनों की अंतिम छोर तक रेल कनेक्टिविटी और आंतरिक रेल परियोजनाओं को अधिक प्रभावी और दक्षतापूर्वक निष्पादित किया जा सके।
राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति	• यह समिति पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में **समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान** करती है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को स्वीकृति प्रदान करती है।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना	• इसे केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ निजी अभिकर्ताओं से संबंधित प्रमुख हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद तैयार किया गया है।
समुद्री और पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (CEMS)	• यह इस उद्योग से संबंधित **प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए** सीमेंस (Siemens) और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) के सहयोग से पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
तटीय बर्थ योजना	• समुद्री या राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा कार्गो और यात्रियों के आवागमन के लिए **अवसंरचना के निर्माण हेतु** पत्तनों या राज्य सरकारों को **वित्तीय सहायता** प्रदान करना।
अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र (CICMT)	• यह समुद्री क्षेत्रक के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों के केंद्र के रूप में IIT खड़गपुर में स्थापित किया जा रहा है और यह विदेशी संस्थानों पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। साथ ही, इससे अनुसंधान की लागत में भी अत्यधिक कमी आएगी।

***इक्विटी समर्थन {विशिष्ट प्रयोजन वाहन (SPV) मार्ग }:** यह सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (इसे राज्य स्तर/जोन स्तर के विशेष प्रयोजन वाहनों की सहायता के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया है) से प्रदान किया जाता है।

नोट: इससे निकटता से जुडी एक और कार्यक्रम "सेतुसमुद्रम परियोजना" है, जिसका उद्देश्य पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ना और इसके माध्यम से समुद्री व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

15.3. प्रधान मंत्री गति शक्ति - बहुविध कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity)

उद्देश्य

- इसमें **विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना योजनाओं** जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्गों, शुष्क/भूमि बंदरगाहों, उड़ान, इत्यादि को शामिल किया जाएगा। कनेक्टिविटी बेहतर करने एवं भारतीय व्यवसायों को और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, फिशिंग क्लस्टर, एग्री जोन आदि जैसे **आर्थिक क्षेत्रों** को भी शामिल किया जाएगा।
- यह **इसरो** (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) इमेजरी के साथ स्थानिक नियोजन उपकरणों सहित व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगी, जिसे BiSAG-N (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन्स एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स) ने विकसित किया है।

मुख्य विशेषताएं	
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म	**गति शक्ति या बहुविध कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) एक डिजिटल मंच** है। अवसंरचनात्मक संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना के निर्माण और उसके समन्वित कार्यान्वयन के लिए **16 मंत्रालयों को एक साथ लाने** हेतु इसका शुभारंभ किया गया है।

कवरेज	• इसमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि आधारित बंदरगाह, उड़ान (UDAN), आदि जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित पहल शामिल हैं। • अगले चरण में, इसमें अस्पतालों और विश्वविद्यालयों जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे का एकीकरण किया जाना है।
लक्ष्य	• इसके तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को **वर्ष 2024-25** तक प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया है: ○ 2 लाख कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। ○ **रेलवे द्वारा 1,600 मिलियन टन कार्गो का परिवहन** करना और अपने नेटवर्क के 51% हिस्से पर से अत्यधिक संकुलन को कम करना। ○ **220 एयरपॉर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एयरोड्रोम द्वारा वायु परिवहन क्षमता को दोगुना** करना। ○ **गैस पाइपलाइन नेटवर्क का आकार दोगुना** करना। ○ 4.52 लाख सर्किट कि.मी. विद्युत लाइन बिछाना और 225 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। ○ 11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारे स्थापित करना।
पीएम गति शक्ति छह स्तंभों पर आधारित है:	
व्यापकता (Comprehensiveness)	एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा तथा नियोजित पहलों को शामिल करना।
प्राथमिकता (Prioritisation)	विभिन्न विभागों के विविध-क्षेत्रक समन्वय के माध्यम से उनकी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में मदद करना।
अनुकूलन (Optimisation)	महत्वपूर्ण कमियों की पहचान के बाद परियोजनाओं के नियोजन में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही, समय और लागत के मामले में सबसे इष्टतम मार्ग का चयन किया जाएगा।
समन्वय (Synchronisation)	प्रत्येक विभाग और शासन के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य का समन्वय सुनिश्चित करके उनकी गतिविधियों को समग्र रूप से समन्वित करना।
विश्लेषणात्मक (Analytical)	निष्पादन एजेंसी को बेहतर दृश्यता प्रदान करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित स्थानिक योजना और 200 से अधिक परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करना।
गतिशील (Dynamic)	विभिन्न क्षेत्रकों की परियोजनाओं की प्रगति के वास्तविक समय पर अवलोकन, समीक्षा एवं निगरानी के माध्यम से सभी मंत्रालयों और विभागों के मास्टर प्लान में महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की पहचान करने में सहायता करना।

15.4. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

भारत में व्यापारिक पोतों की फ्लैगिंग करने को बढ़ावा देने की योजना (Scheme for promotion of flagging of merchant ships in India)	मंत्रिमंडल ने भारत में व्यापारिक पोतों की फ्लैगिंग करने को बढ़ावा देने की योजना को अनुमोदित किया है • यह योजना मंत्रालयों द्वारा जारी **वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को पांच वर्षों में 1,624 करोड़ रुपये का सब्सिडी समर्थन प्रदान** करती है। ○ **पोत द्वारा फ्लैगिंग-** प्रत्येक वाणिज्यिक पोत को अपनी पसंद के राष्ट्र में पंजीकृत होना चाहिए। तब पोत उस राष्ट्र के ध्वज को ले जाने के लिए बाध्य होता है तथा उसके द्वारा लागू नियमों एवं विनियमों का पालन भी करता है। • भारतीय बेड़े में वृद्धि से **भारतीय नाविकों को प्रत्यक्ष रोजगार** मिलेगा, क्योंकि भारतीय पोतों को केवल भारतीय नाविकों को ही नियुक्त करने की अनुमति दी गयी है। • इस नीति की घोषणा **केंद्रीय बजट 2022** में की गई थी।

16. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

16.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

स्फूर्ति ऐप (SFOORTI App)

स्फूर्ति या स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मैशन (SFOORTI) माल प्रबंधकों हेतु एक ऐप है जो GIS व्यूज और डैशबोर्ड का प्रयोग करते हुए माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी और प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है।

प्रोजेक्ट सक्षम (Project Saksham)

यह एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके तहत भारतीय रेलवे के सभी कर्मचारियों की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि की जाएगी।

प्रोजेक्ट स्वर्ण (Project Swarn)

- इस योजना को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की स्थिति में उन्नयन हेतु प्रारंभ किया गया है।
- प्रोजेक्ट स्वर्ण का उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से यात्री अनुभवों में सुधार करना है जिसमें 9 आयाम शामिल हैं। इसके अंतर्गत कोच की आन्तरिक साजसज्जा, शौचालय,ऑनबोर्ड सफाई, कर्मचारी व्यवहार, खानपान, लिनेन, समय-पाबंदी, सुरक्षा तथा ऑनबोर्ड मनोरंजन शामिल हैं।

निवारण- शिकायत पोर्टल (NIVARAN-Grievance Portal)

रेलक्लाउड पर आरम्भ किया गया यह पहला आईटी (IT) ऐप है। यह सेवारत तथा पूर्व रेलवे कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु एक प्लेटफार्म है।

विकल्प योजना (Vikalp scheme)

- प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को निश्चित सीट/बर्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'अल्टरनेट ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम-विकल्प' की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
- इस योजना के अंतर्गत किसी ट्रेन की प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को अन्य ट्रेनों में निश्चित सीट/बर्थ का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है।
- यह सभी प्रकार की ट्रेनों और श्रेणियों के यात्रियों के लिए लागू किया गया है।

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (Rashtriya Rail Sanraksha Kosh)

इसका गठन 2017-18 के बजट में महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए पांच वर्षों की अवधि हेतु ₹1 लाख करोड़ की राशि के साथ किया गया है।

'समन्वय' पोर्टल ('SAMANVAY' Portal)

इसे विभिन्न रेलवे एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ढांचागत विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित राज्य सरकारों के पास लंबित मुद्दों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए विकसित किया गया है।

श्रेष्ठ (SRESTHA)

यह रेलवे की भावी प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नया अनुसंधान एवं विकास संगठन है।

इंडियन रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (Indian Railways e-procurement system : IREPS) {Indian Railways eprocurement system (IREPS)}

- यह **ई-निविदा, ई-नीलामी या रिवर्स नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से वस्तुओं, विनिर्माण और सेवाओं, सामग्री की बिक्री और संपत्ति के पट्टे के लिए ऑनलाइन गतिविधियों हेतु** भारतीय रेलवे का आधिकारिक पोर्टल है।
- इसे रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (Centre for Railways Information System : CRIS) द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जाता है।
- यह सबसे बड़ा G2B पोर्टल है।
- इसके मोबाइल एप्लिकेशन "आपूर्ति (Aapoorti)" को भी आरंभ किया गया है।

रेल मदद ऐप (Rail MADAD App)

इसे यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।

रेल सहयोग वेब पोर्टल (Rail Sahyog' web portal)

यह पोर्टल निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कोष के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर एवं इसके निकट सुविधाओं के सृजन में योगदान करने के लिए एक प्लेटफ़ार्म प्रदान करता है।

समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Dedicated Freight Corridor)

- इस परियोजना के अंतर्गत पूरे देश में छह **माल ढुलाई गलियारों** का निर्माण शामिल है।
- प्रारंभ में इसके अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी DFC का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- अन्य चार गलियारे यथा उत्तर-दक्षिण (दिल्ली-तमिलनाडु), पूर्व-पश्चिम (पश्चिम बंगाल-महाराष्ट्र), पूर्व-दक्षिण (पश्चिम बंगाल-आंध्र प्रदेश) और दक्षिण-दक्षिण (तमिलनाडु-गोवा) योजना के चरण में हैं।
- वर्ष 2006 में, भारत सरकार ने परियोजना को लागू करने के लिए एक समर्पित निकाय, **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (DFCCIL)** की स्थापना की।
- पश्चिमी और पूर्वी गलियारे के परिचालन में आने के बाद, यह रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को वर्तमान में 1,200 मिलियन टन से बढ़ाकर लगभग 2,300 मिलियन टन कर देंगे और यह माल ढुलाई की लागत को कम करने में भी सहायक होंगे।
- पश्चिमी गलियारे के निर्माण पुर्णतः जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और पूर्वी गलियारे को विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है।

किसान रेल योजना (Kisan Rail Scheme)

- भारतीय रेलवे द्वारा दूध, मांस और मछली सहित शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं और कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए किसान रेल ट्रेन सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है।
- किसान रेल ट्रेनें चलाने का प्राथमिक उद्देश्य उत्पादन केंद्रों को बाजारों और उपभोग केंद्रों से जोड़कर कृषि क्षेत्रक की आय में वृद्धि करना है।
- **परिवहन शुल्क:**
  - किसान रेल ट्रेनों के माध्यम से बुक की गई वस्तुओं पर पार्सल टैरिफ के 'पी' स्केल का शुल्क लिया जाता है।
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन्स यथा टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से लेकर सभी फलों एवं सब्जियों (टोटल)' की योजना के तहत किसान रेल के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह सब्सिडी

© Vision IAS

कन्साइनरों/किसानों को बुकिंग के समय ही अग्रिम रूप से दी जा रही है, ताकि इसका लाभ बिना किसी परेशानी या प्रक्रियात्मक देरी के किसानों को प्राप्त हो।

मिशन सत्यनिष्ठा (Mission Satyanishtha)

- इसका उद्देश्य सभी रेल कर्मचारियों को नैतिकता का पालन करने और कार्य में सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के संदर्भ में संवेदनशील बनाना है। इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं:
  - प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता और मूल्य को समझने के लिए प्रशिक्षित करना।
  - जीवन और लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करना।
  - भारतीय रेलवे की नीतियों में नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा और इसे बनाए रखने में कर्मचारी की भूमिका को समझने में मदद करना।
  - आंतरिक संसाधनों के दोहन के माध्यम से आंतरिक अभिशासन का विकास करना।

भारत गौरव योजना

- **भारतीय रेलवे (IR) ने पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने** और आकर्षित करने के लिए "भारत गौरव योजना" नामक एक नई योजना शुरू की है।
- भारत गौरव योजना के तहत, **थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें** या तो निजी या राज्य के स्वामित्व वाले ऑपरेटरों द्वारा चलाई जा सकती हैं।
  - अब तक, भारतीय रेलवे में यात्री खंड और माल खंड थे। अब, इसमें पर्यटन के लिए एक तीसरा खंड भी होगा।
  - लगभग 3,033 कोच या लगभग 150 ट्रेनों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है।
- इसके **अंतर्गत ऑपरेटर को रूट, किराया, थीम और सुविधाओं सहित कई सेवाओं को स्वयं से तय करने की स्वतंत्रता होगी।**
- वे पर्यटकों को रेल यात्रा, होटल आवास, दर्शनीय स्थलों की व्यवस्था आदि सहित **सभी समावेशी पैकेज की पेशकश** करेंगे।

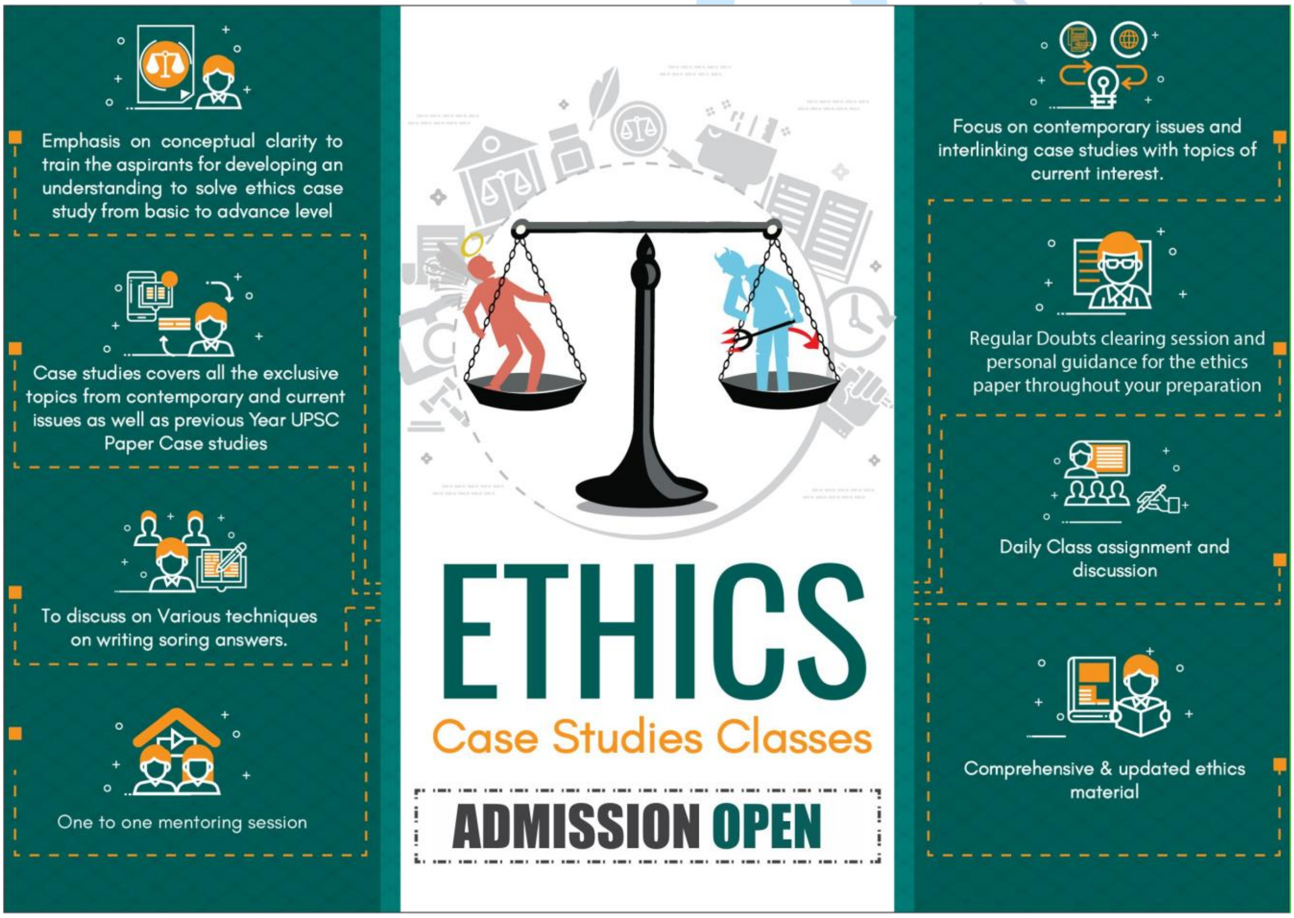

17. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)

17.1. भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana)

उद्देश्य

यह राजमार्ग क्षेत्रक (हाईवे सेक्टर) हेतु एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जो विशेष रूप से **महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों को समाप्त** कर सम्पूर्ण देश में माल और यात्री आवागमन क्षमता के बेहतर उपयोग पर केन्द्रित है।

प्रमुख विशेषताएं

- भारतमाला के प्रथम चरण में लगभग 24,800 कि.मी. सड़क निर्माण प्रस्तावित है, जिसे वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वयित किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, प्रथम चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के तहत 10,000 कि.मी. के शेष सड़क कार्य भी शामिल हैं, जो कुल मिलाकर **34,800 कि.मी.** है।

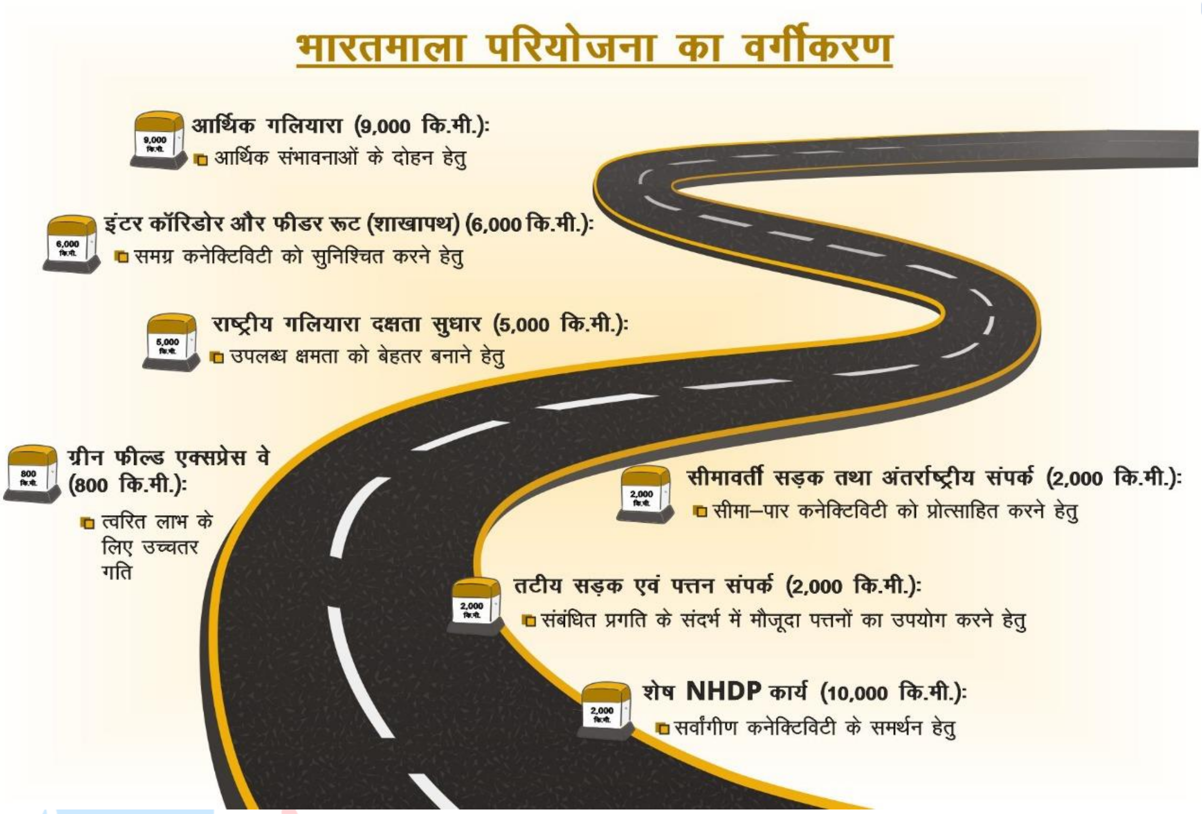

- मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास और चोक प्वाइंट के उन्मूलन के माध्यम से **मौजूदा गलियारों की दक्षता में सुधार** करना।
- **उत्तर-पूर्व में कनेक्टिविटी सुधार पर ध्यान केन्द्रित** करना तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के सहयोग से लाभ प्राप्त करना।
- **पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों,** आर्थिक गतिविधि वाले क्षेत्रों, धार्मिक और पर्यटन रुचि के स्थलों, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार मार्गों आदि **कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान** केन्द्रित करना।
- भारतमाला परियोजना के तहत **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)** द्वारा **लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम (LEEP)** प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अवसंरचना, प्रक्रियात्मक और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हस्तक्षेपों के माध्यम से वस्तुओं की कंसाइनमेंट लागत, समय, ट्रैकिंग एवं स्थानान्तरणीयता में सुधार करना तथा भारत में माल ढुलाई में वृद्धि करना है।
- राजमार्ग परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से NHAI द्वारा एक **राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्द्धन प्रकोष्ठ (National Highways Investment Promotion Cell: NHIPC)** का गठन किया गया है।

© Vision IAS

- इस परियोजना का क्रियान्वयन सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) और राज्य लोक निर्माण विभाग (PWDs) के माध्यम से किया जाएगा।

17.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

सेतु भारतम् (Setu Bharatam)

- इसे **सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त** बनाने के लिए आरंभ किया गया था, ताकि लेवल क्रॉसिंग पर बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं और जानमाल की क्षति को रोका जा सके।
- लगभग 10,200 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना के तहत **रेल ओवर ब्रिज या अंडरपास के निर्माण के लिए 208 स्थानों की पहचान की गई है।** साथ ही, **50 से 60 वर्ष से अधिक पुराने लगभग 1,500 पुलों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है।**
- मंत्रालय ने सभी लेवल क्रॉसिंग को रोड ओवरब्रिज या रोड अंडरब्रिज से प्रतिस्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इंफ्राकॉन (INFRACON)

- यह **इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फर्मों और प्रमुख कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है।**
- यह सड़क इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्रक में कार्यरत कंसल्टेंसी फर्मों तथा प्रक्षेत्र विशेषज्ञों एवं प्रमुख कर्मियों (जिन्हें परियोजना की तैयारी और पर्यवेक्षण दोनों के लिए परिनियोजित किया जाता है) के मध्य एक तरह के सेतु के रूप में कार्य करता है।

इनाम प्रो + (INAM PRO +)

- यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, **राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL)** द्वारा डिजाइन किया गया एक वेब पोर्टल है।
- इसे अवसंरचना उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए आरंभ किया गया था। इनाम-प्रो में केवल सीमेंट विक्रेता और खरीदार शामिल हैं। **इनाम प्रो+** में अन्य निर्माण सामग्री, उपकरण/मशीनरी और सेवाएं शामिल की गई हैं। इनमें नए/प्रयुक्त उत्पादों और सेवाओं की खरीद/किराया/पट्टा शामिल है।
- यह पोर्टल मूल्य की तुलना करने, सामग्री की उपलब्धता संबंधी आदि सुविधाएं प्रदान करता है।

बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली (Bidder Information Management System: BIMS)

- इसका उद्देश्य बेहतर पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए EPC (इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण) मोड के अनुबंधों हेतु **बोलीदाताओं की पूर्व-योग्यता की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।**
- यह पोर्टल **बोलीदाताओं के बारे में जानकारी के डेटाबेस** के रूप में कार्य करेगा। इसमें उनके बुनियादी विवरण, सिविल कार्य का अनुभव, नकद उपार्जन और नेटवर्क, वार्षिक कारोबार आदि शामिल होंगे।

भूमि राशि पोर्टल (Bhoomi Rashi Portal)

- इसमें **देश का संपूर्ण राजस्व डेटा** शामिल है।
- इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रारूप अधिसूचना प्रस्तुत करने से लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा इसका अनुमोदन एवं ई-राजपत्र में प्रकाशन तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है।
- इस पोर्टल का सृजन **भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाओं के प्रकाशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया गया है।**
- भूमि राशि के साथ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का एकीकरण प्रमुख कार्यात्मकताओं में से एक है। इसके तहत भूमि राशि प्रणाली के माध्यम से **प्रत्यक्ष रूप से सभी लाभार्थियों को भूमि अधिग्रहण के लिए प्रतिपूर्ति से संबंधित भुगतान की सुविधा** प्रदान की जाएगी।

गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) योजना

• कई राज्यों ने अभी तक **गुड सेमेरिटन योजना** लागू नहीं की है।
• गुड सेमेरिटन योजना के तहत, कोई भी व्यक्ति जो **सड़क दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल** ले जाकर उसका जीवन बचाता है, उसे **₹5,000 का पुरस्कार** दिया जाएगा।
  ○ गुड सेमेरिटन को **किसी भी नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा** प्रदान की गई है।
  ○ गुड सेमेरिटन**,** अस्पताल या कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष **अपने नाम को प्रकट नहीं करने के लिए स्वतंत्र** है।
• इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों को इसका पर्याप्त प्रचार करना चाहिए।

 © Vision IAS

18. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

18.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 {Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005}#

उद्देश्य

- मांग के अनुसार **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को** वित्तीय वर्ष में एक गारंटीशुदा रोजगार के रूप में **कम से कम 100 दिनों का अकुशल मैन्युअल कार्य** उपलब्ध कराना, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक संपत्तियों का निर्माण हो;
- **गरीबों के आजीविका संसाधन आधार** को सुदृढ़ करना;
- अग्रसक्रिय रूप से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; तथा
- **पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़** बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- इसके तहत सूखे/प्राकृतिक आपदा वाले अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अनिवार्य 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल मजदूरी संबंधी रोजगार का प्रावधान किया जा सकता है।
  - मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें इस अधिनियम के तहत प्रदत्त गारंटीकृत अवधि से अतिरिक्त अवधि (जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा) के लिए रोजगार का प्रावधान कर सकती हैं।
- **प्रमुख लक्ष्य:**
  - मजदूरी के माध्यम से रोजगार के अवसरों की गारंटी प्रदान कर **ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक सुभेद्य लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा।**
  - स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य को बढ़ावा देकर रोजगार अवसरों के निर्माण के माध्यम से **ग्रामीण निर्धनों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि।**
  - ग्रामीण क्षेत्रों के **प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प।**
  - **एक स्थायी और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्ति आधार** का निर्माण।
  - अधिकार-आधारित कानूनों की प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) का सशक्तीकरण।
  - विभिन्न निर्धनता और आजीविका पहलों के अभिसरण के माध्यम से **विकेन्द्रीकृत, सहभागितापूर्ण आयोजन को सुदृढ़** करना।
  - पंचायती राज संस्थानों को सशक्त कर जमीनी स्तर पर **लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।**
- **ग्राम पंचायत जांच के बाद परिवारों (हाउसहोल्ड)** को पंजीकृत करती है, और जॉब कार्ड जारी करती है।
- मनरेगा के कार्यों का **सामाजिक लेखापरीक्षा (Social Audit)** अनिवार्य है।
- **कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं** होंगी।
- रोजगार 5 किमी के दायरे में प्रदान किया जाएगा और यदि दूरी 5 किमी से अधिक है, तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005** की धारा 6(1) के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इसके लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है।
- यदि आवेदन करने या कार्य मांगे जाने के पंद्रह दिनों के अन्दर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो **आवेदनकर्ता बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी** होता है। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।
- **मजदूरी और निर्माण सामग्री (wage and material ratio) में 60:40** के अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए। कोई ठेकेदार और मशीनरी अनुमन्य नहीं है।
- केंद्र सरकार कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित अकुशल मैनुअल श्रम की 100 प्रतिशत मजदूरी लागत एवं भौतिक लागत के 75 प्रतिशत का वहन करती है।
- सरकार ने विभिन्न राज्यों में अधिसूचित सूखा प्रभावित जिलों में 100 दिनों से अधिक दिनों (150 दिनों तक) के लिए अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी दे दी है।
- अब इस योजना का उद्देश्य **रोजगार सृजन के अतिरिक्त, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार** करना, **उद्यमशीलता के लिए श्रमिकों का कुशल विकास** और GIS मैपिंग तथा कार्य की ब्लॉक-स्तर निगरानी जैसे कार्यों हेतु युवाओं की नियुक्ति करना है।
- GeoMGNREGA मनरेगा के तहत निर्मित संपत्तियों की जियोटैगिंग के लिए **राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)**, इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से MoRD का एक अनूठा प्रयास है।

- **कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के अंतर्गत मनरेगा का प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2020-21 में फरवरी, 2021 तक कुल 344 करोड़ कार्य दिवस रोजगार सृजित हुए। यह अब तक का सर्वाधिक सृजित कार्य दिवस रोजगार था। कुल कार्य दिवसों में से लगभग 52% महिला कार्य दिवस सृजित किए गए, जो महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है।
- हाल ही में, केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे इस वित्तीय वर्ष से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए अलग-अलग श्रेणियों में मनरेगा योजना के तहत मजदूरी भुगतान को विभाजित करें।

18.2. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)}#

उद्देश्य

- **वर्ष 2022 तक PMAY-G चरण- II के तहत 1.95 करोड़ आवासों के निर्माण** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024 तक सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घरों का निर्माण किया जाना है।
- यह योजना मूल रूप से **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** (EWS: वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं) और **निम्न आय वर्ग** (LIG: वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं) वर्गों में लोगों को कवर करने के लिए प्रारंभ की गई थी, किंतु वर्तमान में इसके तहत मध्य आय वर्ग (MIG) को भी कवर किया गया है।

प्रमुख विशेषताएं

प्रधान मंत्री द्वारा **वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास"** का आह्वान किया गया था। इस हेतु 20 नवंबर, 2016 को PMAY-G नामक एक प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किया गया था। It was launched for providing "Housing for All by 2024" in 2016.

लाभार्थियों की पहचान	यह कार्य तीन चरणों वाले सत्यापनों (सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011, ग्राम सभा और भू-टैगिंग) के माध्यम से संपन्न किया जाता है।
ग्राम सभा की भूमिका	पूर्व में सहायता प्राप्त लाभान्वितों एवं अन्य कारणों से अयोग्य लोगों की पहचान करने के लिए सूची ग्राम सभा को दी जाएगी।
प्रौद्योगिकी का उपयोग	भू-संदर्भित (geo referenced) तस्वीरों की जांच और उन्हें अपलोड एक मोबाइल ऐप द्वारा किया जाएगा।
लाभार्थी को अनुदान सहायता	**प्रत्येक लाभार्थी को शत-प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में** 1.20 लाख रुपये (मैदानी क्षेत्रों में) और 1.30 लाख रुपये {पर्वतीय राज्यों/ पूर्वोत्तर राज्यों/ दुर्गम क्षेत्रों/ संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख/ एकीकृत कार्य योजना (Integrated Action Plan: IAP) जिलों/ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए} प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस अनुदान को केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा। लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।
लाभार्थी के बैंक खाते में 4 किस्तों में प्रत्यक्ष रूप से धनराशि प्रदान की जाती है	यह जियोटैग्ड फोटो के माध्यम से निर्माण के विभिन्न चरणों के सत्यापन के बाद किया जाता है।
अकुशल श्रम मजदूरी के लिए सहायता	लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90/95 कार्य दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी दी जाती है। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण, या किसी अन्य समर्पित स्रोत के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
निगरानी	कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी समुदाय भागीदारी (सामाजिक लेखा परीक्षा), संसद सदस्य (DISHA समिति), केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तरीय मॉनीटरिंग आदि के माध्यम से की जानी है।
अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण	इस योजना में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एल.पी.जी. कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच आदि के लिए **भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण का प्रावधान** किया गया है।

 © Vision IAS

18.3. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)#

उद्देश्य
• निर्धन परिवारों की लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी के रोजगार अवसरों तक पहुंच को सक्षम बना कर ग्रामीण गरीबी को कम करना। • 2024-25 तक 10-12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूहों में संगठित करना। • सशक्त समुदाय संस्थानों के निर्माण के माध्यम से निर्धनों की आजीविका में सतत सुधार लाना। • ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्म स्थापित करना, जो उन्हें आजीविका में वृद्धि तथा वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। • 7.0 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँच स्थापित करना, जिनमें से 4.5 करोड़ अभी भी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से जोड़े नहीं जा सके हैं।
प्रमुख विशेषताएं
• यह एक **केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम** है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए विभिन्न आजीविकाओं को बढ़ावा देना है। • इस मिशन में स्वयं सहायता की भावना से सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से **सामुदायिक संस्थानों के साथ कार्य करना** शामिल है। यह DAY-NRLM का विशिष्ट संकल्प है। • इसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्रखंड स्तरों पर समर्पित कार्यान्वयन सहायता इकाइयों के साथ **विशेष-प्रयोजन इकाइयों** (स्वायत्तशासी राज्य समितियों) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। • **यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन-** प्रत्येक चिह्नित निर्धन ग्रामीण परिवार में से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाना है। सुभेद्य समुदायों पर विशेष बल दिया जाता है। • **निर्धनों की पहचान के लिये सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण (PIP)** - NRLM द्वारा लक्षित परिवारों (NTH) की पहचान हेतु BPL के बजाय निर्धनों की पहचान के लिये **सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण (Participatory Identification of Poor: PIP)** अपनाया जाता है। PIP एक समुदाय संचालित प्रक्रिया है, जहां CBOs स्वयं सहभागितापूर्ण ढंग से गांव में गरीबों को चिह्नित करते हैं। CBOs द्वारा पहचाने गए गरीबों की सूची का निरीक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। • यह **रिवॉलविंग फंड (RF)** और **सामुदायिक निवेश कोष (CIF)** के माध्यम से संसाधन प्रदान करता है, जिससे उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जा सके तथा मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड निर्मित कर सकें। • **वित्तीय समावेशन-** यह गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है तथा SHGs और उनके संघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करता है • **आजीविका-** NRLM कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में निर्धनों के मौजूदा आजीविका पोर्टफोलियो को स्थिर करने एवं प्रोत्साहित करने; बाह्य आजीविका बाजारों के लिए कौशल निर्माण; और स्व-नियोजित एवं उद्यमियों को पोषित करने (सूक्ष्म उद्यमों के लिए) पर ध्यान केंद्रित करता है। • यह **आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (ASDP)** को क्रियान्वित करता है। इस उद्देश्य के लिए NRLM कोष का 25% भाग निर्धारित है। ASDP ग्रामीण युवाओं के कौशल और अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च वेतन रोजगार में नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। • NRLM, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **ग्रामीण विकास स्व-रोजगार संस्थान (RUDSETI) मॉडल** के आधार पर देश के सभी जिलों में **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। • NRLM, **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) के माध्यम से** सफल, लघु-स्तरीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी एवं उत्पादकता को बढ़ाती है। MKSP का लक्ष्य निर्धन तथा निर्धनतम के लिए घरेलू भोजन और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। • हाल ही में, DAY-NRLM के तहत 13 राज्यों के 77 जिलों में वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र (सक्षम केंद्र) के 152 सेंटर्स शुरू किए गए। • **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना** को NRLM के उप-समुच्चय (सब-सेट) के रूप में डिजाइन किया गया है। इससे **'अवधारणा का प्रमाण' (प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट)** बनाया जा सकेगा, केंद्र और राज्यों की क्षमताओं का निर्माण किया जा सकेगा तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को NRLM में स्थानांतरित (transit) करने हेतु एक सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा। NRLM को देश में लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों के लिए 13 उच्च निर्धनता वाले राज्यों में लागू किया जाएगा। • आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देने तथा डिजिटल वित एवं आजीविका से संबंधित हस्तक्षेपों को प्रोत्साहित करने हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना अर्थात् **"राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP)"** को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

* अक्टूबर 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **वित्त वर्ष 2023-24 तक, पांच वर्ष की अवधि के लिए संघ राज्यक्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 520 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज** देने की मंजूरी दी थी। इसके तहत इस विस्तारित अवधि के दौरान आवंटन को निर्धनता अनुपात से जोड़े बिना मांग जनित आधार पर DAY-NRLM का वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (Aajeevika Grameen Express Yojana: AGEY)

* इसे वर्ष 2017 में **DAY-NRLM को सुसाध्य बनाने हेतु इसके तहत एक उप-योजना के रूप में** प्रारंभ किया गया था।
* AGEY का उद्देश्य **स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों द्वारा संचालित वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को संपर्कता प्रदान करना** है।
* DAY–NRLM के तहत समुदाय आधारित संगठनों (Community Based Organisations: CBOs) के परामर्श से **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Missions: SRLMs)** उन मार्गों की पहचान करते हैं, जहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, परन्तु परिवहन सेवाएं निम्नस्तरीय हैं।
* SHG सदस्यों को वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर पहचाने गए मार्गों पर **वाहनों के संचालन के लिए CBOs द्वारा ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया जाता है।
* AGEY हेतु **पृथक रूप से कोई बजटीय आवंटन नहीं** किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, DAY-NRLM के मौजूदा प्रावधानों के तहत CBOs को प्रदान किए गए सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund: CIF) का उपयोग SHG सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है।

18.4. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DeenDayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana: DDU-GKY)

उद्देश्य

भारत के ग्रामीण निर्धनों को आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रोकने वाले कौशल अभाव जैसे कि- औपचारिक शिक्षा और विपणन योग्य कौशल की कमी को समाप्त करना।

अपेक्षित लाभार्थी

* 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवा।
* अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (SC/ST)/महिला/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups: PVTG)/दिव्यांगजन: 45 वर्ष की आयु तक।

प्रमुख विशेषताएं

* यह दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन **(DAY-NRLM)** के तहत एक **उप-योजना** है।
* **इसमें नियोजन से जुड़ी कौशल संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन** प्रदान किया जाता है।
* ग्रामीण निर्धनों को नि:शुल्क **मांग आधारित** कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।
* **सामाजिक रूप से वंचित समूहों का अनिवार्य कवरेज** (SC/ST 50%; अल्पसंख्यक 15% तथा महिलाएं 33%)।
* **रोजगार प्रतिधारण, करियर की प्रगति और विदेश में प्लेसमेंट के लिए प्रोत्साहन** प्रदान करना।
* कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए **गारंटीकृत प्लेसमेंट।**
* **प्लेसमेंट के पश्चात् सहयोग**, प्रवासन सहयोग और एलुमनी (पूर्ववर्ती प्रशिक्षु) नेटवर्क।
* नए प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का पोषण करना और उनके कौशल का विकास करना।
* जम्मू और कश्मीर (हिमायत/HIMAYAT योजना द्वारा), उत्तर-पूर्वी

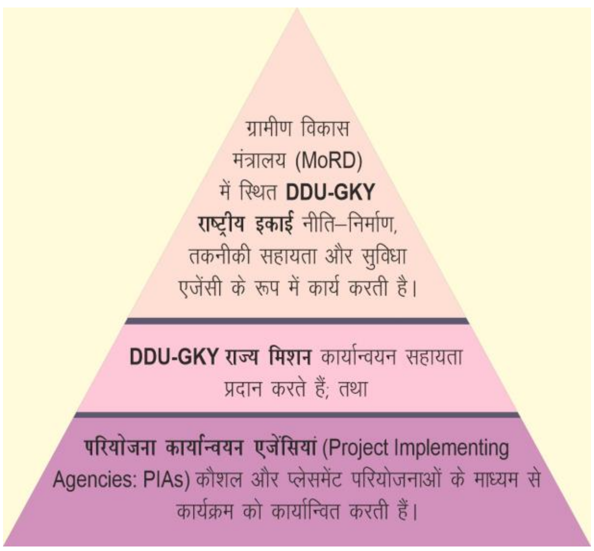

© Vision IAS

क्षेत्र और 27 वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों (रोशनी/ROSHNI योजना द्वारा) में निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक बल देना।
- यह **स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और प्रमाणन** को अनिवार्य करती है।
- **त्रि-स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल:**

18.5. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan)

उद्देश्य

- **ग्रामीण क्षेत्रों को वापिस लौटने वाले प्रवासियों और इसी प्रकार से प्रभावित नागरिकों** को आजीविका रोजगार प्रदान करना।
- गाँव में सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं, जैसे- सड़कों, आवासों, आंगनवाड़ियों, पंचायत भवनों, विभिन्न आजीविका आस्तियों और सामुदायिक परिसरों का निर्माण करना तथा आजीविका के अवसर सृजित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस अभियान को जून 2020 में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए **6 राज्यों, यथा- बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों में 125 दिनों की अवधि के लिए** आरंभ किया गया था।
- इसमें 116 अभियान जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए **25 लक्ष्य संचालित कार्यों का गहन तथा संकेन्द्रित कार्यान्वयन शामिल किया गया है।** इस अभियान का संसाधन आवरण 50,000 करोड़ रुपये का है।
- यह **ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य 11 भागीदार मंत्रालयों** (पंचायती राज मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, खान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) **तथा छह राज्य सरकारों के मध्य एक संयुक्त प्रयास** है।

18.6. सांसद आदर्श ग्राम योजना [Saansad Adarsh Gram Yojana (SAANJHI)]

उद्देश्य

- उन प्रक्रियाओं में तेजी लाना जो चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को बढ़ावा देती हैं।
- निम्नलिखित उपायों के माध्यम से जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार:
  - उन्नत बुनियादी सुविधाएं
  - उच्चतर उत्पादकता
  - संवर्धित मानव विकास
  - बेहतर आजीविका के अवसर
  - असमानता में कमी
  - अधिकारों और दावों तक पहुंच
  - व्यापक सामाजिक गतिशीलता
  - समृद्ध सामाजिक पूंजी
- स्थानीय स्तर के विकास और प्रभावी स्थानीय शासन के मॉडल को विकसित करना जो निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को सीखने और उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।

प्रमुख विशेषताएं

- इसके तहत मार्च 2019 तक तीन आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य है।जिनमें से एक आदर्श गौण को 2016 तक विकसित किया जाना था। तत्पश्चात, प्रति वर्ष एक का चयन करके 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का विकास किया जाना है।
- विकास के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होगी। इसकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 3000-5000 और पहाड़ी, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होगी।
- इसके तहत संसद के प्रत्येक सांसद एक ग्राम पंचायत को तत्काल चुनेंगे तथा दो अन्य को कुछ समय पश्चात् चुना जाएगा।

कौन	ग्राम पंचायत का चयन
लोक सभा सांसद	अपने निर्वाचन क्षेत्र से
राज्य सभा सांसद	जहां से वह चुना गया है वहां अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण अंचल से
नामनिर्दिष्ट सांसद	देश में किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से

- शहरी निर्वाचन क्षेत्रों (जहां ग्राम पंचायत नहीं हैं) के मामले में, सांसद निकट के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे।
- सांसद इस योजना के तहत जीवनसाथी के ग्राम या अपने ग्राम का चयन नहीं कर सकते हैं।

- इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास योजना के माध्यम से किया जाएगा जो प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत के लिए तैयार किया जाएगा।
- विकास रणनीति का मॉडल आपूर्ति-संचालित न होकर मांग-संचालित होगा।

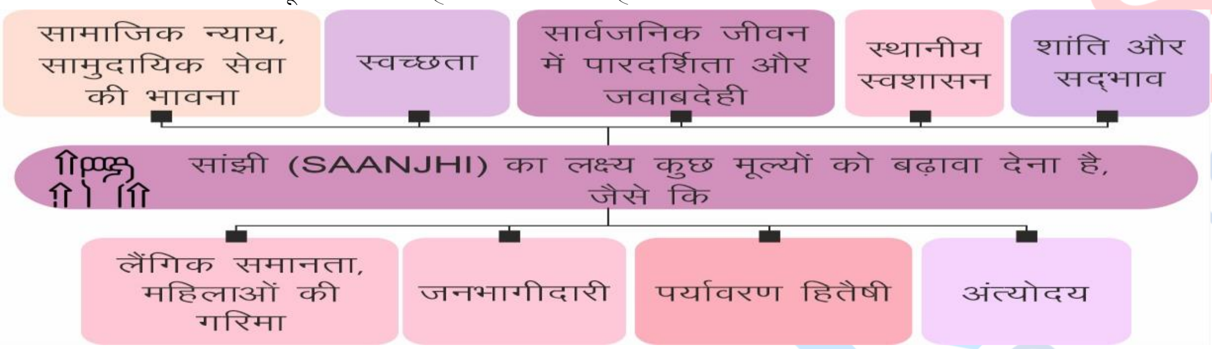

18.7. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III)#

उद्देश्य

- मौजूदा मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क-मार्गों का उन्नयन करना तथा **वर्तमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का समेकन करना,** जो ग्रामीण अधिवासों को निम्नलिखित से जोड़ता है:
  - ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs),
  - उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तथा
  - अस्पताल।

प्रमुख विशेषताएं

- चरण III को जुलाई 2019 के दौरान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- PMGSY-III योजना के तहत राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को समेकित करने का प्रस्ताव किया गया है।

योजनावधि	• वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25
वित्तपोषण	• यह 8 पूर्वोत्तर तथा 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड), जिनके लिए यह 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र व राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा।
प्रतिभागी सड़कों का चयन	• सेवित जनसंख्या, बाजार, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं आदि के मानकों के आधार पर किसी विशेष सड़क द्वारा प्राप्त अंकों के योग के आधार पर।
सेतुओं का निर्माण	• मैदानी क्षेत्रों में 150 मीटर तक तथा हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में 200 मीटर तक के सेतुओं के निर्माण का

© Vision IAS

	प्रस्ताव है, जबकि मैदानी क्षेत्रों एवं हिमालयी व पूर्वोत्तर राज्यों में क्रमशः 75 मीटर और 100 मीटर के मौजूदा प्रावधान हैं।
समझौता ज्ञापन (MoU)	• राज्यों को संबंधित राज्य में PMGSY-III आरंभ करने से पहले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा। यह 5 वर्ष की निर्माण रखरखाव अवधि के उपरांत PMGSY के तहत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य होगा।

PMGSY के तहत प्रगति: योजना के तहत अप्रैल, 2019 तक कुल 5,99,090 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। इसमें PMGSY-I, PMGSY-II और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA) योजना भी शामिल हैं।

PMGSY-I:

- PMGSY को वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्षेत्रों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नामित आबादी के आकार (जनगणना, 2001 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और उत्तर-पूर्व, पर्वतीय, जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250+) के पात्र असंबद्ध अधिवासों को एकल बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना था।
- 97 प्रतिशत पात्र और व्यवहार्य अधिवासों को पहले ही बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

PMGSY-II

- इसे वर्ष 2013 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। जबकि PMGSY- I जारी रहा। PMGSY के चरण II के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने के लिए ग्रामों की कनेक्टिविटी हेतु पहले से ही निर्मित की गई सड़कों को उन्नत किया जाना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए PMGSY-II के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- उन्नयन की लागत का 75% केंद्र द्वारा और 25 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया गया था। पर्वतीय राज्यों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, अनुसूची-V में शामिल क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित जिलों के लिए लागत का 90% केंद्र द्वारा वहन किया गया था।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र के लिए सड़क संपर्क परियोजना (Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Area: RCPLWEA):

- इसे वर्ष 2016 में PMGSYके तहत एक पृथक परियोजना के रूप में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आरंभ किया गया था। इसे 44 जिलों (वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिले और इनके समीप स्थित 09 जिले) में आवश्यक पुलियों और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं के साथ बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था, जो सुरक्षा एवं संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

18.8. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission)

उद्देश्य

स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर निर्मित करना।

प्रमुख विशेषताएं

इसका उद्देश्य निम्नलिखित के लिए देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर तैयार करना है:

आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं से संबंधित ग्रामीण शहरी विभाजन का उन्मूलन करना।	क्षेत्र में विकास का विस्तार करना।	ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना।	ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और बेरोजगारी को कम करने पर बल देने के साथ-साथ स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

रुर्बन क्लस्टर	केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका	अन्य विशेषताएं केंद्र सरकार की भूमिका
एक 'रुर्बन क्लस्टर', भौगोलिक दृष्टि से समीपवर्ती गांवों का समूह होगा। मैदानी और तटीय क्षेत्रों में इसकी जनसंख्या लगभग 25,000 से 50,000 तथा रेगिस्तान, पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों में यह 5,000 से 15,000 होगी।	केंद्र सरकार परिणामों को प्राप्त करने में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध वित्त पोषण में कमी की पूर्ति हेतु क्लस्टर को क्रिटिकल गैप फंडिंग (CGF) प्रदान करेगी।	यह योजना क्लस्टर के इष्टतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए 14 अनिवार्य घटकों के साथ कार्य करेगी। इसमें आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, पूरी तरह से सुसज्जित सचल स्वास्थ्य इकाई और अंतर–गांव सड़क संबद्धता शामिल हैं।
राज्य सरकारों द्वारा क्लस्टरों का चयन किया जाएगा।	राज्य सरकार क्लस्टर के विकास के लिए प्रासंगिक वर्तमान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की पहचान करेगी तथा केंद्र प्रायोजित तथा एक समेकित एवं समयबद्ध रीति में उनके कार्यान्वयन का अभिसरण करेगी।	

18.9. मिशन अंत्योदय (Mission Antyodaya)

उद्देश्य

संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से समयबद्ध रूप में गरीबी के विभिन्न आयामों को संबोधित करने के लिए, वित्तीय और मानवीय, दोनों तरह के परिवर्तनकारी बदलावों को अवसर प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह वास्तविक ग्रामीण परिवर्तन के लिए मापनीय परिणाम पर आधारित **राज्य की अगुवाई वाला उत्तरदायित्व एवं अभिसरण (एकाउंटेबिलिटी एंड कंवर्जेंस) फ्रेमवर्क है,** जो 5,000 ग्रामीण क्लस्टर अथवा 50 हजार ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले 1 करोड़ परिवारों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए 1000 दिनों का लक्ष्य निर्धारित करता है।
- ग्राम पंचायत (GP) परिवर्तन की निगरानी और वस्तुनिष्ठ मानदंडों (objective criteria) के आधार पर रैंकिंग के लिए मूल इकाई है।
- **अभिकल्पित किये गए प्रमुख परिणाम**
  - ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDPs) / क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करके चयनित ग्राम पंचायतों/क्लस्टर्स के लिए **सुदृढ़ अवसंरचनात्मक** आधार प्रदान करना।
  - GP/क्लस्टर में व्यापक हितधारकों को आकर्षित करने वाली योजनाओं का **प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक पूंजी में वृद्धि हेतु सहभागितापूर्ण योजना निर्माण।**
  - गैर-कृषि क्षेत्र, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का कौशल विकास, मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चैन) का विकास और उद्यमों को प्रोत्साहन देने सहित विभिन्न आजीविकाओं के सृजन के माध्यम से **आर्थिक अवसरों** को बढ़ावा देना।
  - पंचायती राज्य संस्थाओं (PRIs) की क्षमता के विकास, सार्वजनिक प्रकटीकरण, ग्राम पंचायत स्तर के औपचारिक और सामाजिक जवाबदेही उपाय (जैसे सामाजिक लेखापरीक्षा) के माध्यम से **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़** करना।
- **मिशन अंत्योदय के तहत प्रमुख प्रक्रियाएँ**
  - परिवारों का **बेसलाइन सर्वेक्षण करना** और समय-समय पर प्रगति की निगरानी करना।
  - ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु लक्षित कार्यक्रमों/योजनाओं के **समेकन को सुनिश्चित** करना।
  - PRIs, सामुदायिक संगठनों, NGOs, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), संस्थानों और विभिन्न विभागों (जैसे ASHA कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि) के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के मध्य **ग्राम पंचायत/क्लस्टर साझेदारी को संस्थागत** बनाना।
  - संस्थानों और पेशेवरों के साथ भागीदारी के माध्यम से उद्यमों को बढ़ावा देना।

18.10. नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना (Neeranchal National Watershed Project)

उद्देश्य

- PMKSY के वाटरशेड घटक को और अधिक मजबूत बनाना तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- प्रत्येक खेत तक सिंचाई की पहुंच (हर खेत को पानी)।
- जल का कुशल उपयोग (प्रत्येक बूँद अधिक फसल)।

© Vision IAS

मुख्य विशेषताएं

- **विश्व बैंक** समर्थित नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट।
- **परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (Project Implementing Agency: PIA):** भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

19. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)

19.1. इंस्पायर योजना (इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च) {Inspire Scheme (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research)}

उद्देश्य

- युवा छात्रों को **विज्ञान का अध्ययन करने और शोध क्षेत्र में करियर बनाने** हेतु आकर्षित करना।
- रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना और बच्चों के मध्य नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- **अनुसंधान एवं विकास की नींव और उसके आधार** को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिभाशाली युवा मानव संसाधन को आकर्षित करना, संलग्न करना, बनाए रखना तथा उन्हें विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- प्रतिभाओं को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2008 में इंस्पायर योजना को अनुमोदित किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत **15-35 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों/युवाओं को शामिल किया गया है।** इंस्पायर योजना के तीन कार्यक्रम और पाँच घटक हैं।
  - **प्रतिभाओं के प्रारंभिक आकर्षण की योजना (Scheme For Early Attraction Of Talent: SEATS):** SEATS का लक्ष्य 5 हज़ार रुपये का इंस्पायर पुरस्कार प्रदान करने के माध्यम से 10-15 वर्ष की आयु वर्ग के 10 लाख प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान के अध्ययन की ओर आकर्षित करना है, ताकि वे नवाचारों के आनंद का अनुभव कर सकें। इंस्पायर इंटर्नशिप के माध्यम से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 50,000 विद्यार्थियों को **विज्ञान क्षेत्र के वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं के साथ अंतःक्रिया कराने** के उद्देश्य से 100 से अधिक स्थानों पर वार्षिक ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन शिविर आयोजित किये जाएंगे।

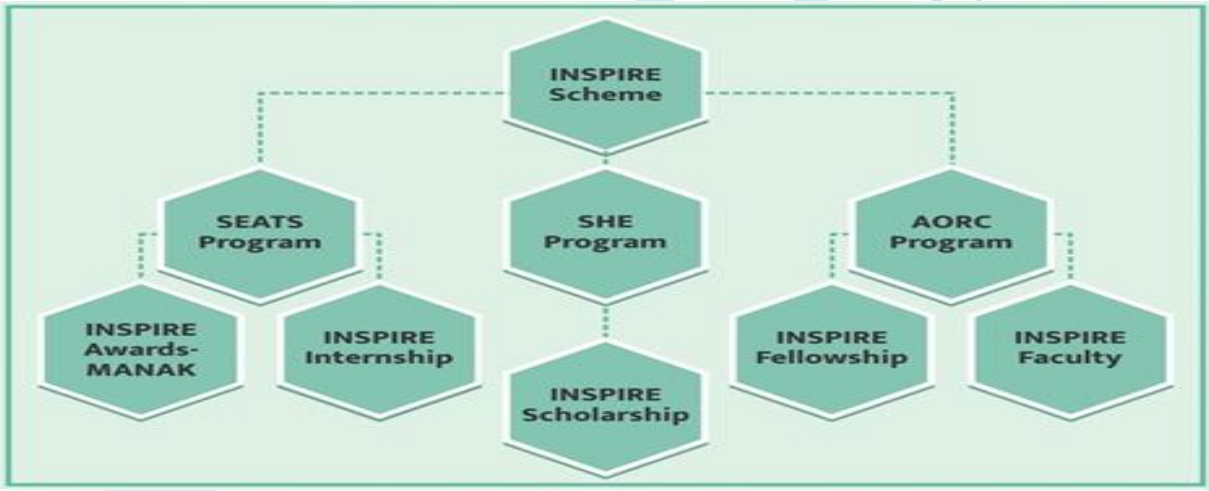

  - **उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship for higher education: SHE):** SHE के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा के लिए, 17-22 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं हेतु प्रत्येक वर्ष 0.80 लाख रुपये/वर्ष की 10,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इस योजना की मुख्य विशेषता प्रत्येक विद्यार्थी को प्रदान किया गया **मेंटरशिप सपोर्ट** (शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन) है।
  - **अनुसंधान में करियर बनाने के लिए निश्चित अवसर (Assured Opportunity For Research Careers: AORC):** AORC के दो उप-घटक हैं।
    - पहला घटक अर्थात **इंस्पायर फैलोशिप** (22-27 वर्ष का आयु समूह) प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग और चिकित्सा सहित आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों में शोध (डॉक्टरेट डिग्री) के लिए 1000 फेलोशिप प्रदान करता है।
    - दूसरा घटक, अर्थात **इंस्पायर फैकल्टी स्कीम,** प्रत्येक वर्ष आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों क्षेत्रों के 27-32 वर्ष के आयु वर्ग के 1000 पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ताओं हेतु 5 वर्ष के लिए संविदात्मक और टेन्योर ट्रैक पदों के माध्यम से निश्चित अवसर प्रदान करता है।

© Vision IAS

मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज (The Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge: MANAK) कार्यक्रम

- **इंस्पायर पुरस्कार-मानक** {मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज (MANAK)} को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा वर्ष 2017 में **राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (NIF)** की भागीदारी के साथ आरंभ किया गया था।
- **इस** कार्यक्रम का उद्देश्य **स्कूली बच्चों में रचनात्मकता और नवोन्मेषी सोच की संस्कृति को प्रोत्साहित करने** के लिए विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोग में निहित **दस लाख मूल विचारों/नवाचारों को लक्षित** करना है।
- इसका उद्देश्य **कक्षा 6 से 10** में अध्ययन करने वाले 10-15 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को प्रेरित करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत **DST वस्तुतः सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों को** सामान्य समस्याओं का समाधान करने की क्षमता वाले **मूल और नवोन्मेषी विचारों को आमंत्रित करता है।**
- इन विचारों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु चयनित करने से पूर्व **स्कूल के स्तर पर, जिला और राज्य स्तर पर कठिन स्क्रीनिंग और मेंटरिंग की प्रक्रिया** से गुज़रना पड़ता हैं।

19.2. स्वस्थ्य पुन: उपयोग सयंत्र के लिए शहरी सीवेज स्ट्रीम का स्थानीय उपचार {Local Treatment of Urban Sewage For Healthy Reuseplant (LOTUS-HR) Program}

उद्देश्य

- यह समग्र **अपशिष्ट जल प्रबंधन के एक नवीन दृष्टिकोण** को दर्शाता है, जो स्वच्छ जल का उत्पादन करेगा तथा जिसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए पुन: उपयोग किया जा सकता है।
- इसके साथ ही, शहरी अपशिष्ट जल से पोषक तत्व और ऊर्जा प्राप्त करना और इस प्रकार इस अपशिष्ट जल (drain) के लाभप्रद उपयोग को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस परियोजना को **वर्ष 2017** में प्रारंभ किया गया था और यह **जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) तथा नीदरलैंड सरकार** द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित है।
- नवाचारी पायलट स्केल मॉड्यूलर प्लांट प्रतिदिन 10,000 लीटर सीवेज जल का उपचार करेगा और इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर मेगासिटी हेतु उपयुक्त सार्वभौमिक जल प्रबंधन तथा जोखिम मूल्यांकन रणनीतियों को विकसित करना है।
- LOTUS-HR परियोजना के द्वितीय चरण का क्रियान्वन बारापुल्ला नाला (नई दिल्ली) से किया गया तथा इस परियोजना में IIT-दिल्ली, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) भी भागीदार हैं।
- इसके प्रथम चरण में बारापुल्ला नाले की सफाई के लिए वाइटल अर्बन फिल्टर (VUFs) की जटिल, मजबूत और प्रकृति-आधारित तकनीक का उपयोग किया गया।
    - VUFs, परंपरागत लंबवत प्रवाह द्वारा निर्मित आर्द्रभूमि (Vertical Flow Constructed Wetland) के सिद्धांत पर आधारित हैं, जो सामान्यतया विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन में उपयोग किए जाते हैं।
    - फिल्टर में सजावटी पौधों के साथ संलग्न हाइड्रोपोनिक फिल्टर सामग्री वाला एक सपाट तल होता है।
    - फिल्टर सामग्री अत्यधिक छिद्रित होती हैं, जो बायोमास के लिए अधिक सतही क्षेत्र प्रदान करती है। ज्ञातव्य है कि जैसे ही फिल्टर के माध्यम से अपशिष्ट जल प्रवाहित होता है, तो भारी धातुओं, रोगजनकों और सूक्ष्म प्रदूषकों को फिल्टर में स्थित पौधों, फिल्टर सामग्री तथा जीवाणुओं के साथ होने वाली अंतक्रिया के माध्यम से इन्हें हटा दिया जाता है।

19.3. उम्मीद (वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां) पहल {Unique Methods of Management and Treatment of Inherited Disorders (UMMID) Initiative}

उद्देश्य

- सरकारी अस्पतालों में परामर्श, प्रसव-पूर्व परीक्षण और निदान, प्रबंधन तथा बहु-विषयक देखभाल प्रदान करने के लिए **'राष्ट्रीय वंशानुगत रोग प्रबंधन केंद्र (निदान)'** (National Inherited Diseases Administration: NIDAN) स्थापित करना;
- **मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में कुशल चिकित्सकों को तैयार करना;**
- **आकांक्षी जिलों** के अस्पतालों में **गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में** जन्मजात आनुवंशिक रोगों की जांच करना।

प्रमुख विशेषताएं

• यह पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के **जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)** द्वारा समर्थित है।
• इसे भारत में रोगियों को लाभावान्वित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इसके तहत चिकित्सकों के मध्य आनुवंशिक विकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और चिकित्सालयों में नैदानिक सेवाएँ स्थापित करने हेतु प्रयास किए गए हैं।
• इसके तहत भारत में स्थापित चिकित्सकीय आनुवंशिकी (Medical Genetics) केंद्रों को आगामी केंद्रों से जोड़ने और जिला अस्पतालों में नैदानिक आनुवंशिकी (Clinical Genetics) सुविधाओं को स्थापित करने पर भी विचार किया गया है।
  ○ यह आनुवंशिक विकारों से संबंधित रोगी देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाने में सहयोग करेगी।
  ○ यह चिकित्सीय अध्ययन कर रहे छात्रों को आणविक चिकित्सा के युग के लिए तैयार करने हेतु नवीनतम चिकित्सा आनुवंशिकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सहयोग करेगी।
• आनुवंशिक विकारों के लिए अत्याधुनिक डी.एन.ए. आधारित डायग्नोस्टिक सेवाओं के साथ आठ विभागों द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों को छः माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

19.4. नेशनल बायोफार्मा मिशन (National Biopharma Mission: NBM)

उद्देश्य

- बायो-फार्मास्यूटिकल्स में भारत की तकनीकी और उत्पाद विकास क्षमताओं को एक स्तर तक तैयार करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम और पोषित करना जो अगले एक दशक में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होगा तथा सस्ते उत्पाद विकास के माध्यम से भारत की आबादी के स्वास्थ्य मानदंडों को रूपांतरित करेगा।
- इस क्षेत्रक में उद्यमिता और **स्वदेशी विनिर्माण** को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षमकारी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना।
- **अन्य उद्देश्य** - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण एवं विकास करना, मानव पूंजी का निर्माण तथा उत्पाद खोज सत्यापन और विनिर्माण करना, दोनों के लिए साझा आधारभूत संरचना सुविधाएँ स्थापित करना।

प्रमुख विशेषताएं

NBM

यह जैव–प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया एक उद्योग–अकादमिक सहयोगी मिशन है।

इस मिशन को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत के साथ पांच वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। इसकी कुल लागत का 50% वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

इस मिशन को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम BIRAC (जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

इस क्षेत्र के अंतर्गत उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त इनोवेट इन इंडिया (i3) कार्यक्रम सम्मिलित होगा।

निजी क्षेत्र, सरकार और अकादमिक क्षेत्र (Academia) को एक साथ चिकित्सा नवाचार के ट्रिपल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है। यह बायोफार्मा के विकास को बढ़ा सकता है, जिस पर बल दिया जाना अति–आवश्यक है।

योजना का फोकस

- रोगों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए नए टीकों, जैव-चिकित्सा शास्त्र, नैदानिकी और चिकित्सा उपकरणों को विकसित करना।
- **उत्कृष्टता (अकादमिक)** के अलग-अलग केंद्रों को एक साथ लाने, **क्षेत्रीय क्षमताओं को बढ़ाने तथा क्षमता निर्माण के साथ-साथ संख्या एवं गुणवत्ता के संदर्भ में वर्तमान बायो-क्लस्टर नेटवर्क** को सुदृढ़ बनाना।
- प्रारंभिक फोकस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) व डेंगू के लिए वैक्सीन तथा कैंसर, मधुमेह एवं रूमेटोइड गठिया के लिए बायोसिमिलर्स (biosimilars) और चिकित्सा उपकरणों तथा निदान प्रक्रियाओं का विकास करना।
- यह मिशन **उत्पाद सत्यापन** के लिए प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकियों का विकास करेगा, **क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क** को सुदृढ़ करने के लिए संस्थाओं को जोड़ेगा, नवाचारी उत्पादों के लिए **जोखिम में कमी करेगा** और उभरते क्षेत्रों, जैसे- **ट्रांसलेशनल बायो-इन्फार्मेटिक्स, बायो एथिक्स** आदि में क्षमता निर्माण करेगा।

© Vision IAS

19.5. बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान एप्लीकेशन नेटवर्क) {Biotech-KISAN (Krishi Innovation Science Application Network)}

उद्देश्य

- सर्वप्रथम स्थानीय किसानों की जल, मृदा, बीज और विपणन से संबंधित समस्याओं को समझने तथा उन समस्याओं का समाधान प्रदान करके **उपलब्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को खेतों से जोड़ना।**
- **वैज्ञानिकों और किसानों** के निकट संयोजन के साथ मिलकर कार्य करना जोकि छोटे और सीमांत किसानों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने का एकमात्र तरीका है।
- **वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से** बेहतर कृषि उत्पादकता के लिए **लघु और सीमांत किसानों विशेष रूप से महिला किसानों** के साथ कार्य करना तथा **भारतीय संदर्भ में सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों** का विकास करना।

प्रमुख विशेषताएं

- समस्या को समझने और समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिक, किसानों के साथ **समन्वित रूप से कार्य** करेंगे।
- **महिला KISAN बायोटेक-** महिला किसानों के लिए कृषि प्रथाओं में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए फ़ेलोशिप।
- यह योजना छोटे उद्यमों के विकास में भी महिला किसानों का समर्थन करेगी।
- यह वैज्ञानिकों और संस्थानों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए **हब्स एंड स्पोक्स मॉडल** का उपयोग करेगी।
- **हब** (प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 60 लाख रूपये प्रति वर्ष और अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए समीक्षा के आधार पर) **और साझेदारी संस्थानों** को (5 लाख रूपये प्रति वर्ष) **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।**

योजना के घटक

हब	**15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक चैंपियन के नेतृत्व में** बायोटेक-KISAN हब स्थापित किया जाएगा। यह **चैम्पियन एक सुविधा प्रदाता के रूप में** कार्य करेगा। **इस क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों/कृषि विज्ञान केंद्रों** (KVKs)/अन्य किसान संगठनों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया जाएगा। साथ ही, अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विकसित किए जाएंगे। बायोटेक-KISAN हब में एक टिंकरिंग प्रयोगशाला (tinkering laboratory) होगी।
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण	किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में DBT द्वारा लघु अवधि प्रशिक्षण (STT) कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे।
साझेदारी संस्थान	वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की प्रयोगशालाओं में किसानों के लिए और कृषि क्षेत्रों में वैज्ञानिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
अनुसंधान परियोजनाएं	अतिरिक्त वित्तपोषण हेतु।

19.6. मवेशी जीनोमिक्स योजना (Cattle Genomics Scheme)

उद्देश्य

- प्रदर्शन रिकॉर्ड के साथ DNA स्तर की जानकारी का उपयोग करके पशुओं के **प्रजनन मूल्यों का सटीक अनुमान** लगाने तथा प्रारंभिक आयु में पशुओं (विशिष्ट पशु) के **आनुवांशिक मूल्य की पहचान** करना।
- भारत की सभी पंजीकृत पशु नस्लों से **स्वदेशी मवेशी नस्लों का जीनोम अनुक्रमण** (Genome sequencing)।
- **पशुधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पहचान** करने और पशु खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग से लाभ प्राप्त करना।

प्रमुख विशेषताएं

उच्च परिणाम, रोग प्रतिरोधी, लचीले पशुधन के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ पशुधन का जीनोमिक चयन करना।	**उच्च-उत्पादकता वाले DNA चिप** का विकास। यह भविष्य में प्रजनन कार्यक्रम की लागत और समय के अंतराल को कम करेगा तथा स्वदेशी पशुओं में (मवेशी की) उत्पादकता को बढ़ाएगा।	**राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान** इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

19.7. इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम्स प्रोग्राम (Integrated Cyber Physical Systems Program)

उद्देश्य

- शैक्षणिक गतिविधियों में अंतर्विषयक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।
- विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और उद्योगों के मध्य अधिक तालमेल को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

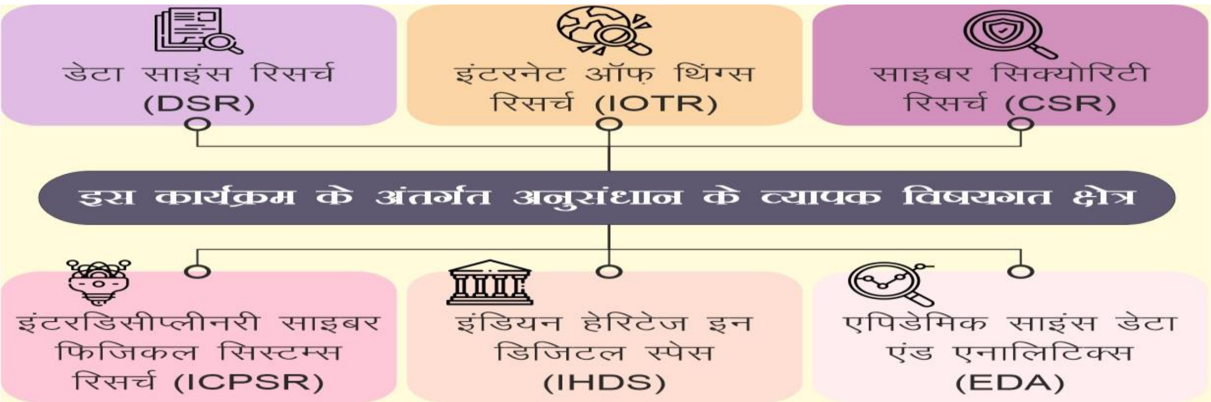

- जल, स्वास्थ्य, कृषि, अवसंरचना, परिवहन तथा भौतिक प्रणालियों की सुरक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए तंत्र विकसित किए जाएंगे।
- **साइबर फिजिकल सिस्टम (CPS) एक अंतर्विषयक क्षेत्र है। यह भौतिक विश्व में कार्य निष्पादन के लिए कंप्यूटर-आधारित सिस्टम के अनुप्रयोग से संबंधित** है। उदाहरणार्थ - स्वचालित कार, स्वायत्त चालक रहित वाहन (AUVs) और एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम।
- IIT और विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता के केंद्र विकसित किए जाएंगे।
- इस कार्यक्रम के तहत **"क्वांटम इनफार्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी" (QuST)**, क्वांटम प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मिशन मोड योजना है।

19.8. बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन {National Mission On Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (CPS)}

उद्देश्य

CPS और इससे संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग आधारित विकास, **मानव संसाधन विकास और कौशल वृद्धि, उद्यमिता एवं स्टार्ट-अप विकास** की समस्या का समाधान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस मिशन का लक्ष्य 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH), छह एप्लीकेशन इनोवेशन हब (AIH) और चार टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क (TTRP) की स्थापना करना है।
- ये हब और TTRP समस्याओं के समाधान विकसित करने हेतु देश भर में प्रतिष्ठित शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास और अन्य संगठनों के तहत एक हब तथा स्पोक मॉडल के रूप में शिक्षाविदों, उद्योग, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार से संबद्ध होंगे।

 © Vision IAS

इस मिशन के कार्यान्वयन से होने वाली सुविधाएँ

- देश में ही साइबर–फिजिकल प्रणालियों (CPS) और संबंधित प्रौद्योगिकी तक पहुंच
- भारत से संबंधित विशिष्ट राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए CPS प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण
- CPS में आगामी पीढ़ी की कुशल श्रमशक्ति का सृजन
- प्रौद्योगिकी आधारित नव–अनुसंधान में तेजी लाना
- भारत को अन्य उन्नत देशों के समकक्ष लाना तथा इसके माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करना
- CPS में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी व इंजीनियरिंग विषयों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना
- CPS में उद्यमशीलता और स्टार्टअप परिवेश के विकास में तीव्रता लाना

19.9. अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन - राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम (Atal Jai Anusandhan Biotech Mission- Undertaking Nationally Relevant Technology Innovation: UNATI)

उद्देश्य

आगामी 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रक को रूपांतरित करना।

प्रमुख विशेषताएं

यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था।

- **इस मिशन में शामिल हैं:**
  - **गर्भिणी (GARBH-ini):** मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और प्री-टर्म बर्थ (समय से पूर्व जन्म) के लिए पूर्वानुमान साधन विकसित करने के लिए एक मिशन।
  - **इंडसेपी (IndCEPI):** स्थानिक रोगों के लिए वहनीय टीका विकसित करने हेतु एक मिशन।
  - **पोषण अभियान** में योगदान हेतु बायोफोर्टिफाइड और प्रोटीन समृद्ध गेहूं का विकास।
  - **अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स और थेरप्यूटिक्स के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मिशन।**
  - **स्वच्छ ऊर्जा मिशन:** स्वच्छ भारत के लिए नवाचारी प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप।

19.10. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

किरण (पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी) {KIRAN (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing)}

- वर्ष **2014 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा "किरण" नामक छत्रक कार्यक्रम के तहत सभी महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को पुनर्संरचित किया था।** यह DST की महिला-विशिष्ट योजना है। किरण कार्यक्रम का अधिदेश महिलाओं को मुख्यधारा में लाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता लाना है।
- किरण के विभिन्न कार्यक्रम और घटक जैसे महिला वैज्ञानिक योजना-A (WOS-A), महिला वैज्ञानिक योजना-B (WOS-B) महिला वैज्ञानिकों द्वारा उनके जीवन वृत्ति के मार्ग (career path) में सामना किए जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों **(मुख्य रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों, स्वरोजगार, अंशकालिक करियर, स्थानांतरण आदि के कारण होने वाला करियर में अवरोध या व्यवधान)** को संबोधित या दूर करते हैं।
- यह योजना मंत्रालय द्वारा **STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित)** के क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण सुर्ख़ियों में थी।

विज्ञान ज्योति (Vigyan Jyoti)

- इस कार्यक्रम को DST द्वारा वर्ष 2019 में **STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा और करियर बनाने के लिए छात्राओं को प्रेरित करने के लिए आरंभ किया गया था।**
- विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत **नजदीकी वैज्ञानिक संस्थानों की भ्रमण करने, विज्ञान शिविर में जाने, प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यानों और करियर परामर्श के लिए छात्रवृत्ति** प्रदान की जाती है।
    - **500 से अधिक जिलों की चयनित महिलाओं को** ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- यह कार्यक्रम वर्तमान में **जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) द्वारा** 58 जिलों में लगभग 2,900 छात्र-छात्राओं की भागीदारी के साथ **कार्यान्वित किया जा रहा है।**
- अक्टूबर 2020 में, **DST** और इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन कारपोरेशन **(IBM)** इंडिया ने विज्ञान ज्योति कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सहयोग की घोषणा की।
    - **इस सहयोग से होने वाले अपेक्षित लाभ:**
        - IBM इंडिया के साथ साझेदारी, मौजूदा गतिविधियों को सुदृढता प्रदान करेगी, साथ ही **भविष्य में और अधिक स्कूलों को शामिल करने करने हेतु इस कार्यक्रम का विस्तार करने में सहायता** भी प्रदान करेगी।
        - इस कार्यक्रम के तहत IBM इंडिया में कार्यरत **महिला तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा** छात्राओं के साथ संवाद किया जाएगा और **रोल मॉडल के रूप में छात्राओं को** STEM संबंधी विषयों में करियर बनाने के लिए **प्रेरित किया जाएगा।**
- "विज्ञान में लड़कियां और महिलाएं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Women and Girls in Science)" के अवसर पर **11 फरवरी 2021 को** आरंभ हुए विज्ञान ज्योति **कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत विज्ञान में छात्राओं की रुचि बढ़ाने तथा STEM विषयों के माध्यम से उन्हें अपना करियर बनाने** में सहायता प्रदान करने के लिए देश के 50 और जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है, इस प्रकार इस कार्यक्रम **का समग्र कवरेज 100 जिलों तक हो गया है।**

'एंगेज विद साइंस' (Engage With Science)

- इस कार्यक्रम को छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और विद्यालयों के नेतृत्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अग्रणी रखने के लिए आरंभ किया गया है।
- इस कार्यक्रम को **विज्ञान प्रसार (VP) द्वारा** कार्यान्वित किया जा रहा है, जो DST के तहत एक **स्वायत्त संगठन है।**
- अक्टूबर 2020 में, **DST और IBM इंडिया ने** 'एंगेज विद साइंस' को भी कार्यान्वित करने के लिए **सहयोग की घोषणा की है।**
- इसका उद्देश्य **खेल संबंधी रोचक गतिविधियों/सरलीकरण (Gamification) जैसे साधनों के माध्यम से स्कूली छात्रों के मध्य उत्साह और भागीदारी की की भावना को उत्पन्न करना** एवं विज्ञान और तकनीक आधारित सामग्री के उपयोग में वृद्धि करने में सहायता करना है। **साथ ही, STEM को उनके भविष्य के करियर के लिए आकांक्षापूर्ण बनाना है।**
- इसके तहत **IBM द्वारा** कार्यक्रम से संबंधित छात्र कार्यशालाओं, संगोष्ठियों जैसी **दैनिक गतिविधियों को संचालित किया जाएगा।** साथ ही, IBM द्वारा छात्रों को परामर्श देने के लिए अपने विशेषज्ञ कार्यबल का उपयोग भी किया जाएगा।
- यह प्लेटफॉर्म खेल संबंधी रोचक गतिविधियों से संबंधित साधनों/सरलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग जैसे घटकों के उपयोग के माध्यम से छात्रों को **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित सामग्री (क्लाउड, बिग डेटा आदि) के प्रतिचयन और उनका सक्रिय रूप से उपयोग करने के संबंध में अंतःक्रिया करने, भाग लेने और उनका उपयोग करने के लिए** प्रेरित करेगा।

सर्ब-पावर (खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाना) {SERB-POWER (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research)}

- विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board: SERB) - पावर (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research: POWER) योजना, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों तथा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के विभिन्न विज्ञान और तकनीकी कार्यक्रमों में **विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शोध के वित्तपोषण में लैंगिक असमानता को कम करने का कार्य करेगी।**
    - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत में **40 प्रतिशत STEM** (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) **स्नातक महिलाएं है** जबकि इस संबंध में वैश्विक औसत 35 प्रतिशत है। हालांकि, 30 प्रतिशत के वैश्विक औसत के विपरीत **भारत में केवल 14 प्रतिशत महिला शोधकर्ता नियोजित हैं।**
- **इस योजना के दो घटक है:**
    - **सर्ब-पावर फैलोशिप (SERB-POWER Fellowship):** इसके तहत भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में कार्यरत,

© Vision IAS

विज्ञान और इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में पीएचडी डिग्री धारक उत्कृष्ट महिला शोधकर्ताओं और नवोन्मेषकों **(35-55 वर्ष की आयु के मध्य का भारतीय नागरिक)** को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत नामित व्यक्ति को फैलोशिप की अवधि के दौरान **अन्य सरकारी स्रोतों से कोई फैलोशिप प्राप्त नहीं होनी चाहिए।**

- **सहायता की प्रकृति और अवधि:** नियमित आय के अतिरिक्त प्रत्येक महीने 15,000 रुपये की फैलोशिप तथा प्रति वर्ष 10 लाख रुपये शोध अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। एक बार इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर चुके शोध छात्रों को **दूसरी बार पुनः नामांकित नहीं किया जाएगा।**

- **सर्ब-पावर अनुसंधान अनुदान (SERB- POWER Research Grants):** इस योजना का उद्देश्य उदयीमान और प्रतिष्ठित महिला शोधकर्ताओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आरंभ करने के लिए व्यक्तिगत-केंद्रित और प्रतिस्पर्धी मोड आधारित अनुसंधान के लिए वित्तपोषण कर प्रोत्साहित करना है। **यह अनुदान महिला शोधकर्ताओं** को निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत वित्त पोषण प्रदान कर सशक्त बनाएगा:
  - **स्तर I:** तीन वर्ष की अवधि के लिए 60 लाख रूपये तक का वित्तपोषण।
  - **स्तर II:** तीन वर्ष की अवधि के लिए 30 लाख रूपये तक का वित्तपोषण।

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड-फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट {Science and Engineering Research Board- Fund for Industrial Research Engagement (SERB-FIRE)}

- यह **इंटेल इंडिया** के सहयोग से **SERB** (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय) **द्वारा आरंभ की गई एक शोध पहल है।**
- FIRE भारत में प्रमुख अनुसंधान और विकास (R&D) संगठनों के सहयोग से **नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने तथा शैक्षिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए** एक सह-वित्तपोषण तंत्र के साथ सरकार एवं उद्योग की एक संयुक्त पहल है।
  - नई पहल का उद्देश्य **व्यापक स्तर पर समाज के लाभ के लिए उद्योग-विशिष्ट समस्याओं को हल करने हेतु** शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करना है।

विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड-फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट

- यह **इंटेल इंडिया** के सहयोग से **SERB** (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय) **द्वारा आरंभ की गई एक शोध पहल है।**
- FIRE भारत में प्रमुख अनुसंधान और विकास (R&D) संगठनों के सहयोग से **नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने तथा शैक्षिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए** एक सह-वित्तपोषण तंत्र के साथ सरकार एवं उद्योग की एक संयुक्त पहल है।
- नई पहल का उद्देश्य **व्यापक स्तर पर समाज के लाभ के लिए उद्योग-विशिष्ट समस्याओं को हल करने हेतु** शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करना है।

साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑग्मेंटेशन - प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजेनस काऊ {Scientific Utilisation Through Research Augmentation Prime Products from Indigenous Cows (SUTRA PIC)}

- सूत्र पिक (SUTRA PIC) वस्तुतः 'स्वदेशी' गायों पर शोध करने हेतु अंतर-मंत्रालयी वित्त पोषण कार्यक्रम है।
- इस योजना को **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के साथ-साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसमें स्वदेशी गायों की विशिष्टता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि अनुप्रयोग, खाद्य एवं पोषण के लिए स्वदेशी गायों से प्राप्त प्रमुख उत्पाद और स्वदेशी गायों पर आधारित उपयोगी वस्तुओं से संबंधित प्रमुख उत्पादों सहित विभिन्न विषय सम्मिलित हैं।

टीचर एसोसिएट्स फॉर रिसर्च एक्सीलेंस मोबिलिटी स्कीम {TARE (Teacher Associateship for Research Excellence) Mobility Scheme}

- इसका उद्देश्य उन कॉलेज व राज्य विश्वविद्यालयों में **अप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास क्षमता** को सक्रिय करना है, जहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और संस्कृति की कमी है। TARE योजना विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में नियमित रूप से कार्य कर रहे **अध्यापकों को,** वर्तमान में कार्यरत शहरों में स्थित IIT, IISc, IISERs, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि जैसे अकादमिक संस्थानों से एकीकृत करके अंशकालिक शोध करने की अनुमति प्रदान करेगी।

अवसर: ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च (Augmenting Writing Skills for Articulating Research: AWSAR)

- इस योजना का उद्देश्य युवा शोधार्थियों और पोस्ट-डॉक्टरेट अभ्यर्थियों द्वारा अपने उच्च अध्ययन और शोध गतिविधियों के दौरान समाचार पत्रों,

पत्रिकाओं, ब्लॉगों, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से लोकप्रिय विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करना है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना (Pandit Deen Dayal Upadhayay igyan Gram Sankul Pariyojana)

- इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में **गांवों के कुछ क्लस्टर** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा गोद लिए जाएंगे और उन्हें **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) के उपकरणों के माध्यम से समयबद्ध तरीके** से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यह परियोजना पर्यावरण-अनुकूल तरीके से **कृषि, कृषि आधारित कुटीर उद्योगों और पशुपालन गतिविधियों** के संचालन पर बल देगी।

आवासीय ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु पहल (Initiative to Promote Habitat Energy Efficiency: I-PHEE)

- यह भवनों और शहरों के ऊर्जा निष्पादन में सुधार हेतु एक नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह भवनों के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन में ऊर्जा के संरक्षण हेतु ज्ञान तथा कार्यप्रणाली में वृद्धि का समर्थन करेगा।

निधि : नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल (NIDHI: National Initiative for Development and Harnessing Innovations)

- निधि (NIDHI) द्वारा **ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित विचारों** एवं नवाचारों को सफल **स्टार्ट-अप** में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य किया जाता है।
- इसका उद्देश्य **समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए तकनीकी समाधान** प्रदान करना और पूंजी निर्माण तथा रोज़गार सृजन के लिए नए मार्ग प्रशस्त करना है।

निधि के घटक जो उभरते हुए स्टार्ट-अप के प्रत्येक चरण को समर्थन प्रदान करते हैं:

- **PRAYAS** (युवा एवं महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना तथा उन्हें गति प्रदान करना) का उद्देश्य 10 लाख रुपए का अनुदान तथा फेब्रिकेशन लेबोरेटरी (फैब लैब) तक पहुंच प्रदान करने के द्वारा नवप्रवर्तकों को उनके विचारों के आद्यरूपों के निर्माण हेतु समर्थन प्रदान करना है।
- **सीड सपोर्ट सिस्टम** जो प्रति स्टार्ट-अप एक करोड़ रुपये तक की राशि प्रदान करता है और इसे टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से लागू किया जाता है।

वज्र फैकल्टी योजना {Visiting Advanced Joint Research (VAJRA) Faculty Scheme}

- यह एक निर्दिष्ट अवधि हेतु भारतीय सरकारी वित्त-पोषित शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों में अनुबद्ध/आगंतुक संकाय सदस्यों के रूप में कार्य करने के द्वारा भारत में अनुसंधान और विकास (R&D) में भाग लेने व योगदान करने हेतु अनन्य रूप से विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। ज्ञातव्य है कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO)/ प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) को लक्षित करता है।
- इस विभाग का एक स्वायत्त निकाय **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)** इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।
- वज्र संकाय राष्ट्र के उन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान को सम्पादित करेगा, जहां सामर्थ्य और क्षमता को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। वज्र संकाय सरकारी वित्त-पोषित संस्थानों में सहयोगात्मक अनुसंधान में संलग्न होंगे।
- भारत में वज्र संकाय सदस्यों की निवास अवधि एक वर्ष में न्यूनतम 1 माह तथा अधिकतम 3 माह होगी।
- यह योजना NRI और PIO/OCI सहित विदेशी वैज्ञानिकों/संकाय सदस्यों तथा अनुसंधान एवं विकास पेशेवरों हेतु उपलब्ध है।

नैनों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) {Mission on Nano Science and Technology (Nano Mission)}

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक "समग्र क्षमता-निर्माण कार्यक्रम" के रूप में वर्ष 2007 में नैनों मिशन लॉन्च किया था।
- इस मिशन के कार्यक्रम देश में सभी वैज्ञानिकों, संस्थानों और उद्योगों को लक्षित करेंगे।
- यह मौलिक अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान अवसंरचना विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों, राष्ट्रीय संवादों के आयोजन और नैनो

© Vision IAS

अनुप्रयोगों तथा प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने के द्वारा नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्रियाकलापों को भी सुदृढ़ करेगा।

- इसे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की अध्यक्षता में नैनो मिशन परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- हाल ही में, इस मिशन के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है।

परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (साथी) पहल {Sophisticated Analytical &Technical Help Institute (SATHI) Initiative}

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा एक साझा, पेशेवर रूप से प्रबंधित व विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुविधा की स्थापना की जा रही है, जिसका उपयोग शैक्षणिक समुदाय, स्टार्ट-अप, विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों तथा R&D प्रयोगशालाओं द्वारा किया जा सकता है।
- इस प्रकार की S&T अवसंरचना को साथी कहा जायेगा। ये केंद्र प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरण और उन्नत विनिर्माण सुविधा से युक्त होंगे, जो सामान्यत: संस्थानों/संगठनों में उपलब्ध नहीं होते हैं।

वैज्ञानिक और उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नति (Scientific and Useful Profound Research Advancement: SUPRA)

- विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसका उद्देश्य विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा वित्त पोषण प्रदान करना है।
- इसका एकमात्र उद्देश्य, हमारी मूलभूत वैज्ञानिक समझ पर दीर्घकालिक प्रभाव के साथ-साथ **वैश्विक रूप से प्रभावी नए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग खोजों (नवाचार) को बढ़ावा देने हेतु वित्त पोषण** प्रदान करना है।
- इस योजना को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रस्तावों को आकर्षित करने (जिनमें नई अवधारणाएं अथवा मौजूदा चुनौतियां शामिल हों) तथा आउट-ऑफ-द-बॉक्स समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- सामान्य रूप से तीन वर्ष की अवधि के लिए वित्तपोषण किया जाएगा, जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा आकलन के पश्चात् 2 वर्ष (अधिकतम 5 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गहन अनुसंधान (INTENSIFICATION OF RESEARCH IN HIGH PRIORITY AREAS: IRHPA)

- इसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रस्तावों का समर्थन करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था, जहां बहु-विषयक/बहु संस्थागत विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह हमारे देश को उस विषय विशेष से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मानचित्र में स्थान प्रदान करने में मदद करेगा। SERB प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावों की मांग का आह्वान करता है।
- इस योजना के माध्यम से चिन्हित उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लागू करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकताओं का समर्थन किया जाएगा। परियोजना की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष (COVID-19 के लिए 3 वर्ष) है।
- इस परियोजना की स्थापना एक **प्रधान अन्वेषक (PI) के नेतृत्व में स्थापित अनुसंधान समूहों** के रूप में की गई है, जो विभिन्न विभागों / संस्थानों से पूरक विशेषज्ञता के कम से कम दो सह-अन्वेषकों के साथ कार्यक्रम को वास्तव में अंतर्विषयक और बहु-संस्थागत के रूप में रूपांतरित करने के लिए कार्य करेंगे।
- विश्वविद्यालयों, उनके संबद्ध कॉलेजों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (IISERs), भारतीय विज्ञान संस्थान (IIS) तथा अन्य स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक एवं साथ ही भारत में औद्योगिक अनुसंधान व विकास क्षेत्र में संलग्न वैज्ञानिक इस योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले, 3-डी बायोप्रिंटिंग, नैनोस्केल मैटर के नए गुणों और उपेक्षित रोगों के लिए दवा की खोज के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों को मूर्त रूप दिया गया था।

भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र (I-STEM)

- हाल ही में I-STEM योजना ने अपने दूसरे चरण में प्रवेश किया।
- I-STEM **अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं को साझा** करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है।
    - इसे भारत के **प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद मिशन** के तत्वावधान में **वर्ष 2020 में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल के रूप में** लॉन्च किया गया था।
- **इसका लक्ष्य** शोधकर्ताओं को संसाधनों से जोड़कर और मौजूदा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम करके **अनुसंधान व विकास का पारितंत्र विकसित करना है।**
- दूसरे चरण के तहत, पोर्टल **स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादों की** मेजबानी करेगा **और सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर्स के लिए मंच भी प्रदान करेगा।**

20. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

20.1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: PMKVY)#

उद्देश्य

- **उद्योग द्वारा डिजाइन किए गए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण** प्राप्त करने, रोजगार योग्य और अपनी आजीविका निर्वहन योग्य बनाने के लिए **बड़ी संख्या में युवाओं को सक्षम और संगठित करना।**
- **मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाना** और कौशल प्रशिक्षण को देश की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ श्रेणीबद्ध करना।
- **प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण को प्रोत्साहित करना** और कौशल के पंजीयन के लिए आधार तैयार करना।
- चार वर्षों (2016- 2020) की अवधि में **10 मिलियन युवाओं को लाभान्वित** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- PMKV का पायलट चरण वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है, जिसमें **नि:शुल्क लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित करना** शामिल है।
- इसके पायलट चरण के दौरान लगभग **19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।**

PMKVY 2.0 (वर्ष 2016-20)

- इसके दुसरे चरण को **क्षेत्र और भूगोल दोनों के संदर्भ में वृद्धि करके** प्रारंभ किया गया था। इस चरण में भारत सरकार के अन्य मिशनों, जैसे- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, आदि के साथ और अधिक संरेखण किया जाना था।
- यह योजना **सामान्य लागत मानदंडों** के अनुरूप थी और इसका कुल बजटीय परिव्यय 12,000 करोड़ रुपये था।

योजना के प्रमुख घटक:

लघु अवधि का प्रशिक्षण (Short Term Training: STT)	ऐसे उम्मीदवार जो या तो स्कूल/कॉलेज ड्रॉपआउट या बेरोजगार थे, उन्हें नौकरी की भूमिका के अनुसार (आमतौर पर 2-6 महीने के लिए) प्रशिक्षित किया गया था। अपने मूल्यांकन और प्रमाणन के सफल समापन पर, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण भागीदारों (Training Partners: TPs) द्वारा प्लेसमेंट सहायता प्रदान की गई थी।
पूर्व शिक्षण को मान्यता (Recognition of Prior Learning: RPL)	इस घटक के तहत पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल रखने वाले व्यक्तियों का आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को **राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (National Skills Qualifications Framework: NSQF) के अनुरूप संरेखित करना** है। प्रशिक्षण/अभिविन्यास की अवधि 12-80 घंटे होती है।
विशेष परियोजनाएं	उपलब्ध योग्यता पैक (Qualification Packs:QP)/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (National Occupational Standards: NOS) के तहत परिभाषित नहीं की गई विशेष रोजगार भूमिकाओं एवं विशेष क्षेत्रों और सरकारी निकायों, कॉर्पोरेट्स/ उद्योग निकायों से सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु।

दो घटक	
केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (Centrally Sponsored Centrally Managed: CSCM): इस घटक को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation: NSDC) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। PMKVY 2016-20 के तहत निर्धारित फंड का 75 प्रतिशत और संबंधित भौतिक लक्ष्यों को CSCM के तहत आवंटित किया गया है।	**केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (Centrally Sponsored State Managed: CSSM):** इस घटक को राज्य सरकारों द्वारा राज्य कौशल विकास मिशनों (State Skill Development Missions: SSDMs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। PMKVY 2016-20 के तहत निर्धारित फंड का 25% और संबंधित भौतिक लक्ष्यों को CSSM के तहत आवंटित किया गया है।

- जिलों में **प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (PMKKs)** स्थापित किए गए हैं।
- PMKVY 1.0 और PMKVY 2.0 के तहत देश में बेहतर मानकीकृत कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से **1.2 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित/दिशानिर्देशित** किया गया है।

PMKVY 3.0

- इसे जनवरी 2021 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत लगभग 600 जिलों में युवाओं के लिए 300+ कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे **कौशल विकास को अधिक मांग-संचालित और इसके दृष्टिकोण को विकेन्द्रीकृत** बनाने में मदद मिली है।
- इसको राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं जिलों से और अधिक समर्थन तथा जवाबदेही के साथ अधिक विकेन्द्रीकृत स्वरूप में लागू किया जाएगा। राज्य कौशल विकास मिशन (SSDM) के मार्गदर्शन में स्थापित **जिला कौशल समितियां (District Skill Committees: DSCs) जिला स्तर पर मांग के आकलन में और कौशल अंतराल को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाएंगी।
- **नए युग और उद्योग 4.0 (Industry 4.0) से संबंधित नौकरियों की भूमिकाओं के संदर्भ में** कौशल विकास को बढ़ावा देकर मांग-आपूर्ति अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **PMKVY 3.0 का लक्ष्य आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है।**

20.2. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS)

उद्देश्य

- **शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहन** प्रदान करना, जो प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना चाहते हैं।
- वर्ष 2020 तक प्रशिक्षुओं की संख्या को 2.3 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना।

प्रमुख विशेषताएं

इसके दो घटक हैं	
प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले सभी नियोक्ताओं को **निर्धारित वजीफे के 25% (अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षु) की प्रतिपूर्ति** भारत सरकार द्वारा की जाएगी।	फ्रेशर प्रशिक्षुओं (जो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के प्रत्यक्षत: प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए आते हैं) के संबंध में **बुनियादी प्रशिक्षण की लागत साझा** की जाएगी, जोकि 500 घंटे/3 माह की अधिकतम अवधि के लिए प्रति प्रशिक्षु 7,500 रुपये होगी।

- **योजना का दायरा:** इसमें स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं को छोड़कर सभी श्रेणियों के प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया है, जो शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा प्रशासित योजना के अंतर्गत आते हैं।
- इसे **प्रशिक्षण महानिदेशक (Director General of Training: DGT) द्वारा लागू** किया जाएगा।

नोट: बजट 2021-22 में शिक्षु अधिनियम (Apprenticeship Act) 1961 (वर्ष 2014 में संशोधित) में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, शिक्षा के उपरांत शिक्षुता, इंजीनियरिंग स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को पुनः संगठित किया जाएगा।

20.3. प्रधान मंत्री युवा योजना/युवा उद्यमिता विकास अभियान (Pradhan Mantri Yuva Yojana/Yuva Udyamita Vikas Abhiyan)

उद्देश्य

उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारितंत्र का निर्माण करना; उद्यमशीलता समर्थन नेटवर्क का पक्षसमर्थन और आसान पहुँच तथा समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह 3,050 संस्थानों; उच्चतर शिक्षा के 2,200 संस्थानों (विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्रीमियर संस्थान और पॉलिटेक्निक समेत AICTE संस्थान); 300 स्कूलों (10 + 2); 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और 50 उद्यमिता विकास केंद्रों (EDC) के माध्यम से 5 वर्षों (2020-21 तक) में 7 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

इसके अन्य उदेश्यों में शामिल हैं:

प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को शिक्षित करना तथा समर्थ बनाना	वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOCs) और अन्य ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से सभी नागरिकों में उद्यमिता शिक्षा को विकसित और वितरित करके संभावित एवं **प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को शिक्षित करना तथा समर्थ बनाना।**
उद्यमिता केंद्र (ई-हब्स) के माध्यम से उद्यमियों को समर्थन देना	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का समन्वय और समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यमिता संसाधन तथा समन्वय केंद्र स्थापित करके **उद्यमिता केंद्र (ई-हब्स) के माध्यम से उद्यमियों को समर्थन प्रदान करना।**
समर्थनकारी नेटवर्क से उद्यमियों को संबद्ध करना	एक वेब आधारित ऑनलाइन बाजार के माध्यम से **सहकर्मियों, सलाहकारों, फंड और बिजनेस सेवाओं के समर्थनकारी नेटवर्क से उद्यमियों को संबद्ध** करना।
उद्यम संस्कृति में परिवर्तन को उत्प्रेरित करना।	**उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम संस्कृति में परिवर्तन को उत्प्रेरित** करना।

20.4. आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion: SANKALP)

उद्देश्य

- राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर **संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करना।**
- **कुशल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के एक समूह का निर्माण करना।**
- **राज्य स्तर पर सभी कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना।**
- **वंचित वर्गों को कौशल प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाना** तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिक विनिर्माण क्षेत्र में कौशल आवश्यकताओं के सृजन द्वारा मेक इन इंडिया पहल की अनुपूर्ति करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित **परिणाम-उन्मुख परियोजना** है।
- इसे जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों (DSCs) को मजबूत करने के लिए आरंभ किया गया था।
- यह एक परिणामोन्मुखी परियोजना है।
- यह परियोजना केन्द्र [कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDC), राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)] और राज्य दोनों स्तरों के अभिकरणों को शामिल करते हुए समग्र कौशल पारितंत्र पर केन्द्रित है तथा परिणामों का मापन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) तथा बैंक के मध्य सहमति के आधार पर स्थापित डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडीकेटर्स (DLIs) के माध्यम से किया जाएगा।
- इसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत उप-मिशनों को कार्यान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- विदेशी प्लेसमेंट के लिए प्रशिक्षित करने हेतु **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (IISC)** की स्थापना की जा रही है।
- इसमें निम्नलिखित को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है:

राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन निकाय।
राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDC) के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड तथा राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग।
श्रम बाजार सूचना प्रणाली का विकास।
कौशल मार्ट एक स्किलिंग रिसोर्स मार्केट प्लेस के रूप में विभिन्न प्रकार के कौशलयुक्त संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करता है।
तक्षशिला: प्रशिक्षकों और आंकलनकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल।

© Vision IAS

20.5. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement: STRIVE)

उद्देश्य

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और प्रशिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता/गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना

प्रमुख विशेषताएं

- यह 2,200 करोड़ रुपये की एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है जिसमें योजना के आधे हिस्से की पूर्ति विश्व बैंक की ऋण सहायता के माध्यम से की जाएगी।
- इस परियोजना का उद्देश्य **उद्योग क्लस्टरों/भौगोलिक प्रकोष्ठों के माध्यम से जागरूकता का सृजन** करना है। इससे MSMEs की सहभागिता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी।
- यह एक **परिणाम केंद्रित योजना** है जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति में परिवर्तन को दर्शाती है।

20.6. जन शिक्षण संस्थान (Jan Shikshan Santhans: JSS)

उद्देश्य

ग्रामीण आबादी को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि स्थानीय व्यवसाय के विकास को सक्षम बनाते हुए क्षेत्र के निवासियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया जा सके।

प्रमुख विशेषताएं
इसका उद्देश्य **ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-साक्षर, नव-साक्षर और साथ ही स्कूल छोड़ने वालों को** संबंधित क्षेत्र में प्रासंगिक बाजार हेतु कौशल की पहचान करके **व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।**
अधिदेश: गैर-साक्षर, नव-साक्षर, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को अनौपचारिक मोड में व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।
इसे **केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के साथ गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।**
प्राथमिकता समूह: महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग।
जन शिक्षण संस्थान: इन्हें **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत पंजीकृत किया गया है। इन संस्थानों के मामलों का प्रबंधन केंद्र द्वारा अनुमोदित संबंधित प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

20.7. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

स्किल बिल्ड प्लेटफार्म (SkillsBuild Platform)
• यह पहल रोजगार के लिए तैयार श्रम बल तैयार करने तथा **'न्यू कॉलर करियर्स'** के लिए आवश्यक अगली पीढ़ी के कौशलों का निर्माण करने संबंधी IBM की वैश्विक प्रतिबद्धता का भाग है। • इसके तहत IBM द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) द्वारा **दो वर्षीय एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम** शुरू किया गया है। • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में कौशल निर्माण पर ITI और NSTI संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए प्लेटफॉर्म का विस्तार भी किया जाएगा। स्किल बिल्ड प्लेटफार्म IBM और CodeDoor, Coorpacademy तथा Skillsoft जैसे भागीदारों से डिजिटल शिक्षण सामग्री प्रदान करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय फ़ेलोशिप कार्यक्रम (Mahatma Gandhi National Fellowship Programme: MGNF)
• इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलूर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। • यह जिला स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के साथ ज़मीनी स्तर पर व्यावहारिक अनुभव के एक अंतर्निहित घटक के साथ **दो वर्ष का एक शैक्षणिक कार्यक्रम है।** • इन घटकों के पूर्ण होने पर, फ़ेलो (Fellows) को सार्वजनिक नीति और **प्रबंधन प्रमाण-पत्र** प्रदान किया जाएगा।

© Vision IAS

21. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry oOf Social Justice and Empowerment)

21.1. सुगम्य भारत अभियान {Sugamya Bharat Abhiyan/ Accessible India Campaign (AIC)}

उद्देश्य

दिव्यांग जनों (PWD) के लिए सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त करना।

- इस योजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को शामिल किया गया है:
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सभी राज्यों की राजधानियों के 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को दिव्यांग जनों के लिए पूर्णतः सुलभ बनाना।
  - 50 प्रतिशत सरकारी भवनों का सुगम्यता ऑडिट करना तथा राज्यों के दस सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों में ऐसे भवनों को पूर्णतः सुगम्य बनाना।
  - देश के 50% रेलवे स्टेशन को पूर्ण रूप से सुगम्य रेलवे स्टेशनों में परिवर्तित करना।
  - सरकारी स्वामित्व वाले 25% सार्वजनिक परिवहन वाहनों को पूर्ण रूप से सुगम्य परिवहन वाहनों के रूप में परिवर्तित करना।
  - सभी सरकारी (केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों) वेबसाइटों में से 50% का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना तथा उन्हें पूर्ण रूप से सुगम्य वेबसाइटों में परिवर्तित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- दिव्यांग जनों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, अभियान को **तीन भागों में** विभाजित किया गया है, यथा-

तीन भाग		
सुगम्य वातावरण तैयार करना	सुगम्य परिवहन प्रणाली	सुगम्य सूचना एवं संचार पारितंत्र

- **सुगम्य भारत ऐप:** यह एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन है। यह सुगम्य भारत अभियान के 3 स्तंभों के प्रति संवेदनशील बनाने और इन तक पहुंच बढ़ाने का एक साधन है।
- **एक्सेस - द फोटो डाइजेस्ट:** इस पुस्तिका की परिकल्पना, एक उपकरण और मार्गदर्शक के रूप में की गई है। यह सुगमता को सुनिश्चित करने वाली 10 मूलभूत विशेषताओं और संबंधित अच्छे-बुरे व्यवहारों के बारे में हितधारकों को संवेदनशील बनाती है। सरलतापूर्वक समझ प्रदान करने के लिए इन विशेषताओं को चित्रात्मक रूप में प्रतिबिंबित किया गया है।

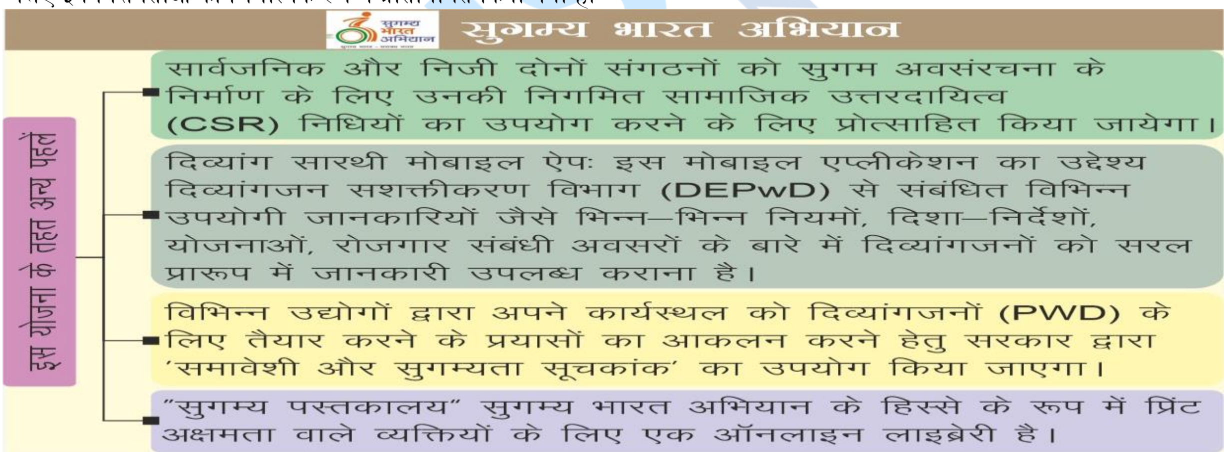

21.2. स्वच्छता उद्यमी योजना (Swachhta Udyami Yojana)

उद्देश्य

- स्वच्छता तथा
- सफाई कर्मचारियों एवं मुक्त कराए गए मैनुअल स्केवेंजर्स (हाथ से मैला ढोने वाले लोगों) को आजीविका प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं
• सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में भुगतान और उपयोग आधारित सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए तथा स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद एवं संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **इसे 2 अक्टूबर 2014 को आरम्भ किया गया था।** • **इस योजना का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)** द्वारा किया जा रहा है। • **'स्वच्छ भारत अभियान'** के उद्देश्यों को साकार करने के लिए जारी प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु व्यावहारिक **सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं** और कचरा एकत्रित करने वाले स्वच्छता से संबंधित वाहनों के लिए **रियायती ऋण** प्रदान किया जायेगा। • सफाई कर्मचारी और चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स के बीच में से निकलने वाले उद्यमी प्रति वर्ष **4%** ब्याज की रियायती दर पर परिभाषित सीमा तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। • महिला लाभार्थियों के मामले में ब्याज दर में **1%** की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

21.3. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्केवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना (Self Employment Scheme for the Rehabilitation of Manual Scavengers: SRMS)*

उद्देश्य
वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास हेतु, विभिन्न सर्वेक्षणों के दौरान चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स की सहायता करना।
प्रमुख विशेषताएं
• यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। इस योजना में किए गए संशोधन के अनुसार, चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को **एकमुश्त नकद सहायता** प्रदान की जाती है। • चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: ○ रियायती ब्याज दरों पर परियोजना लागत के लिए ऋण। ○ क्रेडिट लिंक्ड बैक-एन्ड कैपिटल सब्सिडी। ○ वजीफे (स्टाइपेन्ड) सहित दो वर्ष तक का कौशल विकास प्रशिक्षण।

21.4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (Rashtriya Vayoshri Yojana)

उद्देश्य
वरिष्ठ नागरिकों की उनकी **आयु से संबंधित शारीरिक दुर्बलताओं को दूर** करने तथा देखभाल करने वाले एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी निर्भरता को न्यूनतम करके एक गरिमापूर्ण और उत्पादक जीवन जीने में उनकी सहायता करना।
प्रमुख विशेषताएं
• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु व्यय की पूर्ति "वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि" से की जाएगी। • इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा की जाएगी। • आयु संबंधी रोगों (निम्न दृष्टि, सुनने में कठिनाई, दांतों का टूट जाना एवं लोकोमोटर डिसेबिलिटी आदि) का सामना कर रहे **BPL श्रेणी से संबद्ध बुजुर्गों को** शारीरिक सहायता और जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। • एक ही व्यक्ति में अनेक दिव्यांगता पाए जाने की स्थिति में, प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पृथक-पृथक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। • जहां तक संभव हो, प्रत्येक जिले में 30% लाभार्थी महिलाएं होंगी। • इस योजना को **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation: ALIMCO)** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत संचालित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो इस योजना की एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी है। • **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)** द्वारा बुज़ुर्गों को दिए जाने वाले जीवनयापन हेतु आवश्यक उपकरणों की एक वर्ष तक निःशुल्क देखरेख की जाएगी।

© Vision IAS

21.5. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana: PMAGY)

उद्देश्य

वर्ष 2024-25 तक ऐसे गाँव जिनकी जनसंख्या 500 या अधिक है और जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जातियों की आबादी विद्यमान है, उन सभी गांवों को "मॉडल गांवों" के रूप में परिवर्तित कर एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसके माध्यम से निम्नलिखित सुनिश्चित किया जा सकेगा:

- उनके पास अपने सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचनाएं विद्यमान हों;
- सामान्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों (जैसे साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की दर, IMR/MMR, लाभप्रद संपत्तियों का स्वामित्व इत्यादि) के संदर्भ में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच असमानता समाप्त करना;
- अनुसूचित जाति के विरुद्ध अस्पृश्यता, भेदभाव, अलगाव और अत्याचार समाप्त करना, तथा अन्य सामाजिक बुराई जैसे लड़कियों/महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, शराब की लत और मादक पदार्थों (ड्रग्स) के दुरुपयोग आदि को समाप्त करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **आदर्श ग्राम का विकास करना:** इन गांवों में गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **निम्नलिखित के माध्यम से अनुसूचित जाति (SC) बाहुल्य गांवों का समेकित विकास:**
    - संगत केंद्रीय और राज्य योजनाओं का सम्मिलित कार्यान्वयन।
    - चयनित प्रत्येक नए गांव के लिए, इस योजना में कुल 21 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 20 लाख रुपए 'गैप-फिलिंग' घटक के लिए हैं तथा 1 लाख रुपए 1:1:1:2 के अनुपात में केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर 'प्रशासनिक व्यय' के लिए हैं।

21.6. मादक पदार्थों की मांग में कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (वर्ष 2018-2023) {National Action Plan for Drug Demand Reduction (2018-2023)}

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य एक **बहु-आयामी रणनीति** का नियोजन करना है जैसे:
    - निवारक शिक्षा, जागरूकता प्रसार, परामर्श, नशामुक्ति, उपचार और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों का पुनर्वास।
    - केंद्र, राज्य और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से **सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।**

प्रमुख विशेषताएं

प्रशासनिक तंत्र	कुछ आवश्यक पहलें	कार्यान्वयन एजेंसी
शामक, दर्द निवारकों और माँसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए **कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय** और साइबर सेल द्वारा कड़ी निगरानी से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को रोकना।	शिक्षण संस्थानों, कार्यस्थलों और पुलिस पदाधिकारियों आदि के लिए **जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित** करना।	राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नई दिल्ली (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय)।
सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास और कौशल	स्थानीय निकायों और अन्य स्थानीय समूहों जैसे कि महिला मंडल, स्व-सहायता समूह आदि को सम्मिलित	

मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित एक **बहु-मंत्रिस्तरीय संचालन समिति**।	कर मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने में **सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक सहयोग को बढ़ाने की भी योजना निर्मित की गई है**।	
	विविध श्रेणियों और आयु समूहों में **मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के पुन: उपचार, चल रहे उपचार और उपचार के बाद के लिए माड्यूल तैयार करना। साथ ही, मादक पदार्थों के उपयोग पर डेटाबेस** सृजित करना।	

21.7. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme: DDRS)

उद्देश्य

- **दिव्यांग जनों** को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए और उनके सशक्तीकरण हेतु समर्थकारी **परिवेश सृजित** करना।
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए **स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

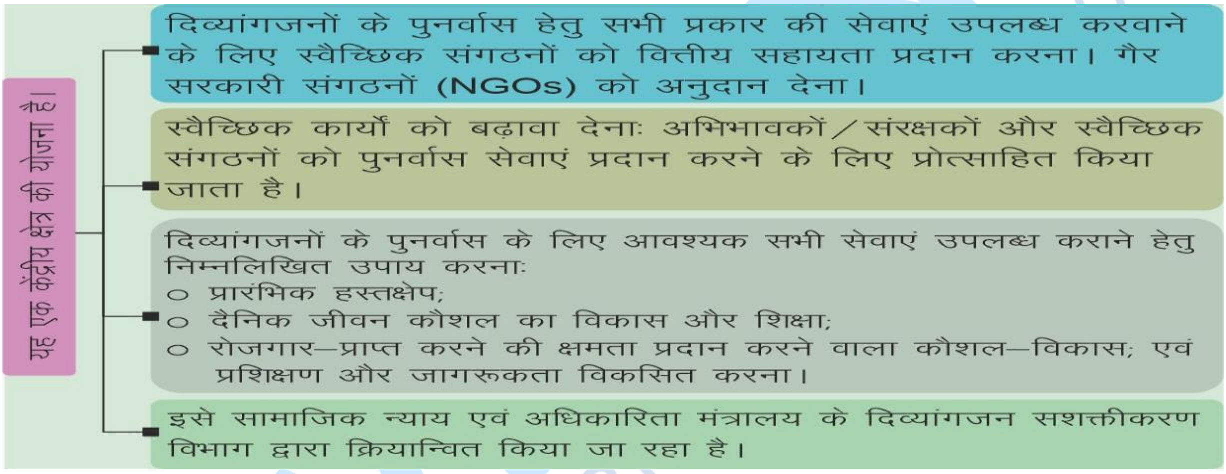

21.8. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated programme for Older Persons)

- **उद्देश्य:** आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। साथ ही सरकारी/गैर सरकारी संगठनों (NGO)/पंचायती राज संस्थानों (PRI)/स्थानीय निकायों और समग्र रूप से समुदाय की क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करके लाभप्रद और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना।
- यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है।

समावेशी भारत पहल (Inclusive India Initiative)

- बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा में तथा सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं यथा शिक्षा, रोजगार और समुदाय में शामिल करना।
- समावेशी भारत पहल के **तीन मुख्य क्षेत्र** हैं:
    - समावेशी शिक्षा,

© Vision IAS

- समावेशी रोजगार
- समावेशी सामुदायिक जीवन
- **नेशनल ट्रस्ट इस पहल हेतु नोडल एजेंसी** होगी।

अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डॉ. अंबेडकर योजना (Dr. Ambedkar scheme for Social integration through Inter Caste Marriages)

- योजना के तहत, एक वर्ष में 500 दंपति आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक दंपति को 2.5 लाख रूपए प्राप्त होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है। शेष राशि को सावधि जमा के रूप में रखा जाता है और तीन वर्ष के बाद दंपति को जारी किया जाता है।
- राज्य में योजना का लाभ प्राप्त करने वाले जोड़ों की संख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर निर्भर करती है।
- लाभार्थी दंपति में से, पति/पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान करना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा डॉ अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष का विवेकाधिकार होगा।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (Varishtha Pension Bima Yojana)

- वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार की अनिश्चित परिस्थितियों के कारण वृद्ध व्यक्तियों को ब्याज से प्राप्त होने वाली आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा करना।
- इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की रिटर्न की गारंटी दर पर एक निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। लाभार्थी मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

अद्वितीय अक्षमता पहचान पत्र (UDID) परियोजना {Unique Disability Identification (UDID) Project}

- इसका उद्देश्य उनकी पहचान और अक्षमता विवरण के साथ दिव्यांग जनों के लिए **यूनिवर्सल आईडी (पहचान पत्र) और अक्षमता प्रमाणपत्र** जारी करने के लिए एक समग्र एंड-टू-एंड एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है।
- इस परियोजना का उद्देश्य सरकार को विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। इस कार्ड की वैधता संपूर्ण भारत में होगी।

भिखारियों के व्यापक पुनर्वास की योजना (Scheme for comprehensive rehabilitation of beggars)

- यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्थानीय शहरी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों आदि की सहायता से भिखारियों की पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं संबंधी प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास को शामिल करने वाली एक व्यापक योजना है।
- इस योजना की पायलट परियोजना 2019-20 के दौरान शुरू की जाएगी, बशर्ते कि राज्य सरकारों द्वारा शहर निर्दिष्ट कार्य योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- इसके कार्यान्वयन के लिए योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% सहायता प्रदान की जाएगी।

स्माइल- वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता {SMILE- Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise}

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने **'स्माइल' नामक एक अंब्रेला योजना** आरंभ किया है।
- इस योजना में **भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपायों** सहित विभिन्न व्यापक उपाय शामिल हैं।
  - योजना की प्राथमिकताएं **पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास आदि** निर्धारित की गई हैं।
- **'स्माइल' में दो उप-योजनाएं शामिल हैं:**
  - **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास** के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
  - **भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास** के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना।

श्रेष्ठ योजना

- डॉ. भीम राव अम्बेडकर **की 66वीं पुण्यतिथि (महापरिनिर्वाण दिवस) के अवसर पर** "श्रेष्ठ योजना" को शुरू किया गया है।
  - इसे **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा** कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके **अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास में सहायता करना है।**

वयो नमन कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (1 अक्टूबर) के अवसर पर **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** ने किया था।
- इस अवसर पर **निम्नलिखित पहलें आरंभ की गईं हैं:**
  - वृद्धजनों की सहायता के लिए **14567** नामक एक विशेष **हेल्पलाइन नंबर।**
  - वृद्धजनों की देखभाल के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पोर्टल।**
  - वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में नौकरी प्रदाताओं से जोड़ने हेतु **सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्म-सम्मान के साथ पुन: रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल (SACRED)।**

सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्म-सम्मान के साथ पुन: रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी तरह का प्रथम समर्पित रोजगार कार्यालय पोर्टल है।**
  - यह रोजगार की इच्छा रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों और रोजगार प्रदाताओं को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
  - **लान्जिटूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) रिपोर्ट 2020** के अनुसार, **50% से अधिक वरिष्ठ नागरिक** सक्रिय पाए गए हैं।
- महत्व- यह **वरिष्ठ नागरिकों के स्वस्थ, सुखी, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन** को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- **इसके तहत प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि** के साथ-साथ रखरखाव अनुदान के रूप में पांच वर्ष हेतु प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना

- हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने **'पीएम-दक्ष'** पोर्टल और **'पीएम-दक्ष'** मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इन्हें **राष्ट्रीय ई-अभिशासन प्रभाग** (NeGD) के सहयोग से विकसित किया गया है। इनका उद्देश्य लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाना है।
- **पीएम-दक्ष** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक कौशल विकास योजना है।
- वर्ष 2020-21 में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारियों आदि 2.71 लाख व्यक्तियों को **निम्नलिखित हस्तक्षेपों के माध्यम से नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है:**
  - कौशल-उन्नयन/ पुनः कौशल प्रशिक्षण (Up-skilling/Reskilling),
  - अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्वरोजगार पर विशेष ध्यान),
  - दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (वैश्विक स्तर के कौशल के लिए) और
  - उद्यमिता विकास कार्यक्रम।

© Vision IAS

22. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation)

22.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)

उद्देश्य

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि के क्षेत्र में **स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण कार्यों** हेतु सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- MPLADS **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र में वार्षिक MPLADS अव्यपगत निधि पात्रता 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति पर धनराशि (अव्यपगत) को **अनुदान सहायता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से जिला प्राधिकरणों को जारी किया जाता है।**

लोक सभा सदस्य	अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर
राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य	अपने निर्वाचन राज्य (कुछ अपवादों के अतिरिक्त) के भीतर
संसद के किसी निर्वाचित सदस्य को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर या राज्य के भीतर परन्तु उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर या दोनों ही में MPLADS निधि का योगदान करने की आवश्यकता अनुभव होती है, तो सांसद अधिकतम 25 लाख रुपये तक के उपर्युक्त कार्यों की संस्तुति कर सकता है।	
लोकसभा एवं राज्य सभा के नामनिर्देशित सदस्य	देश के किसी भी क्षेत्र में

अनुसूचित जातियों (SCs)/अनुसूचित जनजातियों (STs) के संबंध में विशेष प्रावधान:

- सांसदों को प्रत्येक वर्ष **अधिकृत MPLADS** राशि का **कम से कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति द्वारा अधिवासित क्षेत्रों में और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) द्वारा अधिवासित क्षेत्रों के लिए** व्यय करने की संस्तुति करनी होती है।
- यदि **लोकसभा सदस्य के क्षेत्र में अपर्याप्त जनजातीय आबादी है,** तो वे अपने **निर्वाचन क्षेत्र के बाहर जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों** के निर्माण के लिए इस राशि की संस्तुति कर सकते हैं, लेकिन अपने निर्वाचन राज्य के भीतर।
- किसी राज्य में **अनुसूचित जनजाति (ST) अधिवासित क्षेत्र नहीं होने पर** इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति अधिवासित क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसी प्रकार, किसी राज्य में अनुसूचित जाति (SC) अधिवासित क्षेत्र नहीं होने पर इस राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति अधिवासित क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- देश के किसी भी हिस्से में **"गंभीर प्राकृतिक आपदा"** की स्थिति में सहायतया।

> संशोधित नियमों के अनुसार MPLADS फंड से प्राप्त ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। इससे पहले इस तरह के ब्याज को MPLADS फंड में वापस जमा कर दिया जाता था और विकास परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ-साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक MPLADS की निरंतरता को मंजूरी दी।
- **नोट:** ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में, कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान MPLADS को संचालित नहीं करने निर्णय लिया था। इसके बजाये इस फण्ड को कोविड-19 महामारी के प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्त मंत्रालय के पास हस्तांतरित किया गया था।

22.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

सांख्यिकी शक्तिकरण सहयोग (Support for Statistical Strengthening: SSS) योजना

- **यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** की प्रचालनरत क्षमता विकास योजना की एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य विश्वसनीय

आधिकारिक सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन और प्रसारण हेतु राज्य सांख्यिकी प्रणालियों की आंकड़ा संबंधी क्षमताओं एवं परिचालनों में सुधार करना है।

- यह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विचारणीय महत्व की सांख्यिकीय गतिविधियों (जिनके लिए निधि उपलब्ध नहीं है) के निष्पादन में सक्षम बनाती है तथा साथ ही केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाली सांख्यिकीय गतिविधियों को भी सुदृढ़ करती है।
- इसे **राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

23. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel)

23.1. मिशन पूर्वोदय (Mission Purvodaya)

उद्देश्य

- लागत और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में क्षमता वृद्धि तथा इस्पात उत्पादकों की समग्र प्रतिस्पर्धा में सुधार करना।
- **एकीकृत स्टील हब की स्थापना** के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- एकीकृत स्टील हब में **ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश** राज्य शामिल होंगे।
- पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय इस्पात नीति द्वारा परिकल्पित देश की वृद्धिशील इस्पात क्षमता के 75 प्रतिशत से अधिक को समाविष्ट करने की दक्षता विद्यमान है। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि वर्ष 2030-31 तक 300 मीट्रिक टन क्षमता में से, 200 मीट्रिक टन से अधिक केवल इस क्षेत्र से उत्पादित हो सकता है, जो उद्योग 4.0 द्वारा प्रेरित है।

एकीकृत स्टील हब 3 प्रमुख तत्वों पर केंद्रित होगा		
क्षमता वृद्धि हेतु ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना को सुगम बनाना।	एकीकृत इस्पात संयंत्रों एवं मांग केंद्रों के निकट **इस्पात क्लस्टरों का विकास करना।**	पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने हेतु **लोजिस्टिक्स एवं उपयोगिता अवसंरचना का रूपांतरण करना।**

23.2. भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (Steel Research And Technology Mission Of India: SRTMI)

उद्देश्य

- लौह और इस्पात में **राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान एवं विकास** का नेतृत्व करना;
- अनुसंधान में **अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण** करना और मानव संसाधन में वृद्धि करना सम्मिलित है
- राष्ट्रीय उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुसार **उद्योग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग** विकसित करना;
- **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी** के साथ-साथ संधारणीय इस्पात उद्योग को विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह एक **उद्योग आधारित पहल** है, जिसे एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है। **इस्पात मंत्रालय इसका सुविधा प्रदाता** है।
- इसके लिए आवश्यक निधि का 50% इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष राशि प्रतिभागी इस्पात कंपनियों द्वारा प्रदान की जाएगी।
- इस मिशन के तहत स्वदेशी कच्चे माल से **गुणवत्तापूर्ण इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए** उचित प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। इसमें पर्यावरण अनुकूल विधि से **निम्न स्तरीय संसाधनों** का उपयोग किया जाना भी सम्मिलित है।
- राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे तथा इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश को चरणबद्ध रीति से कुल टर्नओवर के **1% तक बढ़ाया** जाएगा।
- इस्पात प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु **"नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन स्टील टेक्नोलॉजी"** की स्थापना की जाएगी।

23.3. विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Specialty Steel}

उद्देश्य

- विशिष्ट इस्पात के लिए PLI योजना का उद्देश्य देश के भीतर इस तरह की इस्पात श्रेणी के निर्माण को बढ़ावा देना है। साथ ही, इसका उद्देश्य भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी के मामले में परिपक्वता प्रदान करना और मूल्य श्रृंखला को उन्नत करने में सहायता करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- विशिष्ट इस्पात **एक मूल्य वर्धित इस्पात** है। **सामान्य रूप से तैयार इस्पात पर कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट** आदि के माध्यम से उसे उच्च मूल्य वर्धित इस्पात में परिवर्तित किया जाता है। इस इस्पात का उपयोग **रक्षा, अंतरिक्ष, विद्युत, ऑटोमोबाइल** आदि जैसे विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में किया जा सकता है।
    - भारत ऐसे इस्पात की घरेलू आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरा करता है। इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये का वार्षिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है।
    - ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, रक्षा और पाइप जैसे उद्योग इस्पात की इस श्रेणी के उपभोक्ता हैं और भारत इसका आयात कर रहा है।
- यह योजना वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई है। इस योजना का आधार वर्ष 2019-20 है।
- PLI योजना के अंतर्गत शामिल **विशिष्ट इस्पात की पांच श्रेणियां, यथा-** लेपित/परतदार इस्पात उत्पाद, उच्च क्षमता / टूट फूट प्रतिरोधी इस्पात, विशेष रेल इस्पात, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद और इस्पात के तार तथा विद्युतीय इस्पात हैं।
- **आवेदक:** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में पंजीकृत कंपनी, जिसमें संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं।
- **देश के भीतर ही विनिर्माण का प्रत्येक चरण पूरा करना:** विशेष इस्पात के लिए PLI योजना से यह सुनिश्चित होगा कि प्रयुक्त मूल इस्पात को देश के भीतर ही 'पिघलाया और ढाला' जाए। इसका अर्थ है कि विशेष इस्पात का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल (तैयार इस्पात) भारत में ही बनाया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना से देश के भीतर एंड-टू-एंड विनिर्माण को बढ़ावा मिले।
- **प्रोत्साहन:** PLI प्रोत्साहन के 3 स्लैब हैं। सबसे कम 4% और उच्चतम 12% है, जिसका इलेक्ट्रिकल स्टील (CRGO) के लिए प्रावधान किया गया है।
- **कंपनियों का चयन:** पात्र कंपनी का चयन करने के लिए एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। योजना अवधि के दौरान अपने निवेश को शुरुआत में पूर्णतः आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध पात्र कंपनियों को वरीयता दी जाएगी।
- **प्रतिबद्ध निवेश:** प्रत्येक आवेदक PLI योजना अवधि के दौरान प्रत्येक उत्पाद उप-श्रेणी के लिए निवेश करेगा। यह प्रतिबद्ध निवेश, दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट न्यूनतम इकाई निवेश के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
- योजना के लिए उपलब्ध वित्त सीमित है:
    - अधिक उपलब्धि के मामले में भी प्रोत्साहनों का कुल भुगतान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राशि तक ही सीमित होगा।
    - देय वार्षिक प्रोत्साहन राशि 200 करोड़ रुपये प्रति पात्र कंपनी होगी। इसमें सभी उत्पाद श्रेणियों में कंपनियों के समूह या संयुक्त उद्यम शामिल हैं।
- **निगरानी: मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)** PLI योजना की निगरानी करेगा।

© Vision IAS

24. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile)

24.1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme For Integrated Textile Park: SITP)*

उद्देश्य

- वस्त्र उद्योग को **वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु** अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और सामाजिक मानकों को पूरा करने हेतु **वस्त्र इकाइयों को सहायता प्रदान करना।**
- **वस्त्र क्षेत्रक** में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना तथा रोजगार के नवीन **अवसर सृजित** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2005 में अपैरल पार्क फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (APES) और द सेन्ट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (TCIDS) नामक **दो योजनाओं का विलय** करके इसे प्रारंभ किया गया था।
- यह योजना **उच्च विकास क्षमता युक्त औद्योगिक समूहों और स्थानों को लक्षित** करती है, जहाँ विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- **एकीकृत वस्त्र पार्कों (ITPs)** को स्थापित करने हेतु **सार्वजनिक निजी भागीदारी** प्रणाली का अनुसरण किया जाता है।
- यह एक **मांग आधारित योजना** है जिसमें दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर, निवेश के इच्छुक उद्यमी अपने प्रस्ताव को सरकार के पास भेज सकते हैं।

ITP में सम्मिलित घटक

- भूमि: स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के तहत 20 एकड़ से अधिक भूमि होनी चाहिए।
- सामान्य अवसंरचना: सड़क, जल और विद्युत की आपूर्ति आदि।
- कारखाने: उत्पादन प्रयोजनों हेतु।
- सामान्य सुविधाओं के लिए भवन: प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला आदि।

- ITP को संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS), समर्थ (SAMARTH) इत्यादि से भी लाभ प्राप्त हो सकता है।
- **वित्तपोषण: परियोजना लागत का 40%** (प्रत्येक विशेष श्रेणी राज्य में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90%) वित्तपोषण **भारत सरकार** द्वारा किया जाएगा, जिसकी **अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपये** होगी जिसका वहन तीन किश्तों के माध्यम से किया जाएगा।
- इस परियोजना की लागत का वहन वस्त्र मंत्रालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDC) और औद्योगिक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (IPMC) की अनुदान/इक्विटी तथा बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा किया जाता है।
- परियोजना लागत में ITP की आवश्यकताओं पर निर्भर टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सहायक उपकरण, पैकेजिंग आदि जैसी **समर्थन गतिविधियों** को भी शामिल किया जाएगा।

24.2. सिल्क समग्र - रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना (Silk Samagra- Integrated Scheme for Development of Silk Industry)

उद्देश्य

- **अनुसंधान एवं विकास संबंधी परियोजनाओं** के माध्यम से प्रजनक स्टॉक और नस्ल गुणवत्ता में सुधार करना।
- यंत्रीकृत प्रथाओं का विकास।
- हितधारकों को बेहतर प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना और क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को अत्यधिक बढ़ावा देना।
- उन्नत रेशमकीट की नस्लों के मूल और वाणिज्यिक वंश (Seed) का उत्पादन करना।
- बीज क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- अनुसंधान एवं विकास इकाइयों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना और उन्हें प्रमाणित करना।
- बेहतर संकर किस्म (crossbreed) के रेशम और आयात प्रतिस्थापन के लिये **बाइवोल्टाइन रेशम को बढ़ावा** देना ताकि भारत में बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन इस स्तर तक बढ़ाया जाए कि कच्चे रेशम का आयात 2022 तक शून्य हो जाए तथा भारत रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर बने।
- **2020 तक लाभकारी रोजगारों की संख्या 85 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- यह केंद्रीय सिल्क बोर्ड के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- इस योजना में **चार घटक** हैं:
  - अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और IT पहलें।
  - बीज संगठन और किसान विस्तार केंद्र।
  - बीज, धागे एवं रेशम उत्पादों के लिए बाजार विकास और समन्वय।
  - गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (QCS)।
- इसमें हितधारकों एवं बीज की गुणवत्ता की निगरानी हेतु **सेरीकल्चर इंफॉर्मेशन लिंकेज एंड नॉलेज सिस्टम (SILKS) पोर्टल एवं मोबाइल एप्लिकेशन** को शामिल किया गया है।
- इस योजना में शहतूत, वान्या सिल्क (Vanya silk) और पोस्ट कोकून क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए भी विभिन्न लाभार्थी उन्मुख घटकों को शामिल किया गया है।
- इसकी कार्यान्वयन रणनीति लाभ को अधिकतम करने के लिए राज्य स्तर पर अन्य मंत्रालयों की योजनाओं जैसे कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), ग्रामीण विकास की मनरेगा आदि के साथ **अभिसरण पर आधारित** है।
- भारत के **IITs, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), IISc जैसे प्रतिष्ठित संस्थान और जापान, चीन, बुल्गारिया आदि देशों** के रेशम-उत्पादन (सेरीकल्चर) से संबंधी अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी प्रगति में सहयोग करेंगे।
- यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं व देश के अन्य कमजोर वर्गों (जिनमें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं) को आजीविका के अवसर प्रदान करेगी।
- भारतीय रेशम का ब्रांड प्रमोशन, घरेलू और निर्यात बाजार में **सिल्क मार्क** द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

24.3. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission)

उद्देश्य

- देश को तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना।
- कृषि, जलीय कृषि, डेयरी, कुक्कुट पालन, जैसे क्षेत्रकों तथा रणनीतिक क्षेत्रों सहित **विभिन्न प्रमुख मिशन और कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा** देना।
- भारत में विनिर्माण और निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के अतिरिक्त **लागत अर्थव्यवस्था, जल और मृदा संरक्षण, बेहतर कृषि उत्पादकता** और प्रति एकड़ कृषि भूमि पर **किसानों की आय में वृद्धि** करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- मिशन की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2023-24 तक **चार वर्ष** की होगी।
- **मिशन के निम्नलिखित चार घटक होंगे:**
  - **घटक- I (अनुसंधान, नवाचार और विकास)**
    - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) तथा अन्य प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/औद्योगिक/शैक्षणिक प्रयोगशालाओं द्वारा फाइबर स्तर पर मौलिक अनुसंधान एवं तकनीकी वस्त्रों में अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान दोनों को प्रोत्साहित करना।
  - **घटक -II (संवर्धन और बाजार विकास)**
    - इस मिशन का उद्देश्य बाजार विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और 'मेक इन इंडिया' पहल के माध्यम से वार्षिक 15 से 20 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ घरेलू बाजार के आकार को वर्ष 2024 तक 40 से 50 अरब डॉलर करना है।
  - **घटक - III (निर्यात संवर्धन)**
    - निर्यात में प्रभावी समन्वय और संवर्धन गतिविधियों के लिए **तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद** का गठन करना तथा वर्ष 2023-24 तक प्रतिवर्ष निर्यात में 10 प्रतिशत की औसत वृद्धि सुनिश्चित करना।
  - **घटक- IV (शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास)**
    - तकनीकी वस्त्रों और इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों के संदर्भ में उच्च इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना।
    - नवाचार और इन्क्यूबेशन केंद्रों का निर्माण करना तथा 'स्टार्टअप' एवं उद्यमों का प्रचार करना।

© Vision IAS

• पर्यावरणीय अनुकूल	• **अनुसंधान का एक उप-घटक जैव अपघटनीय तकनीकी वस्त्र सामग्री,** विशेष रूप से कृषि-टेक्सटाइल, जियो-टेक्सटाइल्स और चिकित्सा वस्त्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। • यह चिकित्सा और स्वच्छता अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान पर बल देने के साथ, प्रयुक्त तकनीकी वस्त्रों के पर्यावरणीय अनुकूल संधारणीय निपटान के लिए उपयुक्त उपकरण भी विकसित करेगा।
• **'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन**	• 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने और निम्न पूंजीगत लागत के माध्यम से उद्योगों को प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए तकनीकी वस्त्रों हेतु **स्वदेशी मशीनरी और प्रक्रियात्मक उपकरणों का विकास करना**।

- वस्त्र मंत्रालय ने **त्रिस्तरीय (3-tier) संस्थागत तंत्र** के माध्यम से **'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission: NTTM)'** को लागू करने की योजना निर्मित की है:
  - **टीयर III: नीति आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर तकनीकी वस्त्र संबंधी एक समिति-** यह रक्षा, अर्द्धसैन्य, सुरक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से संबंधित सभी अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान करेगी तथा इन पर अनुशंसा प्रदान करेगी।
  - **टीयर II: वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति-** यह इस मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। यह समिति मिशन संचालन समूह के अनुमोदन के आधार पर अनुसंधान परियोजनाओं को छोड़कर प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर सभी परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान करेगी।
  - **टीयर I: वस्त्र मंत्री के नेतृत्व में एक मिशन संचालन समूह -** सभी वित्तीय मानदंडों और सभी वैज्ञानिक/तकनीकी अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए वस्त्र मंत्री के नेतृत्व में एक मिशन संचालन समूह।

24.4. पावरटेक्स इंडिया स्कीम (PowerTex India Scheme)

उद्देश्य

- आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा लो-एंड (low-end) वाली पावरलूम इकाइयों को उनके आधुनिकीकरण और अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- उत्पादित कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना और उन्हें घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना।
- क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना।
- पावरलूम उत्पाद हेतु बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन और रिवर्स क्रेता-विक्रेता सम्मेलन।
- धागे की बिक्री पर मध्यस्थ/स्थानीय आपूर्तिकर्ता ब्रोकरेज चार्ज से बचना।
- नवीकरणीय ऊर्जा (सौर) पर बल देना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **पॉवरलूम (विद्युत् करघा) क्षेत्र** के विकास हेतु एक **व्यापक योजना है।** इस योजना का उद्देश्य देश में सामान्य अवसंरचना में वृद्धि करना तथा पॉवरलूम का आधुनिकीकरण करना है।

प्रधान मंत्री क्रेडिट योजना (PMCS)	सौर ऊर्जा योजना	सार्वभौमिक बीमा
वित्तीय सहायता (मार्जिन मनी सब्सिडी और ब्याज प्रतिपूर्ति सहित), **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया के** तहत विकेंद्रीकृत पॉवरलूम इकाइयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / महिला उद्यमियों को प्रदत्त क्रेडिट सुविधा की भांति ही दी जाएगी।	इसके तहत सौर फोटोवोल्टिक संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु पावरलूम इकाइयों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	पावरलूम कर्मचारियों (18-59 वर्ष की आयु के) के लिए प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और दुर्घटना के कारण आंशिक / स्थायी दिव्यांगता के मामले में सार्वभौमिक बीमा का प्रावधान शामिल किया गया है।

24.5. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (Amended Technology Upgradation Fund Scheme: ATUFS)

उद्देश्य

- देश में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस को प्रोत्साहित करना तथा सामान्य रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना और विनिर्माण में मेक इन इंडिया और जीरो इफ़ेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करना।
- वस्त्र उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार और निर्यात वृद्धि को सुगम बनाना तथा अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र मशीनरी विनिर्माण में निवेश में वृद्धि करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **केंद्रीय क्षेत्र** की एक क्रेडिट-लिंक्ड योजना है।
- **इस योजना** में पात्र बेंचमार्क मशीनरी के लिए **परिधान और प्रौद्योगिकीय वस्त्र खंड** हेतु 30 करोड़ रूपए की अधिकतम राशि के साथ **15%** की दर पर तथा **बुनाई, प्रसंस्करण, पटसन, रेशम और हथकरघा खंड** हेतु 20 करोड़ रूपए की अधिकतम राशि के साथ **10%** की दर पर **एकमुश्त पूँजी सब्सिडी** का प्रावधान है।
- इस योजना के तहत **इकाइयों / संस्थाओं को नोडल वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सब्सिडी दी** जाती है, न कि राज्य सरकार के माध्यम से।
- इसमें **पूंजी निवेश सब्सिडी (CIS)** शामिल है, जबकि TUFS की पूर्व योजनाओं में ब्याज प्रतिपूर्ति और पूंजी सब्सिडी दोनों से संबंधित प्रावधान थे।
- ATUFS को परिधान निर्माण जैसे **केंद्रित क्षेत्रों** की ओर लक्षित किया जाता है तथा कताई (spinning) जैसे आधुनिकीकरण के वांछित स्तर को प्राप्त कर चुके क्षेत्रों को लक्षित नहीं किया गया है।

24.6. वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना (Scheme For Capacity Building In Textile Sector: SAMARTH)

उद्देश्य

- **कताई और बुनाई को छोड़कर संगठित कपड़ा क्षेत्र** और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु मांग आधारित, रोजगार उन्मुख NSQF (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) के अनुरूप **कौशल कार्यक्रम** की व्यवस्था करना।
- **हैंडलूम, हस्तशिल्प, रेशम-उत्पादन (सेरीकल्चर) और जूट के** पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल विकास और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना।
- **वेतन या स्वरोजगार के** माध्यम से संपूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों को **सतत आजीविका प्रदान** करना।

लाभार्थी

- 10 लाख व्यक्ति (संगठित क्षेत्र में कार्यरत 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्र में कार्यरत 1 लाख लोग)।
- कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्ग, महिलाएं, ग्रामीण, सुदूर, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर आदि।

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएँ

- यह एक कौशल विकास योजना है। यह योजना **कताई और बुनाई को छोड़कर संगठित क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर** करती है। इसे वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक लागू किया जाना था।
  - इसके तहत कौशल अंतराल और कौशल आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा और तदनुसार आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
  - यह कार्यक्रम क्षेत्र विशिष्ट हार्ड स्किल के अतिरिक्त, 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल (soft skills) भी प्रदान करेगा।
- प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन एक **अधिकृत मूल्यांकन एजेंसी** द्वारा किया जाएगा।
- **70% सफल प्रशिक्षुओं के नियोजन (प्लेसमेंट) की गारंटी प्रदान** की जाएगी (संगठित क्षेत्र के लिए, सभी 70% को **वेतनपरक रोजगार** में नियोजित किया जाएगा, जबकि पारंपरिक क्षेत्र के लिए कम से कम 50% को वेतनपरक रोजगार दिया जाएगा)।
- योजना के तहत **पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग अनिवार्य** है।
  - हाशिए पर स्थित सामाजिक समूहों और 117 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देना।
  - लोक शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था करना।
- स्वरोजगार के लिए, **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ऋण** प्रदान किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसियों:** वस्त्र उद्योग, वस्त्र मंत्रालय के संस्थान/ संगठन या राज्य सरकार के वस्त्र उद्योग, प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान/NGOs आदि।

24.7. वस्त्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles}

उद्देश्य

देश में **मानव निर्मित फाइबर (MMF)** परिधान और वस्त्र तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना। इससे वस्त्र उद्योग को आकार और विस्तार हासिल करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। साथ ही, यह **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा और लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजनकर्ता भी बनेगा।** यह योजना एक **व्यवहार्य उद्यम और प्रतिस्पर्धी वस्त्र उद्योग** के निर्माण का समर्थन करती है।

प्रमुख विशेषताएं

- **आवेदक:** भारत में निगमित कंपनी/ फर्म/ सीमित देयता भागीदारी (LLP)/ ट्रस्ट सहित कोई भी व्यक्ति, जो योजना के तहत परिचालन में रुचि रखता है। **योजना के तहत एक बार चुने गए आवेदक को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक नई/ अलग कंपनी बनाने की आवश्यकता होगी।** इस नई इकाई को प्रतिभागी के रूप में जाना जाएगा।
- **अवधि:** 24-09-2021 से 31/03/2030 तक तथा योजना के तहत प्रोत्साहन केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
- **कार्यान्वयन:** वस्त्र मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा।
- **प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होने की सीमा:**

अधिकतम सहायता या सीमा का विवरण	योजना भाग-1	योजना भाग-2
न्यूनतम निवेश (भूमि और प्रशासनिक भवन लागत को हटाकर)	300 करोड़ रुपये	100 करोड़ रुपये
न्यूनतम टर्नओवर	600 करोड़ रुपये	200 करोड़ रुपये

- **प्रोत्साहन पर अधिकतम सीमा:**
  - दूसरे वर्ष से प्रोत्साहनों की गणना के प्रयोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम वृद्धिशील कारोबार में **25% की वृद्धि के ऊपर 10% की सीमा** का प्रावधान होगा। उस सीमा से अधिक प्राप्त टर्नओवर को प्रोत्साहन की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
  - हालांकि, पहले वर्ष के लिए वर्ष 2024-25 तक योजना के तहत किए गए निवेश के दो गुना कारोबार के ऊपर **10% की सीमा** लागू होगी।
  - निवेश के दो गुना से अधिक प्राप्त टर्नओवर + 10% को पहले वर्ष में प्रोत्साहन की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। यह दोनों योजनाओं भाग 1 और 2 पर लागू होगा।
- **अपात्र निवेश:** भूमि और प्रशासनिक भवन में निवेश, उदाहरण- कार्यालय और अतिथि गृह भवन, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
- **निगरानी:** मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) PLI योजना की निगरानी करेगा।

24.8. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम मित्र) योजना {Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks Scheme (PM MITRA)}

उद्देश्य

- **SDG-9 को हासिल करने में भारत की मदद करना:** संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG)-9 ("लचीली अवसंरचना का निर्माण, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना तथा नवाचार को प्रोत्साहन देना") को प्राप्त करने में भारत की मदद करना।
- यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए **एकीकृत, बड़े पैमाने की और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा** विकसित करने पर केंद्रित है। यह रसद लागत को कम करेगी और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा।
- यह योजना भारत को **निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक कपड़ा बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने** में मदद करेगी। इन पार्क्स को उन स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें वस्त्र उद्योग के फलने-फूलने के लिए अंतर्निहित क्षमता है और सफल होने के लिए आवश्यक लिंकेज उपलब्ध हैं।

प्रमुख विशेषताएं:

- **5 F-आधारित विज़न:** खेत (Farm) से रेशे (Fibre) से कारखाने (Factory) से फैशन (Fashion) से विदेशी (Foreign) बाज़ार तक।
- **पात्र साइट्स:** विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड/ ब्राउनफील्ड साइट्स।
- **एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला:** उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए एक स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/ रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला स्थापित करने का अवसर प्रदान करना।
- **भूमि की आवश्यकता:** पात्र होने के लिए इच्छुक राज्य सरकारों के पास 1000+ एकड़ संस्पर्शी और बाधा-मुक्त भू-खंडों की उपलब्धता होनी चाहिए।
- **योजनावधि:** वर्ष 2027-28 तक 7 वर्ष के लिए।
- **स्थानों के चयन के लिए चुनौती (चैलेंज) विधि:** स्थानों का चयन चुनौती (चैलेंज) पद्धति के माध्यम से होगा। इसमें विभिन्न मापदंडों के भारांश को शामिल किया जाएगा। **उदाहरण के लिए- कनेक्टिविटी, विद्युत अवसंरचना, जल और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली, उद्योग के अनुकूल श्रम कानून, एकल खिड़की मंजूरी, राज्य की स्थिर और अनुकूल औद्योगिक/ वस्त्र नीति।**
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड:**
  - पी.एम.मित्र पार्क को **डिजाइन-निर्माण-वित्त-संचालन-हस्तांतरण (DBFOT)** प्रारूप पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) आधारित मास्टर डेवलपर (MD) मॉडल में विकसित किया जाएगा।
  - हालांकि, असाधारण स्थिति में अन्य मॉडल जैसे सरकारी विशेष प्रयोज्य वाहन (SPV) के नेतृत्व वाले मॉडल या निजी डेवलपर की सीमित भागीदारी के साथ हाइब्रिड मॉडल को भी भारत सरकार के अनुमोदन से स्वीकार किया जा सकता है।
- **पार्क में सुविधाएं:**
  - **मूलभूत अवसंरचना:** इन्क्यूबेशन केंद्र और प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री स्थल, सड़क, विद्युत, जल तथा अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली आदि।
  - **सहायक अवसंरचना:** कर्मचारी हॉस्टल और आवास, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग आदि।
- **मूलभूत अवसंरचना के निर्माण के लिए विकास पूंजी सहायता (DCS):**
  - **ग्रीनफील्ड पार्क** के लिए **परियोजना लागत का 30% सहयोग** प्रदान किया जाएगा। हालांकि, इस सहयोग की अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये होगी।
  - **ब्राउनफील्ड स्थलों के लिए यह सहयोग,** शेष बुनियादी ढांचे और अन्य सहायक सुविधाओं की **परियोजना लागत का 30% होगा।** इसकी अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
- **प्रमुख अवसंरचना:**
  - विकसित फैक्ट्री स्थल, प्लग एंड प्ले सुविधा, इन्क्यूबेशन सेंटर, सड़कें, बिजली, पानी और अपशिष्ट जल प्रणाली तथा सहायक बुनियादी ढांचे जैसे- कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र (CETP), वर्कर्स हॉस्टल और हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सुविधाएं।
  - **वाणिज्यिक विकास के लिए पार्क के क्षेत्र का 10% उपयोग करने का प्रावधान है।** उदाहरण के लिए दुकानें और कार्यालय, शॉपिंग मॉल, होटल एवं कन्वेंशन सेंटर।
- **प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (Competitive Incentive Support: CIS):** वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए प्रत्येक पार्क को

© Vision IAS

300 करोड़ रुपये की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें विनिर्माण इकाइयों को **पहले आओ - पहले पाओ** के आधार पर कुल बिक्री कारोबार का 3% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।

- यह केवल उन निर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है, जो वस्त्र PLI योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं और यह तब तक उपलब्ध रहेगी, जब तक कि पीएम मित्र पार्क के लिए प्रदान की गई धनराशि समाप्त नहीं हो जाती।

- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency-PMA)**: तकनीकी सहायता शाखा के रूप में कार्य करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) का चयन किया जाएगा, इसका चयन निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

24.9. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

साथी (लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण) (SAATHI)

- **साथी (SAATHI):** लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण (Sustainable and Accelerated Adoption of Efficient Textiles Technology to Help Small Scale Industries).
- यह योजना लघु एवं मध्यम पावरलूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम कीमत के ऊर्जा कुशल पावरलूम, मोटर और रीपेयर किट (rapier kits) प्रदान करने के लिए **वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गयी। (नोट: अधिक जानकारी के लिए, विद्युत मंत्रालय के तहत योजनाएँ देखें)।

दीनदयाल हस्तकला संकुल (Deendayal Hastkala Sankul)

यह **वाराणसी** में प्रथम अत्याधुनिक व्यापार केंद्र और शिल्प संग्रहालय है। यह बुनकरों और कारीगरों को विश्व स्तरीय विपणन सुविधाएं प्रदान करेगा और वाराणसी की पर्यटन क्षमता में भी वृद्धि करेगा।

पुश्तैनी हुनर विकास योजना (Pushtaini Hunar Vikas Yojana)

यह **पारंपरिक कालीन बुनने वाले परिवारों के बुनकरों को** तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए बदोही के कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान में आरंभ की गई।

कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम (Cotton Technical Assistance Programme: TAP)

- भारत द्वारा वर्ष 2012 से 2018 तक **कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम (TAP)** को संचालित किया गया था। जिसमें छह अफ्रीकी देश (बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, मालावी, नाइजीरिया और युगांडा) शामिल थे।
- हालांकि हाल ही में, वस्त्र मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए TAP के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत C4 (बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली) सहित 11 अफ्रीकी देशों को शामिल किया जाएगा।
- इसके तहत क्षेत्रीय विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि, अनुसंधान और विकास/गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन/वितरण अवसंरचना आदि को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

इम्प्रूव कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज फॉर जूट (Jute – ICARE)

- **Jute–ICARE:** Improved Cultivation and Advanced Retting Exercise for Jute.
- इसे वर्ष 2015 में पश्चिम बंगाल और असम के कुछ प्रखंडों में प्रायोगिक आधार पर किसानों के मध्य **कुछ बेहतर कृषि विज्ञान संबंधी प्रथाओं** और हाल ही में विकसित सूक्ष्म जीवों की सहायता से कच्चे जूट को सड़ाने की प्रक्रिया (microbial assisted retting) को **लोकप्रिय बनाने/प्रस्तुत करने हेतु आरंभ** किया गया था। बेहतर कृषि विज्ञान संबंधी प्रथाओं में शामिल हैं:
  - उपज बढ़ाने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग कर जूट की कतार में बुवाई (Line swoing); निराई की लागत को कम करने के लिए व्हील-होइंग और नेल-वीडर्स द्वारा पटसन में खरपतवार प्रबंधन; गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीजों का 50% सब्सिडी पर वितरण करना।
- केंद्रीय पटसन और समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान (CRIJAF) ने उत्पादन और साथ ही **गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सोना (SONA) नामक** एक

माइक्रोबियल कंसोर्टियम विकसित किया है।

'पहचान' कार्ड (Pahchan Cards)

- वस्त्र मंत्रालय ने **"पहचान"** पहल के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को आधार से संबद्ध पहचान पत्र जारी करने हेतु एक पहल की शुरुआत की है
- पहचान कार्ड में हस्तशिल्प कारीगरों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं को शामिल किया जाता है: नाम और पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर तथा शिल्प व्यवसाय।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana)

- इसके द्वारा देश भर में 51-59 वर्ष के आयु वर्ग (जिन्होंने पहले से ही इस योजना के तहत 31.5.2017 को नामांकन कर लिया था) के हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों को जीवन, दुर्घटना और विकलांगता बीमा कवरेज जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जायेगा।
- वार्षिक प्रीमियम 470 रुपए हैं। LIC द्वारा मुवावजा राशि को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।

सतत संकल्प (Project SU.RE)

- सतत संकल्प परियोजना वस्तुतः **सतत फैशन (sustainable fashion) की ओर अग्रसर होने** के लिए **भारतीय परिधान उद्योग** सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। SU.RE का अर्थ है - **'सतत संकल्प' (Sustainable Resolution)** - जो स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देता है।
- इसका उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs-2030),** विशेष रूप से **उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन हेतु SDG -12,** में योगदान देना है।
- हाल ही में, केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI), यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया और IMG रिलायंस के साथ सतत संकल्प परियोजना आरम्भ की गई है।

व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (Comprehensive Handicrafts Cluster Development Scheme: CHCDS)

व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS)

- **वस्त्र मंत्रालय ने CHCDS को जारी रखने की** स्वीकृति प्रदान की है।
- CHCDS का उद्देश्य एक ऐसा **विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार** करना है, जो **उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के क्रम में स्थानीय कारीगरों व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा** करता हो।
- इसके तहत **कारीगरों और उद्यमियों** को सहायता प्रदान करने हेतु क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। इन क्लस्टरों के माध्यम से **आधुनिक बुनियादी ढांचे, नवीनतम प्रौद्योगिकी व पर्याप्त प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास इनपुट, मार्केट लिंकेज तथा उत्पादन** संबंधी विविधीकरण के साथ संबंधित विश्वस्तरीय इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।

© Vision IAS

25. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)

25.1. तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- प्रसाद योजना {National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) Scheme}*

उद्देश्य

- **पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव** प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक नियोजित और धारणीय तरीके से **तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास करना।**
- रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर **प्रत्यक्ष और गुणक प्रभाव हेतु तीर्थाटन पर्यटन का उपयोग करना।**
- धार्मिक गंतव्यों में विश्व स्तरीय अवसंरचना को विकसित करके **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण को बढ़ाना;**
- **स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन** इत्यादि को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**
- यह योजना **अवसंरचना विकास** पर लक्षित है जैसे-प्रवेश स्थल (सड़क, रेल और जल परिवहन), लास्ट माइल कनेक्टिविटी) मौलिक पर्यटन सुविधाएँ उदाहरणार्थ- सूचना/विवेचन केंद्र एटीएम/मनी एक्सचेंज, पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन आदि।
- सार्वजनिक वित्त पोषण के अंतर्गत शामिल घटकों के लिए, **केंद्र सरकार 100% वित्त प्रदान करेगी।**
- परियोजना के बेहतर स्थायित्व के लिए, **PPP और CSR को** शामिल करने के प्रयास भी किए जाएंगे।
- केंद्र सरकार ने **उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री तथा मध्यप्रदेश के अमरकंटक व झारखंड के पारसनाथ** को योजना में शामिल किया है।

25.2. स्वदेश दर्शन (Swadesh Darshan)

उद्देश्य

- पर्यटन को **आर्थिक विकास** एवं रोजगार सृजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण **साधन के रूप में स्थापित करना।**
- योजनाबद्ध रूप से और प्राथमिकता के आधार पर उन **सर्किट्स को विकसित** करना जिनमें पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है;
- पहचाने गए क्षेत्रों में आजीविका के सृजन हेतु देश के **सांस्कृतिक और विरासत मूल्यों को** बढ़ावा देना;
- सर्किट/गंतव्य स्थलों में विश्व स्तरीय अवसंरचना को विकसित करके **संधारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण** को बढ़ाना;
- **समुदाय आधारित विकास और निर्धनों के अनुकूल पर्यटन दृष्टिकोण** का पालन करना
- आय के बढ़ते स्रोतों, बेहतर जीवन स्तर और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों के मध्य पर्यटन के महत्व के संबंध में **जागरूकता का प्रसार करना।**
- स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से **रोजगार के अवसरों का सृजन करना।**

प्रमुख विशेषताएं

केंद्रीय क्षेत्र की योजना	देश में पर्यटन से संबद्ध महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को टिकाऊ रूप से विकसित करना।
सार्वजनिक सुविधाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है	जहां निजी क्षेत्र निवेश करने के इच्छुक नहीं है, इनमें अंतिम स्थान तक संपर्क अर्थात् लास्ट माइल क्नेक्टीविटी, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर्स, सड़क किनारे संबंधी सुविधाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रोशनी का प्रबंध, लैंडस्केपिंग, पार्किंग आदि की सुविधाएँ शामिल हैं।
अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण	केंद्र एवं राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण।
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की CSR पहलों का लाभ उठाना।

15 थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स	ये सर्किट्स हैं- पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्ण सर्किट, मरुस्थल सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, धरोहर सर्किट, सूफी सर्किट और तीर्थंकर सर्किट।
पर्यटक सर्किट	पर्यटन सर्किट को, ऐसे मार्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनमें कम से कम तीन विशिष्ट तथा भिन्न पर्यटन स्थल उपस्थित हों।

25.3. धरोहर गोद लें/अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना (Adopt A Heritage/Apni Dharohar Apni Pehchan Project)

उद्देश्य

- धरोहर स्मारकों में और इनके आस-पास **बुनियादी पर्यटन ढांचे** का विकास करना।
- विरासत स्थल/स्मारक या पर्यटक स्थल के लिए **समावेशी पर्यटक को बढ़ावा देना।**
- संबंधित विरासत स्थल/स्मारक/पर्यटक स्थल के स्थानीय समुदायों की आजीविका सृजन हेतु **देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा** देना।
- **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण को बढ़ावा** देना।
- स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से **रोजगार सृजन करना।**
- **रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास में इसके गुणक प्रभावों** के संदर्भ में पर्यटन क्षमता का उपयोग करना।
- **संधारणीय पर्यटन अवसंरचना का विकास** करना।

प्रमुख विशेषताएं

अंतर मंत्रालयी कार्यक्रम	• **यह संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** के घनिष्ठ सहयोग से **पर्यटन मंत्रालय** की एक विशिष्ट पहल है।
पर्यटन संधारणीयता को बनाए रखने के लिये सहभागिता	• इस **योजना के तहत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट से संबंधित व्यक्ति** किसी भी स्थल को गोद ले सकते हैं व संरक्षण एवं विकास के माध्यम से धरोहर तथा पर्यटन को और अधिक संधारणीय बनाने का उत्तरदायित्व वहन कर सकते हैं। यह परियोजना मुख्यतः **विश्व स्तरीय पर्यटक अवसंरचना और सुविधाओं** के विकास एवं रखरखाव पर केंद्रित है।
स्मारक मित्र	• ये कंपनियां भविष्य की **'स्मारक मित्र'** होंगी, जो अपनी CSR गतिविधियों के साथ गौरव (pride) को संबद्ध करती है। • **पर्यटन मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार की निधि प्रदान नहीं की गई है।** स्थल एक अंगीकरण के पश्चात् स्मारक के विधिक दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। • यह परियोजना **गैर-प्रमुख क्षेत्रों तक सीमित 'पहुंच' की परिकल्पना करती है** तथा इसके अतिरिक्त 'स्मारकों को किसी अन्य को सुपुर्द नहीं' किया जा सकता।

25.4. पर्यटन पर्व (Paryatan Parv)

उद्देश्य

भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करने तथा **"सभी के लिए पर्यटन"** के संदेश को प्रसारित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ **"देखो अपना देश"** के संदेश का प्रचार-प्रसार करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पर्यटन पर्व के घटक:**

देखो अपना देश: यह भारतीयों को अपने देश में	**सभी के लिए पर्यटन:** देश के सभी राज्यों में	**पर्यटन और शासन:** देश भर में विभिन्न विषय

© Vision IAS

भ्रमण करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। इसके अंतर्गत वीडियो, फोटोग्राफ और इस अवसर पर उपस्थित लोगों के मध्य ब्लॉग प्रतियोगिताएं, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटकों के अनुभव से प्राप्त भारत के वृत्तांत चित्रण आदि शामिल होंगे।	पर्यटन समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। ये मुख्य रूप से व्यापक स्तर पर सार्वजनिक सहभागिता के साथ लोगों के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यकलापों में नृत्य, संगीत, थिएटर, पर्यटन प्रदर्शनियां, पाक शैली, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि का प्रदर्शन शामिल है।	वस्तुओं (पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास, पर्यटन में नवाचार और प्रतिष्ठित स्थलों के निकट स्थित स्थानों पर ग्रामीण पर्यटन का विकास आदि) पर हितधारकों के साथ मिल कर संवादमूलक सत्रों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

- **इंडिया टूरिज़्म मार्ट (IMT):** इसे फेडेरेशन ऑफ़ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (FAITH) के साथ साझेदारी में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह पर्यटन से जुड़े अलग-अलग हितधारकों को विदेशी खरीदारों के साथ बातचीत करने और व्यापार करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

25.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

अतुल्य भारत 2.0 अभिया (INCREDIBLE INDIA 2.0 CAMPAIGN)

- इस अभियान का उद्देश्य **विदेशी और घरेलू, दोनों प्रकार के पर्यटकों की संख्या को दोगुना** करना है।
- यह परंपरागत प्रचार साधनों के स्थान पर बाजार विशिष्ट प्रचार योजनाओं एवं उत्पाद विशिष्ट रचनाओं की ओर स्थानान्तरण को चिन्हित करता है, इसके लिये डिजिटल उपस्थिति और सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा हैं।
- यह अभियान प्रमुख मौजूदा बाजारों के साथ-साथ महत्वपूर्ण संभावित बाजारों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। **विरासत पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, कल्याण और चिकित्सा पर्यटन, MICE, गोल्फ इत्यादि जैसे अग्रणी पर्यटन रूपों को अतुल्य भारत 2.0 अभियान के माध्यम से बढ़ावा दिया** जा रहा है।

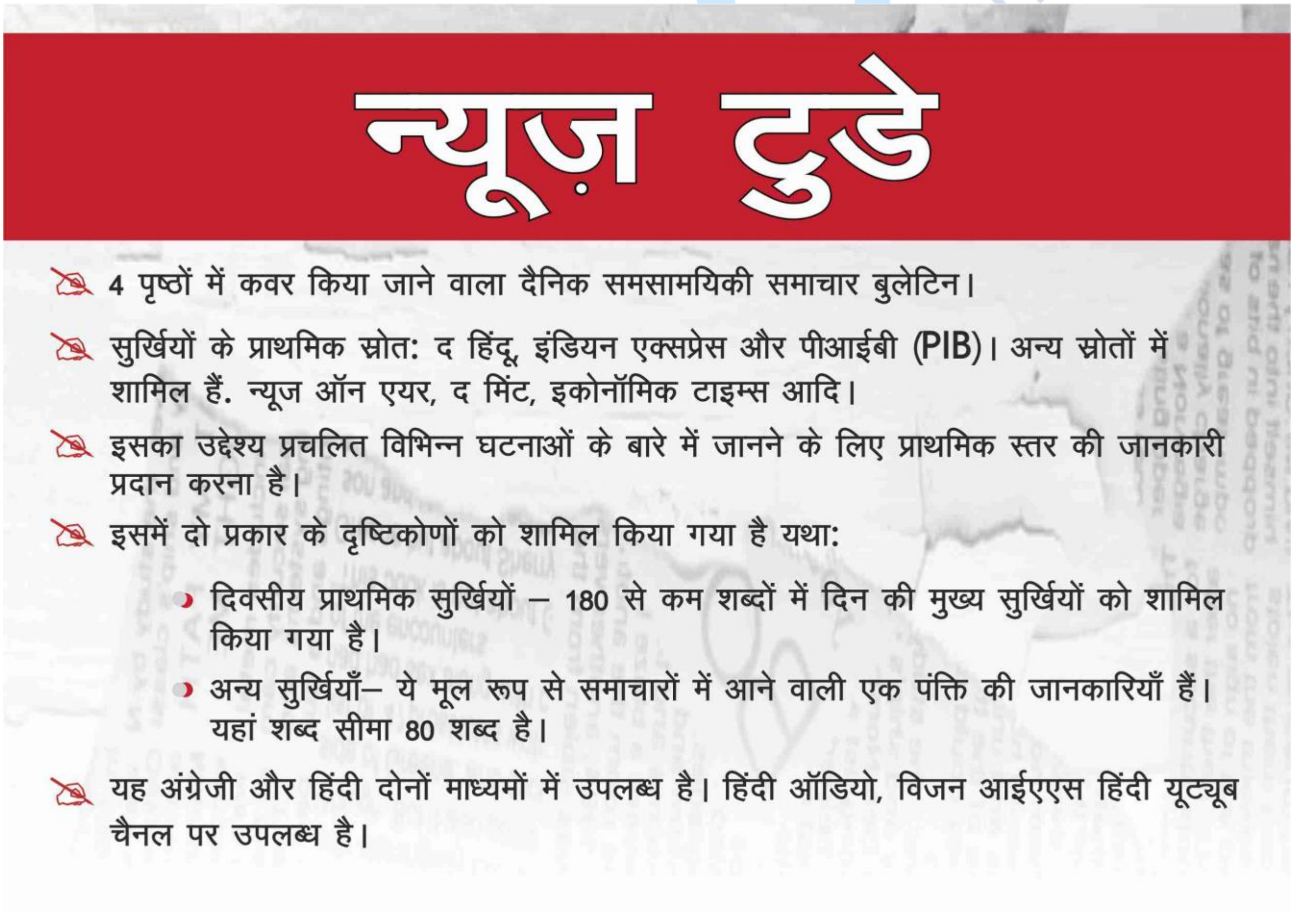

26. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)

26.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School: EMRS)*

उद्देश्य

- आदिवासी बहुल क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति (ST) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना।** साथ ही, पाठ्येतर गतिविधियों के साथ, उन्हें शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंचने और उन्हें सामान्य आबादी के समतुल्य स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**
- **50% से अधिक जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों** वाले सभी जनजातीय ब्लॉक में वर्ष **2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना** की जाएगी।
- ये **जवाहर नवोदय विद्यालयों** के समान हैं (इन विद्यालयों का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को महत्व दिए बिना उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है)। इन विद्यालयों में खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त **स्थानीय कला एवं संस्कृति को संरक्षित** करने हेतु विशेष सुविधाएं होंगी।
- 12 EMDBS को उन सभी पहचाने गए उप-जिलों/ब्लॉक्स में स्थापित किया जाएगा, जहाँ अनुसूचित जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक (90% या उससे अधिक) है।
- सभी संबंधित अवसंरचनाओं (भवन, उपकरण आदि) के साथ **खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित करने के लिए एक समर्पित बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल दिया जाएगा। इस उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक चिन्हित व्यक्तिगत खेल और एक सामूहिक खेल हेतु विशेषीकृत अत्याधुनिक सुविधाओं को शामिल किया जाएगा।
- खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए **खेल कोटे के तहत 20% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।**
- इस योजना के तहत **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS) को 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।
- NESTS को **जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति द्वारा** निर्देशित/संचालित किया जाएगा।

26.2. प्रधान मंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana)

उद्देश्य

- **इसका उद्देश्य कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण** प्रदान करना तथा
- **प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन सुविधा** स्थापित करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- यह योजना **न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र {'Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) & Development of Value Chain for MFP'}** का एक घटक है, जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
- **इसे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेडT/RIFED) द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जो इस हेतु** राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- **यह देश की जनजातीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास** के लिए एक सुविचारित मास्टर प्लान है।
- **प्रमुख प्रावधान:**
    - **यह आदिवासी संग्रहकर्ताओं के आजीविका सृजन और उन्हें उद्यमियों में परिवर्तित करने हेतु** संचालित **एक पहल** है।
    - मुख्य रूप से वन जनजातीय जिलों में **आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले एक वन धन विकास केंद्र (VDVK)** की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।
    - **एक केंद्र में 15 आदिवासी स्वयं सहायता समूह शामिल किए जायेंगे,** जिनमें से प्रत्येक में 20 जनजातीय गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) संग्रहकर्ता या कारीगर शामिल होंगे, अर्थात प्रति वन धन केंद्र में लगभग 300 लाभार्थी सम्मिलित हो सकते हैं।
    - **यह केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है।** इसके अतिरिक्त ट्राइफेड द्वारा प्रत्येक 300 सदस्य के लिए वन धन केंद्र को 15 लाख

© Vision IAS

रुपये प्रदान किए गए हैं।
- स्वामित्व स्थापित करने के लिए जनजातीय संग्रहकर्ता को प्रति सदस्य रु.1000 का योगदान करना होगा।
- **स्वयं सहायता समूह को परिचालन परिसर उपलब्ध कराने के लिए पंचायतें/जिला प्रशासन को दिशानिर्देशित** किया गया है।
- **मूल्य संवर्धन हेतु प्रशिक्षण**, उपकरण का उपयोग और उद्यम प्रबंधन।
- **लघु वनोपज (MFP) मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए** स्थानीय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा वैश्विक स्तर पर **खरीदारों की पहचान करना।**
- **रसद और परिवहन के लिए व्यवस्था करना।**
- **ब्रांडिंग और मार्केटिंग।**

26.3. वनबंधु कल्याण योजना (Vanbandhu Kalyan Yojana)

उद्देश्य

- जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
- आदिवासी परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सतत रोजगार सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अवसंरचनात्मक अंतर को समाप्त करना।
- जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। इसका उद्देश्य देश भर में सभी जनजातीय लोगों तथा जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करना है।
- यह योजना सुनिश्चित करती है कि **जनजातीय उप-योजनाओं** के अंतर्गत कवर की गयी सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के **सभी अपेक्षित लाभ उपयुक्त अभिसरण के माध्यम से वास्तव में उन जनजातियों तक** पहुंच सकें।

26.4. न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन हेतु तंत्र {Scheme for 'Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) Through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP}

उद्देश्य

- स्थानीय स्तर पर आवश्यक अवसंरचना के साथ-साथ उनके द्वारा एकत्रित किए गए चिन्हित लघु वनोपज (MFP) के लिए मुख्य रूप से MSP के माध्यम से MFP संग्रहकर्ताओं हेतु उचित प्रतिफल (रिटर्न) सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लघु वनोपज (MFP) संग्रहकर्ताओं की आजीविका में सुधार के लिए** इस योजना को **एक सामाजिक सुरक्षा जाल** के रूप में तैयार किया गया है ,ताकि उन्हें उनके द्वारा एकत्र किए गए लघु वनोपज (MFP) हेतु उचित मूल्य प्रदान किया जा सके।
- **ट्राइफेड द्वारा इस योजना को देश के 21 राज्यों की सरकारी एजेंसियों के सहयोग** से संकल्पित और कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए बड़ी राहत के एक स्रोत के रूप में उभरी है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब तक किए गए प्रयास व्यर्थ न हों तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन को मजबूत करने और आदिवासी आबादी के सशक्तीकरण में योगदान करने के लिए **ट्राइफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और लघु वनोपज (MFP) योजना एवं वन धन आदिवासी स्टार्टअप के द्वितीय चरण की शुरुआत की है।**
  - इस चरण के दौरान, एक विशेष कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत **वन धन योजना को लघु वनोपज योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ विलय कर दिया जाएगा।**
  - संयुक्त रूप से, इन दोनों पहलों के माध्यम से **आदिवासियों के लिए एक व्यापक विकास पैकेज** प्रस्ताव लाया गया है। यह प्रस्ताव रोजगार और आय तथा उद्यमिता को बढ़ावा देगा।
- MSP का निर्धारण MFP में से प्रत्येक के लिए मूल्य के आधारभूत सर्वेक्षण, प्रत्येक राज्य के लिए संग्रह की लागत, सफाई की लागत और प्राथमिक प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग एवं परिवहन लागत के आधार पर किया जाएगा।

- **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड/TRIFED) में गठित एक मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ** को यह कार्य सौंपा जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय अंततः उस राज्य के लिए चयनित प्रत्येक MFP के लिए राज्यवार MSP को मंजूरी देगा और घोषणा करेगा।
- संग्रह की लागत में संशोधन के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष में मूल्य की समीक्षा की जाएगी। इस योजना को भारत के सभी राज्यों में लागू किया जायेगा।

नोट: MFP वन उपज का एक उप-भाग है (भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित)। **MFP को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 {Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006}** के तहत परिभाषित किया गया है।

- इस अधिनियम की धारा 2 में MFP को **'पौधे की किस्मों के सभी गैर-काष्ठ वन उत्पाद'** के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें बांस, झाड़ियां (शाखा-काष्ठ), स्टंप, बेंत, टसर, कोकून (कच्चे रेशम का कोये), शहद, मोम, लाख, तेंदु/केंदु के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़ें आदि शामिल हैं।

26.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

ट्राईफूड/स्फूर्ति मॉडल (Trifood/SFURTI Model)

- नवंबर 2020 में, ट्राईफूड/स्फूर्ति मॉडल के अधीन 200 परियोजनाओं को प्रारंभ करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने एक घोषणा की थी।
- **ट्राईफूड/स्फूर्ति मॉडल:**
  - **यह भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड/TRIFED)** की अभिसरित पहलों में से एक है।
  - इस प्रकार के प्रथम मॉडल को अगस्त, 2020 में **रायगढ़, (महाराष्ट्र) और जगदलपुर (छत्तीसगढ़)** में लॉन्च किया गया था।
  - यह कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन, फूलों की खेती और औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संबंधित **क्लस्टर कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी आबादी के लिए वर्ष भर एक सतत आय को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।**

ट्राईफूड योजना (TRIFOOD Scheme)

- यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है।
- इस योजना के अंतर्गत आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्रित **लघु वनोपज (MFP)** के प्रसंस्करण के लिए **तृतीयक मूल्य संवर्धन केंद्र** स्थापित किए जाएंगे।
- **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)** के अंतर्गत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण वाली योजना के अधीन प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य **आदिवासियों की आय में वृद्धि करना है।**

नोट: पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries: SFURTI) अर्थात स्फूर्ति योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत संचालित किया गया है।

"आदिवासियों के मित्र" पहल ("Friends of Tribes" initiative)

इस पहल के तहत, ट्राइफैड ने आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने के लिए CSR कोष को जोड़ दिया है।

गो ट्राइबल कैंपेन (Go Tribal campaign)

- इसे ट्राइफेड ने जागरुकता सृजन और जनजातीय कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित करने तथा साथ ही देश भर में 700 से अधिक भारतीय जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया है।
- इसके तहत ट्राइब्स इंडिया ब्रांड एंड आउटलेट्स के तहत उपलब्ध उत्पादों की ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि के माध्यम से खरीद की जा सकती है।

© Vision IAS

'गोल' (गोइंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स) कार्यक्रम {GOAL (Going Online As Leaders) program}
• यह आदिवासी युवाओं को सशक्त करने तथा संबंधित क्षेत्रों में भावी नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने हेतु **फेसबुक की एक डिजिटल मेंटरशिप पहल** है। • इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न स्थानों पर आदिवासी समुदायों को डिजिटल रूप से सशक्त और आदिवासी युवाओं को व्यक्तिगत रूप से परामर्श प्रदान करने के लिए उद्योगों/निकायों से (नीति निर्माताओं और लोकप्रिय) प्रतिष्ठित लोगों (अपने नेतृत्व कौशल या भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध) की पहचान करना और उन्हें संगठित करना है।

संकल्प से सिद्धि योजना (Attainment through Resolve scheme
• यह एक **पंचवर्षीय योजना** है, जिसके अंतर्गत वर्ष **2017-2022 तक एक 'नए भारत के निर्माण हेतु' विभिन्न प्रयास किए जाएंगे।** ○ यह योजना **भारत को निर्धनता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद और अस्वच्छता से मुक्त करने की परिकल्पना करती है।** साथ ही, सुशासन को अपनाकर तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संपूर्ण देश को एकजुट करती है। • हाल ही में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने **जनजातीय आजीविका पहल 'संकल्प से सिद्धि- मिशन वन धन' आरंभ की है।** इसके तहत सात नए "ट्राइब्स इंडिया" नामक स्टोर्स का उद्घाटन किया गया है। ○ यह जनजातियों को **अपने उत्पादों का विक्रय करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करेगा।** इससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

27. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)

27.1. एकीकृत बाल विकास सेवाएं (Integrated Child Development Services: ICDS)#

उद्देश्य

- छोटे बच्चों में अल्पपोषण (अल्प वजनी 0-3 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत) को 10 प्रतिशत से कम करना एवं इसकी रोकथाम करना;
- बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना;
- मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने संबंधी घटनाओं को कम करना;
- बाल विकास प्रोत्साहन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य नीति और कार्यान्वियन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना; तथा
- उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता में वृद्धि करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- ICDS योजना को **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए** 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ किया गया था। यह **विश्व के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक** है।
- इसमें संबंधित गांव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को शामिल किया जाएगा।
- यह एक सार्वभौमिक और आत्म-चयन आधारित योजना है, अर्थात् कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर इन सेवाओं हेतु नामांकन करा सकता है।

ICDS छत्रक योजना के तहत उप-योजनाएं

- **आंगनवाड़ी सेवाएं:** 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के समग्र विकास के लिए।
- **बाल संरक्षण सेवाएं:** इसका उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित परिवेश प्रदान करना तथा उनसे संबंधित सुभेद्यता को कम करना है।
- **राष्ट्रीय शिशुगृह (creche) सेवा:** इसका उद्देश्य कामकाजी माताओं को अपने काम के दौरान बच्चों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना है। इस प्रकार यह महिलाओं को रोजगार करने **के लिए सशक्त बनाती है।**
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** संपूर्ण देश में 01.01.2017 से सभी जिलों में यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम लागू हो गया है। PMMVY के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (Pregnant Women and Lactating Mothers: PW&LM) के बैंक/डाकघर खाते में DBT के माध्यम से 5,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाती है।
- **किशोरी बालिकाओं (Adolescent Girls: AGs) के लिए योजना:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य AGs के लिए सहयोगात्मक परिवेश निर्मित करते हुए उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर तथा जागरूक नागरिक बन सकें। इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली AGs को लक्षित समूह के रूप में शामिल करना है।
  - **पोषण घटक:** राशन या पका हुआ गर्म भोजन घर ले जाना। एक वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन वित्तीय मानदंड 9.5 रुपये होगा। इसमें AGs में सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रवर्धन करने की लागत शामिल होगी।
  - **गैर-पोषण घटक:** इसके तहत आयरन-फोलिक एसिड (IFA) की अनुपूर्ति करना; स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (Nutrition & Health Education: NHE) प्रदान करना; परिवार कल्याण, किशोरी जनन और यौन स्वास्थ्य (Adolescent Reproductive & Sexual Health: ARSH), शिशु देखभाल पद्धतियां के संबंध में परामर्श/मार्गदर्शन प्रदान करना; जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना शामिल है।

सेवाएं	लक्षित समूह
पूरक पोषण	6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं
टीकाकरण	
स्वास्थ्य जांच	
रेफरल सेवाएं	
प्री–स्कूल शिक्षा	3–6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	महिलाएं (15–45 वर्ष)

- **पोषण अभियान:** इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक चरणबद्ध तरीके से देश में कुपोषण को कम करना है।

© Vision IAS

27.2. पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) {Poshan Abhiyan (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition)}#

उद्देश्य:
• प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार और आंगनवाड़ी सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में सुधार करके कुपोषण के उच्चतम बोझ वाले जिलों में ठिगनेपन के मामलों को कम करना। • पोषण अभियान स्पष्ट रूप से अभिसरण और समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ एक बच्चे के जीवन के शुरुआती 1,000 दिनों में महिलाओं और बच्चों तक पहुंच सकेगा।

प्रमुख विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	सितंबर 2017 में नीति आयोग ने **राष्ट्रीय पोषण रणनीति (NNS)** जारी की थी। इस रणनीति ने पोषण क्षेत्र में मौजूद समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया था। साथ ही, कोर्स सुधार के लिए एक गहन रणनीति तैयार की थी। रणनीति दस्तावेज में प्रस्तुत अधिकांश सिफारिशों को पोषण अभियान में शामिल किया गया है।
लक्ष्य	0-6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन से बचाव करना। — लक्ष्य: इसमें कुल 6 प्रतिशत,प्रति वर्ष 2%की दर से कमी लाना। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का कम वजन से बचाव करना। — लक्ष्य: इसमें कुल 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना। 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कमी करना। — लक्ष्य: इसमें कुल 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना। 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कमी करना। — लक्ष्य: इसमें कुल 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना। कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को कम करना। — लक्ष्य: इसमें कुल 6 प्रतिशत, प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना।
जन आंदोलन	इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर स्थानीय निकायों, राज्य के सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की समावेशी भागीदारी शामिल है।
अभिसरण	18 मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत उच्च प्रभाव वाले हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार की गई है। यह विशेष रूप से गर्भधारण के बाद से बाल्यकाल के शुरुआती 1000 दिनों पर केंद्रित है। अभिसरण में शामिल प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग पोषण से संबंधित एक कार्य योजना तैयार करता है और इसे अपनी गतिविधियों के साथ एकीकृत करता है।
7 स्तंभ	**पोषण अभियान प्रोत्साहन के मुख्य स्तंभ** • अभिसरण • व्यवहार संबंधी परिवर्तन, सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) समर्थन • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण • शिकायत निवारण • प्रोत्साहन • नवाचार • ICDS-CAS (समेकित बाल विकास योजना-साझा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर)
नीति आयोग की भूमिका	**नीति आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:** • विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ राज्यों के बीच **अभिसरण** और भूमिका संबंधी स्पष्टता लाना। • मिशन को कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है, इसकी निगरानी और **मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षण** प्रदान करना।

	• **तकनीकी सहायता** प्रदान करना। • पोषण अभियान को एक जन आंदोलन बनाने के लिए परोपकार करने वाले और अन्य लोगों को एकजुट करना।
संबंधित पहल	
पोषण माह	**सामुदायिक एकजुटता सुनिश्चित करने और लोगों की भागीदारी को बढ़ाने** के लिए, प्रति वर्ष सितंबर का महीना पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।

27.3. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Padhao Beti Bachao: BBBP)

उद्देश्य

- पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रक्रिया का उन्मूलन करना।
- बालिकाओं का **अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित** करना।
- बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं

- इसे 22 जनवरी 2015 को **हरियाणा के पानीपत** में प्रधान मंत्री द्वारा आरंभ किया गया था।
- BBBP वस्तुतः **घटते बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio: CSR)** और संपूर्ण जीवन-चक्र में महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।
- यह महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित **एक त्रि-मंत्रालयी प्रयास** है।
- इस योजना के प्रमुख घटकों में **गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम का प्रवर्तन, राष्ट्रव्यापी जागरूकता एवं प्रचार अभियान सहित प्रथम चरण (वर्ष 2014-15) के दौरान चयनित 100 जिलों (कम बाल लिंगानुपात वाले) में बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई** को शामिल किया गया है।
- इसके तहत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण, संवेदीकरण, जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से मानसिकता में बदलाव पर विशेष बल दिया गया है।
- देश के सभी 640 जिलों (2011 की जनगणना के अनुसार) को शामिल करते हुए BBBP को अखिल भारतीय स्तर पर मार्च 2018 में लागू कर दिया गया था।

दो घटक	
BBBP के संबंध में समर्थन जुटाना और मीडिया के माध्यम से अभियान चलाना।	**बाल लिंगानुपात के संबंध में बदतर स्थिति वाले** लैंगिक रूप से संवेदनशील चयनित जिलों में बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप करना।

- BBBP योजना में व्यक्तिगत स्तर पर नकद प्रोत्साहन/नकद अंतरण संबंधी घटक के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना नहीं है।
- महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में जिला/ब्लॉक/जमीनी स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत अभिसरण को संभव बनाना।

लक्षित समूह

तृतीयक: अधिकारी, पंचायती राज संस्थान; अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह/सामूहिक, धार्मिक नेता, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया, चिकित्सा संघ, उद्योग संघ, सामान्य जन।
द्वितीयक: युवा, किशोर (लड़कियां और लड़के), ससुराल पक्ष, चिकित्सक/चिकित्सा पेशेवर, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और नैदानिक केंद्र।
प्राथमिक: युवा और नवविवाहित युगल; गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं; माता-पिता।

- राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर BBBP योजना की निगरानी करना।
- BBBP से संबंधित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री के प्रसार हेतु **डिजिटल गुड्डी-गुड्डा बोर्ड** एक प्लेटफार्म है। इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों के जन्म से संबंधित मासिक आंकड़े को अपडेट किया जाता है। इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना के तहत सर्वोत्तम पद्धतियों के रूप में अपनाया गया है।

© Vision IAS

- **6 वर्षों के दौरान BBBP की उपलब्धियां:**
  - **मनोवृति परिवर्तन:**
    - यह योजना **कन्या भ्रूण हत्या,** लड़कियों में **शिक्षा की कमी** और जीवन-चक्र के दौरान अधिकारों से वंचित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रही है।
    - इससे लैंगिक भेदभाव की व्यापकता और इसे समाप्त करने में **समुदाय की भूमिका को लेकर जनता में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ी है।**

BBBP के अंतर्गत ध्यान देने योग्य घटक:

- चयनित जेंडर क्रिटिकल जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में एक वर्ष में 2 अंकों का सुधार।
- 5 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की मृत्यु दर में वर्ष 2014 की तुलना में कमी।
- संस्थागत प्रसव में प्रति वर्ष कम से कम 1.5% की वृद्धि।
- चयनित जिलों के प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के लिए कार्यात्मक शौचालय उपलब्ध कराने सफलता।
- लड़कियों के पोषण स्तर में सुधार - 5 वर्ष से कम आयु की कम वजन और एनीमिक लड़कियों की संख्या को कम करके।
- पॉक्सो अधिनियम, 2012 का कार्यान्वयन।
- ICDS का सार्वभौमिकरण।
- सी.एस.आर. में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदायों को संगठित करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जोड़ने में सफलता।

27.4. भारतीय पोषण कृषि कोष (Bharatiya Poshan Krishi Kosh: BPKK)

उद्देश्य

एक **कृषि खाद्य एटलस का विकास** तथा **पोषण अभियान** के लिए एक जन-आंदोलन हेतु आशाजनक प्रथाओं का प्रलेखन करना।

प्रमुख विशेषताएँ

आरंभ	• इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) के सहयोग से **महिला और बाल विकास मंत्रालय** द्वारा आरंभ किया गया है।
कृषि-खाद्य एटलस	• **कृषि-खाद्य एटलस (जिसे पोषण एटलस के रूप में भी जाना जाता है),** भारत में 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलों का भंडार होगा। इसके तीन भाग हैं यथा: यह वर्तमान में उगाई जाने वाली फसलें, कृषि-पारिस्थितिक स्थिति (मृदा, जैविक कार्बन सामग्री, भू-जल की उपलब्धता आदि) तथा आहार विविधता और पोषण को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष जिले या प्रखंड में फसलों की अधिक विविधता को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना।
परियोजना के तहत विविध डेटा स्रोतों का उपयोग	• परियोजना के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, कृषि-संगणना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, **इसरो (ISRO) के उन्नत वाइड फील्ड सेंसर (AWiFS)** और **नासा (NASA) के मॉडरेट रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो-रेडियो मीटर** जैसे **विविध डेटा स्रोतों** का उपयोग किया गया है।
अन्य विशेषताएं	• यह परियोजना **सामाजिक, व्यावहारिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का भी एक दस्तावेज़** है, जो स्वस्थ आहार संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देती है तथा उसे सुदृढ़ करती है।

किशोरी हेल्थ कार्ड

- इस योजना के तहत प्रदान की गई अन्य सेवाओं के साथ राज्य द्वारा वजन, ऊंचाई, बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के बारे में जानकारी दर्ज करने हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) में किशोर लड़कियों के लिए किशोरी हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- SAG के तहत प्राप्त उपलब्धियों/परिणामों का विवरण किशोरी हेल्थ कार्ड पर अंकित होता है और कार्ड में किशोरियों के जीवन से (जिसमें उनके स्कूलों में नामांकन कराना भी शामिल है) संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध होती हैं।

27.5. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

उद्देश्य

- माता-पिता को एक लड़की के नाम पर खाता खोलने और उसके कल्याण के लिए निर्धारित सीमा तक अपनी अधिकतम बचत को इसमें जमा करने हेतु प्रेरित करना।
- लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकता को पूरा करना।
- लड़कियों के कम आयु में होने वाले विवाह को रोकना और परिवार की बचत एवं संसाधनों में लड़कियों की समान हिस्सेदारी (जहां लड़कियों के साथ सामान्यतः लड़कों की तुलना में भेदभाव किया जाता है) को सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

यह एक अल्प बचत योजना है। यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना का एक भाग है। जिसकी ब्याज दर बैंकों (वर्तमान में यह 8.4% है) द्वारा दी जाने वाली सामान्य बचत दर से अधिक है।
सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपये की न्यूनतम जमा और अधिकतम 1.5 लाख रुपये के साथ लड़की की शिक्षा तथा विवाह के व्ययों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए खोला जाता है।
माता-पिता या कानूनी अभिभावक लड़की के दस वर्ष की आयु के होने के पूर्व उसके नाम पर एक खाता खोल सकते हैं।
बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए 50% राशि निकाल सकती है। यह 18 वर्ष की समय सीमा बाल-विवाह को रोकने में भी सहायता करेगी।
वार्षिक जमा (योगदान) आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत लाभ के लिए अर्ह है तथा परिपक्वता लाभ गैर-कर योग्य होते हैं।
जमा करने की अवधि: खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष तक। SSY खाते में खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने तक जमा किया जा सकता है।
खाते का हस्तांतरण: खाते को भारत में कहीं भी हस्तांतरित किया जा सकता है। यदि जिसके नाम पर खाता है वह बालिका शहर या क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होती है तो वहां खाते को स्थानांतरित किया जा सकता है।

हाल ही में, इस योजना के नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं:

डिफॉल्ट अकाउंट में भी अधिक ब्याज दर	पूर्व के डिफ़ॉल्ट अकाउंट (जिन खातों में वार्षिक रूप से 250 रुपये की न्यूनतम राशि को बनाए नहीं रखा गया था) में जमा राशि पर केवल पोस्ट ऑफिस बैंक ब्याज दर ही प्रदान की जाती थी। हालांकि, अब, ऐसे खातों में जमा पर भी उच्च ब्याज दर प्रदान की जाएगी।
खाते का समय-पूर्व बंद करना	बालिका की मृत्यु या निवास स्थान के परिवर्तन संबंधी पूर्ववर्ती आधारों के साथ-साथ नए नियमों के तहत अनुकम्पा (compassionate) आधार सहित चिकित्सा आपातकाल या बालिका के उपचार जैसे आधारों को भी शामिल किया गया है।
खाते का संचालन	पहले, बालिका 10 वर्ष की आयु के पश्चात् ही SSA को संचालित कर सकती थी। हालांकि, अब इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है और तब तक केवल अभिभावक द्वारा ही इसे संचालित किया जाएगा।
दो से अधिक बालिकाओं का खाता खुलवाना	पहले, अभिभावक को चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता था। अब, उन्हें जन्म प्रमाण-पत्र और शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

27.6. उज्ज्वला योजना (Ujjwala Scheme)

उद्देश्य

तस्करी की रोकथाम और सीमा-पार के पीड़ितों के उनके मूल देश में बचाव, पुनर्वास, पुन: एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन करना।

 © Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं
पुनर्वास केंद्रों को आश्रय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं, जैसे: • खाद्य, वस्त्र, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता; • यदि पीड़ित बच्चे हैं तो शिक्षा; • पीड़ितों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय सृजन गतिविधियाँ।

27.7. किशोर लड़कों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना - सक्षम (Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Boys-SAKSHAM)

उद्देश्य
• किशोर लड़कों (11-18 yrs) को आत्मनिर्भर, लिंग-संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनाने हेतु उनका सर्वांगीण विकास करना।
प्रमुख विशेषताएं
• लड़कों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना तथा उनके स्वच्छता, पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। • राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (NSDP) के माध्यम से 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। • एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के तहत निर्मित संरचनाओं का उपयोग मंच के रूप में किया जाएगा। यह केंद्र और राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निर्मित एक समर्पित सक्षम इकाई द्वारा समर्थित होगा।

27.8. स्वाधार गृह योजना (Swadhar Greh Scheme)

उद्देश्य

• प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह स्थापित करना। इनके कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  ○ इस योजना के तहत महिलाओं की आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कठिन परिस्थितियों से पीड़ित तथा सामाजिक एवं आर्थिक सहायता से वंचित महिलाओं की देखभाल करना।
  ○ उन्हें परिवार/समाज में पुनः समायोजन के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाने हेतु कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
  ○ उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से पुनर्स्थापित करना।
  ○ उन्हें अपने जीवन को दृढ़ विश्वास व गरिमा के साथ पुनः आरंभ करने में सक्षम बनाना।

लाभार्थी
18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की वैसी महिलाएं: • जो परित्यक्ता हैं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं, जेल से मुक्त हुई महिला कैदी हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, पारिवारिक तनाव या विवाद से परेशान हैं अथवा तस्करी की गयी महिलाएं/लड़कियाँ (जो वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भागी हुई या बचाई गयी)। • उपर्युक्त श्रेणियों की महिलाओं के साथ उनके बच्चों को भी अपनी मां के साथ स्वाधार गृह में रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी (18 वर्ष की आयु तक की बालिकाएं और 8 वर्ष तक की आयु के बालक)।
प्रमुख विशेषताएं
• कोई भी सरकारी या सिविल सोसायटी संगठन इस योजना के तहत सहायता ले सकता है। • स्वाधार गृह एक प्रत्यक्ष खाता अंतरण (DBT) अनुपालन योजना है।

रणनीतियां

- ऐसी महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए व्यावसायिक और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।
- परामर्श, जागरूकता सृजन और व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- कानूनी सहायता और मार्गदर्शन।
- भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओं आदि की उपलब्धता के साथ रहने के लिए अस्थायी आवास।
- टेलीफोन के माध्यम से परामर्श।

27.9. जेंडर चैंपियंस योजना (Gender Champions scheme)

यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय** का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

उद्देश्य

- युवा लड़के और लड़कियों को लैंगिक रूप से संवेदनशील (जेंडर सेंसिटिव) बनाकर एक ऐसे सकारात्मक सामाजिक मानदंडों का निर्माण करना, जो महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों का सम्मान करते हैं।

लाभार्थी

- शैक्षिक संस्थानों में नामांकित 16 वर्ष से अधिक आयु के लड़के और लड़कियाँ, दोनों **जेंडर चैंपियंस** बन सकते हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- जेंडर चैंपियंस की ऐसे जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं के रूप में कल्पना की गयी है, जो अपने स्कूलों/कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों के भीतर एक ऐसे सक्षम परिवेश का निर्माण करेंगे, जिसमें लड़कियों के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता हो।
- यह योजना लैंगिक समानता का समर्थन करने और लैंगिक न्याय की दिशा में होने वाली प्रगति की निगरानी करने के लिए युवा लड़कियों और लड़कों की क्षमता को मज़बूत बनाएगी।

27.10. सखी वन स्टॉप सेंटर (Sakhi One Stop Centres)

उद्देश्य

- निजी या सार्वजनिक स्थानों, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर **एकीकृत समर्थन और सहायता** प्रदान करना।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के किसी भी स्वरूप से निपटने के लिए एक ही स्थान पर **चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता** सहित कई अन्य प्रकार की सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

लाभार्थी

- जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना, हिंसा से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों सहित सभी महिलाएं।

प्रमुख विशेषताएं

इसे **निर्भया फंड के माध्यम से वित्तपोषित** किया जाता है।
केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

© Vision IAS

ये **प्रत्येक समय कार्य करने (24×7) वाले केंद्र** हैं, जहाँ कोई भी महिला, जो प्रतिकूल परिस्थिति में हो, या उसकी ओर से कोई अन्य वूमेन टोल-फ्री हेल्पलाइन 181 पर फोन करके सखी सेंटर से सहायता हेतु प्रयास कर सकता/सकती है।
कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन।

27.11. पी.एम. केयर्स-फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares for Children Scheme)

उद्देश्य
उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा, जो कोविड महामारी के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों से वंचित हो गए थे।
• कोविड महामारी के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों से वंचित हो जाने वाले बच्चों की एक सतत रीति से देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करना। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनका कल्याण करना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त करना तथा 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं	
पात्रता मानदंड	• **पात्रता:** वे बच्चे जिनके माता-पिता (दोनों) या उत्तरजीवी माता-पिता या कानूनी अभिभावक / दत्तकग्राही माता-पिता / एकल दत्तकग्राही अभिभावक की 11.03.2020 से शुरू होने वाले कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस तारीख को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था और 31.12.2021 तक इसे वैश्विक महामारी माना गया था। ○ माता-पिता की मृत्यु की तिथि पर बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होना चाहिए।
• शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अंतराल वित्तपोषण, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा, और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि। • **नामांकन 29.05.2021 से शुरू होगा।** यह योजना उस वर्ष तक जारी रहने की उम्मीद है जब तक कि प्रत्येक चिन्हित लाभार्थी 23 वर्ष की आयु का न हो जाए।	
योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों में शामिल हैं:	
बालक के नाम पर सावधि जमा	• पीएम केयर्स/PM CARES ('आपात स्थितियों में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष) एक विशेष रूप से अभिकल्पित योजना के माध्यम से **प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का कोष तैयार** करेगा। • यह 18 वर्ष की आयु से **मासिक वित्तीय सहायता / वजीफा प्रदान** करेगा और 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, उसे **कोष की राशि मिल** जाएगी।
विद्यालयी शिक्षा: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए	• **नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय/निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश** सुनिश्चित करना। • **पीएम केयर्स** से वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक के लिए व्यय का भुगतान किया जाएगा।
विद्यालयी शिक्षा: 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए	• बच्चे को **केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय** जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा। • यदि बच्चे की देखरेख अभिभावक/दादा-दादी/विस्तारित परिवार द्वारा जारी रखी जाती है, तो उसे **निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश** दिलाया जाएगा।
उच्च शिक्षा के लिए सहायता	• मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में **व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता** की जाएगी। इस **ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स** द्वारा किया जाएगा। • एक विकल्प के रूप में, **केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं** के तहत सरकार के मानकों के अनुरूप ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

स्वास्थ्य बीमा	• सभी बालकों को आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर शामिल होगा।

27.12. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

महिला ई-हाट (Mahila E-Haat)

- यह महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन विपणन मंच है।
- **लाभार्थी -** 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी भारतीय महिला नागरिक और महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs)
- यह महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पहल है। इसके माध्यम से महिला उद्यमियों के द्वारा निर्मित/विनिर्मित/बिक्री योग्य उत्पादों के प्रदर्शन लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा।
- यह मंच महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत निकाय है तथा इसे राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा स्थापित किया गया है। **इसे राष्ट्रीय महिला कोष** के साथ अधिकतम 10 लाख रुपये के निवेश के साथ स्थापित किया गया है।

प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र (Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra: PMMSK)

- यह प्रधान मंत्री महिला सशक्तीकरण योजना (PMMSY: एक अम्ब्रेला योजना) के तहत एक नवीन उप-योजना है तथा वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित है।
- ग्रामीण महिलाओं की सरकार तक पहुँच बनाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वे अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें और उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाया सके।
- यह योजना 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है।
- PMMSK ब्लॉक स्तरीय पहल: इसके तहत, छात्रों (स्वैच्छिक सहायक के रूप में) के माध्यम से 117 सबसे पिछड़े जिलों में सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है।
- यह छात्र स्वयंसेवकों (Volunteers) को राष्ट्र विकास प्रक्रिया में भाग लेने और पिछड़े जिले में लैंगिक समानता लाने का अवसर प्रदान करेगा।

नारी पोर्टल (NARI portal)

- नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन फॉर वीमेन नारी (NARI) एक ई-पोर्टल है। यह महिलाओं के लाभ के लिए 350 से अधिक सरकारी योजनाओं को सारांशित करता है, जिसमें और भी योजनाएं समाविष्ट की गई हैं।
- यह महिलाओं को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी जानकारी प्रदान करता है, जैसे अच्छे पोषण पर सुझाव, स्वास्थ्य जांच के लिए सुझाव आदि।

ई-संवाद पोर्टल (E-Samvaad Portal)

- यह गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के लिए एक मंच है, जिसके माध्यम से वे महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ अंतःक्रिया कर अपने फीडबैक, सुझाव, शिकायतों, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों (Best Practices)आदि को साझा करते हैं।

खोया पाया पोर्टल (Khoya Paya portal)

- यह गुमशुदा या कहीं मिले बच्चे के सम्बन्ध में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए नागरिक आधारित वेबसाइट (citizen-based website) है।
- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - DeITY (वर्तमान में इस विभाग को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) का दर्जा प्राप्त है) द्वारा विकसित किया गया था।

जन संपर्क कार्यक्रम (Jan Sampark program)

© Vision IAS

- **उद्देश्य:** सामान्य जन को गोद लेने से संबंधित जानकारी मांगने एवं अपनी चिंताओं को साझा करने हेतु संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाना।
- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के **केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** द्वारा शुरू किया गया है।
- यह भावी दत्तक माता-पिता (prospective adoptive parents: PAPs) को अधिक उम्र के बच्चों को अपनाने के लिए परामर्श देने और प्रेरित करने के एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु समर्थन {Support to Training and Employment Programme (STEP) for Women}

- महिलाओं को स्व-नियोजित/उद्यमी बनने हेतु सक्षम बनाने के लिए सामर्थ्य और कौशल प्रदान करता है।
- इस योजना का उद्देश्य देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित करना है।

महिला पुलिस वालंटियर स्कीम (Mahila Police Volunteer scheme)

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की संयुक्त पहल।
- यह कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

सुपोषित माँ अभियान (Suposhit Maa Abhiyan)

- **उद्देश्य:** नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना।
- इस अभियान के तहत, 1,000 महिलाओं को एक माह के लिए भोजन सामग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही, बच्चे के स्वास्थ्य (जिसमें चिकित्सा परीक्षण, रक्त परीक्षण, औषधियां, प्रसव आदि शामिल हैं) को कवर किया जाएगा।
- पहचान की गई महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। एक परिवार से केवल एक गर्भवती महिला को ही लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाएगा।

28. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports)

28.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (Target Olympic Podium Scheme: TOPS)

- वैसे खिलाडियों की पहचान कर समर्थन प्रदान करना जिनके आगामी ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने की संभावना है।
- इसके अंतर्गत-
  - विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले संस्थानों में उत्कृष्ट एथलीटों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप **विशेषीकृत प्रशिक्षण** और अन्य आवश्यक समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
  - दीर्घावधिक पूंजीगत लाभ पर, यदि इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी निधि में निवेश किया जाए (अधिकतम निवेश 50 लाख रुपये है)।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार **एथलीटों के चयन के लिए एक बेंचमार्क** उपलब्ध कराया जाएगा।
  - **स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI)** एथलीटों की ओर से "संबंधित व्यक्ति और संस्था" को सीधे भुगतान करेगा।
  - यह प्राधिकरण एथलीटों की ओर से सीधे "संबंधित व्यक्ति और संस्था" को भुगतान करेगा।
  - टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 2020 और 2024 ओलंपिक खेलों के लिए संभावित पदक विजेताओं की पहचान और समर्थन के लिए **अभिनव बिंद्रा कमेटी का गठन** किया गया था।

राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम (Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram)

- केंद्रीय क्षेत्रक की इस योजना का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों को विकसित करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल करना है।
- यह **राष्ट्रीय युवा नीति 2014** में परिभाषित किये गए 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं पर केंद्रित है।
- इसमें **निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित** किया गया है -
  - नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम (NYLP);
  - नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS);
  - राष्ट्रीय युवा कोर (NYC);
  - राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (NPYAD);
  - राष्ट्रीय अनुशासन योजना (NDS), और स्काउटिंग एवं गाइडिंग संगठनों की सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम;
  - युवा हॉस्टल (YH) एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
- सूचना प्रसार के लिए, युवाओं को इस नई अम्ब्रेला योजना के बारे में जानकारी IEC सामग्री के वितरण के माध्यम से दी जाएगी।

खेलो इंडिया - खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (Khelo India- National programme for development of sports)

- यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र स्तरीय मंच प्रदान कर **ज़मीनी स्तर की प्रतिभाओं का विकास** करना है।
- **उद्देश्य:** वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेल में युवा आबादी की सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित करना; खेल प्रतिभा की पहचान करना; खेल अकादमियों के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को विकसित करना तथा ब्लॉक, जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर खेल अवसंरचना का निर्माण करना।
- इसमें राजीव गांधी खेल अभियान (RGKA), शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना (USIS), और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (NSTSS), नामक **तीन योजनाओं का विलय** किया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत **खेलो इंडिया स्कूल गेम्स (KISG)** लॉन्च किये गए हैं।

© Vision IAS

मिशन XI मिलियन (Mission XI million)
• भारत में **फुटबॉल को लोकप्रिय खेल** बनाना। • इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यशालाओं, सेमिनारों, संपर्क कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से **कम से कम 11 मिलियन छात्रों**, अभिभावकों, प्रशिक्षकों, शिक्षकों आदि को जोड़ना है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme: NSS)
• यह वर्ष 1969 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका उद्देश्य **स्वैच्छिक सामुदायिक सेवाओं** के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करना है। • NSS का आदर्श वाक्य **"मैं नहीं, बल्कि आप (NOT ME, BUT YOU)"** है। एक NSS स्वयंसेवक 'स्वयं' से अधिक 'समुदाय' को महत्व देता है • कार्यों की निगरानी नेहरू युवा केंद्र संगठन **(NYKS, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन)** करता है। • यह योजना भारत में 11वीं एवं 12वीं कक्षा के युवा स्कूली छात्रों को +2 बोर्ड स्तर पर और तकनीकी संस्थानों, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक एवं परास्नातक के युवा छात्रों को विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा संबंधी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। • NSS, **परिसर (कैंपस) और समुदाय**, कॉलेज और गाँव तथा ज्ञान एवं कार्यवाही के मध्य सार्थक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है।

29. नीति आयोग (Niti Ayog)

29.1. अटल नवोन्मेष मिशन (Atal Innovation Mission: AIM)*

उद्देश्य

- देश भर में (स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योग स्तरों पर) नवाचार और उद्यमशीलता आधारित परिवेश का सृजन करना और बढ़ावा देना।
- **इसकी परिकल्पना एक अम्ब्रेला नवाचार संगठन के रूप में की गई है,** जो केन्द्रीय, राज्य और क्षेत्रकीय नवाचार योजनाओं के मध्य नवाचार नीतियों के संरेखण (alignment) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

- इसे संपूर्ण देश में **नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करने तथा बढ़ावा देने के लिए** आरंभ किया गया था।
- इस मिशन ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और संस्था निर्माण दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है।
- AIM द्वारा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग, MSME, गैर सरकारी संगठनों (NGOs) व मंत्रालयों को शामिल करते हुए एक **समग्र दृष्टिकोण** को अपनाया गया है।

इसके दो प्रमुख कार्य हैं-	**स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self-Employment and Talent Utilization: SETU) योजना** के माध्यम से **उद्यमशीलता को प्रोत्साहन**, जिसमें इन्नोवेटर (innovators) को सफल उद्यमी बनने हेतु समर्थन एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा।
	नवाचार को प्रोत्साहन: नवाचारी विचारों के सृजन के लिए मंच उपलब्ध करवाना।

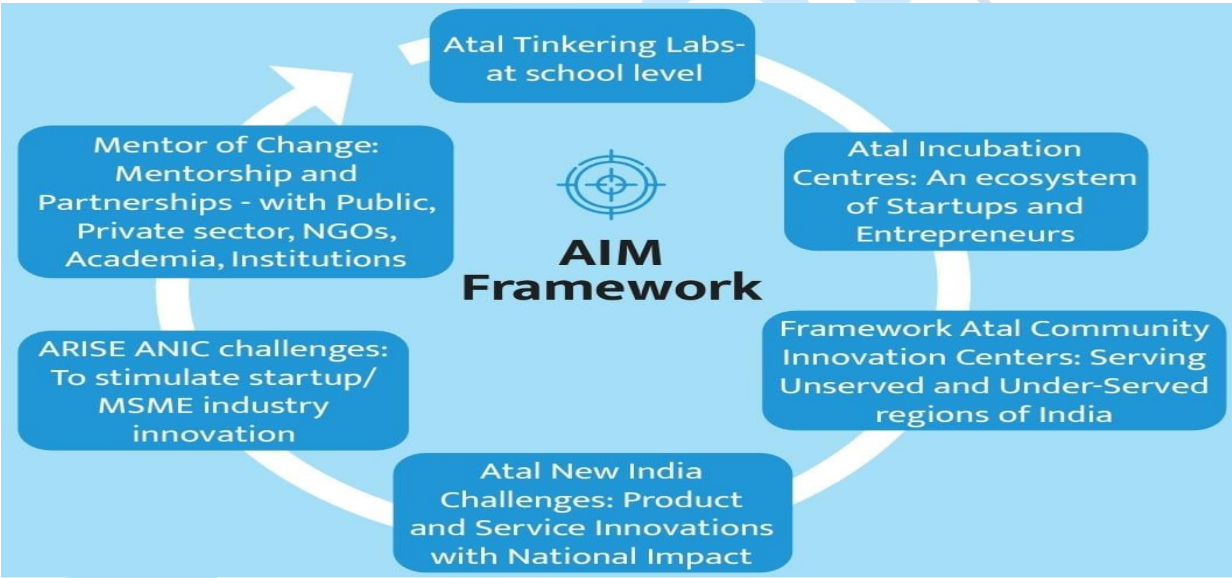

- इसके समग्र रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **अटल टिंकरिंग लैब (ATLs):** यहाँ छठी से बारहवीं कक्षा तक के छात्र नवाचार कौशलों को सीखते हैं तथा विचारों का विकास करते हैं।
    - **अटल टिंकरिंग मैराथन:** यह मैराथन भारत के सर्वश्रेष्ठ छात्र नवोन्मेषकों की खोज करने हेतु 6 विषयगत क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट मोबिलिटी, और कृषि-तकनीक में देशव्यापी चुनौती प्रस्तुत करता है।
- **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AICs) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC):** इन्हें विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन, लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) तथा कॉर्पोरेट उद्योग स्तरों पर स्थापित किया जाएगा।
- **अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज (ANIC):** सामाजिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव हेतु प्रौद्योगिकी चालित नवाचारों तथा उत्पाद सृजन को प्रोत्साहन।
- ANIC का उद्देश्य व्यावसायीकरण के वैली ऑफ़ डेथ चरण को संबोधित करना है। यह नवोन्मेषकों को टेस्टिंग, पायलटिंग और बाजार निर्माण के लिए संसाधनों तक पहुंच से जुड़े जोखिमों का समाधान प्राप्त करने में समर्थन प्रदान करेगा।

© Vision IAS

- ANIC 2.0 के तहत **7 क्षेत्रों में 18 चैलेंज** निर्धारित किये गए हैं, जैसे; ई-मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग आदि।
- **"मेंटर इंडिया" अभियान:** यह देश के अग्रणी लोगों (जो छात्रों का मार्गदर्शन और उन्हें परामर्श प्रदान कर सकते हैं) को शामिल करने हेतु एक **रणनीतिक राष्ट्र निर्माण पहल है**। उद्योग, शैक्षणिक समुदाय, सरकार और वैश्विक सहयोग इस अभियान की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- **आत्मनिर्भर भारत अराइज (ARISE)-अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज (Aatmanirbhar Bharat ARISE-Atal New India Challenges):** यह **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारतीय स्टार्टअप एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि** करने हेतु अटल नवाचार मिशन द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। इसे **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), चार मंत्रालयों** अर्थात्- रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं **संबंधित उद्योगों** द्वारा संचालित किया जाएगा।

संबंधित सुर्ख़ियाँ:
अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0

- **अटल नवाचार मिशन ने** अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC 2.0) के **दूसरे संस्करण के प्रथम चरण का शुभारंभ** किया है।
  - ANIC **अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग** का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- ANIC का उद्देश्य व्यावसायीकरण के वैली ऑफ़ डेथ चरण को संबोधित करना है। यह नवोन्मेषकों को टेस्टिंग, पायलटिंग और बाजार निर्माण के लिए संसाधनों तक पहुंच से जुड़े जोखिमों का समाधान प्राप्त करने में समर्थन प्रदान करेगा।
  - **वैली ऑफ़ डेथ चरण-** किसी उत्पाद या सेवा के विकास में वह अवधि जब निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता होती है। इससे विफलता का जोखिम भविष्य में किसी भी संभावित प्रतिफल से कहीं अधिक होने की संभावना रहती है।
- ANIC 2.0 के तहत **7 क्षेत्रों में 18 चैलेंज** निर्धारित किये गए हैं, जैसे; ई-मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग आदि।

29.2. मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी (साथ) कार्यक्रम {Sustainable Action For Transforming Human Capital (SATH) Programme}

उद्देश्य

- **शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रक** का कायाकल्प करना।
- इसका लक्ष्य भविष्य के **'रोल मॉडल' राज्यों का चयन और निर्माण** करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- नीति आयोग अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु **राज्य मशीनरी के साथ घनिष्ठ सहयोग से** कार्य करेगा। इसके माध्यम से **हस्तक्षेपों के लिए एक सुदृढ़ रोडमैप तैयार** करने, कार्यक्रम कार्यान्वयन के ढांचे के विकास, निगरानी एवं अन्वेषण तंत्रों की स्थापना करने व कार्यान्वयन के दौरान राज्य की संस्थाओं को सहारा देने के लिए सहयोग किया जाएगा। साथ ही अनेक अन्य संस्थागत उपायों को भी समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- **स्वास्थ्य क्षेत्रक** के लिए नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक का जबकि शिक्षा क्षेत्रक हेतु मध्यप्रदेश, झारखण्ड तथा ओडिशा का चयन किया है।
- इसे नीति आयोग और भागीदार राज्यों के मध्य एक **लागत-साझाकरण** तंत्र के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
- **नीति आयोग द्वारा SATH-शिक्षा रोडमैप-2018-2020:** इसके तहत 3 राज्यों, नीति आयोग और शैक्षणिक भागीदारों (बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।
  - छात्र और शिक्षक को केंद्र में रखते हुए साथ-ई योजना शिक्षा प्रणाली के लिए एक "साथी" बनने की अभिलाषा रखती है। इसका उद्देश्य संपूर्ण सरकारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को प्रत्येक बच्चे के लिए उत्तरदायी, आकांक्षी और परिवर्तनकारी बनाना है।

29.3. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme)

उद्देश्य

देश के कुछ अत्यंत अल्पविकसित जिलों का **तीव्र और प्रभावी रूप से** कायाकल्प।

प्रमुख विशेषताएं

- इसके तहत देश के 112 जिलों के रूपांतरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो कुछ कुछ विकास मानकों पर न्यूनतम प्रगति के साक्षी रहे हैं।

कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा में शामिल हैं:

समेकन (convergence) [केंद्र और राज्य योजनाओं का]	**सहयोग (collaboration)** [केंद्र और राज्य स्तर के **प्रभारी** अधिकारियों और जिलाधीश का]	जिलों के मध्य **प्रतिस्पर्धा (competition)**

पांच मुख्य आयामों में से 49 **संकेतक** चयनित किए गए हैं।	बेसलाइन रैंकिंग जारी की गयी है।	डैशबोर्ड द्वारा रियल टाइम आधार पर प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।	डैशबोर्ड पर रैंकिंग को प्रदर्शित (नीति आयोग द्वारा जारी) किया जाता है

क्षेत्रक	**भारांश**
स्वास्थ्य एवं पोषण	(30%)
शिक्षा	(30%)
कृषि और जल संसाधन	(20%)
वित्तीय समावेशन और कौशल विकास	(10%)
आधारभूत अवसंरचना	(10%)

- **सहकारी संघवाद:** स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकारें जिलों में विकास को गति प्रदान करने के उपायों के अभिकल्पन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मिलकर कार्य करती हैं।

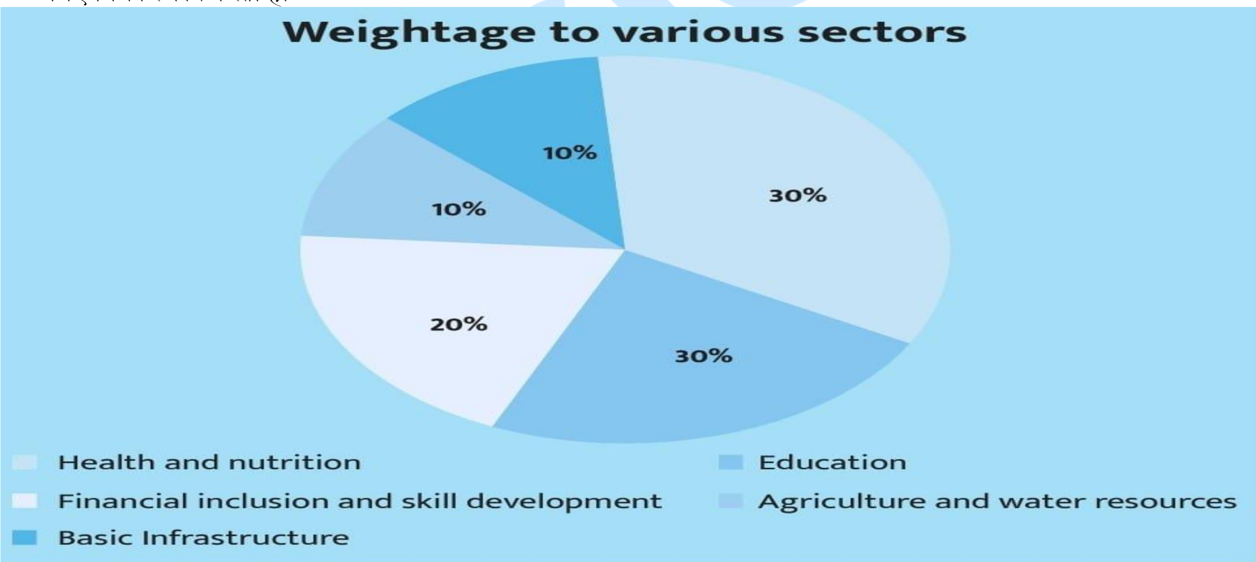

29.4. परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage)

उद्देश्य
भारत में **"स्वच्छ, संबद्ध (कनेक्टेड), साझा और संधारणीय" गतिशीलता पहल को बढ़ावा** देना है।

 © Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं
• इस हेतु एक **अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के CEO** करेंगे। यह समिति भारत में गतिशीलता को रूपांतरित करने हेतु विभिन्न पहलों को एकीकृत करने के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करेगी।   • यह भारत में वृहद पैमाने पर **निर्यात-प्रतिस्पर्धी क्षमता वाले एकीकृत बैटरी तथा सेल-विनिर्माणकारी गीगा संयंत्रों की स्थापना** में सहयोग देने के लिए **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम** (2024 तक 5 वर्षों के लिए वैध) **का समर्थन और कार्यान्वयन करेगा।**   • यह मिशन **इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन)** में होने वाले उत्पादन के स्थानीयकरण हेतु एक अन्य कार्यक्रम का आरंभ करेगा और इसके विवरण को अंतिम रूप प्रदान करेगा।   • मिशन के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों और बैटरियों के लिए एक स्पष्ट **'मेक इन इंडिया' रणनीति** तैयार की जाएगी।

29.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

गांधियन चैलेंज (Gandhian Challenge)
• अटल नवोन्मेष मिशन (AIM), नीति आयोग की **अटल टिंकरिंग लैब्स** (ATL), **यूनिसेफ इंडिया** एवं **जेनरेशन अनलिमिटेड** ने गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त रूप से **'द गांधियन चैलेंज'** का शुभारंभ किया।   • यह नवाचार चैलेंज भारत के प्रत्येक बच्चे को गांधी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए उनके सपनों के भारत के लिए नवाचारी समाधानों की संकल्पना हेतु एक मंच प्रदान करता है। इसे निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, यथा: कला एवं नवाचार (पत्र, कविताएं, चित्रकारी आदि) तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार {रोबोटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), सेंसर्स आदि}।

यूथ को:लैब (YOUTH CO:LAB)
• अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग (NITI Aayog) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-भारत (UNDP-India) द्वारा संयुक्त रूप से **यूथ को:लैब** का शुभारंभ किया गया है।   • इसका उद्देश्य **भारतीय युवाओं में सामाजिक उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है।**   • **यूथ को:लैब (Youth Co:Lab) के प्रथम चरण में छह SDGs पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:** SDG 5 (लैंगिक समानता), SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), SDG 7 (वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा), SDG 8 (उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास), SDG 12 (संधारणीय उपभोग और उत्पादन) और SDG 13 (जलवायु कार्यवाही)।   • यूथ को:लैब **राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक नवाचार चुनौतियों** को उजागर करेगा, जहां 18-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं और स्टार्ट-अप को आमंत्रित किया जाएगा तथा क्षेत्र स्तर पर कुछ सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में प्रस्तावित विचारों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा।

30. प्रधान मंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office)

30.1. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) (Pro-Active Governance And Timely Implementation: PRAGATI)

उद्देश्य

* **सामान्य जन की शिकायतों का निवारण और** साथ ही साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित **महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी** एवं समीक्षा करना।

प्रमुख विशेषताएं

* एक बहु-उद्देशीय और मल्टी-मॉडल प्लेटफोर्म, जो विशिष्ट रूप से **तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों** को समूहबद्ध करता है:
  * डिजिटल डेटा मैनेजमेंट;
  * वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा
  * भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।
* इसमें एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें प्रधान मंत्री, केन्द्र सरकार के सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव सम्मिलित हैं।
* यह **सहकारी संघवाद** को सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक ही मंच पर लाता है।
* यह शिकायतों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRMS), परियोजना निगरानी समूह (PMG) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटाबेस को सशक्त बनाएगा एवं तकनीकी रूप से उन्नत करेगा।

30.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय रक्षा निधि (National Defence Fund)

* इसका उपयोग **सशस्त्र बलों (अर्ध-सैनिक बलों सहित) के सदस्यों एवं उनके आश्रितों के कल्याण** हेतु किया जाता है।
* **इस निधि को एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस समिति में प्रधान मंत्री (अध्यक्ष के रूप में), रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री (अन्य सदस्यों के रूप में) शामिल** होते हैं।
* **इस निधि का कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री होता** है तथा इसके खाते (accounts) की देखरेख भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है।
* यह निधि पूर्णतः जनता के **स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर** है तथा इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister National Relief Fund)

* इसका गठन **पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता** हेतु 1948 में किया गया था। अब इसका **उपयोग बड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत** प्रदान करने हेतु किया जाता है।
* इसके अतिरिक्त, हृदय शल्य-चिकित्सा, कैंसर के इलाज तथा एसिड अटैक इत्यादि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता प्रदान की जाती है।
* इस कोष में **केवल जनता द्वारा दिया गया अंशदान** सम्मिलित है तथा इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।
* समग्र कोष की राशि का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में विभिन्न रूपों में निवेश किया जाता है।
* प्रधान मंत्री द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही कोष से धनराशि का वितरण किया जाता है।
* प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है।
* इस कोष को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय प्रयोजनों हेतु प्रधान मंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
* प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (G) के तहत कर योग्य आय से 100 % छूट हेतु अधिसूचित किया गया है।

© Vision IAS

31. अंतरिक्ष विभाग/इसरो की पहलें (Department of Space/ ISRO's Initiatives)

31.1. भुवन- इसरो का भू-पोर्टल (Bhuvan- ISRO's Geo-Portal)

उद्देश्य

- उपयोगकर्ताओं द्वारा पृथ्वी की सतह के 2D/3D प्रतिरूप का अन्वेषण करने हेतु एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह 350 से अधिक शहरों के लिए 1 मीटर रेज़ोल्यूशन वाले उपग्रह आँकड़ों के साथ प्रयोक्ताओं को उनकी सुदूर संवेदन अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए भी सेवाएं प्रदान करता है।
- **विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इसकी सेवाओं का उपयोग:**

पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का **एनविस (ENVIS)** कार्यक्रम।
'भुवन पंचायत' नामक वेब पोर्टल जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना निर्माण सुलभ करवाता है।
भुवन गंगा मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल, स्वच्छ गंगा परियोजना हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

- यह पोर्टल क्रमश: जिला एवं ग्रामीण स्तर पर घरों में उपलब्ध सुविधाओं संबंधी आँकड़े एवं जनगणना आँकड़ों के विषय में विस्तृत सूचना प्रदान कराता है।
- यह आपदा प्रबंधन के साथ-साथ सरकार के अन्य **महत्वपूर्ण कार्यक्रमों** जैसे समेकित जलसंभरण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, अमृत आदि हेतु सक्रिय सहायता प्रदान कर रहा है।

भुवन पंचायत V 3.0 (Bhuvan Panchayat V 3.0)

- इसे इसरो (ISRO) के **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र** (National Remote Sensing Centre) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह सरकारी परियोजनाओं की बेहतर नियोजन और निगरानी के लिए इसरो की SISDP (विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता) परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं के अनुकूल वेब आधारित एक जियो पोर्टल है।
  - **SISDP परियोजना:** इसका उद्देश्य विकास योजनाओं के निर्माण, उनके क्रियान्वन और गतिविधियों की निगरानी हेतु उपग्रह आधारित डेटा से प्राप्त मूलभूत नियोजन आगतों के साथ **जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों** की सहायता करना है।
- यह पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** प्रक्रिया में **सहायता के लिए भू-स्थानिक सेवाएं** प्रदान करेगा।
- यह **ग्राम पंचायत सदस्यों** और अन्य हितधारकों जैसे PRI एवं लोगों के लाभ के लिए **डेटाबेस विज़ुअलाइज़ेशन, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमैटिक रिपोर्ट के निर्माण**, मॉडल आधारित उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से सहायता करता है।

इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में नियोजन हेतु पहली बार एकीकृत उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा के साथ **उच्च स्तर पर एक थिमेटिक डेटाबेस** उपलब्ध होगा।

31.2. युवा विज्ञानी कार्यक्रम (Yuva Vigyani Karyakram: YUVIKA)

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का **मुख्य उद्देश्य** युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर **मौलिक ज्ञान प्रदान करना है ताकि अंतरिक्ष गतिविधियों के तेज़ी से उभरते क्षेत्रों में उनकी रूचि जागृत की** जा सके।
- इससे उन्हें यह समझने में सहायता मिलेगी कि उन्हें स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है तथा **अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उस शिक्षा का वास्तविक अनुप्रयोग** क्या है।

प्रमुख विशेषताएं
CBSE, ICSE और राज्य पाठ्यक्रम को कवर करते हुए प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए **प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से 3 छात्रों का चयन करना** प्रस्तावित है। जो **छात्र 8वीं कक्षा पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में 9वीं कक्षा** में पढ़ रहे हैं, वे इस कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।
ISRO ने भारत में संबंधित राज्यों के **मुख्य सचिवों**/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों से संपर्क किया है, ताकि वे अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से **तीन छात्रों के चयन की व्यवस्था कर सकें और ISRO को सूची के** बारे में बता सकें।
ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों हेतु चयन मानदंड में विशेष अधिभार दिया गया है।

31.3. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम (उन्नति) (Unispace Nanosatellite Assembly & Training programme: UNNATI)

- इस कार्यक्रम का शुभारंभ बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं शांतिपूर्ण उपयोग पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की **50वीं वर्षगांठ (यूनीस्पेस +50)** के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान किया गया।
- यह कार्यक्रम **भागीदार विकासशील देशों को नैनो उपग्रहों के समुच्चयन, समेकन एवं जाँच कार्य में क्षमता संवर्द्धन के लिए अवसर** प्रदान करेगा।

विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम (Samvad with Students)

- हाल ही में इसरो (ISRO) ने विद्यार्थियों के साथ संवाद नामक एक **छात्र आउटरीच कार्यक्रम** आरम्भ किया है जहां इसरो के अध्यक्ष अपनी बाह्य स्थान यात्राओं के दौरान विद्यार्थियों से मिलते हैं तथा उनके प्रश्नों का समाधान और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का निदान करते हैं।

साकार (Sakaar)

- साकार एंड्राइड उपकरणों हेतु परिकल्पित **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) की एक ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) एप्लीकेशन है।**
- यह एप्लीकेशन मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM), RISAT व PSLV, GSLV और Mk-III जैसे स्वदेशी रॉकेट्स के त्रीआयामी (3D) प्रतिरूपों को शामिल करती है।

© Vision IAS

परिशिष्ट (Appendix)

राज्य सरकार की योजनाएं (State Government Schemes)		
योजना	राज्य	प्रमुख विशेषताएं
शिशु सुरक्षा ऐप (Sishu Suraksha App)	असम	• भावी पीढ़ियों की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाना। • यह संपूर्ण असम के **उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है।**
सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana)	छत्तीसगढ़	• इसे वर्ष 2016 में कम खर्च में बेहतर फसल उगाने हेतु रियायती दर पर सौर पंप उपलब्ध कराने हेतु किसानों की सहायता के लिए आरंभ किया गया था।
भावांतर भरपाई योजना (Bhavantar Bharpayee Yojana)	हरियाणा	• इस योजना का उद्देश्य **किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और फसलों के विविधीकरण पर बल देना** है। • इसके तहत, फसलों के आधारभूत मूल्य तय किए जाते हैं और अगर **किसानों को सूचीबद्ध फसलों के तय मूल्य से कम कीमत मिलती है तो सरकार द्वारा उन्हें इसकी भरपाई** की जाती है। • किसानों के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करने वाला **हरियाणा** देश का पहला राज्य है।
कृषि भाग्य योजना (Krishi Bhagya Scheme)	कर्नाटक	• इसे विशेष रूप से **शुष्क भूमि वाले किसानों के लिए आरंभ किया गया था जो अपनी खेती के लिए वार्षिक वर्षा पर निर्भर** हैं। • किसानों को वर्षा के **जल के संरक्षण** हेतु कृषि तालाब (कृषि होंडा) के निर्माण के लिए और **कम वर्षा के दौरान पानी खींचने के लिए** लिफ्ट पंप, डीजल मोटर खरीदने के लिए अनुदान प्राप्त होता है।
सौभाग्यवती योजना (Soubhagyavati Yojana)	मध्य प्रदेश	• इस योजना में राज्य में निर्धनों को उनकी विद्युत की खपत से निरपेक्ष, एक निश्चित बिजली बिल के आधार पर विद्युत उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
भावांतर भुगतान योजना (Bhavantar Bhugtan Yojana: BBY)	मध्य प्रदेश	• सरकार द्वारा किसानों को आधिकारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) और जिस दर पर वे अपनी फसल बेचते हैं या मॉडल मूल्य (जो भी अधिक हो), के बीच के अंतर का भुगतान किया जाता है। • कीमतों में अत्यधिक गिरावट की स्थिति में किसानों को मुआवजा देना और उस हद तक उनके समक्ष आने वाले मूल्य जोखिम से बचाव करना।
साइबर सुरक्षित महिला अभियान (Cyber Safe Women Initiative)	महाराष्ट्र	• इसके तहत साइबर सुरक्षा को लेकर राज्य के सभी जिलों में प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों तथा केस स्टडी के रूप में **जागरूकता शिविरों और संवाद सत्रों का आयोजन** किया जाएगा। • इसे महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आरंभ किया गया था कि किस प्रकार असामाजिक तत्वों और बालकों को लक्षित करने वालों द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराध करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है।
ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन (Drink from Tap Mission)	ओडिशा	• इसका उद्देश्य **शहरी क्षेत्रों में सभी को 24x7 सुरक्षित पेयजल** उपलब्ध कराना है। • इसे **यूनिसेफ और इनोसेन्टी रिसर्च सेंटर (IRC)** द्वारा **तकनीकी सहायता** प्रदान की जा रही है। • इसमें वार्ड स्तर पर समुदाय आधारित जल प्रबंधन प्रणाली को अपनाना, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना, प्रत्येक घर के लिए घरेलू कनेक्शन सुनिश्चित करना, मीटर रीडिंग, बिलिंग, जल शुल्क का संग्रह, शिकायत प्रबंधन, मानक उपकरणों का उपयोग करके गुणवत्ता परीक्षण दर्ज करना आदि शामिल हैं। • इस योजना के तहत, **ओडिशा का पुरी देश का प्रथम शहर** बन गया है, जहां 24x7 **ड्रिंक फ्रॉम टैप** सुविधा उपलब्ध है।

ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन या जगा मिशन {Odisha Liveable Habitat Mission (OLHM) or Jaga Mission}	ओडिशा	• इसका **उद्देश्य मलिन बस्तियों के हजारों निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना** है। • राज्य की 2,919 मलिन बस्तियों में जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए मलिन बस्ती निवासियों के लिए भूमि अधिकार अधिनियम, 2017 को राज्य के अग्रणी कार्यक्रम के प्रथम चरण के रूप में पारित किया गया था। • इस मिशन के तहत **मलिन बस्तियों का मानचित्रण और सर्वेक्षण** किया जा रहा है। इसमें उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग और सामुदायिक भागीदारी पर एक साथ बल दिया गया है। इसके बाद यह मिशन इस जानकारी का उपयोग पात्र निवासियों को भूमि अधिकार/पट्टा प्रदान करने के लिए करता है। यह सड़कों, नालियों, स्ट्रीट-लाइट, स्वच्छता और निर्मल जल आपूर्ति के माध्यम से भौतिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करता है।
आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता (कालिया) योजना (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation: KALIA)	ओडिशा	• राज्य के **लघु, सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वित्तीय सहायता** प्रदान करना। • कालिया योजना के तहत सरकार **लाभार्थियों को DBT के माध्यम से निम्नलिखित 5 प्रकार के लाभ** प्रदान करेगी: o कृषि के लिए व्यापक सहायता; o आजीविका के लिए व्यापक सहायता; o सुभेद्य कृषि परिवारों के लिए सहायता; o किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए जीवन बीमा; तथा o ब्याज मुक्त फसल ऋण।
जल साथी (Jal Sathi)	ओडिशा	• इसे महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से **जल वितरण और उपभोक्ता प्रबंधन में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को शामिल करने** के लिए शुरू किया गया था। • **महिला स्वयंसेवक या 'जलसाथी'** पाइप द्वारा जलापूर्ति प्रणाली के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं। वे जल की गुणवत्ता की फील्ड-टेस्टिंग, जलापूर्ति हेतु नए कनेक्शन की सुविधा, कनेक्शन को नियमित करने, मीटर रीडिंग और बिल बनाने तथा शिकायत निवारण को सुगम बनाने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal: JSP)	राजस्थान	• यह **देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली** है और इसमें एक ही मंच पर 13 विभागों की 23 सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। • यह पोर्टल **योजनाओं की व्याख्या और लाभार्थियों, प्रभारी अधिकारियों, योजना की प्रगति आदि पर रियल टाइम आधारित जानकारी** प्रदान करता है। • यह पहल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) की भावना अर्थात् सूचना के सक्रिय/अग्रिम प्रकटीकरण से प्रेरित है।
एक परिवार एक नौकरी योजना (One Family, One Job)	सिक्किम	• यह प्रत्येक ऐसे परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के उद्देश्य पर आधारित योजना है, जिनके पास राज्य में सरकारी नौकरी नहीं है।
मिशन काकतीय (Mission Kakatiya)	तेलंगाना	• इस मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से **लघु और सीमांत किसानों के लिए कृषि आधारित आय के विकास में वृद्धि करना है:** o लघु सिंचाई अवसंरचना के विकास में तेजी लाकर, o समुदाय आधारित सिंचाई प्रबंधन को सुदृढ़ करके, और o तालाबों का पुनरुद्धार करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम को अंगीकृत करके।
मिशन भगीरथ (Mission Bhagiratha)	तेलंगाना	• इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण (प्रति व्यक्ति 100 लीटर) के साथ-साथ शहरी (प्रति व्यक्ति 150 लीटर) क्षेत्रों में **सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना है।**

रयथू बंधु योजना किसान को निवेश सहायता योजना {(Rythu Bandhu Scheme) (Farmers' Investment Support Scheme: FISS)}	तेलंगाना	• यह भारत में **किसानों को प्रत्यक्ष रूप से निवेश संबंधी सहायता प्रदान करने वाली प्रथम योजना** है जिसके तहत किसानों को प्रत्यक्ष रूप से नकद में भुगतान किया जाता है। • यह तेलंगाना सरकार द्वारा एक **वर्ष में दो फसलों के लिए किसानों को निवेश संबंधी सहायता प्रदान करने वाला** एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष तेलंगाना के सभी किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान (5,000 रुपये प्रति फसली मौसम के लिए) प्रदान किया जा रहा है।
कन्याश्री प्रकल्प योजना (Kanyashree Prakalpa Scheme)	पश्चिम बंगाल	• यह बालिकाओं के लिए सशर्त नकद अंतरण योजना है। • इसके तहत लाभार्थियों के रूप में **1,20,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की 13 से 19 वर्ष की आयु की सभी बालिकाएं शामिल हैं।** यदि लड़की के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, लड़की शारीरिक रूप से विकलांग (40% विकलांगता) है या किशोर न्याय गृह में रह रही है तो **परिवार के आय संबंधी पात्रता लागू नहीं होगी।** • इसका उद्देश्य बालिकाओं की स्थिति और कल्याण में सुधार करना है। • **इसके दो घटक हैं:** ○ इसके तहत **आठवीं से बारहवीं कक्षा में नामांकित 13-18 वर्ष की अविवाहित लड़कियों को 500 रुपये** की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ○ इसके तहत सरकारी मान्यता प्राप्त नियमित या मुक्त स्कूल/महाविद्यालय में नामांकित/आवेदन के समय या व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण या खेल गतिविधि में शमिल या किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकृत गृह में रह रही **18 वर्ष की लड़कियों को 25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान** किया जाता है। • इस योजना को **लोक सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कृत किया गया है।**

योजनाओं की श्रेणियाँ (Categories of schemes)

महिलाएं				
उड़ान- छात्राओं को पंख देने हेतु कार्यक्रम	स्त्री स्वाभिमान	स्टैंड-अप इंडिया योजना (SCs/STs/OBCs के लिए भी)	जननी सुरक्षा योजना	जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम
प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान	लक्ष्य कार्यक्रम (प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल)	सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) पहल	परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना	महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम
बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की योजना	प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना	सुकन्या समृद्धि योजना	सखी वन स्टॉप सेंटर	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना
स्वाधार गृह योजना	जेंडर चैंपियंस योजना	बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना		

बच्चे
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
समेकित बाल विकास सेवा

वरिष्ट नागरिक
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना
अटल पेंशन योजना
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन योजना
व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना)

अल्पसंख्यक
मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी- मानस
धान मंत्री जन विकास कार्यक्रम
साइबर ग्राम

जनजाति
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन हेतु तंत्र
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
प्रधान मंत्री वन धन योजना
वनबंधु कल्याण योजना

इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस
मेक इन इंडिया
निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना
शून्य दोष एवं शून्य प्रभाव योजना
ऋण से संबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ब्याज अनुदान योजना
निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना
निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के विपणन एवं परिवहन में सहायता हेतु योजना
चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)

© Vision IAS

कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना

स्टार्ट-अप्स
युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना
स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम
स्टार्ट-अप इंडिया

जलवायु परिवर्तन
नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर
वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण, प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं
राष्ट्रीय मानसून मिशन
इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान
स्वस्थ्य पुन: उपयोग सयंत्र के लिए शहरी सीवेज स्ट्रीम का स्थानीय उपचार
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

कौशल विकास
उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना: श्रेयस
पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना
स्किल इंडिया मिशन

शिक्षा
मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी (साथ) कार्यक्रम
स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स' परियोजना (स्टार्स)
इंस्पायर योजना (इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च)
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
उड़ान- छात्राओं को पंख देने हेतु कार्यक्रम
कृषि विज्ञान केंद्र
शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेशन कार्यक्रम
भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए परा-विद्या संबंधी अनुसंधान योजना (स्ट्राइड)
प्रधान मंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम - ध्रुव

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना
स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा)
मध्याह्न भोजन योजना
प्रधान मंत्री शोध अध्येतावृत्ति योजना
'कृषि में युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने (आर्या परियोजना)
राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना
उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना: श्रेयस

क्षेत्रीय असमानता में कमी
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास
उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) / क्षेत्रीय संपर्क योजना
भारत नेट परियोजना
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन
आकांक्षी जिला कार्यक्रम
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
राष्ट्रीय गैस ग्रिड
भारत को जानो कार्यक्रम
उन्नत भारत अभियान
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम

किसान	
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान)	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
राष्ट्रीय कृषि बाजार-ई-नाम	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना	हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
ऑपरेशन ग्रीन्स	प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना
डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना	प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना

© Vision IAS

राष्ट्रीय डेयरी योजना-I	डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष योजना
सिटी कम्पोस्ट स्कीम	पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना
यूरिया सब्सिडी	

सुशासन (गुड गवर्नेंस)					
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति)	पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना	इंडक्शन ट्रेनिंग पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
ग्राम स्वराज अभियान	स्वामित्व: ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण	न्याय मित्र	जल क्रांति अभियान	राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना (हृदय)	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)
स्वच्छ भारत मिशन	स्मार्ट सिटी मिशन	नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2020	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	जीवन प्रमाण
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम		शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयला का दोहन और आवंटन की योजना)		तरंग संचार	

निर्धनता						
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान)	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना	प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना	प्रधान मंत्री अन्नदाता आया संरक्षण अभियान (पी.एम.-आशा)	किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	ब्याज अनुदान योजना	यूरिया सब्सिडी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013	अंत्योदय अन्न योजना	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	मध्याह्न भोजन योजना	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना	अटल पेंशन योजना	प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	राष्ट्रीय आरोग्य निधि	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	प्रधान मंत्री आवास योजना	दीन दयाल अंत्योदय योजना-शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन)	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम	बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना	प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन योजना	व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना)	सौर चरखा मिशन	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना	पी.एम. गरीब कल्याण रोजगार अभियान	सांसद आदर्श ग्राम योजना	मिशन अंत्योदय	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	भारतीय पोषण कृषि कोष

(मनरेगा), 2005						

स्वास्थ्य						
आयुष्मान सहकार योजना	राष्ट्रीय आयुष मिशन	आयुष दवाओं की निगरानी को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना	प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013	अंत्योदय अन्न योजना	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
मध्याह्न भोजन योजन	आयुष्मान भारत	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	जननी सुरक्षा योजना	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान	सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम	मिशन इंद्रधनुष	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	लक्ष्य कार्यक्रम - प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु पहल	सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) पहल
माँ का पूर्ण स्नेह (Mother Absolute Affection: MAA)	परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना	इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (EVIN)	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल (राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस)	राष्ट्रीय आरोग्य निधि	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा
राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम		स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)		मानव पूंजी को बदलने के लिए सतत कार्रवाई (SATH) कार्यक्रम		

सतत विकास / पर्यावरण संरक्षण				
फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन योजना (हरित क्रांति का उप-घटक - कृषोन्नति योजना)	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन	परंपरागत कृषि विकास योजना	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण
फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के मध्य जलवायु सुदृढ़ता निर्माण	सिक्योर (सेक्यूरिंग लाइवलीहुड्स, कंज़र्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ एंड रेस्टोरेशन ऑफ़ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम) हिमालय प्रोजेक्ट	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम	डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना	जल जीवन मिशन

© Vision IAS

नमामि गंगे योजना	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	अटल भूजल योजना	प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना	ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण)
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन	सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना	अटल ज्योति योजना (अजय)	सौर शहरों के विकास की योजना	प्रधान मंत्री JI-VAN (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना
राष्ट्रीय गैस ग्रिड	राष्ट्रीय एल.ई.डी. कार्यक्रम	उन्नत ज्योति बाय अफ़ोर्डेबल LED फॉर ऑल (उजाला)	स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम	

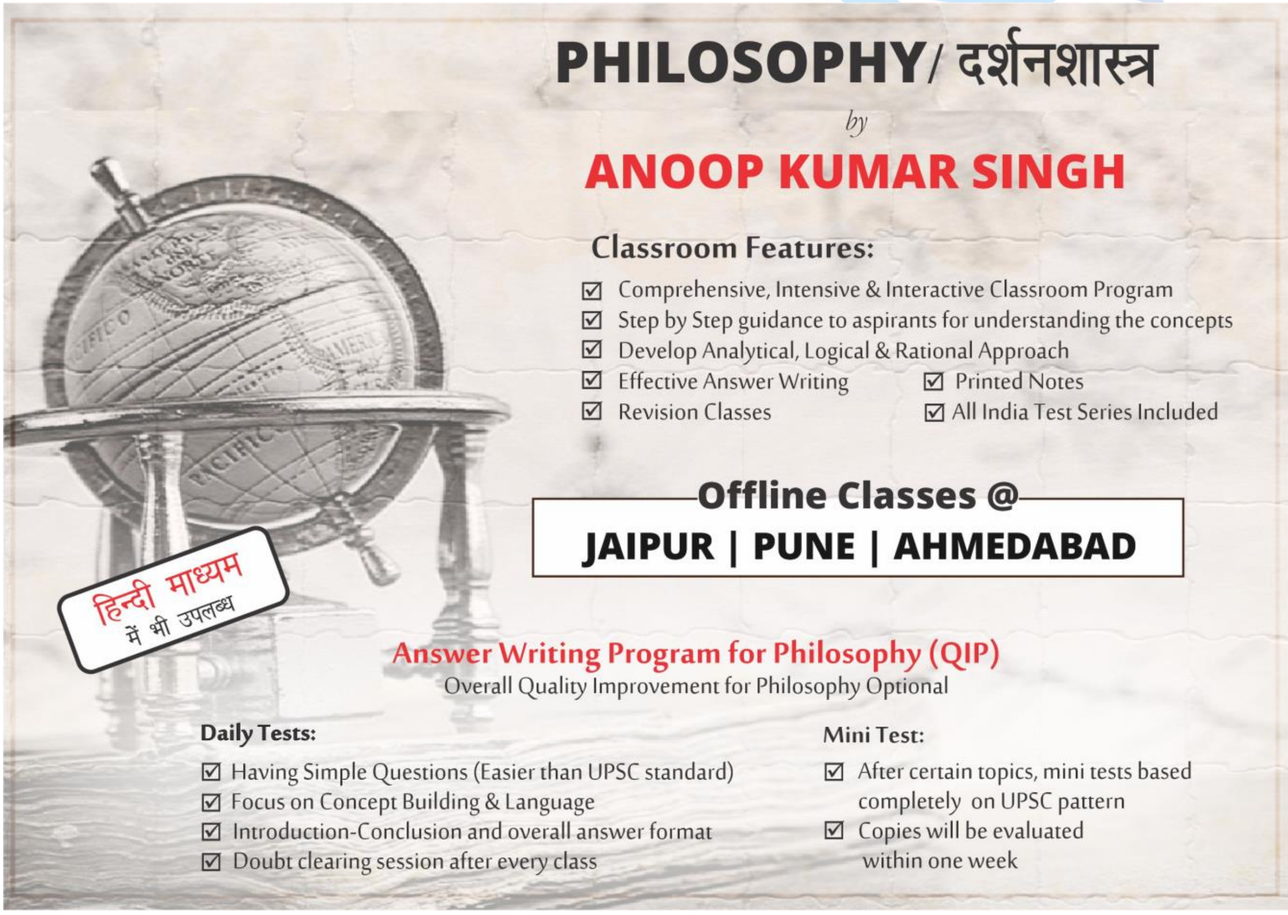

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

1 AIR

SHUBHAM KUMAR
GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT

2 AIR

JAGRATI AWASTHI

3 AIR

ANKITA JAIN

4 AIR

YASH JALUKA

5 AIR

MAMTA YADAV

6 AIR

MEERA K

7 AIR

PRAVEEN KUMAR

8 AIR

JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT

9 AIR

APALA MISHRA

10 AIR

SATYAM GANDHI

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

FOR DETAILED ENQUIRY,
PLEASE CALL: +91 8468022022,
+91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI /VISION_IAS VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /VISIONIAS_UPSC